* ओ३म् *

सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा

का

सत्ताईस वर्षीय कार्य्य विवरण

॥ ओ३म् ॥

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

का

२७ वर्षीय इतिहास

(कार्य-विवरण)

प्रकाशक

मन्त्री—सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा, देहली

सम्वत् १९९६ विक्रमी
११४ दयानन्दाब्द

मूल्य अजिल्द २)
सजिल्द २॥)

मुद्रक—
लाला सेवाराम चावला चन्द्र प्रिंटिंग प्रेस, नया बाजार, देहली

विषय-सूची

१. भूमिका

सार्वदेशिक सभा के स्वीकृत प्रस्ताव सं० ७ ता० ३१, १९३९ ई० के द्वारा सभा की २७ वर्ष की यह रिपोर्ट तयार की गई है। रिपोर्ट में प्रारम्भ से अन्त तक सभी विवरण इस प्रकार दिये गये हैं, जिससे यह केवल घटनाओं और अङ्कों का विवरण मात्र न रहे किन्तु इतिहास का काम भी दे सके।

सभा अपनी स्थापन तिथि से प्रायः १९२४ ई० तक बाल्यकाल ही में रही और कई बार उसका जीवन संकट में आ गया था। १९१७ ई० में इस सभा की अन्तरंग सभा ने एक प्रस्ताव निम्न भाँति स्वीकृत किया थाः—

(१) अन्तरंग सभा का कौरम नहीं होता इस लिये साधारण सभा से प्रार्थना की जावे कि नियमों का इस प्रकार संशोधन कर देवे जिससे नियम सं० २२ में वर्णित विषयों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों का निर्णय प्रधान तथा मन्त्री, अन्तरंग सभासदों से लेखवद्ध सम्मति मंगाकर, कर दिया करें।"

इस प्रस्ताव से, उस समय की अवस्था का ज्ञान हो जाता है कि उसके सदस्य उसके कार्यों में कितना कम ध्यान दिया करते थे।

(२) १२ मार्च १९१२ ई० को यह प्रस्ताव, अन्तरंग सभा के सम्मुख उपस्थित किया गया था कि प्रान्तिक सभायें न पंचमांश भेजती हैं, न उनके प्रतिनिधि ही सभा में आपाते हैं, इस लिये इस विषय पर विचार किया जावे कि यह सभा कायम रक्खी जावे या नहीं।

(३) सभा के एक मात्र उपदेशक के लिये, स० १९२३ के प्रारम्भ में तत्कालीन प्रधान महोदय ने, निश्चय किया था कि वह धनाभाव के कारण आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब में भेज दिया जावे।

(४) यह सभा भी, प्रतिकूल परिस्थिति होने के कारण, अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना, संभव नहीं समझती थी। एक बार सभा ने आर्य-प्रतिनिधि सभा मोरिशस के प्रार्थना पत्र को जो इस सभा में प्रवेशार्थ आया था, यह

निश्चय करके रद कर दिया था कि आर्य्यावर्त से बाहर की कोई सभा इसमें प्रविष्ट नहीं हो सकती।

इस प्रकार की अधिक बातों का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है; इस सभा की यह हालत उस समय तक बराबर बनी रही जब तक श्रीमद्दया-नन्द जन्म शताब्दी मथुरा के अवसर पर उसके लिये कुछ धन एकत्र नहीं कर लिया गया। धन एकत्र होजाने पर सभा इस योग्य हो गई कि अपने पाँव पर खड़ी हो सके और अपने सभी कार्यों का विस्तार कर सके। असल में सभा की उन्नति और विस्तार का विवरण श्री मद्दयानन्द जन्म शताब्दी मथुरा से ही शुरू होता है। इस बीच में यह सभा, न केवल आर्य्यावर्त ही की मुख्य सभा रही अपितु पृथिवी के समस्त आर्य्य समाजों की मुख्य सभा होकर, उचित रीति से, सार्वदेशिक आर्य्य-प्रतिनिधि सभा (International Aryan League) बन गई। सभा का इन अन्त के बर्षों में किस प्रकार विकास हुआ और उसने क्या क्या कार्य्य इस बीच में किये, इन सब बातों का विवरण, इस रिपोर्ट (इतिहास) में, पाठक गण, पढ़ेंगे। यहाँ उनके दुहराने की जरूरत नहीं है।

आशा है कि जिस समय समस्त आर्य्य समाजों का विस्तृत इतिहास लिखा जावेगा, उस समय उस इतिहास के लेखकों के लिये यह इतिहास एक उपयोगी वस्तु सिद्ध होगी।

बलिदान भवन
देहली
२१-२-१९३७ ई०

नारायण स्वामी

ओ३म्

सार्वदेशिक सभा का सत्ताईस वर्षीय कार्य विवरण

२. प्रारम्भ—सभा के बनाने का विचार

ऋषि दयानन्द ने यद्यपि सबसे पहला समाज राजकोट में स्थापित किया था परन्तु वह उस समय उन्नति न कर सका। इस लिए उसके बाद का स्थापित किया हुआ बम्बई का समाज ही पहला समाज समझा और माना जाने लगा। आर्यसमाज बम्बई को, ऋषि दयानन्द ने अपने कर कमलों से, १० अप्रैल १८७५ ई० को, स्थापित किया था। आर्य्यसमाज बम्बई के प्रथम समाज होने की गणना इस लिए भी होने लगी कि वहाँ ऋषि दयानन्द ने आर्य्यसमाज के कुछ नियम भी बनाये थे जिनकी संख्या २८ थी। उन नियमों में तीसरा नियम इस प्रकार था:—

"इस समाज में प्रति देश के मध्य एक प्रधान समाज होगा और अन्य समाज शाखा-प्रशाखा होंगे।"

नियम के शब्द ऋषि दयानन्द के आन्तरिक भाव प्रकट करते हैं। ऋषि दयानन्द चाहते थे कि आर्य्यसमाज पृथ्वी के समस्त देशों में फैले और प्रत्येक देश में एक प्रधान समाज हो बाकी समाज उसी प्रधान समाज की शाखायें हों। ऋषि दयानन्द का यही भाव, उनके, अन्त में हुई वसीयत के शब्दों से भी, प्रकट होता है जिनमें उन्होंने देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में

वैदिक धर्म के फैलाने का आदेश किया था। इस नियम का ऐसा ही भाव, उस समय के आर्य्यसमाज बम्बई के कार्यकर्त्ताओं ने भी समझा था, वह इस बात से प्रकट होता है कि ऋषि के देहावसान के बाद श्रीयुत सेवकलाल कृष्णदास ने, जो उस समय आर्य्यसमाज बम्बई के उपप्रधान थे, सितम्बर १८८४ ई० में देश-भर के आर्य्यसमाजों को पत्र भेजकर, उन्हें सम्पूर्ण भारत का एक प्रधान समाज बनाने की प्रेरणा की थी। जब यह यत्न, उस समय, आर्यसमाजों की प्रारम्भिक अवस्था होने से सफल नहीं हुआ तब एक दूसरा यत्न किया गया कि ऋषि दयानन्द की स्वयं स्थापित की हुई परोपकारिणी सभा को, "प्रधान समाज" का रूप दिया जावे। परोपकारिणी सभा के पहले ही अधिवेशन में, जो ऋषि के देहावसान के दो मास बाद, २८ दिसम्बर १८८३ ई० को, अजमेर में संगठित हुआ था, श्रीयुत महादेव गोविन्द रानडे ने, श्रीयुत पं० सुन्दरलाल जी के अनुमोदन से प्रस्ताव पास किया था कि आर्य्यसमाजों के प्रतिनिधियों की एक सभा निर्माण की जावे और आगे को परोपकारिणी सभा में, रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार की जावे कि कम-से-कम आधे सदस्य प्रतिनिधि सभा के हो जावें। यह प्रस्ताव स्वीकार होगया परन्तु परोपकारिणी सभा के तत्कालीन अधिकारियों की अदूरदर्शिता से, उस पर अमल नहीं हुआ जिसका फल यह हुआ कि परोपकारिणी सभा आर्य्यसमाज के संगठन से बाहर ही रही और ऋषि निर्मित्त आ० स० बम्बई के नियमों में वर्णित प्रधान समाज बनाने की जरूरत, ज्यों की त्यों बाक़ी रही। आर्य्यसमाज लाहौर के मुखपत्र आर्य्य-पत्रिका ने इस प्रधान समाज को बनाकर, आर्य्यसमाजों को संगठित करने का आन्दोलन जारी रक्खा और उसके तत्कालीन सम्पादक ने २७ जून १८८५ ई० की पत्रिका के सम्पादकीय कालम में, एक टिप्पणी देकर भारतवर्ष के समस्त आर्य्यसमाजों के संगठन की आवश्यकता प्रदर्शित की। संयुक्त-प्रांत से उस समय निकलने वाले

पत्रों में से एक पत्र आर्य्यससाचार में, जो मेरठ से निकला करता था, श्रीयुत लक्ष्मण स्वरूप जी ने, आर्य्यसमाज के प्रान्तिक संगठन करने पर बल दिया और उनका यह प्रस्ताव पंजाब के नेताओं को भी माननीय हुआ। फलस्वरूप पहले आर्य्यप्रतिनिधि सभा पंजाब और उसके दूसरे वर्ष ही आर्य्यप्रतिनिधि सभा संयुक्त-प्रान्त का जन्म हुआ--प्रांतिक संगठन के प्रारम्भ हो जाने के बाद भी समस्त देश के आर्य्यसमाजों के संगठन करने की बात, आर्य्यसमाज के नेताओं के मस्तिष्क में चक्कर खाती रही।

पंजाब की सभा के जो नियम उस समय, उसकी स्थापना करते हुये बनाये गये थे उनके दूसरे नियम में प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं को देश की प्रतिनिधि सभा और समस्त भारतवर्ष की प्रतिनिधि सभा के लिये सार्वदेशिक सभा कहा गया है।

यह नियम था जिसमें, इस सभा का जन्म होने से पूर्व ही नाम करण संस्कार हुआ था और उसी समय से इस नामवाली के अनुसार सभा के बनाने की बात आर्य नेताओं की विचार कोटि में रही। संवत् १९५६ वै० (सन् १९०० ई०) में भारत धर्म महामण्डल के महोत्सव के साथ, देहली में आर्यसमाज का भी एक महोत्सव हुआ था जिसमें कई दिन तक वैदिकधर्म का अच्छा प्रचार होता रहा था। उस समय आर्यसमाज के नेताओं में विचार विनिमय होते हुए, एक बात की कमी सब को अखर रही थी और वह कमी यह थी कि इस प्रकार के उत्सवों और सम्मेलनों का जिन्हें किसी प्रान्त का नहीं कह सकते, किस प्रकार सुचारु रूप से भविष्य में प्रबन्ध हुआ करे। इसी प्रसंग में एक बार फिर सार्वदेशिक सभा के बनाने का प्रश्न उठा। उपर्युक्त कमी की पूर्ति के, जो कतिपय समाधान उपस्थित किये गये थे, उनमें से यह (सार्वदेशिक सभा के बनाने का) सब को अधिक उपयोगी जंचा क्योंकि इससे आर्यसमाज के संगठन श्रृङ्खला की भी पूर्ति होती थी, इसलिए दो तीन दिन के विचार

के बाद, एक अनियमित (Informal meeting) सभा ने, निम्न सज्जनों की एक सभा बनादी कि वे, इस सम्बन्ध में, जो उचित समझें, करें:—

(१) पं० भगवानदीन जी लखीमपुर
(२) म० मुन्शीराम जी जालन्धर
(३) वंशीधर जी शर्मा अजमेर
(४) पं० काशीराम जी तिवारी मध्यप्रदेश
(५) डा० सुखदेव जी भरतपुर
(६) नारायणप्रसाद जी मुरादाबाद
(७) ला० रामकृष्ण जी जालन्धर

डाक्टर सुखदेव इस सभा के मंत्री नियत हुए थे। यह सभा समय समय पर बुलाई जाती रही और इसमें सार्वदेशिक सभा बनाने के एक मात्र प्रश्न पर विचार होता रहा। पंजाब के सज्जनों ने एक विचार उपस्थित किया कि प्रान्तिक सभाओं के प्रतिनिधियों की, जो सार्वदेशिक सभा में आवें, संख्या नियत करने में, जहाँ उनकी सामूहिक शक्ति का ध्यान रक्खा जावे, वहां इस बात पर भी ध्यान दिया जावे कि कौनसी सभा कितना धन उस (सार्व०) सभा को देती है। इसका प्रत्येक कोने से विरोध हुआ। परन्तु पंजाब के सदस्यों ने अपना आग्रह जारी रक्खा इसलिए प्रायः तीन वर्ष तक, सभा के सदस्य मिलते जरूर रहे, परन्तु बिना किसी परिणाम पर पहुँचे ही उठते भी रहे। कदाचित् १६०५ का प्रारम्भ था, जब म० मुन्शीराम जी ने धन की शर्त उठा ली, इससे अवशिष्ट प्रान्तों के प्रतिनिधियों में, फिर आशा की झलक दिखाई देने लगी। इसके बाद नियमों का ड्राफ़ बना, वह सदस्यों में घुमाया गया और सदस्यों के स्वीकृत हो जाने के बाद, उस समय भारतवर्ष में जितनी प्रतिनिधि सभायें थीं उन सब में विचार के लिए भेजा गया। उन सब की सम्मति प्राप्त हो जाने के बाद, १७ मार्च १६०८ ई० को, गुरुकुल

कांगड़ी के महोत्सव पर उसी अनियमित सभा की, एक बैठक हुई। एक बात याद रखनी चाहिए कि इस अनियमित सभा का जहाँ अधिवेशन होता था वहाँ के कुछ अन्य सदस्य भी इस सभा के कार्य में भाग लेते और अपनी सम्मति दिया करते थे। ठा० हुक्मसिंह जी रईस आंगई (मथुरा), रायबहादुर ठाकुरदत्त जी धवन लाहौर, बाबू श्रीराम जी आगरा आदि उन्हीं सज्जनों में से थे जो आगे भी सभा के कार्यों में बराबर भाग लेते रहे। उपर्युक्त बैठक में प्रस्तावित (सार्वदेशिक) सभा के नियमों पर विचार हुआ और निश्चय हुआ कि आगामी बैठक आगरा में की जावे जिसमें नियमों पर अन्तिम विचार हो—

आगरा की बैठक

२५ सितम्बर १६०८ ई० में आगरा में जो बैठक इस अनियमित सभा की हुई वह अन्तिम थी परन्तु थी बड़ी महत्वपूर्ण। इस सभा में निम्न सज्जन उपस्थत हुए थे:—

(१) श्री पं० भगवानदीन जी प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, संयुक्त-प्रान्त।

(२) श्रीमान् रामप्रसाद जी बी. ए. आगरा

(३) श्री ला० मुन्शीराम जी मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी

(४) श्री ला० रामकृष्ण जी प्रधान आर्य प्रतिनिधि पंजाब

(५) श्री कुंवर हुक्मसिंह जी प्रधान „ राजस्थान

(६) श्री मुन्शी हीरालाल जी उप प्रधान „ „

(७) श्री पं० काशीराम जी तिवारी प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश।

(८) श्री ला० नन्हेलाल जी सभासद „ „

(९) ठा० शिवरत्नसिंह जी „ „ „

(१०) श्री बाबू मिथलाशरण सिंह जी मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा बंगाल व बिहार।

(११) श्री बाबू श्यामसुन्दर लाल जी प्रतिनिधि संयुक्त प्रान्त।

(१२) श्री बाबू शिव गोविन्द सिंह जी गया, प्रतिनिधि बंगाल व बिहार।

श्री पं० भगवान दीन जी इस सभा के सामयिक प्रधान निर्वाचित हुए।

इस सभा के महत्वपूर्ण निश्चय

(१) सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि आर्य्यावर्तीय सार्वदेशिक सभा स्थापित की जावे।

(२) आर्य्यावर्तीय सार्वदेशिक सभा के नियमों का ड्राफ़्ट श्री पं० बेनीधर जी शर्मा एम० ए० के संशोधन सहित पढ़ा गया और बहुपक्षानुसार स्वीकृत हुआ।

(३) सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि एक उपसमिति, निम्न महाशयों की बनाई जावे, कि वे नियमों को मुद्रित कराके समस्त प्रांतिक आर्य्य प्रतिनिधि सभाओं में भेजे, इस आशय से कि वे अपने अपने प्रतिनिधि, आगामी माघ मासांत पर्यन्त निर्वाचन करके भेज देवें।

(१) श्री पं० भगवानदीन जी।

(२) श्री कुँवर हुक्म सिंह जी।

(३) श्री डाक्टर सुखदेव जी भरतपुर।

डाक्टर सुखदेव जी इस उपसमिति के मन्त्री नियत हुए।

(४) यह भी निश्चय हुआ कि उपर्युक्त भाँति संगठित सार्वदेशिक सभा का प्रथम अधिवेशन देहली में बुलाया जावे।

२. सार्वदेशिक सभा की स्थापना और उसकी निर्माण-व्यवस्था

यद्यपि आगरा की २५ सितम्बर १९०८ की बैठक में सार्वदेशिक सभा की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका था, परन्तु उस

प्रस्ताव के अनुसार वास्तविक रूप सार्वदेशिक सभा का देहली के अधिवेशन में बना, इसलिये सभा की स्थापना थिति ३१ अगस्त १९०९ ही समझने योग्य है।

देहली की इस बैठक में, जो ३१ अगस्त १९०९ ई० को संगठित हुई थी, मन्त्री की सूचनानुसार, २७ प्रतिनिधि सभासद्, प्रान्तिक सभाओं से निर्वाचित हुए थे, जिनमें से देहली की मीटिंग में केवल ९ उपस्थित थे। इस सभा के सामयिक प्रधान भी श्री पं० भगवानदीन जी ही थे।

सार्वदेशिक सभा के तात्कालिक अङ्ग

देहली में जब ३१ अगस्त १९०९ ई० को सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा के संगठित हो जाने की सूचना दी गई थी, उस समय निम्न प्रान्तिक सभायें उसमें सम्मिलित हुई थीं, जिनके २७ प्रतिनिधि सदस्य की संख्या इस (सार्वदेशिक) सभा के सदस्यों की संख्या थी—

(१)	आर्य्य प्रतिनिधि सभा पंजाब	...	७
(२)	,, ,, संयुक्तप्रान्त	...	७
(३)	,, ,, राजस्थान	...	४
(४)	,, ,, बंगाल, बिहार	...	४
(५)	,, ,, मध्यप्रदेश व विदर्भ	...	३
(६)	,, ,, मुम्बई ...	...	२

योग २७ सभासद्

यहाँ एक घटना का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है और वह यह कि इस सभा में शरीक होने के लिये पं० भगवानदीन जी की अनुमति से डाक्टर सुखदेव जी ने पंजाब की प्रादेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा को भी निमन्त्रण दिया था कि वे भी अपने प्रतिनिधि

भेजें। उनके प्रतिनिधि देहली आ भी चुके थे, परन्तु आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि यदि वे इस सभा (सार्वदेशिक सभा) में सम्मिलित किये जावेंगे, तो आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रतिनिधि शरीक न होंगे। प्रादेशिक सभा के प्रतिनिधि सदस्यों ने यह स्थिति देखकर स्वयंमेव सभा में शरीक होने से इन्कार कर दिया इसलिये मामला ख़त्म हो गया।

देश और विदेश की जो सभायें पीछे से सम्मिलित हुईं उनका विवरण

इन उपर्युक्त ६ सभाओं के सिवा, इस सभा का काम ज्यों ज्यों बढ़ता गया, देश और विदेश की अन्य सभायें भी इस सभा में सम्मिलित होती रहीं जिनका विवरण इस प्रकार है:--

(७) आर्य प्रतिनिधि सभा सिन्ध ता० २ सितम्बर सन् १६२२ को सम्मिलित हुई।

(८) आर्य प्रतिनिधि सभा ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका ता० १२ मार्च सन् १६२२ को प्रविष्ट हुई।

(६) आर्य प्रतिनिधि सभा नैटाल (दक्षिण अफ्रीका) ता० २३ अक्तूबर सन् १६२७ को प्रविष्ट हुई।

(१०) आर्य प्रतिनिधि सभा फीजी ता० १८ मार्च सन् १६२८ को प्रविष्ट हुई।

(११) आर्य प्रतिनिधि सभा बिहार ता० ३१ अगस्त सन् १६३० को प्रविष्ट हुई।

(१२) आर्य प्रतिनिधि सभा मोरिशस ता० ३० जनवरी सन् १६३२ को प्रविष्ट हुई।

(१३) आर्य प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य ता० २६ सितम्बर सन् १६३५ को प्रविष्ट हुई।

आर्य समाजों का सभा में प्रवेश

इस सभा की नियमावली की धारा ५ (क) के अनुसार, जिन आर्य समाजों में ५० या अधिक सभासद् हों तो वे अपनी आय का दशांश देने पर, इस सभा में सम्मिलित हो सकते हैं। इस नियम से लाभ उठा कर निम्न आर्य समाज इस सभा में सम्मिलित हुए:—

१. आर्य समाज गाजियाबाद ता० ३० जनवरी सन् १९२७ को सभा में प्रविष्ट हुई।

२. आर्य समाज खुर्जा ता० ३० जनवरी सन् १९२७ को सभा में प्रविष्ट हुई।

३. आर्य समाज बिहारीपुर बरेली ता० २० मार्च सन् १९२७ को सभा में प्रविष्ट हुई,

४. आर्य समाज चावड़ी बाजार देहली २० मार्च सन् १९२७ को सभा में प्रविष्ट हुई।

५. आर्य समाज बग़दाद ता० १४ मार्च सन् १९३० को सभा में प्रविष्ट हुई है।

६. आर्य समाज देहली-शाहदरा ता० १४ मई सन् १९३३ को सभा में प्रविष्ट हुई।

७. आर्य समाज मद्रास ता० ११ मार्च सन् १९३४ को सभा में प्रविष्ट हुई।

८. आर्य समाज ट्रिपलीकेन (मद्रास प्रान्त) ता० ११ मार्च सन् १९३४ को सभा में प्रविष्ट हुई।

९. आर्य समाज सूले (मद्रास प्रान्त) ११ मार्च सन् १९३४ को सभा में प्रविष्ट हुई।

१०. आर्य समाज मंगलौर (कर्नाटक) ता० ५ जनवरी सन १९३५ को सभा में प्रविष्ट हुई।

११. आर्य समाज बँगलौर (मैसूर) ता० १६ अगस्त सन् १६३६ को सभा में प्रविष्ट हुई।

इस समय आर्य समाज चावड़ी बाजार, देहली के प्रतिनिधि श्रीयुत ला० देशबन्धु जी और डाक्टर युद्धवीर सिंह जी हैं।

इन समाजों के प्रतिनिधि दशांश प्राप्त होने पर ही लिये जाया करते हैं।

सभा के आजीवन सदस्य

सभा के नियम धारा ६ (क) के अनुसार इस सभा को जो सज्जन ५००) या अधिक दान देवे तो वे भी इस सभा के (आजीवन) सदस्य हो सकते हैं, इस समय इस सभा के निम्न महा पुरुष आजीवन सदस्य हैं:—

संख्या	नाम	दान जो दिया	तिथि सभासद् होने की
१	श्री महाशय वेदमित्र जिज्ञासु, तीतरों (सहारनपुर)	५०००)	२०-२-१६२५
२	श्री लाला ज्ञानचन्द ठेकेदार, न्यू देहली	५००)	२७-३-१६३०
३	श्री बाबू ज्योतिस्वरूप रईस, इटावा	५००)	७-६-१६३१
४	श्री लाला रलाराम ठेकेदार, न्यू देहली	५००)	१०-१२-१६३३
५	श्री लाला नारायणदत्त ठेकेदार न्यू देहली	५००)	११-३-१६३४
६	श्री पं० मूलचन्द शर्मा, न्यू देहली	५००)	११-५-१६३४
७	श्री पं० गंगाप्रसाद चीफ जज, टिहरी	५००)	१५-३-१६३६
८	श्री पं० चमूपति एम० ए०, लाहौर	५००)	१५-३-१६३६
६	श्री दीवान तुलजाराम, हैदराबाद सिन्ध	५००)	८-११-१६३६

प्रतिष्ठित सभासद्

सभा के नियम धारा ७ के अनुसार प्रतिष्ठित सभासद् भी इस सभा में निर्वाचित हुआ करते हैं। ये सभासद् विशेष योग्यताओं के

कारण नियत हुआ करते हैं। इन सभासदों की संख्या नियमानुसार अन्य प्रकार के सभासदों के अष्टमांश से अधिक नहीं हो सकती। इस सभा में अब तक जो जो सज्जन प्रतिष्ठित रह चुके अथवा अब हैं उनकी नामावली इस प्रकार है:—

सभा के प्रतिष्ठित सदस्य

संख्या	नाम	कब बने	कब पृथक हुए
१	श्री स्वामी नित्यानन्द जी	सन् १६११	सन् १६१४
२	श्री बा० द्वारकादास जी (देहली)	सन् १६११	सन् १६१७
३	श्री पं० विष्णुलाल जी शर्मा (बरेली)	सन् १६१३	सन् १६१७
४	श्री डा० श्यामस्वरूप जी (बरेली)	सन् १६१७	सन् १६२१
५	श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी (देहली)	सन् १६१७	सन् १६२६
६	श्री म० नारायणप्रसाद जी (*पश्चात् म० नारायण स्वामी जी)	सन् १६२१	(अब तक निरन्तर चले आ रहे हैं)
७	श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति (देहली)	सन् १६२७	सन् १६३०
८	श्री स्वामी *ब्रह्मानंद जी (गु० झज्झर)	सन् १६२७	सन् १६३३
९	श्री ,, * स्वतन्त्रानन्द जी (लाहौर)	सन् १६२८	(अब तक हैं)
१०	श्री पं० घासीराम जी (मेरठ)	सन् १६३०	सन् १६३४
११	श्री स्वामी आनन्द भिक्षु जी	सन् १६३०	सन् १६३३
१२	श्री पं० गंगाप्रसाद जी चीफ़ जज	सन् १६३३	सन् १६३६
१३	श्री लाला देशबन्धु जी	सन् १६३५	सन् १६३६
१४	श्री स्वामी * सर्वदानन्द जी	सन् १६३५	(अब तक हैं)

(४) सार्वदेशिक सभा के नियमोपनियम और उसकी रजिस्ट्री

सार्वदेशिक आर्य्यप्रतिनिधि सभा जिस समय संगठित हुई थी उस समय उसका रूप केवल आर्य्यावर्तीय समाजों की प्रतिनिधि होने

* इस समय ये ४ सज्जन प्रतिष्ठित सभासद् हैं।

का था परन्तु जब विदेशों की प्रतिनिधि सभायें और आर्य्यसमाज उसमें सम्मिलित हुवे तब वह समस्त भूगोल के समस्त आर्य्यसमाजों, आर्य्यप्रतिनिधि सभाओं और आर्य्यों की प्रतिनिधि सभा (Inter National Aryan League) कहलाई गई । यह परिवर्तन इस सभा के २४ जनवरी १६२६ ई० के अधिवेशन में स्वीकृत हुआ था—

इस सभा के निम्न लिखित उद्देश्य होंगे:—

प्रथम—वैदिक धर्म के योग्य उपदेशक बनाने के लिये एक महाविद्यालय स्थापित करना ।

द्वितीय—आर्य्यावर्त तथा अन्य देश देशान्तरों में आवश्यकतानुसार वैदिक धर्म के प्रचार का प्रबन्ध करना ।

तृतीय—प्रान्तिक आर्यप्रतिनिधि सभाओं के पुरुषार्थ को संयुक्त करना तथा उनके पारस्परिक विचारों और उनके विरुद्ध पुनर्निवेदनों (अपीलों) का अन्तिम निर्धारण करना ।

चतुर्थ—ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थों की वास्तविक लिपि के अनुसार उनकी यथातथ्य रक्षा करना और इस बात पर दृष्टि रखना कि उनमें कोई भाग प्रक्षिप्त तो प्रवेश नहीं किया गया ।

पञ्चम—धर्म सम्बन्धी पुस्तकों का एक बृहत्पुस्तकालय सर्व साधारण के लाभार्थ स्थापित करना ।

षष्ठम—वैदिक धर्म की उन्नति तथा वृद्धि और रक्षा के उपायों को प्रयोग में लाना ।

इस सभा की नियमावली में, सभा की समस्त कार्य प्रणाली सविस्तर वर्णन है। नियमावली के लिये देखो परिशिष्ट (१)

सभा की रजिस्ट्री

एक्ट २१ सन् १८६० ई० के अनुसार इस सभा की रजिस्ट्री २५ अगस्त १६१४ ई० को हो चुकी है। रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र परिशिष्ट (२) में अंकित है ।

अन्तरंग सभा

उपर्युक्त नियमावली की धारा ३० के अनुसार अन्तरंग सभा बनाने का आदेश इस सभा को किया गया है इसलिये कि सभा का समस्त प्रबन्ध करेगी और धारा ३५ में आदेश दिया गया है कि अन्तरंग सभा अपना काम चलाने के लिये अपने नियम स्वयं बनालेवे तदनुसार अन्तरंग सभा ने अपनी १५ सितम्बर १६२६ ई० की बैठक में नियम बना लिये हैं जिनके अनुकूल कार्य होता है इन नियमों के लिये देखो परिशिष्ट (३)।

(५) सभा के अधिकारी और अन्तरंग सदस्य

दो चित्र यहां दिये जाते हैं जिनसे प्रकट हो सकेगा कि सभा के स्थापना दिवस से लेकर अब तक, कब कब, और कौन कौन इस सभा के अधिकारी और अन्तरंग सदस्य रहे। पहले चित्र का विवरण एक दृष्टि डालते ही सामने आजावे इसके लिए नीचे एक चित्र दिया जाता है जिससे प्रकट होगा कि कौन कौन अधिकारी कितने कितने वर्ष तक उस पद पर रहे:—

(१) प्रधान

(१) पं० बन्शीधर शर्मा M.A.L,L.B.	१ वर्ष
(२) म० मुन्शीराम	७ ,,
(३) पं० घासीराम	६ माह
(४) म० रामकृष्ण	६ ,,
(५) कुँवर हुकमसिंह	३ वर्ष
(६) स्वामी श्रद्धानन्द	२ ,,
(७) नारायण स्वामी	१४ ,,

(२) उपप्रधान

(१) पं० काशीराम	१ वर्ष
(२) पं० बन्शीधर शर्मा	५ ,,
(३) बाबू बालकृष्ण सहाय	२ ,,
(४) ला० रामकृष्ण	१ ,,
(५) बाबू गुलराज गोपाल गुप्त	३ ,,

(६) पं० गंगा प्रसाद चीफ़ जज	६ ,,
(७) प्रो० रामदेव	१५ ,,
(८) बाबू श्रीराम	१० ,,
(६) स्वा० स्वतंत्रानन्द	१ ,,
(१०) बाबू घनश्याम सिंह	१ ,,

(३) मन्त्री

(१) पं० भगवानदीन	१ वर्ष
(२) म० नारायण प्रसाद	८ ,,
(३) ला० नारायणदत्त	३ ,,
(४) कुँवर हुकम सिंह	२ ,,
(५) डा० केशव देव शास्त्री	६ ,,
(६) पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति	१ ,,
(७) स्वा० आनन्द भिक्षु	४ ,,
(८) प्रो० सुधाकर एम० ए०	३ ,,
(६) ला० देशबन्धु	१ ,,

(४) उपमन्त्री

(१) प्रो० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री	१ वर्ष
(२) पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति	२ ,,
(३) स्वा० रामानन्द	२ ,,
(४) रायसाहब गंगाराम	३ ,,
(५) बाबू ब्रजनाथ वकील	६ ,,

(५) कोषाध्यक्ष

(१) बाबू नरसिंह दास	२ वर्ष
(२) मास्टर भागीरथ लाल	४ ,,
(३) पं० निहालचन्द	६ ,,
(४) ला० नारायणदत्त	१६ ,,

(६) पुस्तकाध्यक्ष

(१) डा० सुखदेव भरतपुर	१ वर्ष
(२) लाला द्वारकादास	८ ,,
(३) पं० जानकी नाथ	२ ,,
(४) ला० ज्ञानचन्द्र	११ ,,

चित्र सं० १ — पदाधिकारीगण

संख्या	वर्ष	पदाधिकारी: प्रधान	उपप्रधान सं०१	उपप्रधान सं०२	उपप्रधान सं०३	मंत्री	उपमंत्री	कोषाध्यक्ष	पुस्तकाध्यक्ष	योग
१	सन् १९०९-१०	पं० वंशीधरजी एम-ए०	पं० काशी राम तिवारी	×	×	पं० भगवान दीन जी	बाबू ब्रज नाथ जी बी.ए.	ला० नर सिंह दास जी	डाक्टर सुखदेवजी भरतपुर	६
२	सन १९१० - ११	महात्मा मुन्शीराम जी	पं० वन्शी धर जी एम. ए.	×	×	मुन्शी नारायण प्रसाद जी	बा० ब्रज नाथ जी बी. ए.	ला० नरसिंह दास जी	×	५
३	सन १९११ - १२	महात्मा मुन्शी रामजी	आनरेबिल बा० बालकृष्ण सहाय जी	×	×	मुन्शी नारायण प्रसाद जी	बा० ब्रज नाथ जी बी ए-एल २ बी	मास्टर भागीरथलाल जी	×	५
४	सन १९१२-१३	महात्मा मुन्शीरामजी	आनरेबिल बा० बालकृष्ण सहाय जी	×	×	मुन्शी नारायण प्रसाद जी	बा० ब्रजनाथ जी बी-ए-एल २ बी	मास्टर भागीरथलाल	×	५
५	सन १९१३-१४	महात्मा मुन्शीरामजी	पं० वन्शीधरजी शर्मा एम-ए-एल-एल- बी	×	×	मुन्शी नारायण प्रसाद जी	बा- ब्रज नाथ जी बी-ए-एल २ बी	मास्टर भागीरथलाल	बा- द्वारका दास जी	६
६	सन १९१४-१५	महात्मा मुन्शीरामजी	पं० वन्शीधरजी शर्मा एम-ए-एल-एल- बी	×	×	मुन्शी नारायण प्रसाद जी	बा- ब्रज नाथ जी बी-ए-एल २ बी	मास्टर भागीरथलाल जी	बा० द्वारका दास जी	६
७	सन १९१५-१६	महात्मा मुन्शीरामजी	पं० वन्शीधरजी शर्मा एम-ए-एल-एल- बी	×	×	मुन्शी नारायण प्रसाद जी	लाला गंगारामजी	पं० निहालचंदजी	बा० द्वारकादासजी	६
८	स० १९१६-१७	महात्मा मुन्शीरामजी	पं० वन्शीधरजी शर्मा एम-ए-एल- एल- बी	×	×	मुन्शी नारायण प्रसाद जी	लाला गंगारामजी	पं० निहालचंद जी	बा० द्वारकादासजी	६
९	सन १९१७-१८	पं० घासीराम ७-४-१७* म० रामकृष्णजी	मा० रामकृष्णजी २-७-१७ से १९-८-१७ तक इसके बाद पं० घासीरामजी	×	×	मु० नारायण प्रसादजी	×	पं० निहालचंदजी	बा० द्वारकादासजी	५
१०	सन १९१८-१९	कुंवर हुकम सिंह जी	बा० गुलराजगोपाल जी गुप्त	×	×	ला० नारायणदत्त जी	×	पं० निहालचंद	बा० द्वारकादास	५
११	सन १९१९-२०	कुंवर हुकम सिंह जी	बा० गुलराजगोपाल जी गुप्त	×	×	ला० नारायणदत्त जी	×	पं० निहालचंद जी	बा० द्वारकादास जी	५
१२	सन १९२०-२१	कुंवर हुकम सिंह जी	बा० गुलराजगोपाल जी गुप्त	×	×	ला० नारायणदत्त जी	×	पं० निहालचंद जी	बा० द्वारकादास जी	५
१३	सन १९२१-२२	स्वामी श्रद्धानन्दजी	पं० गंगाप्रसाद जी एम-ए०	प्रो० रामदेवजी	×	कुंवर हुकमसिंहजी	×	ला० नारायणदत्त	पं० जानकीनाथजी	६
१४	सन १९२२-२३	स्वामी श्रद्धानंदजी	पं० गंगाराम जी एम-ए०	प्रो० रामदेवजी	×	कुंवर हुकमसिंहजी	×	ला० नारायणदत जी	पं० जानकीनाथ जी	६
१५	सन १९२३-२४	महात्मा नारायणस्वामी जी	प्रो० रामदेव जी	ला० श्रीरामजी	×	डाक्टर केशवदेवजी शास्त्री	×	ला० नारायणदत्त जी	×	५

* इनके त्याग पत्र देने पर शेष समय के लिये

संख्या	वर्ष	पदाधिकारी: प्रधान	उपप्रधान सं०१	उपप्रधान सं०२	उपप्रधान सं०३	मन्त्री	उपमन्त्री	कोषाध्यक्ष	पुस्तकाध्यक्ष	योग
१६	सन १९२४-२५	महात्मा नारायण स्वामी जी	प्रो० रामदेव जी	बा० श्रीराम जी	×	डा० केशवदेवजी शास्त्री	×	ला० नारायणदत्त जी	×	५
१७	सन १९२५-२६	महात्मा नारायण स्वामी जी	प्रो० रामदेव जी	बा० श्रीराम जी	×	डा० केशव देवजी शास्त्री	×	ला० नारायणदत्त जी	×	५
१८	सन १९२६-२७	महात्मा नारायण स्वामीजी	प्रो० रामदेव जी	बा० श्रीराम जी	×	डा० केशवदेव जी शास्त्री	पं० धर्मेन्द्रनाथ जी शास्त्री	ला० नारायणदत्त जी	ला० ज्ञानचंद जी	७
१९	सन १९२७-२८	महात्मा नारायण स्वामी जी	प्रो० रामदेव जी	बा० श्रीराम जी	×	डा० केशवदेवजी शास्त्री	प्रो० इन्द्रजी	ला० नारायणदत्त जी	ला० ज्ञानचन्द जी	७
२०	सन १९२८-२९	महात्मा नारायण स्वामीजी	प्रो० राम देव जी	बा० श्रीराम जी	×	डा० केशवदेव २९-१०-२८ तक * प्रो० इन्द्रजी	प्रो० इन्द्रजी २९-१०-२८ तक २. स्वा- रामानन्द	ला० नारायणदत्त जी	ला० ज्ञानचन्द जी	८
२१	सन १९२९-३०	महात्मा नारायण स्वामीजी	प्रो० रामदेव जी	बा० श्रीराम जी	×	स्वामी आनन्दभिक्षु जी	स्वामी रामानन्द जी	ला० नारायणदत्त जी	ला० ज्ञानचन्द जी	७
२२	सन १९३०-३१	महात्मा नारायण स्वामी जी	प्रो० राम देव जी	बा० श्रीराम जी	×	स्वामी आनन्दभिक्षु जी	स्वामी रामानन्द जी	ला० नारायणदत्त जी	ला० ज्ञान-चन्द जी	७
२३	सन १९३१-३२	महात्मा नारायण स्वामी जी	प्रो० रामदेवजी	बा० श्रीराम जी	×	स्वामी आनन्दभिक्षु जी	राय साहब ला० गंगाराम जी	ला० नारायणदत्त जी	ला० ज्ञान-चन्द जी	७
२४	सन १९३२-३३	महात्मा नारायण स्वामी जी	प्रो० रामदेवजी	बा० श्रीराम जी	×	स्वामी आनन्दभिक्षु जी	×	ला० नारायणदत्त जी	ला० ज्ञान-चन्द जी	६
२५	सन १९३३-३४	महात्मा नारायण स्वामी जी	प्रो० रामदेव जी	पं० गंगाप्रसाद जी एम-ए० चीफ़ जज	×	प्रो० सुधाकरजी एम-ए०	×	ला० नारायणदत्त जी	ला० ज्ञान चन्द जी	६
२६	सन १९३४-३५	महात्मा नारायण स्वामीजी	प्रो० रामदेवजी	पं० गंगाप्रसादजी एम-ए० चीफ़ जज	×	प्रो० सुधाकर जी एम-ए०	×	ला० नारायणदत्त जी	ला० ज्ञान चन्द जी	६
२७	सन १९३५-३६	महात्मा नारायण स्वामी जी	प्रो० रामदेव जी	पं० गंगा प्रसाद जी एम-ए० चीफ जज	×	प्रो० सुधाकर जी एम-ए	×	ला० नारायणदत्त जी	ला० ज्ञान-चन्द जी	६
२८	सन १९३६-३७	महात्मा नारायण स्वामी जी	पं० गंगा प्रसाद जी एम-ए -चीफ जज	स्वामी स्वतन्त्रानंदजी	बाब पशुपति [?] जी गुप्त एम-एल-ए	ला० देशबन्धु जी	×	ला० नारायणदत्त जी	ला० ज्ञान-चन्द जी	७

* डाक्टर जी की मृत्यु होजाने पर प्रो० इन्द्रजी मन्त्री हुये

(८) सभा की अचल सम्पत्ति

(१) सार्वदेशिक भवन

यह तीन मंजिल का भवन बाज़ार हाथीवाला इलाके नं० ४ परेड के मैदान के सामने सड़क के ठीक किनारे पर है। यह मकान स्वर्गवासी श्री ज्योतिप्रसाद जी का था, जिन्होंने एक वसीयतनामे के द्वारा इसके बेचने आदि का अधिकार अपनी धर्मपत्नी श्रीमती जानकी देवी जी को दे दिया था। देवी जी ने एक रजिस्टर्ड हिब्बेनामे द्वारा ता० १५ फर्वरी १६१५ को उस मकान को इस सभा के नाम कर दिया। (हिब्बेनामे के लिये देखो परिशिष्ट (४)।)

हिब्बेनामा हो जाने के कुछ समय के पश्चात् एक व्यक्ति ने जो अपने को स्वर्गीय ज्योति प्रसाद जी का वारिस कहता था हिब्बेनामे की मंसूख़ी की नालिश कर दी। परन्तु हाई कोर्ट तक जाने पर भी उसे सफलता न मिली और भवन नियम पूर्वक उसी समय से सभा के अख़्त्यार में चला आता है और सभा की मिलकियत है।

यह बात कृतज्ञता प्रकट करते हुए लिखे जाने के योग्य है कि इसभवन के प्राप्त होने में उस समय के सभा के पुस्तकाध्यक्ष श्री बा० द्वारका दास जी का उद्योग सराहनीय है।

इस भवन में लगभग १० वर्ष तक स्वर्गीय श्री ज्योति प्रसाद जी के नाम से "ज्योति पाठशाला" स्थापित रही जिसमें संस्कृत तथा धार्मिक ग्रन्थ पढ़ाये जाते थे। शास्त्री आदि परीक्षाओं तथा उपदेशक कार्य्य के लिये भी विद्यार्थी तैयार किये जाते थे। अन्त में विद्यार्थियों का आना बन्द होगया और केवल चार ही विद्यार्थी उपदेशक क्लास के रह गये। ऐसी दशा में यह पाठशाला बन्द करनी पड़ी और उन विद्यार्थियों को दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर भेज दिया गया और

इस मकान को किराये पर उठा दिया गया। जो किराया आता था, उससे उन विद्यार्थियों को बराबर छात्रवृत्ति दी जाती रही। मकान को किराये पर उठाने का एक अनिवार्य कारण यह भी था कि कुल मकान जीर्ण-शीर्ण हो चुका था और तीसरी मंजिल बिलकुल नये सिरे से बनाने के योग्य होगई थी और इन सब कामों की पूर्ति के लिये धन नहीं था इसलिये किराये से धन बचाने का निश्चय करके मकान की मरम्मत भी करा दी गई और तीसरी मंजिल भी नये सिरे से बनवा दी गई। इस सब कार्य में २५५७।-)।।। रुपये व्यय हुए हैं।

अब भी यह मकान १२५) मासिक किराये पर उठा हुआ है। इसकी आमदनी अब भी छात्रवृत्तियों तथा प्रचार आदि कार्यों में लगाई जाती है। इस इमारत का तख़मीनन मूल्य २००००) है। इसका सार्वदेशिक भवन नाम इसलिए पड़ा कि पूर्व इस सभा का कार्यालय इसी मकान में था।

(२) श्रद्धानन्द बलिदान भवन

यह वही इमारत है, जिसमें श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान हुआ था। इसलिए यह स्थान अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है और इसी महत्व की रक्षार्थ भवन के मालिकों से भवन की प्राप्ति के लिए साधारणतया आर्य जनता और मुख्यतया यह सभा चिन्तित थी। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि अन्त को इस सभा ने सन् १९३३ में, इस इमारत को रग्घूमल ट्रस्ट (कलकत्ता) से १५६७४) में ख़रीद लिया और बैनामे की नियमानुकूल रजिस्ट्री कराली। (बैनामे के लिए देखो परिशिष्ट (५))

चूँकि इस इमारत में श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान हुआ था, इस कारण इसका महत्व इतना बढ़ गया है कि देहली के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थानों में इसकी गणना होने लगी है और भारत के प्रायः

संख्या	वर्ष	...०	पदार्थि कार्यों का योग	कुल अन्तरंग सदस्यों की संख्या
१	१९०९.१०		६	१५
२	१९१०.११	...शनलाल जी ...रिस्टर	५	१५
३	१९११.१२	सेठ ...छोड़दास जी	५	१५
४	१९१२.१...	सेठ ...छोड़दास जी	५	१५
५	१९१३.१...		६	१५
६	१९१४.१...		६	१५
७	१९१५.१...		६	१५
८	१९१६...		६	१५

चित्र सं० २ अन्तरंग सभासद

संख्या	वर्ष	अन्तरंग सदस्यगण										पदाधिकारियों का योग	कुल अन्तरंग सदस्यों की संख्या
		१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०		
१	१९०९-१०	ला० नारायणदास जी	लाला रामकृष्ण जी	लाला मुन्शीराम जी	चौबेराम दुलारेलाल जी	बाबू छोटेलाल जी भार्गव	ठाकुर गोविंदसिंह जी भार्गव	मास्टर प्राणजीवन दास जी	बाबू मिथला शरण सिंह जी	बाबू बाल कृष्ण सहाय जी		६	१५
२	१९१०-११	ला० रामकृष्ण जी	ठाकुर गोविंदसिंह जी	बाबू मिथिला शरण सिंह जी	सेठ रणछोड़दास जी	बाबू गौरीशंकर जी बैरिस्टर	पं० भगवानदीन जी	पं० विष्णुलाल जी एम ए एल एल बी	पं० तुलसीराम जी स्वामी	डा० परमानन्द जी	रायरोशनलाल जी बैरिस्टर	५	१५
३	१९११-१२	लाला रामकृष्ण जी	रायरोशनलाल जी बैरिस्टर	पं० रामभजदत्त जी चौधरी	पं० भगवानदीन जी	पं० तुलसीरामजी स्वामी	पं० विष्णुलालजी एम-ए० एल-एल-बी-	पं० बन्शीधरजी एम-ए	पं० काशीराम जी तिवारी	बाबू मिथला शरण सिंह जी	सेठ रणछोड़दास जी	५	१५
४	१९१२-१३	लाला रामकृष्ण जी	रायरोशनलाल जी बैरिस्टर	पं० रामभजदत्त जी चौधरी	पं० भगवानदीन जी	पं० तुलसीरामजी स्वामी	पं० विष्णुलाल एम ए-एल-२बी	पं० बन्शीधरजी एम-ए-	पं० काशीराम जी तीवारी	बाबू मिथला शरण सिंह जी	सेठ रणछोड़दास जी	५	१५
५	१९१३-१४	लाला रामकृष्ण जी	बाबू राधाकृष्ण जी बी-ए-	राय रोशन लाल जी बैरिस्टर	पं० घासीरामजी एम-ए-एल-२बी	बाबू श्याम सुंदर लाल जी बी-ए-एल २बी	पं० तुलसीराम स्वामी	डा० सुखदेव जी	ठाकुर गोविंदसिंह जी	स्वामी नित्यानन्द जी सरस्वती		६	१५
६	१९१४-१५	लाला रामकृष्ण जी	बाबू राधाकृष्ण जी बी-ए-	रायरोशनलाल जी बैरिस्टर	पं० घासीरामजी एम-ए-एल२बी	बाबू श्याम सुंदरलाल जी बी-ए-एल२बी	पं० तुलसीराम स्वामी	डा० सुखदेव जी	ठाकुर गोविंदसिंह जी	स्वामी नित्यानन्द जी सरस्वती		६	१५
७	१९१५-१६	लाला रामकृष्ण जी	बाबू मदनमोहन जी सेठ एम ए-एल-२-बी-	पं० घासीराम जी एम-ए-एल२बी-	बाबू श्रीराम जी	मा० कृष्ण बी-ए	मा० सुंदरसिंह जी बीए एल२बी	पं० तुलसीराम स्वामी	बाबू घनश्यामसिंह जी गुप्त	सेठ रणछोड़दास जी		६	१५
८	१९१६-१७	लाला रामकृष्ण जी	बाबू मदनमोहन जी सेठ एम ए-एल २-बी-	पं० घासीराम जी एम-ए-एल-एल बी	बाबू श्रीराम जी	म० कृष्ण बीए०	मा० सुंदरसिंह जी बी-ए-एल२बी	पं० तुलसी राम स्वामी	बाबू घनश्यामसिंह जी गुप्त	सेठ रणछोड़दास जी		६	१५

प्रत्येक कोने से देहली में आने वाले हिन्दू-मात्र इस भवन को देखना और श्रद्धा के फूल चढ़ाना अपना कर्तव्य मानते हैं।

श्री स्वामी जी महाराज के बलिदान के बाद ही से इस इमारत में इस सभा का कार्यालय भी आगया है तथा उस बलिदान वाले कमरे में सभा की तमाम बैठकें होती हैं और इस सभा के प्रधान श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज रहते हैं।

दुःख है कि यह भवन अपनी महत्ता और आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बना हुआ है और न इसमें पर्याप्त स्थान ही है। इसकी पूर्ति के लिये इस वर्ष इसमें परिवर्तन किया जा रहा है।

इसके नीचे दो दूकानें हैं जो इस समय ३०) ३०) रुपये पर किराये पर उठी हुई हैं।

(३) गाज़ियाबाद भूमि

यह भूमि ४३ बीघे १८ विस्वे पक्की है और गाज़ियाबाद शहर के पास है। सन् १९३१ ई० में १०००) में सभा ने नीलाम में क्रय करके नियमानुकूल रजिस्ट्री कराली। इस भूमि को किसी उपयोगी कार्य में इस्तेमाल करने के लिये विचार किया जा रहा है। भूमि प्राप्ति की दस्तावेज़ के लिये देखो परिशिष्ट (६)।

६. ऋषि दयानन्द जन्म शताब्दी मथुरा

जो ऐतिहासिक कार्य्य, अन्य संस्थाओं के सहयोग से, इस सभा और उसके अधिकारियों के नेतृत्व में हुए, उनमें सबसे, पहला, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य, ऋषि दयानन्द की जन्म शताब्दी का मथुरा में मनाना था। इस शताब्दी महोत्सव को जहाँ एक ओर आर्य समाज के इतिहास में, गौरव के साथ अंकित करने योग्य समझा जाता

है, वहाँ दूसरी ओर उसमें अनेक ऐसे निश्चय हुए जो आर्य समाज और आर्यों के क्रियात्मक जीवन को गौरवान्वित करने वाले थे, और तीसरा फल उस महोत्सव का यह भी हुआ कि सार्वदेशिक सभा, आर्य जगत् में, अपनी सत्तानुकूल, सबकी शिरोमणि सभा समझी जाने लगी। सच तो यह है कि इस महोत्सव के बाद ही से सभा की उपयोगिता बढ़ गई और वह इस योग्य हो गई कि वह अपने (इसके बाद के) जीवन में अनेक उपयोगी काम कर सकी। महोत्सव की महत्ता चाहती है कि इस कार्य विवरण के कुछ अधिक पृष्ठ उसके भेंट किये जावें, तदनुसार उसका अत्यन्त संक्षिप्त विवरण दिया जाता है:—

(१) शताब्दी सभा

जिसके आधीन शताब्दी का समस्त कार्य भार था, उस सभा का निर्माण निम्न भाँति हुआ था:—

(१) सार्वदेशिक सभा के सदस्य	२७
(२) परोपकारिणी सभा के सदस्य	२३
(३) प्रादेशिक सभा पंजाब	७
(४) संन्यासी गण	७
(५) देवियाँ	७
(६) अन्य प्रतिष्ठित सदस्य	१४
(७) प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त	१
योग	८६

पदाधिकारी इस सभा के निम्न भांति प्रारम्भ में निर्वाचित हुए थे:—

(१) स्वामी श्रद्धानन्द प्रधान।

(२) श्री नारायण स्वामी उपप्रधान।

(३) महात्मा हंसराज लाहौर उपप्रधान।

(४) डाक्टर कल्याण दास देसाई बम्बई उपप्रधान।

(५) श्री हरविलास शारदा अजमेर उपप्रधान।

(६) सेठ जयनारायण कलकत्ता उपप्रधान।

(७) बाबू सीताराम लखीमपुर मन्त्री।

(८) बाबू मदनमोहन सेठ बुलन्दशहर उपमन्त्री।

(९) बाबू श्रीराम आगरा कोषाध्यक्ष।

स्वामी श्रद्धानन्द ने प्रधान पद से त्यागपत्र दे दिया और बाबू सीताराम ने मन्त्री पद तथा बाबू मदनमोहन सेठ ने उपमन्त्री पद से त्याग पत्र दे दिया। इन सज्जनों का नाम पृथक् न करते हुए निम्न सज्जनों के आधीन इन पदों के कार्य भार को कर दिया:--

(१) श्री नारायण स्वामी कार्यकर्ता प्रधान।

(२) स्वामी सच्चिदानन्द मन्त्री।

(३) बाबू गजाधर प्रसाद आडीटर, उपमन्त्री।

इस सभा का कौरम ७ का था। इस सभा ने अन्त तक शताब्दी सभा का समस्त कार्य किया।

२. आर्य नगर और सभा मंडप

मथुरा का डैम्पियर नगर तथा उसके आस पास की समस्त भूमि लेकर आर्य नगर आबाद किया गया था, जो निम्न केम्पों आदि में विभक्त था:--

(१) केम्प (निवास गृह) १. संयुक्त प्रान्त, २. पंजाब, ३. राजस्थान, ४. बंगाल, ५. बिहार, ६. देहली, ७. मध्यप्रदेश, ८. बरार, ९. बम्बई १०. मदरास, ११. अफ्रीका, १२. अन्य द्वीप द्वीपान्तर केम्प, १३. संन्यासी केम्प, १४. गाड़ी तथा मोटर केम्प।

(२) यज्ञ शाला--५ यज्ञ शालायें।

(३) बाजार--५ प्रान्तिक बाजार तथा १ मुख्य और विस्तृत बाजार ।

(४) मंडप--१ मुख्य और बहुत बड़ा मंडप तथा ४ अन्य मंडप ।

(५) शताब्दी कार्यालय

(६) डाक घर

(७) तार घर

(८) भोजन शाला

(९) श्री नारायण स्वामी जी का निवास स्थान

(१०) औषधालय--५ आयुर्वैदिक तथा ३ ऐलोपैथी की डिस्पेन्सरियां खोली गईं थीं ।

(११) डेरा केम्प--५ बड़े केम्प बनाये गये थे, जिनमें किराये के लिये डेरे और छोल्दारियाँ लगाई गई थी ।

(१२) धर्म शाला तथा बँगले--केम्प के समीपवर्ती प्रायः सभी बंगले ले लिये गये थे, तथा अनेक धर्मशालायें केम्प के समीप और शहर में ली गई थी, यह नगर मथुरा शहर और जी. आई. पी. के स्टेशन के विस्तृत क्षेत्र में आबाद हुआ था ।

३. यात्रियों की संख्या

एक लाख साठ हजार टिकट मथुरा जंकशन और ५७ हजार टिकट छोटी लाइन के मथुरा छावनी स्टेशन पर संग्रह हुए थे। जिनका योग दो लाख सत्तरह हजार होता है। इनके सिवा अनुमान किया जाता है कि कम से कम ४० हजार आदमी मोटर, लारियों, तांगों और बैल गाड़ियों के द्वारा आये थे। बहुत से यात्री शहर में अपने मित्रों और सम्बन्धियों के यहाँ तथा धर्म शालाओं में ठहरे थे और बहुतों ने शहर में किराये के मकान लेकर उनमें निवास किया था। इस प्रकार अनुमान है कि ३ लाख यात्री शताब्दी महोत्सव में बाहर से आये थे।

	बर्ष		पदाधिकारियों का योग	कुल अन्तरंग सदस्यों की संख्या
	१९१७-१८	...दास	५	१५
	१९१८-१९	...स्वरूप ...व्रतजी	५	१५
	१९१९-२०	...स्वरूप ...व्रतजी	५	१५
	१९२०-२१	...स्वरूप ...व्रतजी	५	१५
	१९२१-२२		६	१५
	१९२२-२३		६	१५
	१९२३-२...		५	१४
	१९२४-२...		५	१४

चित्र सं० २ अन्तरंग सभासद

संख्या	बर्ष	अन्तरंग सदस्यगण १	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	पदाधिकारियों का योग	कुल अन्तरंग सदस्यों की संख्या
९	१९१७-१८	मा० कृष्ण बी-ए	ला० गंगाराम जी	ला० नारायणदत्त जी	पं० गंगाप्रशाद जी एम ए०	कुंवर हुकम सिंह जी	बा० मदनमोहन सेठ एम-ए-एल-एल-बी	बाबू गुलराजगोपाल जी गुप्त	बाबू घनश्यामसिंह जी गुप्त	बाबू ज्वालाप्रसाद जी	सेठ रणछोड़दास जी	५	१५
१०	१९१८-१९	मु० नारायणप्रसाद जी	ला० रामकृष्ण जी	पं० घासीराम जी एम-ए-एल-एल बी	बा० मदनमोहन जी सेठ एम-ए-एल-एल बी	पं० गंगाप्रसाद जी एम-ए०	मा० कृष्ण जी	प्रो० रामदेव जी	बा० बालकृष्ण एम-ए-	बा० श्रीराम जी	डा० श्यामसरूप सत्यव्रत जी	५	१५
११	१९१९-२०	मु० नारायणप्रसाद जी	ला० रामकृष्ण जी	पं० घासीराम जी	बा० मदनमोहन जी सेठ	पं० गंगाप्रसाद जी एम-ए०	मा० कृष्ण जी	प्री० रामदेव जी	बा० बाल कृष्ण जी	बा श्रीराम जी	डा० श्यामसरूप सत्यव्रत जी	५	१५
१२	१९२०-२१	मुं० नारायणप्रसाद जी	ला० रामकृष्ण जी	पं० घासीराम जी	बा० मदनमोहन जी सेठ	पं० गंगाप्रसाद जी एम ए०	म० कृष्ण जी	प्रो० रामदेव जी	बा० बालकृष्ण जी	बा० श्रीराम जी	डा० श्यामसरूप सत्यव्रत जी	५	१५
१३	१९२१-२२	बा० गुलराजगोपाल जी	बा० घनश्यामसिंह जी गुप्त	पं० विशम्भरनाथ जी	मा० कृष्ण जी	ला० रामकृष्ण जी	पं० घासीराम जी	डा० श्यामसरुप जी	बा० श्रीराम जी	मुं० नारायणप्रसाद जी		६	१५
१४	१९२२-२३	बा० गुलराजगोपाल जी	पं० घनश्यामसिंह जी गुप्त.	पं० विशम्भरनाथ जी	मा० कृष्ण जी	ला० रामकृष्ण जी	पं० घासीराम जी	डा० श्यामसरुप जी	बा० श्रीराम जी	मु० नारायण प्रसाद जी		६	१५
१५	१९२३-२४	श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी	पं० विशम्भरनाथ जी	मा० कृष्ण जी	बा० गंगाराम जी	पं० जानकीनाथ जी	पं० गंगा प्रसाद जी	बा० मदन मोहन जी सेठ	पं० घासीराम जी	मुं० घनश्यामसिंह जी		५	१४
१६	१९२४-२५	श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी	पं० विशम्भरनाथ जी	म० कृष्ण जी	ला० गंगाराम जी	पं० जानकी नाथ जी	पं० गंगा प्रसाद जी	बा मदन मोहन जी सेठ	पं० घासीराम जी	बा० घनश्यामसिंह जी		५	१४

४. केम्प की तय्यारी और प्रबन्ध

समस्त केम्प, देहली के प्रसिद्ध ठेकेदार लाला ज्ञानचन्द आर्य और उनके सहयोगी कार्य कर्ताओं के द्वारा बनाये गये थे, मंडप भी इन्हीं महापुरुषों के द्वारा तय्यार हुए थे।

(२) केम्प का समस्त प्रबन्ध बाबू शालिगराम वकील आगरा के आधीन था।

५. शताब्दी महोत्सव की विशेषतायें

(१) स्त्रियों को पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी, बिना रोक टोक जहाँ चाहें जा सकती थीं, कोई उनकी ओर आंख उठा कर नहीं देख सकता था।

(२) लाखों आदमियों के केम्पों का प्रबन्ध आर्यसमाज के स्वयं सेवकों द्वारा हुआ, बिना किसी पुलिस की सहायता के, और प्रबन्ध इतना उत्तम था कि एक भी दुर्घटना चोरी आदि की नहीं हो सकी।

(३) समस्त आर्य नगर के विस्तृत बाजारों में एक जगह भी सिगरेट आदि, अप्रयोग्य वस्तुयें नहीं बिक सकती थीं। इसी प्रकार सारे नगर में एक आदमी भी तम्बाकू पीने वाला नहीं मिल सकता था।

(४) भोजन आदि का उत्तम प्रबन्ध था, किसी दूकान या होटल में छूत अछूत का किसी प्रकार का भेद न था।

६. शताब्दी महोत्सव के ठोस कार्य

इस सभा की बनाई हुई आर्य विद्वत्परिषद् ने कतिपय महत्व पूर्ण निश्चय किये थे, जिनका विवरण इस प्रकार है:—

(१) "यह परिषद् निश्चय करती है कि विद्या, धर्म और राज्य सभायें बनाई जावें। सम्प्रति कर्त्तव्य इस प्रकार स्थिर किये जावें कि:—

(१) विद्यार्य सभा

(क) संस्कृत और आर्य भाषायें सम्बन्धी पाठशालाओं की, चाहे वे पुत्रों के लिये हों वा पुत्रियों के लिये पाठविधि बनाना उनकी परीक्षा लेना और सनद देना।

(ख) शिक्षा सम्बन्धी समस्त संस्थाओं को संगठित करना।

(२) धर्म्मार्य्य सभा

(क) समय २ पर अपनी बैठकें करके उन मतभेदों पर विचार करना जो इस समय उत्पन्न हो गये हैं अथवा भविष्यत् में उत्पन्न हो और इस प्रकार मत भेदों के दूर करने में यत्नवान् रहना।

(ख) उन सन्देहों और शंकाओं को दूर करते रहना जो समय २ पर आर्यों में उत्पन्न हों।

(ग) विवादास्पद विषयों पर व्यवस्था देना।

(३) राजार्य्य सभा

"आर्यों के राजनैतिक अधिकारों की रक्षा करना और कौंसिलों से आवश्यक कानून बनवाना।"

(२) **अछूतों को यज्ञोपवीत**--"यह परिषद् स्थिर करती है कि आर्य समाज के प्रवेश के समय अछूतों को गायत्री मन्त्र के साथ यज्ञोपवीत दिया जा सकता है।"

(३) **आर्यसमाज में सबकी प्रवेश पद्धति एक हो**--"यह परिषद् स्थिर करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान या अन्य कोई मतावलम्बी, आर्य समाज में प्रवेश की पद्धति एक ही होनी चाहिए।"

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली का

कार्य-विस्तार

दक्षिण तथा हैद्राबाद राज्य में कार्य

हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के पश्चात सभा ने हैदराबाद राज्य में रचनात्मक कार्यक्रम का ३ वर्ष का कार्यक्रम बनाया था। उस कार्यक्रम में निम्न बातें सम्मिलित थीः—

१. हैदराबाद में जो आर्य सत्याग्रही वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनका किसी उपयुक्त स्थान पर और किसी न किसी रूप में आर्यसमाजों में अच्छा स्मारक बनाया जाय। धर्मवीरों के परिवारों की यथावश्यकता धन की सहायता की जावे।

२. हैदरावाद शहर में एक हाई स्कूल खोला जाये और यथा सम्भव अन्य स्थानों पर भी छोटे बड़े स्कूलों की स्थापना की जाये।

३. हैदराबाद राज्य के अन्तर्गत ग्रामों और नगरों में वैदिक धर्म प्रचार को तेज़ी से बढ़ाये जाने के उपाय किये जायें।

४. हैदराबाद राज्य में ग्रामों के विशेष केन्द्रों में सभा की ओर से ५००) तथा कस्बों में १०००) की लागत के आर्य समाज मन्दिर बनाये जायें और किराये के मकानों में समाज मन्दिरों के अस्थायित्व को दूर करके उन्हें स्थायित्व प्रदान किया जाये।

५. सभा के प्रकाशन विभाग को सुदृढ़ और उन्नत किया जाये।

आर्थिक अवस्था

इस सभा की आर्थिक अवस्था के प्रकट करने के लिये एक चित्र दिया जाता है। चित्र में सभा को स्थापना के बर्ष से अब तक का आय व्यय दिखलाया गया है॥

सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा

२७ वर्षीय आय-..........व्यय सूचक चित्र

सन्	बकाया	आय	योग	व्यय	शेष
०८-१९०९	×	१५४=)	१५४=)	६७=)	८७)
०९-१०	८७)	१८२)	२६९)	६४=)६	२०४।।।)६
१०-११	२०४।।।)६	१००)	३०४।।।)६	६५।।=)९	२३९)९
११-१२	२३९-)९	५९३)६	८३२=)३	१७५।।=)६	६५६।=)९
१२-१३	६५६।=)९	७४५)१०	१४०१।।)७	५२७=)३	८७४।=)४
१३-१५	८७४।=)४	५०९३।=)३	५९६७।।।)७	४०७६-)८	१८९१।।=)११
१५-१६	१८९१।।=)११	५३३२।=)४	२४२४-)३	४६३१।=)६	१९६०।।-)९
१६-१७	१९६०।।-)९	६४३१।=)३	२९०४)	१३६६)२	१५३७।।।=)१०
१७-१८	१५३७।।।=)१०	३८८२।-)३	५४२०।-)१	३८५१-)९	५०३४।।।=)४
१८-१९	५०३४।।।=)४	८०९।।।=)६	५८४४।।।=)१०	१४६५।।।)	४३७९=)१०
१९१९-२०	४३७९=)१०	१६५६०=)६	२०९३९।-)४	९४१०।।।=)३	११५२९।=)१
१९२०-२२	११५२९।=)१	२८२९।।-)१०	१४३५१)११	३६७८।।=)६	१०६७२।=)५
१९२२-२३	१०६७२।=)५	४२८३।=)२	१४९५५।।।-)७	५१२७।)६	९८२८।।)१
१९२३-२४	९८२८।।)१	५५२=)६	१०३८०।।=)७	५१६।।=)*	९८६४)७

सन	बकाया	आय	योग	व्यय	शेष
१९२४-२५	९८६४)७	२३०३।।।=)	१२१६७।।।=)७	९०९७।।)७	३०७०।=)
१९२५-२७	३०७०।=)	१०८४५८=)१०	१११५२८।।)१०	१४६७२)८	९६८५६।।)२
१९२७-२८	९६८५६।।)२	६२३३१=)१०	१५९१८७।।।)	३९५५।।)६ * १५९८८।=)३	११९६३३।।=)
१९२८-२९	११९६३३।।=)	४४०५२)२	१६३६८५।।।)२	३६५५४।।।)९	१२७१३०।।।=)५
१९२९-३०	१२७१३०।।।=)५	३५९४२।=)९	१६३०७३।=)२	३०२३९।।=)९	१३२८३३।।।)५
१९३०-३१	१३२८३३।।।)५	३१२२९।।)	१६४०६३।)५	२४०९५।।।=)४	१३९९६७।=)१
१९३१-३२	१३९९६७।=)१	२२७३४।)९	१६२७०१।।।)१०	२५१४९।।=)९	१३७५५२)१
१९३२-३३	१३७५५२)१	१९७५०)	१५७३०२-)१	१७३६६।।)९	१३९९३५।।)४
१९३३-३४	१३९९३५।।)४	२५८००।।।)१	१६२७३६।)५	१०८३०।=)७	१४४९०५।।।=)१०
१९३४-३५	१४४९०५।।।=)१०	३१०५०।=)४	१७५९५६।)२	२५५१२।)११	१५०४४३।।।=)३
१९३५-३६	१५०४४३।।।=)३	१६३६४।।)	१६६८०८।।)३	९३३१।।)७	१५७४७६।।।=)८
१९३६-३७	१५७४७६।।।=)८	२००००।।।=)१०	१७७४७७।।।=)६	१५२०१।।)	१६२२७६।=)६

योगः— ४५४२७८।।।)।। × २९२००३।=)

आयः— ४५४२७८ ।।।)६
व्ययः— २९२००३ ।=)
शेषः— १६२२७६ ।=)६

* यह रुपये कन्या गुरुकुल के थे सो पंजाब प्रतिनिधि सभा को दिये गये ॥

वि

"वर्तमान सामाजिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए यह परिषद् स्थिर करती है कि युवा स्त्री पुरुष आयु की समानता की दृष्टि से यदि पुनर्विवाह करना चाहें तो मना नहीं है।"

पं० मुनीराम जी ने संशोधन पेश किया कि विधुर का विधवा के साथ ही विवाह हो। नारायणदत्त जी ने संशोधन पेश किया कि विधुर की आयु ४० वर्ष से अधिक न हो। दोनों संशोधनों के साथ प्रस्ताव पास हो गया।

उपर्युक्त महत्व पूर्ण निश्चयों के अतिरिक्त निम्न कार्य और भी किया जाना निश्चय हुआ:—

पर्व पद्धति

(१) पर्व पद्धति बनवाकर प्रकाशित की गई कि जिससे प्रत्येक आर्य परिवार में नियत पर्व एक ही पद्धति से मनाये जावें।

संस्कृत सत्यार्थ प्रकाश

(२) सत्यार्थ प्रकाश का संस्कृत अनुवाद प्रकाशित किया गया है।

दयानन्द ग्रन्थ माला

(३) ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का एक शताब्दी संस्करण परोपकारिणी सभा द्वारा निकलवाया गया।

ओ३म् का झण्डा

(४) ओम् के झण्डे का रङ्ग गेरुआ (लाल) होना चाहिए और उस पर सूर्य के आकार के बीच में ओम् का चिह्न (ॐ) अङ्कित होना चाहिए।

दयानन्द संवत्

(५) श्रीमद्दयानन्द सम्वत के सम्बन्ध में निश्चय हुआ कि जन्म से उसका प्रारम्भ ठहराया जाकर शताब्दी महोत्सव के बाद से उसकी गणना १०१ समझी जावे। और उसका आरम्भ विक्रम सम्वत के अनुसार किया जाया करे और उसी के अनुसार महीने भी हुआ करें।

आर्य समाजों के साप्ताहिक सत्संघ

(६) आर्यसमाजों के साप्ताहिक सत्संघ एक जैसे ढंग से हुआ करें इसलिये शताब्दी सभा ने निश्चय किया है कि साप्ताहिक सत्संघ का क्रम इस प्रकार हुआ करे।

(१) ये सत्संघ प्रायः प्रातःकाल हुआ करें।

(२) प्रथम सब उपस्थित सभासद् मिलकर संध्या या कुछेक अन्य वेद मन्त्रों का पाठ उच्च स्वर से किया करें।

नोट—प्रातः और सायं नियमित रीति से एकान्त स्थान में संध्या करने का नियम इस सन्ध्या मन्त्र पाठ से शिथिल नहीं होगा।

(३) इसके बाद हवन हुआ करे।

(४) फिर ईश्वर स्तुति और प्रार्थना के भजन गाये जाया करें।

(५) तदनन्तर वेद और आर्ष ग्रन्थों की कथा हो।

(६) तत्पश्चात् उपदेश हुआ करे।

(७) फिर सब सभासद् मिलकर उच्च स्वर से ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त के (४) चार मन्त्रों का पाठ किया करें। ये मंत्र ये हैं:—

१. संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ।
इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर॥

२. संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते॥

३. समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् ।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥
४. समानीव आकूतिः समानाहृदयानिवः ।
समानमस्तु वो यथा वः सुसहासति ॥

नोट--ये मन्त्र समस्त आर्यों को याद कर लेने चाहियें ।

(८) फिर भजन हों ।

(९) अन्त में आवश्यक सूचनाएँ देकर शान्ति पाठ के बाद सत्संघ विसर्जन हुआ करे । समस्त आर्य समाजों के अधिकारियों को यत्न करना चाहिए कि उपर्युक्त भांति साप्ताहिक सत्संघ हुआ करें ।

(७) देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर प्रचार के लिये आवश्यक निश्चय हुए, जिनका विवरण अन्यत्र इसी कार्य विवरण में मिलेगा ।

(८) प्रकाशन विभाग की स्थापना हुई इसका भी अन्यत्र उल्लेख किया गया है ।

(९) देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर प्रचार के लिये अपील की गई और जो कुछ आय व्यय शताब्दी महा सभा को हुई उसका विवरण इस प्रकार हैः--

(१) १५ मार्च को देहली के सार्वदेशिक भवन में शताब्दी-कार्यकारिणी सभा की अन्तिम बैठक हुई जिस में शताब्दी के आय व्यय के लेखे को, जिसकी नियम पूर्वक जांच हो चुकी थी, प्रशंसित सभा ने स्वीकार करके निश्चय किया कि समस्त शताब्दी सभा का धन और सम्पत्ति सभा के कर्तव्य और अधिकार के साथ सार्वदेशिक सभा को सौंप दी जावे । तदनुकूल समस्त धन संपत्ति प्रशंसित सभा के योग्य मन्त्री श्री डाक्टर केशवदेव शास्त्री M. D. को सौंप दी गई ।

(२) शताब्दी सभा ने ५० सहस्र का वजट बनाकर इस धन की पूर्ति का भार प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभाओं के आधीन किया था ।

प्रतिनिधि सभाओं से जो धन वसूल हुआ तथा जो अन्य आर्य महोत्सव के सम्बन्ध में हुई उसका विवरण इस प्रकार से है:—

(१)	५० सहस्र मध्ये	३५६३५॥)
(२)	डेरों का किराया	६२२६)
(३)	दूकानों का किराया	२८५६।=)
(४	पुस्तकों की बिक्री	२७१३।≡)॥।
(५)	यज्ञों के लिये दान	२८००।)
(६)	बल्ली बांस की बिक्री	११६१।)
(७)	प्रदर्शिनी द्वारा	४३६)
(८)	खेल के टिकटों द्वारा	२१६४॥)
(९)	विविध	१५५५=)॥।
	योग	५५५४८॥।)॥

पिंडाल और कैम्प की तय्यारी तथा महोत्सव के अन्य कार्यों में जो व्यय हुआ उसका विवरण इस प्रकार है:—

३८४२॥।–)॥।	कर्मचारियों का वेतन और मार्ग व्यय
१४१–)॥।	स्टेशनरी
१०८६॥–)॥।	डाकव्यय
३३८≡)॥	तार का व्यय
२६।=)॥	मामूली फरनीचर
१४७२॥।=)॥	छपाई पत्रिकादि
११८२४॥)॥	पुस्तकों की छपाई
३१०१॥।≡)।	भोजन व्यय
३३४८।=)	पिंडाल
१४३)	बैंड का मार्ग व्यय
४४५≡)	शताब्दी रिपोर्टरों का वेतन और मार्ग व्यय
२४७४०।=)॥	कैम्पों की तय्यारी का व्यय

२२५॥≡)	पहरा व सफ़ाई
१६६२।≡)	रोशनी का सरफ़ा
५५४॥=)	प्याऊ तथा चरसा आदि
६७५॥=)॥	स्वयं सेवकों का भोजन व्यय
६३२८॥=)॥	डेरों का किराया
१६७५–)	खेलों का व्यय
३१३॥=)	प्रदर्शिनी का व्यय
४३७)	वापसी किराया डेरा
२६१६।)।।	यज्ञों का व्यय
६३३॥=)	छपाई नोटों की
४६४≡)।	बाल्टी लालटेन आदि क्रय की गईं
२६४२॥=)	विविध
६६३७४॥–) योग	
५५५४८॥)॥ आय	
१३८२६)॥ हानि हुई	

(३) देशदेशान्तर प्रचार और वैदिक साहित्य मंडल के लिये जो अपील शताब्दी महोत्सव में की गई थी उसमें इस प्रकार आय हुई:—

अपील में नक़द धन	२६०६६॥–)॥
नोटों की बिक्री का धन	३१४०३)
योग	५७४७२॥–)॥

शताब्दी के प्रारम्भ से फरवरी मासांत तक का आय-व्यय ऊपर दिया जा चुका है जिसका विवरण इस प्रकार है:—

कुल आय २८।२।२५ तक की	...	११३०२१—१०—३
१३ मार्च तक की आय	...	४८६५— ०—३
	योग	११७८८६—१०—६
कुल व्यय ...	...	६६३७४—१३—०
	शेष	४८५११—१३—६

इस बकाया का विवरण इस प्रकार है कि वह कहां कहां थी:—

इलाहाबाद बैंक में	३०३१०—०—०
सेविंग बैंक में	१५०—०—०
बाबू श्रीराम कोषाध्यक्ष द्वारा नक़द दिये गये	१४६८०—१०—११
प्रधान के कार्यालय से नक़द दिये गये	५४५—४—४
पेशगी प्राप्तव्य	२५२५—१४—३
योग	४८५११—१३—६

इसके सिवा ६००) के जेवर दिये गये तथा ४० हजार के वादों की सूची भी दी गई।

(१०) विशाल नगर कीर्तन आर्यनगर से प्रारम्भ होकर मथुरा नगर में विशेष कर स्वामी विरजानन्द वाली कुटी के सामने होता हुआ आर्यनगर में दूसरे मार्ग से आकर समाप्त हुआ। नगर कीर्तन में १३७ मण्डलियां थीं। २ लाख से अधिक मनुष्यों की भीड़ थी जिसमें ५० हजार से अधिक तो स्त्रियां ही थीं:—

(११) शताब्दी महोत्सव के अन्त में महोत्सव में उपस्थित नर-नारियों ने, जिनकी संख्या २ लाख से अधिक थी, संसार के कल्याणार्थ एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना की और महोत्सव अपूर्व सफलता के साथ शताब्दी महोत्सव के प्रबन्धकर्ता श्री नारायणस्वामी को, उपस्थित जनता की ओर से, महाराजाधिराज श्री सर नाहरसिंह जी शाहपुराधीश द्वारा मान-पत्र दिये जाने के बाद आनन्द पूर्वक समाप्त हो गया।

सम्मिलित प्रार्थना तथा मान-पत्र निम्नाङ्कित हैं:—

सम्मिलित प्रार्थना

आज अर्वाचीन आर्य्यावर्त के सबसे बड़े सुधारक ऋषि दयानन्द का जन्म-दिवस है। प्रभो! आप ही की प्रेरणा से देश में दयानन्द का प्रादुर्भाव हुआ था। आर्य्यजाति की दुरवस्था, अनाथों की पुकार, विधवाओं का विलाप, वैदिकधर्म की दुर्दशा, वैदिक सभ्यता का मरणो-

, Delhi.

nts and Assets

),000	0	0							
,557	5	9	22,557	5	9				
			15,700	0	0				
			1,010	0	0		39,267	5	9
							337	8	0
							29,000	0	0
			25,000	0	0				
			13,121	0	0				
es.			38,121	0	0				
			14,280	11	5		52,401	11	5
							18,538	14	6
			3,553	11	3				
			25	0	0				
			129	1	9				
647	11	6							
287	0	0	1,934	11	6				
			3,000	0	0		8,642	8	6
			7,269	13	3				
			1	3	3				
			314	11	8		7,585	12	2

The Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, Delhi.

Balance Sheet as on 28th February, 1937.

Fund and Liabilities.

Permanent Funds:—		
Desh-Deshantar.		50,000 0 0
Sarvadeshik Bhawan.		20,000 0 0
Raksha.		25,000 0 0
Ved Prachar Fnnds :—		
Chandrabhanu.	4,508 11 3	
Net addition during the year.	491 4 9	
	5,000 0 0	
Shive Lal.	650 0 0	
Dhodaram Churamani.	501 0 0	
Doma Mahto Sundar Devi.	100 0 0	
Sh. Ganga Prasad Garhwal Prachar.	2,000 0 0	8,251 0 0
Relief Funds :—		
Kashmir.	1,500 0 0	
Bihar.	6,000 0 0	7,500 0 0
Dayanand Dalitodhar Fund :—		
Last Balance.	2,755 1 7	
Added Rent of Sarvadeshik Bhawan.	244 14 5	3,000 0 0
Dayanand Ashram Fund		2,250 0 0
Books Fund.		16,753 4 7
Other Funds :—		
Birla Ved Prachar.	5,485 3 6	
Videsh Prachar.	1,272 0 0	
Assam Relief.	659 2 6	
Arya Marriage Fund.	122 6 6	
Arya Samaj—Tankara.	351 3 0	
„ „ —Maidan (Sumatra).	100 0 0	
Nathuram Memorial.	16 8 6	8,006 8 0
Sundry Credit Balances :—		
Raksha A/C.	5,283 3 4	
Sarvadeshik Bhawan Rent A/C.	5,143 6 0	
America Propaganda A/C.	3,739 6 0	
Desh-Deshantar Propaganda A/C.	2,464 11 6	
Donations for Travelling Expenses.	1,834 0 0	
Dayanand Ashram A/C.	233 0 7	
Shri Seth Baij Nath Bhartia.	1,621 13 3	
Diwan Chand Trust.	150 0 0	20,469 8 8
Interest Realized on :—		
Kashmir Relief Fund.	92 13 6	
Dayanand Dalitudhar Fund.	96 3 9	
Sh Ganga Prasad-Garhwal Fund.	12 8 0	201 9 3
Liabilities:—		
Miscellaneous Liabilities.	120 7 6	

Investments and Assets

Land and Buildings:—			
Sarvadeshik Bhawan:—			
Per Last Balanc Sheet.	20,000 0 0		
Added during the year.	2,557 5 9	22,557 5 9	
Balidan Bhawan,		15,700 0 0	
Land at Ghaziabad.		1,010 0 0	39,267 5 9
Type Writer.			337 8 0
Loan on Mortgage.			
Pataudi House Trust.			29,000 0 0
Investments :—			
5% Govt. Promisory Notes.		25,000 0 0	
Central Bank 3 Year's Cash Certificates.		13,121 0 0	
		38,121 0 0	
		14,280 11 5	52,401 11 5
Peoples Bank (In Liquidation).			18,538 14 6
Cost of Books (For Sale) In hand.			
Book Debts :—			
Pataudi House Trust :—			
(For interest due by them)		3,553 11 3	
Electric Deposit.		25 0 0	
Bihar Relief fund		129 1 9	
Loans & Advances :—			
Good.	1,647 11 6		
Doubtful.	287 0 0	1,934 11 6	
Dipchand Kishanlal.		3,000 0 0	8,642 8 6
Bank Balances.			
With Punjab National Bank.		7,269 13 3	
„ Central Bank of India.		1 3 3	
In P.O. Savings Bank.		314 11 8	7,585 12 2
Cash-in-hand :—			
Cash.		4,513 15 5	
Imprest with staff.		100 14 6	4,614 13 11
Deficit A/c :—			
Last Balance.		1,506 12 2	
Add of this year, as per Income and Expenditure A/c.		381 1 1	1,887 13 3

Examined and found correct, subject to our report of even date.

For JAGDISH PRASAD & Co.,

(Sd.) JAGDISH PRASHAD B.A., B. Com. (Bom), G.D.A., R.A.,

Registered Accountants,

Hony. Auditors.

Delhi,

Chandni Chawk, 16th, March 1937.

RAGHUNTH PRASHAD PATHAK

Accountant.

(Sd.) NARAIN DATTA,

Treasurer.

(Sd.) DESH BANDHU.

Secretary.

(Sd.) NARAYAN SWAMI,

President

16—3—37.

न्मुख होना, सदाचार का मूल्य घटना, देश का विदेशियों द्वारा पददलित होना आदि ऐसी बातें नहीं थीं जो दयानन्द के जन्म की प्रेरणा का कारण न बनतीं। प्रभो! दयानन्द ने जन्म लेकर आपकी प्रेरणा का उद्देश्य समझा। मुनि विरजानन्द उस उद्देश्य के समझाने का निमित्त बने। दयानन्द ने इसी उद्देश्य की पूर्तिरूप यज्ञ में अपने जीवन की आहुति दी। यज्ञ से सुगन्धि निकली, कहीं यह अनाथालयों के रूप में दिखाई दी, कहीं स्कूल और कालेज, कहीं संस्कृत पाठशाला और गुरुकुल कहीं दलितोद्धार सभा और शुद्धिसभा कहीं मुफ़्त चिकित्सा और दरिद्रालयों, कहीं कुरीति निवारिणी और स्वराज्य सभाओं, कहीं मद्य निवारिणी और व्यायाम प्रचारिणी सभाओं आदि के रूपों में प्रकट हुई। प्रभो! आज जो हम यह शताब्दी जन्म महोत्सव मना रहे हैं यह भी उसी आहुति की एक तुच्छ सुगन्धि है।

ऐसे पवित्र अवसर पर, प्रभो! यहाँ एकत्रित हुए हम लक्षों नर-नारी इस सारे चमत्कार को आपकी अपार दया की एक विभूति समझते हुए, कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ आप के सम्मुख अपने शिरों को झुकाते हैं [यहां सब उपस्थित नर-नारियों ने अपने शिर झुका लिए थे] और प्राणीमात्र के उपकार के लिए, जो आर्य्यसमाज का मुख्य उद्देश्य है, आपके दिये हुए वेदों के शब्दों ही में आप से प्रार्थना करते हैं:—

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आ राष्ट्रे राजन्यः शूरऽइषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्, दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा, जिष्णू रथेष्ठाः, सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां, योगक्षेमो नः कल्पन्ताम्॥ (यजु० २२।२२)

हे प्रभो! इस वृहद्राष्ट्र में तेजस्वी वेद वित् ब्राह्मण उत्पन्न हों। शस्त्रास्त्र विद्या में निपुण, दुष्टों का दमन करने वाले, महा बलवान्,

निर्भय और वीर क्षत्रिय उत्पन्न हों, दूध देने वाली गायें, भार ले जाने वाले बैल, शीघ्रगामी घोड़े, व्यवहारकुशल स्त्रियां, महारथी शत्रुओं के विजेता पुरुष उत्पन्न हों। यजमान का घर वीर पुत्रों से भरा हो, आवश्यकता होने पर वर्षा हुआ करे, हमारे लिए उत्तम फलों को देने वाली औषधियें पकें और हमारा योगक्षेम हो। शमित्योम् ॥

मान-पत्र

श्रद्धेय स्वामी जी,

हम भिन्न २ प्रान्तों तथा उपनिवेशों के आर्य नर नारी जो कि भगवान् दयानन्द की शतसांवत्सरिक स्मृति मनाने के लिये एकत्रित हुए हैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करने के लिये श्रद्धासमेत आपकी सेवा में यह मान-पत्र अर्पण करते हैं। जो अनथक पुरुपार्थ, जो निःस्पृह तपस्या आपने इस दयानन्द महायज्ञ को पूर्ण करने के लिये की है, उससे हमारा हृदय कृतज्ञता के सच्चे भावों से गद्गद् हो रहा है और हमें निश्चय है कि आपकी आदर्श निस्वार्थ सेवा अगली पीढ़ी के लिये दृष्टांत बनेगी और उसकी विद्युत् से न जाने कितने युवक हृदय प्रभावित होंगे।

आर्य समाज का गौरव है कि उसमें आप जैसे दयानन्द के सच्चे भिक्षु विद्यमान हैं, आपने आर्यसमाज और उसके प्रवर्तक महर्षि के काम पर सर्वस्व न्योछावर किया है, आपका विशुद्ध उन्नत चारित्र्य विद्वता, दृढ़ अध्यवसाय, आत्मस्वाध्याय, शान्तियुक्त कर्मण्यता, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हम सब अनुभव कर रहे हैं।

उस दयामय प्रभु के अचिन्त्य चरणों में हम सारे नर-नारी अपनी यह हृदय-कामना पहुँचाते हैं कि वह आपको दीर्घायु और नवोत्साह प्रदान करे जिससे आप वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक ऋषि दयानन्द के विजयनाद को दिगन्तव्यापी बनाने में अधिकाधिक सफल हो सकें।

हम हैं
आपके प्रति कृतज्ञतापूर्ण भारत और
उपनिवेशों के आर्य नर-नारी

(१०) ऋषि दयानन्द जन्म शताब्दी का महोत्सव टंकारा में

मथुरा शताब्दी सभा के एक निश्चय के अनुसार श्री प्रोफ़ेसर रामदेव जी तथा स्वामी सत्यानन्द जी इस कार्य्य के लिये नियत किये गये थे कि वे काठियावाड़ जाकर ऋषि दयानन्द के जन्म स्थानादि का निर्णय करके अपनी रिपोर्ट सभा में देवें। श्री पं० लेखराम जी कृत जीवन चरित्र के अनुसार ऋषि दयानन्द का, बचपन का नाम, मूलशंकर उनके पिता का नाम अंबाशंकर और उनका जन्म स्थान मौरवी था परन्तु श्री देवेन्द्रनाथ मुकरजी की अन्वेष्णानुसार ऋषि दयानन्द का प्रारम्भिक नाम मूलजी दयाराम, उनके पिता का नाम कर्सन जी त्रिपाटी (त्रिवेदी) और उनका जन्म स्थान मौरवी राज्य के अर्न्तगत टंकारा नगर था। दो प्रकार के मत होने पर उसका निर्णय होना आवश्यक था स्वामी सत्यानन्द जी तो न जा सके परन्तु प्रो० रामदेव जी ने मौरवी राज्य में जाकर अच्छी छानबीन करके मुकर जी महाशय के कथन को पुष्ट किया तब काठियावाड़ और बम्बई के उत्साही सज्जनों ने जिनके अग्रगन्ता श्रीयुत विजयशंकर मूलशंकर थे; ऋषि दयानन्द के जन्म स्थानादि के सम्बन्ध में और भी अन्वेषण करके, जिसका विवरण पृथक् दिया गया है, निश्चय किया कि ऋषि दयानन्द के जन्म स्थान टंकारा नगर में भी एक उत्सव किया जावे जिससे उत्सव में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक नर-नारी को, स्वयं अपनी आंखों से ऋषि का जन्म स्थान और निवासगृह देखने का अवसर मिल सके। तदनुसार ७ से ११ फरवरी १९२६ तक टंकारा नगर में एक विशाल उत्सव श्रीमन्त महाराज लखधीरसिंह जी मौरवी नरेश के सभापतित्व में होता रहा। महाराजा साहिब वीरपुर श्री हमीर सिंह जी, ठाकुर साहिब मोगर, श्री केसरी सिंह जी, दीवान रणछोर जी मौरवी, श्रीमान् मनुभा साहिब चेर

आदि काठियावाड़ के गण्यमान्य सज्जन उपस्थित थे। आर्यसमाज के गण्यमान्य संन्यासी और उपदेशक भी इस महोत्सव में सम्मिलित हुए थे। ५ दिन तक बराबर धर्म प्रचार होता रहा। एक विशाल नगर कीर्तन भी हुआ और सभी आगन्तुक नर-नारियों ने ऋषि दयानन्द के गृह और उस शिव मन्दिर को भी, जिस में ऋषि को बोध हुआ था, देखा। इस उत्सव के उपलक्ष में उत्सव की समाप्ति पर टंकारा में आर्यसमाज को भी स्थापना हुई। इस उत्सव में जो आय व्यय हुआ उसका विवरण इस प्रकार है:—

	प्राप्ति		खर्च
७५२५।-)	दान में प्राप्त हुआ	१०२७।)	उपदेशक खर्च
२४६)	नोट विक्रय से प्राप्त	६३७॥-)।	स्टेशनरी प्रिंटिंग
७५)	गुप्तदान प्राप्त	३५६-)	तार तथा डाक खर्च
२०५)	अंगूठी तथा कपड़े नीलामों द्वारा प्राप्त	५६५-)॥	डेपुटेशन तथा प्रचार खर्च
१२५३॥=)॥	पिण्डाल के सामान के विक्रय से प्राप्त	३५२५।-)॥	कैम्प का सामान लाइट तथा मजदूरी खर्च
६२६७॥≡)॥		१०७२≡)॥	भोजनालय खर्च
		८६)	फ़ोटो खर्च
		६१०॥)	दान की रकम में से वसूल करना बाकी
		११११।=)।	श्री पुरांतमें सिलिकबाकी
		६२६७॥≡)॥	

जो धन बाकी रहा वह काठियावाड़ प्रचार में खर्च हुआ।

(११) ऋषि दयानन्द के जन्म स्थान और पिता आदि के खोज का विवरण

टंकारा शताब्दी के सभापति श्रीमन्त मौरवी नरेश नियत हुए थे, उनके सभा में पधारने पर स्वागताध्यक्ष का भाषण समाप्त होने पर, टंकारा शताब्दी सभा ने उनकी सेवा में अभिनन्दन पत्र उपस्थित किया, उसका जो उत्तर महाराज ने दिया था, उसमें यह बात महाराज ने अभिमान के साथ स्वीकार की थी कि ऋषि दयानन्द उनके राज्य में उत्पन्न हुए थे। महाराज का पूरा उत्तर विषय के स्पष्टीकरण के लिये आगे दिया जायगा, इस शताब्दी उत्सव में ऋषि दयानन्द के अवशिष्ट वंशज पोपटलाल और उनके वालसखा इब्राहीम ने भी भाषण दिये थे। महाराज और इन दोनों व्यक्तियों के भाषण दिये जाने के बाद उन प्रमाणों का उल्लेख किया जायगा, जिनसे ऋषि दयानन्द के जन्म स्थान, उनके पिता, उनके बाल्यकाल के नाम पर प्रकाश पड़ता है, इस सब के अन्त में श्री प्रोफेसर रामदेव जी की रिपोर्ट भी दी गई है। जो परिणाम प्रो० रामदेव जी ने ऋषि के जन्म स्थान के सम्बन्ध में निकाला था, उसकी पुष्टि पीछे की अन्वेषणा से भली भांति हो गई। और तीनों खोजों का, जो स्वर्गवासी पं० लेखराम जी के बाद की गई, एक ही परिणाम है और वह देवेन्द्रनाथ मुकरजी की अन्वेषणा के परिणाम का पोषक है:—

मौरवी नरेश का भाषण

"पूज्य संन्यासी महात्माओ, स्नेही ठाकुर साहब, श्रीयुत मनुभा, सुज्ञ विद्वानो, सद्‌गृहस्थो तथा सन्नारियो !

प्रातःस्मरणीय महर्षि दयानन्द सरस्वती, कि जिनका जन्म हमारे संस्थान के इस टंकारा ग्राम में हुआ है, उस महापुरुष की जन्म

शताब्दी मनाने के लिये आप सब आज यहां पर प्रेम, श्रद्धा और उत्साह के साथ एकत्रित हुए हैं। यह देख कर हमको बहुत आनन्द होता है तथा हम अपने अन्तःकरण से आप सब का स्वागत करते हैं।

गत दिसम्बर मास में हमारे मित्र वीरपुर ठाकुर साहब ने हमें परिचित किया कि आंप लोग यहाँ इस सम्मेलन का आयोजन करना चाहते हैं। तब उस महा पुरुष की जन्मभूमि के लिये आप सब का आगाध प्रेम देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई, चूंकि जिस महापुरुष की विशाल बुद्धि अटल धैर्य तथा शुद्ध चारित्र्य ने समस्त भारत भूमि की जनतापर गहरी छाप डालकर, लोगों में स्वधर्म प्रेम तथा स्वदेश भावना के गहरे बीज डालकर जागृति उत्पन्न की है, ऐसे एक महानपुरुष का जन्म हमारे राज्य में होने से हमें भी यथार्थ रूप में अभिमान है। [करतालिका ध्वनि]

देश के एक कोने में आये हुए मौरवी तथा टंकारा आज समस्त भारतवर्ष में सुप्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं।

संन्यासी महानुभावों, राजपुत्रों, विद्वानों तथा गृहस्थ महाशयों ने अनेक प्रकार की असुविधाओं को सहते हुए देश के दूरवर्ती विभागों से यहाँ तक पधार कर इस छोटे से ग्राम को यात्रा का एक पवित्र स्थल बनाया है, यह देख कर इस स्थान के राज्यकर्ता को महदानन्द प्राप्त होना स्वाभाविक है।

हम मानते हैं कि संस्थान मौरवी की भूमि पर प्रभु की कृपा है, चूंकि इस प्रसंग पर हमको इस राज्य में उत्पन्न हुए दो तीन अन्य व्यक्तियों का भी स्मरण होता है। आप सबने जैन तत्ववेत्ता कवि रामचन्द्र जी का नाम भी सुना होगा। उनकी जन्मभूमि भी इस राज्य का ग्राम ववाणियाँ है। इसी तरह प्रखर विद्वान् महामहोपाध्याय शीघ्र कवि शास्त्री शंकरलाल माहेश्वर तथा श्रीयुत सर पटिनी जी का जन्म

स्थिर पुस्तकालय

स्थिर पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य			पुस्तकों की संख्या		
	बकाया	आय	योग	बकाया	आय	योग
१९२५-२६	×	१६)	१६)	×	३१	३१
१९२६-२७	१६)	७)॥	२३)॥	३१	११	४२
१९२७-२८	२३)॥	१५।।।=)	३८।।।=)॥	४२	४२	८४
१९२८-२९	३८।।।=)॥	१०)	४९=)॥	८४	२०	१०४
१९२९-३०	४९=)॥	२०-)	६९≡)॥	१०४	४७	१५१
१९३०-३१	६९≡)॥	३३=)॥	१०२।=)	१५१	३६	१८७
१९३१-३२	१०२।=)	२२।।।)	१२५=)	१८७	४	१९१
१९३२-३३	१२५=)	१८।।।-)	१४३।।।≡)	१९१	४	१९५
१९३३-३४	१४३।।।≡)	१४)	१५८)	१९५	२६	२२१
१९३४-३५	१५८)	५≡)॥	१६३=)॥	२२१	७	२२८
१९३५-३६	१६३≡)॥	२४।।)	१८७।।=)॥	२२८	१०	२३८
१९३६-३७	१८७।।=)॥	५५।।=)	२४३।)॥	२३८	३३	२७१

इस सभा का स्थिर पुस्तकालय सभा के नाम के अनुरूप होना चाहिये था परंतु क्यों ऐसा नहीं हुआ इसका मुख्य कारण स्थान की कमी है। बलिदान भवन की तीसरी मंज़िल के पूरी हो जाने से पुस्तकालय के लिये जगह निकल सकेगी और उस समय आशा है कि पुस्तकालय यथेष्ट उन्नति कर सकेगा॥

भी इसी राज्य में हुआ है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सभी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सुप्रसिद्ध हैं। आपकी "स्वागतकारिणी समिति" के प्रमुख ने महर्षि के जीवन के कार्य का कुछ ऊहापोह किया है। मुख्यतः उसके जीवन का प्रधान आदर्श ब्रह्मचर्यादि से शारीरिक सम्पत्ति को प्राप्त करना तथा स्वधर्म प्रेम से आत्मभाव और सेवा भाव की प्रेरणा करना दृष्टिगोचर होता है। प्रजा के अभ्युदय का एक मुख्य अङ्ग धर्म पालन है। प्रजा में प्रचलित सर्वधर्मों का सन्मान तथा संरक्षण करना राजा का मुख्य धर्म है। इसलिये आप सबको इस संस्थान की ओर से जो यत्किंचित् सुभीता दिया गया है, उसको अपनी उदारता से आपने हमारा उपकार समझ लिया है, परन्तु यथार्थ में हम तो यही मानते हैं कि यह हमारे कर्तव्य पालन के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

गोरक्षा आपकी संस्था का एक मुख्य सूत्र है, जो कि समस्त हिन्दुओं का भी है। आपको विदित होगा कि इस राज्य में गायों का वध करना अनेक वर्षों से निषिद्ध है। [करतालिका ध्वनि] इतना ही नहीं किन्तु कृषि के उपयोगी किसी भी प्राणी का वध यहाँ नहीं हो सकता है। इस कानून का अमल यहाँ बड़ी कट्टरता से किया जारहा है।

देश की उन्नति की कामना करना तथा उसके लिये योग्य दिशा में प्रयत्न करना यह सभी विचारशील पुरुषों का परमधर्म है। वर्तमान समय में अवनति के कारणों का निदान करने से मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रजा में से सदाचार नष्ट प्रायः हो गया है तथा वर्तमान शोचनीय आर्थिक स्थिति भी कुछ अंश तक इसका कारण है। अधिक शोचनीय बात तो यह है कि जिस भूमि में ईश्वर प्रणीत वेद, भगवद्-गीता जैसा अद्वितीय ग्रन्थ, महाभारत, रामायण तथा भागवत आदि अनेक ग्रन्थ उपस्थित हैं, जिस देश में अनेकों आचार्य, महात्मा, साधु और कवियों ने सदाचार का पुनः पुनः उपदेश दिया है, उस देश की प्रजा में मनुष्य योग्य सदाचार का अभाव होना बड़े कष्ट की बात है।

इन बातों में मतभेद को अवकाश ही नहीं है, अतः मुझे निश्चय है कि आपकी संस्था के अनुयायी गण अपने आदर्श रूप जीवन से उपदेश देने का सतत् प्रयास करेंगे ताकि लौकिक और अलौकिक दोनों ही दृष्टियों से देश का श्रेय हो।

पुनः हमारे लिये आपने जो सन्मान प्रदर्शित किया उसका उपकार मानता हुआ मैं प्रभु से अन्तःकरण से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस कार्य के लिये यहाँ एकत्रित हुए हैं वह सफल हो तथा ऐसे नररत्न मेरी प्रजामें अधिकाधिक उत्पन्न होकर मेरे राज्य तथा समस्त देश के लिये लाभदायक हों।

दो व्यक्ति

११ फरवरी १६२६ को मध्यान्ह का कार्य समाप्त हो जाने के बाद सभामण्डप में एक रोचक तथा चित्ताकर्षक दृश्य उपस्थित हुआ। पूर्व सूचना के अनुसार यह समय ऋषि के निकट सम्बन्धियों तथा प्रत्यक्ष दर्शियों के परिचय के लिये रक्खा गया था। ऐसे भाग्यशाली व्यक्तियों के दर्शनों के लिये जनता भी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। सम्पूर्ण पण्डाल खचाखच भरा हुआ था। सबसे प्रथम टंकारा निवासी महाशय पोपटलाल जी स्टेज पर उपस्थित हुए। आप ऋषि वर की सहोदरा भगिनी की तृतीय पीढ़ी की सन्तान हैं। आपने कहा कि—

"मैं बीसवीं सदी के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष भगवान दयानन्द का निकट सम्बन्धी हूँ—यह सोचकर मेरा हृदय अभिमान से भर उठता है। मैं अपने जीवन को कृतकृत्य तथा सफल समझता हूँ। अनेक व्यक्ति ऋषि के जन्मस्थान के विषय में संदिग्ध हैं। परन्तु मैं आज इस पवित्र वेदी पर उपस्थित होकर इस बात की घोषणा करता हूँ कि यह टंकारा ग्राम ही ऋषि दयानन्द की जन्म भूमि है। इसके लिये मेरे पास बड़े बड़े दो प्रमाण हैं। प्रथम यह कि ऋषि दयानन्द के पितृ

महोदय ने बड़ी भक्ति पूर्वक जिस शिवमन्दिर की स्थापना की थी तथा जिसमें आसीन होकर मूल जी दयाराम (ऋषि का बाल्यनाम) ने महाशिवरात्रि के पुण्यपर्व में संसार के कल्याण के लिये एक दिव्य, प्रतिमा विरोधी संदेश प्राप्त किया था—वह मन्दिर आज तक हमारे वंश में परम्परा से चला आ रहा है। द्वितीय प्रमाण यह है कि वह सौभाग्य शाली गृह भी हमारे ही पास है जिसमें ऋषि दयानन्द का जन्म हुआ था। आप इन दोनों वस्तुओं को कल अपनी आँखों से प्रत्यक्ष कर चुके हैं। (करतलध्वनि)

ऋषि के जन्म स्थान का पता लगाने के लिये यहाँ कितने ही जिज्ञासु तथा अन्वेषक आ चुके हैं। जब पण्डित लेखराम जी यहाँ आये थे तब तक हमें यही विदित था कि ऋषि दयानन्द क्रिश्चियन थे। अतः अपने वंश की मानरक्षा के निमित्त हमने उक्त पण्डित जी को अपना तथा ऋषि दयानन्द के जन्म स्थानादि का यथार्थ परिचय जानबूझ कर ही नहीं दिया था। कुछ साल बाद जब श्रीयुत देवेन्द्रनाथ मुकर्जी यहां पधारे और हमें भी यह ज्ञान हुआ कि हमारे पूर्वज ऋषि दयानन्द क्रिश्चियन नहीं प्रत्युत वैदिक धर्म के महान् उद्धारक व उच्च कोटि के महर्षि थे—तब हमने अपने प्रथम अज्ञान पर पश्चात्ताप प्रकट करते हुए उक्त मुकर्जी महोदय को अपना वास्तविक परिचय देकर उन्हें ऋषि दयानन्द के इन दोनों स्मृति चिह्नों का दर्शन करा दिया तथा इस विषय में हमें जितना ज्ञान था वह सब भी उन्हें दे दिया।

अन्त में मैं भगवान् दयानन्द की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यहाँ पधारे हुए आप ऋषि भक्तों को अन्तर्हृदय से धन्यवाद देता हूँ।"

इस लघु वक्तृता के बाद महाशय पोपटलाल जी ने अपना एक लेख जनता के सामने उपस्थित किया। इसमें उन्होंने ऋषि दयानन्द के जन्म स्थान तथा वंशादि का यथार्थ परिचय दिया है। उनकी इस स्थापना को सत्य तथा प्रमाणित स्वीकार करते हुए मौरवी राज्य के

पोलिस कमिश्नर ने उक्त लिखित पत्र पर राज्य के अधिकारी रूपेण अपने हस्ताक्षर किये तथा इस सम्मेलन के अध्यक्ष श्रीमान् मौरवी नरेश ने उसका अनुमोदन किया *।

म. पोपटलाल जी के बैठ जाने के बाद एक अत्यन्त वृद्ध किसान शनैः शनैः लकड़ी टेकता हुआ स्टेज पर आकर उपस्थित हुआ। यह था ऋषि दयानन्द का बाल्यसखा इब्राहीम। इस समय इसकी आयु १०३ साल की थी। बालक मूलशंकर तथा यह दोनों बालकपन में एक साथ खेला करते थे। ऋषि के इस बाल्यसखा को इस तरह अचानक अपने सामने खड़ा देखकर सभामण्डप में सर्वत्र सन्नाटा छा गया। सारी सभा इस जीर्ण शीर्ण परन्तु अमित भाग्यशाली व्यक्ति की ओर निहारने लगी। उसने अत्यन्त कम्पमान स्वर में कहना प्रारम्भ किया। बालक मूलशंकर के साथ खेल कूद में बीते हुए बचपन के उन सुखी दिनों को स्मरण कर उसका रोम रोम रोमाञ्चित हो गया था और उसके दोनों क्षीण नेत्रों से आनन्द की अविरल अश्रुधारायें बह रहीं थीं। इब्राहीम ने कहा—

"जिन्हें आप लोग ऋषि दयानन्द कहते हैं तथा आज समग्र भारतवर्ष ही नहीं प्रत्युत सारा संसार जिनकी विद्वत्ता और महत्ता पर मुग्ध है, उन भगवान के साथ मैं इसी टंकारा ग्राम की भूमि में, इसी डेमी नदी के रेतीले मैदानों पर, इन्हीं खेतों के अन्दर, इन्हीं वन-मालाओं में कई साल तक बचपन में खेलता रहा हूँ। मुझे आज भी उनकी वह बचपन की मुग्ध सूरत स्मरण है। उनकी आँखों में मुग्धता और तेज, उनके शरीर में सौन्दर्य और बल, उनके चेहरे पर सरलता और आग्रह उनकी वाणी में मृदुता और ओज कूटकूट कर भरा हुआ था। कितनी ही बार इसी स्थान पर जहाँ आज यह पण्डाल सुशोभित

---

* यह लेख इस शीर्षक के अन्त में दिया गया है।

है, मैंने उनके साथ बाल्य क्रीड़ायें की थीं। कितनी ही बार इस डेमी नदी की धारा में मैं और वे हँसते खेलते तैरे हैं। कितनी ही बार उनके उस बाल्य शरीर के साथ मैंने कुश्ती और मारपीट की है। यद्यपि मूलशंकर आयु में मुझ से दो साल छोटे थे तथापि उनके गौर शरीर में बड़ा बल था। वे अकेले ही मुझे और मेरे साथियों को बाल्य संग्राम में पराजित कर दिया करते थे। सच पूछिये तो मूल जी बड़े उपद्रवी और हठी थे। परन्तु निर्बलों के साथ उनकी बड़ी सहानुभूति रहती थी। उनके पिता जी का नाम कर्सन जी त्रिवेदी था। करीब २३ साल की उम्र में हमने सुना था कि वह अपनी सारी सम्पत्ति को ठुकरा कर घर से भाग गया है और कहीं जाकर संन्यासी हो गया है। उनके पिता जी ने उनकी बड़ी खोज की थी। घर छोड़ देने के बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनके फिर भी दर्शन करता। परन्तु उसके बाद वे कभी इस ग्राम में लौटे ही नहीं और मेरी वह ख्वाहिश अधूरी ही रह गई!!

मैं म० पोपटलाल जी के बचन की ताईद करता हूँ, जिस मकान में इस समय महाशय पोपटलाल जी के भाई, प्राणशंकर रहते हैं, वही स्वामी दयानन्द का जन्मगृह है। तथा यह मन्दिर भी वही मन्दिर है जिसमें दयानन्द जी के पिता कर्सन जी लम्बी चौड़ी उपासनायें किया करते थे। वे मूल जी को भी कभी कभी इस मन्दिर में अपने साथ ले जाया करते थे।"

बृद्ध इब्राहीम के इस अद्भुत प्रत्यक्ष दर्शन के वर्णन को सुन कर सारी सभा पुलकित हो उठी। सबके हृदय गद्गद् और आँखें अश्रुपूर्ण हो गईं।

प्रमाण

ऋषि दयानन्द का जन्मस्थान व वंशादि क्या थे इसमें सर्वप्रथम

प्रमाण हम स्वामी दयानन्द जी का स्वयं कथित जीवन चरित्र, जो कि उन्होंने कर्नल अल्काट तथा मैडम ब्लैवटस्की के अत्यन्त अनुरोध से उन लोगों के बम्बई से प्रकाशित होनेवाले इंग्लिश पत्र 'थियोसिफिस्ट' में प्रकाशित होने के लिए आर्य भाषा में प्रेषित किया था, तथा जिसका इंग्लिश अनुवाद अक्षर २ उक्त पत्र के सन् १८७६ के अङ्कों में प्रकाशित हुआ था, हम नीचे उद्धृत करते हैं—

स्वामी दयानन्द जी का स्वलिखित जीवन परिचय जो उन्होंने विशेष रूप से 'थियोसिफिस्ट' समाचार-पत्र में अङ्कित कराया था

सम्वत् १८८१ के वर्ष में देश काठियावाड़ के, मौरवी राज्य के, एक नगर में औदीच्य ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ था।

प्रथम दिन से ही जो मैंने लोगों को अपने पिता का नाम और अपने कुल का स्थान बताना अस्वीकार किया, इसका यही कारण है कि मेरा कर्तव्य मुझे इस बात की आज्ञा नहीं देता। यदि मेरा कोई सम्बन्धी मेरे इस वृत्त से परिचय पा लेता, तो वह अवश्य मेरे ढूंढने का प्रयत्न करता। इस प्रकार उनमें से दो चार होनेपर मेरा उनके साथ घर जाना आवश्यक हो जाता। सुतरां एक वार पुनः मुझे धन हाथ में लेना पड़ता अर्थात् गृहस्थ हो जाता। उनकी सेवा शुश्रूषा भी मुझे योग्य होती और इस प्रकार सर्व सुधार का वह उत्तम काम, जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पण किया है, इस बलात्कृति के कारण अन्धकार में पड़ा रह जाता।

मैंने पाँचवें वर्ष में देवनागरी अक्षर पढ़ने का आरम्भ किया था। और मुझ को कुलकी रीति की शिक्षा भी माता पिता आदि किया करते थे। बहुत से धर्मशास्त्रादि के श्लोक और सूत्रादिक भी कण्ठस्थ कराया करते थे।

फिर आठवें वर्ष मेरा यज्ञोपवीत कराके गायत्री संध्या और उनकी क्रिया भी सिखा दी गई थी। और मुझको यजुर्वेद की संहिता ‡ (यद्यपि औदीच्य ब्राह्मण सामवेदी हैं परन्तु मैंने बड़ी कठिनता से शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा था) का आरम्भ कराके उसमें से प्रथम रुद्राध्याय पढ़ाया गया था। मेरे कुल में शैव मत था, उसी की शिक्षा भी किया करते थे। पिता आदि लोग यह भी कहा करते थे कि पार्थिव पूजन अर्थात् मिट्टी का लिंग बनाकर तू पूजा कर। और मेरी माता, मेरे स्वास्थ्य भंग के भय से, तथा यतः मुझे प्रातःकाल भोजन कर लेने का अभ्यास था, इसके दैनिक अभ्यास का विरोध करती थी। पिता हठ किया करते थे कि पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि कुल की रीति है। अन्त में यह वादविवाद इतना बढ़ा कि यह मेरे माता पिता के पारस्परिक कलह का कारण बन गया। इसी अन्तर में मैंने कुछ कुछ व्याकरण आदि का विषय और वेद का पाठ मात्र मैंने अध्ययन किया। पिता जी अपने साथ मुझको जहां तहां मन्दिर और मेल मिलापों में लेजाया करते और यह भी कहा करते थे कि शिव की उपासना ही सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार चौदहवें वर्ष की अवस्था के आरम्भ तक यजुर्वेद की संहिता सम्पूर्ण और कुछ कुछ अन्य वेदों का भी पाठ पूरा होगया था। और शब्दरूपावली आदि छोटे छोटे व्याकरण के ग्रन्थ भी पूरे होगये थे।

घर में भिक्षा की जीविका नहीं थी किन्तु जिमीदारी और लेन-देन से जीविका के प्रबन्ध करके सब काम चलाते थे। जहां जहां शिव पुराण आदि की कथा होती थी वहां पिता जी मुझ को पास बिठा कर सुनाया करते थे। और मेरे पिता ने माता के मना करने पर भी पार्थिव पूजन का आरम्भ करा दिया था।

---

‡ यह कोष्ठान्तर्गत पाठ ऋषि दयानन्द के पूना में दिये गये व्याख्यान में प्राप्त होता है।

जब शिवरात्रि आई तब त्रयोदशी के दिन कथा का माहात्म्य सुना के शिवरात्रि के व्रत करने का निश्चय करा दिया था। परन्तु माता ने मने किया था कि इससे व्रती नहीं रहा जायगा, तथापि पिता जी ने व्रत का आरम्भ करा ही दिया था।

और जब चतुर्दशी की शाम हुई तब बड़े बड़े बस्ती के रईस अपने पुत्रों सहित मन्दिर में जागरण करने को गये। वहां मैं भी अपने पिता के साथ गया। और प्रथम प्रहर की पूजा करके पूजारी लोग बाहर निकल कर सोगये। मैंने सुन रखा था कि सोने से शिवरात्रि का फल नहीं होता है। इस लिये अपनी आंखों में जल के छींटे मार के जागता रहा। फिर पिता आदि सब सो गये।

उस समय मेरे चित्त में कई प्रकार के विचार उत्पन्न हुए और प्रश्न पर प्रश्न उठने लगे। तब मुझको शंका हुई कि जिसकी हमने कथा सुनी थी, वही यह महादेव है या अन्य ? क्योंकि वह तो मनुष्य के माफिक एक देवता है। वह बैल पर चढ़ता, फिरता, खाता, पीता, त्रिसूल हाथ में रखता, डमरू बजाता, वर और शाप देता और कैलाश का मालिक है। इत्यादि अनेक प्रकार का महादेव कथा में सुना था।

तब पिता जी को जगा के पूछा कि यह कथा का महादेव है वा कोई दूसरा ? तब पिता ने कहा कि क्यों पूछता है तब मैंने कहा कि कथा का महादेव तो चेतन है। वह अपने ऊपर चूहों को क्यों चढ़ने देगा ? और इस के ऊपर चूहे फिरते हैं। तब उन्होंने कहा कि कैलाश पर जो महादेव रहते हैं उनकी मूर्ति बना और आवाहन करके पूजा किया करते हैं। अब कलियुग में उस शिव का साक्षात दर्शन नहीं होता। इसलिये पाषाणादि की मूर्ति बना के उन महादेव की भावना रखकर पूजन करने से कैलाश का महादेव प्रसन्न होजाता है। ऐसा सुनके मेरे मन में भ्रम होगया कि इसमें कुछ गड़बड़ अवश्य है। और भूख भी बहुत लग रही

थी। पिता से पूछा कि मैं अब घर को जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सिपाही को साथ लेके चला जा परन्तु भोजन कदापि न करना।

मैंने घर में जाकर माता से कहा कि मुझको भूख लगी है। माता ने कुछ मिठाई आदि दी। उसको खाकर एक बजे सो गया।

पिता जी प्रातःकाल रात्रि के भोजन को सुन के बहुत गुस्से हुए कि तैंने बहुत बुरा काम किया। तब मैंने पिता से कहा कि वह कथा का महादेव नहीं था। इसकी पूजा मैं क्यों करूँ? मन में तो श्रद्धा नहीं रही परन्तु ऊपर के मन पिता जी से फिर कहा कि मुझ को पढ़ने से अवकाश नहीं मिलता कि मैं पढ़ सकूँ। तथा माता और चाचा आदि के समझाने से भी पिता शान्त होगये कि अच्छी बात है पढ़ने दो। फिर निघण्टु, निरुक्त और पूर्व-मीमांसा आदि शास्त्रों के पढ़ने की इच्छा करके आरम्भ करके पढ़ता रहा और कर्मकांड का विषय भी पढ़ता रहा।

मुझ से छोटी एक बहन फिर उससे छोटा एक भाई, फिर एक बहन और एक भाई हुए थे अर्थात् दो बहन और दो भाई थे।

जब मेरी १६ वर्ष की अवस्था हुई थी, तब मुझसे छोटी १४ वर्ष की जो बहन थी उस को हैजा हुआ। एक रात्रि में जिस समय नाच होरहा था नौकर ने खबर दी कि उसको हैजा हुआ है। तब सब जने वहां से तत्काल आये और वैद्य आदि बुलाये। औषधि भी की तथापि चार घण्टे में उसका शरीर छूट गया। जन्म से लेकर उस समय तक मैंने यही प्रथम बार मनुष्य को मरते देखा था। इससे मेरे हृदय पर वज्रपात हुआ। सब लोग रोने लगे। मुझको रोना तो नहीं आया परन्तु मेरे मन में भय उत्पन्न हुआ कि देखो संसार में कुछ भी नहीं। इसी प्रकार किसी दिन मैं भी मर जाऊँगा। इस लिये ऐसा कुछ उपाय करना चाहिये कि जिससे मरण जन्म रूपी दुःखों से छूट कर मुक्ति हो। यह विचार मन में रक्खा। किसी से कुछ कहा नहीं।

जिस समय सारा कुटुम्ब रो रहा था, मैं मूर्ति के समान चुपचाप

प्रथक् खड़ा था। उस समय मुझको बहुत से मनुष्यों के जीवन जो संसार में अनित्य हैं निरर्थक प्रतीत हुए, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प अतीव शोक के साथ उत्पन्न हुए, और जान पड़ा कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो निरदई मृत्यु के ग्रास से बच जाय, निश्चय एक दिन उस मृत्यु से सामना करना पड़ेगा। उस समय मृत्यु के दुःख निवारणार्थ औषधि कहां ढूँढता फिरूँगा? और मुक्ति प्राप्त करने के निमित्त किस पर भरोसा करूँगा और कौनसा उपाय उस के लिये उचित है? सारांश यह कि उसी समय पूर्ण विचार कर लिया कि जिस प्रकार हो सके मुक्ति हस्तगत करूँ जिस के द्वारा मृत्यु-समय के समस्त दुःखों से बचूं। अन्त को यह हुआ कि इस संसार से मेरा मन एक बार ही हट गया और उत्तम विचार करने में सन्नद्ध होगया।

इतने में १९ उन्नीस वर्ष की अवस्था हो गई। तब जो मुझ से अति प्रेम रखने वाले, बड़े धर्मात्मा, विद्वान् मेरे चाचा थे उनको विशूचिका ने आ घेरा। मरते समय उन्होंने मुझे पास बुलाया। लोग उनकी नाड़ी देखने लगे। मैं भी समीप ही बैठा हुआ था। मेरी ओर देखते ही उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगे। मुझे भी उस समय बहुत रोना आया, यहाँ तक कि रोते २ मेरी आंखें फूल गईं। इतना रोना मुझे पूर्व कभी न आया था। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं भी चाचा जी के सदृश एक दिन मरने वाला हूँ। उनकी मृत्यु होने से अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न हुआ, कि संसार में कुछ भी नहीं। परन्तु यह बात माता पिता से तो नहीं कही। किन्तु अन्य मित्र लोगों से कहा कि मेरा मन गृहाश्रम करना नहीं चाहता। उन्होंने माता पिता से कहा। माता पिता ने विचारा कि इसका विवाह शीघ्र कर देना ठीक है। जब मुझ को मालूम हुआ कि ये २० वर्ष में ही विवाह कर देंगे, तब मित्रों से कहा कि हमारे माता पिता को समझा दो कि अभी मेरा विवाह न करें। फिर उन्होंने एक वर्ष जैसे तैसे विवाह रोका।

तब तक बीसवां वर्ष पूरा हो गया। मैंने पिता जी से कहा कि मुझे काशी में भेज दीजिये, जहां मैं व्याकरण, ज्योतिष और वैद्यक आदि ग्रन्थ पढ़ आऊँ। तब माता, पिता और सब कुटुम्ब वालों ने कहा कि हम काशी को कभी न भेजेंगे। जो पढ़ना हो सो यहीं पढ़ा कर। और तेरा अगले साल में विवाह भी होगा क्योंकि लड़की वाला नहीं मानता। और हमको अधिक पढ़ा के क्या करना है? जितना पढ़ा है वही बहुत है। तब मैंने पिता आदि से कहा कि मैं पढ़कर आऊँ तब विवाह होना ठीक है फिर माता भी विपरीत हो गई कि हम कहीं नहीं भेजते और अभी विवाह करेंगे। तब मैंने चाहा कि अब सामने रहना अच्छा नहीं। चुप हो गया, क्योंकि देखा कि विशेष आग्रह से काम बिगड़ता है और कभी कार्य सिद्ध नहीं होता। क्योंकि घर में मेरा मन नहीं लगता था, यह देख पिता जी ने जिमीदारी का काम करने के लिये मुझे कहा, परन्तु मैंने उसे स्वीकार न किया।

फिर तीन कोस पर एक ग्राम में अपनी जिमीदारी थी, वहां एक अच्छा पण्डित था। माता पिता की आज्ञा लेकर उस पण्डित के पास जाके पढ़ना आरम्भ कर दिया। और वहां के लोगों से भी कहा कि मैं गृहाश्रमी करना नहीं चाहता। फिर माता पिता ने बुला के विवाह की तैयारी की। तब तक २१ इक्कीसवां वर्ष पूरा हो गया।

उस समय मैंने निश्चित जाना कि अब विवाह किये बिना ये लोग कदाचित् न छोड़ेंगे। और न अब मुझे भविष्य में विद्योपार्जन की आज्ञा मिलेगी। और न माता पिता मेरे ब्रह्मचारी रहने पर प्रसन्न होंगे। तब मैंने अपने मन में सोच विचार कर यह निश्चय ठाना, कि अब वह काम करना चाहिये, जिससे जन्म भर को इस विवाह के बखेड़े से बचूँ। यह निश्चय मैंने किसी पर प्रकट न किया। एक मास में विवाह की तय्यारी भी होगई।

फिर गुप चुप संवत् १६०३ के वर्ष में घर छोड़ के शाम के समय भाग उठा।

चार कोस पर एक ग्राम था, वहां जा के, रात्रि को ठहर कर, दूसरे दिन प्रहर रात्रि से उठके १५ कोस चला। परन्तु प्रसिद्ध ग्राम, सड़क और जानकारों के ग्राम छोड़ के बीच बीच में रोज चलने का आरम्भ किया। तीसरे दिन मैंने किसी राजपुरुष से सुना कि फलाने का लड़का घर छोड़ कर चला गया। उसको खोजने के लिये सवार और पैदल आदमी यहां तक आये थे। जो मेरे पास थोड़े से रुपये और अंगूठी आदि भूषण था, वह सब पोपों ने ठग लिया, कि तुम पक्के वैराग्यवान् तब होगे कि जब अपने पास की चीज सब पुण्य कर दोगे। उनके कहने से मैंने सब दे दिया।

फिर लाला भगत् का स्थान जो कि सायले शहर में है, वहां बहुत साधुओं को सुन कर चला गया। एक ब्रह्मचारी मिला, उसने कहा कि तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाओ। उसने मुझको ब्रह्मचारी की दीक्षा दी और शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी मेरा नाम रक्खा। और कषाय वस्त्र भी करा दिये। जब मैं वहां से अहमदाबाद के पास कोठगांगढ़ जो कि छोटा-सा राज्य है, वहां आया।

कोठगांगढ़ में मैंने सुना, कि सिद्धपुर में कार्तिक का मेला होता है। वहाँ कोई तो योगी अपने को मिलेगा और अमर होने का मार्ग बतावेगा, इस आशा से मैंने सिद्धपुर का मार्ग लिया। मार्ग में मुझे तब मेरे गाम के पास का जान पहचान वाला एक वैरागी मिला। उसने पूछा कि तुम यहां कहां से आये और कहां जाया चाहते हो? तब मैंने उससे कहा कि घर से आया और कुछ देश भ्रमण किया चाहता हूँ। उसने कहा कि तुम ने काषाय वस्त्र क्यों धारण किये? क्या घर छोड़ दिया? मैंने कहा कि हाँ, मैंने घर छोड़ दिया और मैं कार्तिकी के मेले

पर सिद्धपुर को जाऊँगा। फिर मैं वहाँ से चल के सिद्धपुर में आकर नीलकण्ठ महादेव के स्थानमें ठहरा कि जहां दण्डी स्वामी और बहुत से ब्रह्मचारी ठहर रहे थे। उनका सत्संग और जो २ कोई महात्मा वा पण्डित मेला में सुन पड़ा,उन २ से जाकर मेल मिलाप किया। कोठगाङ्गढ़ में जो मुझको वैरागी मिला था, उसने मेरे पिता के पास एक पत्र भेजा कि तुम्हारा लड़का काषाय वस्त्र धारण किये ब्रह्मचारी बना यहां मुझको मिलकर कार्तिकी के मेले में सिद्धपुर को गया।

ऐसा सुनकर पिता जी ने चार सिपाहियों के सहित सिद्धपुर में आकर मेले में मेरा पता लगाया। मन्दिर में जहां पण्डितों के बीच में मैं बैठा था एकाएक वहां पहुँचकर मुझसे बोले कि तू हमारे कुल में कलंक लगाने वाला उत्पन्न हुआ। तब मैं पिता जी की ओर देखकर उठ कर चरण छू कर नमस्कार किया और मैं बोला कि आप क्रोधित मत हूजिये। मैं किसी आदमी के बहकाने से चला आया और इससे अत्यन्त दुःख पाया। अब मैं घर को जाने वाला था, परन्तु आप आये यह बहुत अच्छा हुआ। अब मैं आपके साथ घर को चलूंगा। तो भी क्रोध के मारे मेरे गेरू के रंगे वस्त्रों और एक तूंबा था, उसको तोड़-फोड़ के फेंक दिया और दूसरे नवीन श्वेत वस्त्र धारण करा के जहां ठहरे थे वहां मुझको ले गये। और वहां भी बहुत कठिन २ बातें कहकर बोले कि तू अपनी माता की हत्या किया चाहता है। मैंने कहा कि मैं अब चलूंगा। तो भी मेरे साथ [दो] सिपाही कर दिये कि क्षण भर भी इस को पृथक् मत छोड़ो। और इस पर रात्रि को भी पहरा रक्खो। परन्तु मैं भागने का उपाय सोचता था।

सो जब तीसरी रात्रि के तीन बजे पीछे पहरे वाला बैठा २ सो गया। उसी समय वहां से मैं भाग के आध कोस पर एक बगीचे के मन्दिर की शिखर में एक वृक्ष के सहारे से चढ़ के जल का लोटा साथ

ले के छिप कर बैठ गया। जब चार बजे का अमल हुआ, तब मैंने उन्हीं में से एक सिपाही को मालियों से मुझ को पूछता सुना। तब मैं और भी छिप गया। वे लोग ढूँढ कर चले गये। मैं उसी मन्दिर की शिखर में दिन भर रहा।

जब अंधेरा हुआ तब उस पर से उतर कर, सड़क छोड़ के किसी से पूछकर दो कोस एक ग्राम था, वहां जाकर ठहरा। प्रातःकाल वहां से चला।

अहमदाबाद से होता हुआ बड़ौदे शहर में आकर ठहरा। और वहां चेतन मठ में ब्रह्मानन्द आदि ब्रह्मचारियों और संन्यासियों से वेदान्त विषय की बहुत सी बातें की। और मैं ब्रह्म हूँ अर्थात् जीव ब्रह्म एक है, मुझको ऐसा निश्चय उन ब्रह्मानन्दादि ने करा दिया। पहले वेदान्त पढ़ते समय भी कुछ २ निश्चय होगया था, परन्तु वहां ठीक २ दृढ़ हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ।

फिर वहीं बडोदे में एक बनारसी बाई वैरागी का स्थान सुनकर, वहां जाके एक सच्चिदानन्द परमहंस से भेंट करके अनेक प्रकार की शास्त्रविषयक बातें हुईं। फिर मैंने सुना कि आजकल चाणोदकन्याली में बड़े २ संन्यासी, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण विद्वान् रहते हैं। वहां जाके दीक्षित और चिदाश्रमादि स्वामी, ब्रह्मचारी और पण्डितों से अनेक विषयों का परस्पर संलाप हुआ। और एक परमानन्द परमहंस से वेदान्तसार, आर्यहरि मीडे तोटक, वेदान्तपरिभाषा आदि प्रकरणों का थोड़े महीनों में विचार कर लिया।

फिर मैंने, ब्रह्मचर्य्य में कभी २ अपने हाथ रसोई बनाने से पढ़ने में विघ्न विचार के चाहा कि अब संन्यास ले लेना अच्छा है। फिर एक दक्षिणी पण्डित के द्वारा जो वहां चिदाश्रम स्वामी विद्वान् थे, उनसे कहलाया कि आप उस ब्रह्मचारी को संन्यास की दीक्षा दे

दीजिए। क्योंकि मैं अपना ब्रह्मचारी का नाम भी बहुत प्रसिद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकिघर का भय बड़ा था, जो कि अब तक है।

तब उन्होंने कहा कि उसकी अवस्था कम है इसलिये हम नहीं देते। इसके अन्तर दो महीने के पीछे दक्षिण से एक दण्डी स्वामी और एक ब्रह्मचारी आके चणोद से कुछ कम कोस पर मकान जो कि जंगल में था, उसमें आकर ठहरे। उसको सुनकर एक दक्षिणी वेदान्ती पण्डित और मैं दोनों उनके पास जाके शास्त्री में उनसे संभाषण किया। तब मालूम हुआ कि अच्छे विद्वान् हैं। और वे शृंगेरी मठ की ओर से आके द्वारिका की ओर को जाते और उनका नाम परमानन्द सरस्वती था। उनसे उस वेदान्ती के द्वारा कहलाया कि आपसे यह ब्रह्मचारी विद्या पढ़ा चाहते हैं और किसी प्रकार का अवगुण इनमें नहीं, यह मैं ठीक जानता हूँ। इनको आप संन्यास दे दीजिये संन्यास लेने का इनका प्रयोजन यही है कि निर्विघ्न विद्या का अभ्यास कर सकें। तब उन्होंने कहा कि किसी गुजराती स्वामी से कहो क्योंकि हम तो महाराष्ट्र हैं। तब उनसे कहा कि दक्षिणी स्वामी गौडों को भी संन्यास देते हैं, तो यह ब्रह्मचारी तो द्रविड है, इसमें क्या चिन्ता है? तब उन्होंने मान लिया और उसी ठिकाने तीसरे दिन संन्यास की दीक्षा तथा दण्ड ग्रहण कराया और दयानन्द सरस्वती नाम रक्खा। परन्तु दण्ड का विसर्जन भी मैंने उन्हीं स्वामी जी के सामने कर दिया। क्योंकि दण्ड की बहुत क्रिया है कि जिससे पढ़ने में विघ्न हो सकता था। फिर वे द्वारिका की ओर चले गये। मैं कुछ दिन चाणोद-कन्याली में रह कर व्यासाश्रम में एक योगानन्द स्वामी को सुना कि वे योगाभ्यास में अच्छे हैं। उनके पास जाके योगाभ्यास की क्रिया सीख के, एक कृष्ण शास्त्री छिनौर शहर के बाहर रहते थे, उनको सुनके व्याकरण पढ़ने के लिये उनके पास गया और कुछ व्याकरण का अभ्यास करके फिर चाणोदकन्याली में आकर ठहर रहा। वहां दो

योगी मिले कि जिनका नाम ज्वालानन्द पुरी और शिवानन्द गिरी था। उन से योगाभ्यास की बातें हुईं। और उन्होंने कहा कि तुम अहमदाबाद में आओ, वहां हम नदी ऊपर दूधेश्वर महादेव में ठहरेंगे, वहां आओगे तो तुम को योगाभ्यास की रीति सिखलावेंगे। वहां से वे अहमदाबाद को चले गये। फिर एक महीने के पीछे मैं भी अहमदाबाद में आके उनसे मिला और योगाभ्यास की रीति सीख के आबूराज पर्वत में योगियों को सुन के वहां जाके अर्वदा भवानी आदि स्थानों में भवानीगिरी आदि योगियों से मिलके कुछ और योगाभ्यास की रीति सीख के संवत् १६११ के साल के अन्त में हरद्वार के कुम्भ मेले में आके बहुत साधु संन्यासियों से मिला और जब तक मेला रहा तब तक चण्डी के पहाड़ के जंगल में योगाभ्यास करता रहा। जब मेला हो चुका तब हृषीकेश में जाके संन्यासियों और योगियों से योग की रीति सीखता और सत्संग करता रहा।

तत्पश्चात् कुछ दिनों तक अकेला हृषीकेश में रहा। इस अन्तर में एक ब्रह्मचारी और दो पहाड़ी साधु मुझ से आ मिले। पुनः हम सब के सब टिहरी स्थान को चले गये। यह स्थान विद्यावृद्धि के कारण साधुओं और राजपण्डितों से पूर्ण और प्रसिद्ध था। उन पण्डितों में से एकदिन एक पण्डित ने अपने यहां मेरा निमन्त्रण किया और निश्चित समय पर एक पुरुष भी बुलाने को भेजा। उनके साथ मैं और ब्रह्मचारी दोनों उसके स्थान पर पहुंचे। परन्तु मुझ को वहां एक पण्डित को मांस काटते और बनाते देख अत्यन्त घृणा आई। आगे जाकर बहुत से पण्डितों को मांस और अस्थियों के ढेर और जानवरों के भुने हुए सिरों पर काम करते देखा। इतने में ही गृह–स्वामी ने प्रसन्नता पूर्वक हम से कहा, कि भीतर चले आइये। मैंने कहा कि आप अपना काम करे जाइये। मेरे लिये कुछ कष्ट न कीजिये। यह कह झट वहां से निकल उलटे पांव अपने स्थान का मार्ग लिया। कुछ काल पीछे

वही मांस-भक्षी पण्डित मेरे पास आया, और मुझ से निमन्त्रण में चलने को कहा। और साथ ही यह भी कहा कि यह मांसादि उत्तम भोजन केवल आप ही के लिये बनाये गये हैं। मैंने उससे स्पष्ट कह दिया कि यह सब वृथा और निष्फल हैं क्योंकि आप मांस-भक्षी हैं। मेरे योग्य तो केवल फल आदि हैं। मांस खाना तो दूर रहा, मुझे तो उसके देखने से ही रोग हो जाता है। यदि आपको मेरा न्यौता करना ही है, तो कुछ अन्न और फलादि वस्तु भिजवा दीजिये। मेरा ब्रह्मचारी यहां पर भोजन बना लेगा। इन सब बातों को उक्त पण्डित स्वीकृत कर और लज्जित हो अपने घर लौट गया।

तत्पश्चात् मैं कुछ दिन तक स्थान टिहरी में रहा और उन्हीं पण्डित जी से कुछ पुस्तकों और ग्रन्थों का वृत्तान्त जिन्हें मैं देखना चाहता था, पूछा किया और पता लगाता रहा कि यह ग्रन्थ इस नगर में कहां से मिल सकते हैं। यह सुन पण्डित जी ने संस्कृत व्याकरण कोष जो बड़े २ कवियों के बनाए हुए, ज्योतिष और तंत्रादि पुस्तकों का नाम लिया। इन में से तंत्र की पुस्तकें मेरी देखी हुई नहीं थीं। इसलिये उनसे मांगी। तब उन्होंने छोटे बड़े ग्रन्थ मुझ को दिये, मैंने देखे तो बहुत भ्रष्टाचार की बातें उनमें देखी कि माता, कन्या, भगिनी, चमारी, चांडाली आदि से संगम करना, नग्न करके पूजना, मद्य, मांस, मच्छी मुद्रा अर्थात् ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्य्यन्त एकत्र भोजन करना और उक्त स्त्रियों से मैथुन करना, इन पांच मकारों से मुक्ति का होना, आदि लेख उनमें देख के चित्त को खेद हुआ कि जिन्हों ने ग्रन्थ बनाये हैं वे कैसे नष्ट-बुद्धि थे।

तदनन्तर मैं वहां से श्रीनगर को चल पड़ा। यहां मैंने केदार-घाट पर एक मन्दिर में निवास किया। यहां के पण्डितों से जब कभी वार्तालाप करते समय वादानुवाद होता, तो उनको उन्हीं तंत्रों से हरा

देता था। यहां पर एक गङ्गागिरि नामक साधु से जो कभी दिन के समय अपने पहाड़ से, जो एक जंगल में था नहीं उतरता था भेंट हुई, और विदित हो गया कि यह एक अच्छा विद्वान् है। थोड़े दिन पश्चात् मेरी उसकी मैत्री भी हो गई। सारांश यह है कि जब तक मेरा उसका साथ रहा, योग-विद्या और अन्य उत्तम २ विषयों पर परस्पर बात चीत होती रही. और प्रति दिन के तर्क वितर्कों से यह बात सिद्ध हो गई कि हम दोनों साथ रहने योग्य हैं। मुझे तो उसकी संगति ऐसी अच्छी लगी, कि दो मास से अधिक उसके साथ रहा।

उसके पश्चात् ग्रीष्म ऋतु के आरम्भ में अपने साथियों अर्थात् ब्रह्मचारी और दो पहाड़ी साधुओं सहित केदारघाट से दूसरे स्थानों को चला। और रुद्रप्रयाग आदि स्थानों में होता हुआ अगस्त्य मुनि की समाधि पर पहुँचा। आगे चलकर उत्तर की ओर एक पहाड़ पर जो कि शिवपुरी नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहां शरद् ऋतु के चार मास व्यतीत किये। पुनः ब्रह्मचारी और दोनों साधुओं से पृथक् होकर एकाकी बिना खटके मैं केदारघाट को लौट गया। फिर गुप्तकाशी में पहुँचा। यहां बहुत कम ठहरा, अर्थात् गौरीकुण्ड और भीमगुफा होता हुआ त्रियुगी नारायण के मन्दिर पर पहुंचा। परन्तु थोड़े ही दिनों में केदारघाट को, जहां का निवास मुझे अति प्रिय था, लौट आया और वहां निवास किया और कतिपय ब्राह्मण पुजारियों और केदारघाट के मन्दिर के पण्डों के साथ (जो जङ्गम जाति के थे) रहा किया। जब तक मेरे पहले साथी अर्थात् ब्रह्मचारी और दोनों साधु भी यहां आगये। वहां के पण्डितों और ब्राह्मणों की करतूतों को मैं सदा दत्तचित्त हो देखता और स्मरणार्थ उनकी स्मरण करने योग्य बातों को ध्यान करता था। जब मेरा उन वृत्तान्तों से यथोचित परिचय हो गया, तो मेरे मन में निकटवर्त्ती पर्वतों के भ्रमण की इच्छा हुई जो सदा हिमाच्छादित रहते हैं। यह सोचा कि देखूं और उन महात्माओं के दर्शन करूं

जिनका समाचार सुनता चला आता था किन्तु कभी भेंट नहीं हुई। अतः मैंने यह सुदृढ़ निश्चय कर लिया कि कुछ ही क्यों न हो इस बात का अवश्य अनुसन्धान करना चाहिये कि वे महात्मा लोग जैसा कि प्रसिद्ध है, वहां रहते हैं या नहीं। परन्तु पर्वतीय यात्रा की भयानक कठिनाइयों और शरद् ऋतु की अतिमात्रा से प्रथम मुझ को पहाड़ी लोगों से पता करना पड़ा कि वे उन महात्मा पुरुषों के वृत्तान्त से कुछ परिचित हैं या नहीं। परन्तु दैवयोग कि जहां पूछा वहीं या तो केवल अनभिज्ञता या मिथ्या विश्वास से पूर्ण गप्प हांक दी। फलतः २० दिन तक वृथा पर्यटन और निरुत्साहित फिर कर जिस प्रकार कि एकाकी गया था, वैसे ही लौटा, क्योंकि मेरे साथी तो दो तीन दिन पहले अतिशीत के भय से मुझे अकेला छोड़ कर चले गये थे।

तत्पश्चात् मैं तुङ्गनाथ की चोटी पर चढ़ा। वहां पर एक मन्दिर पुजारियों और मूर्त्तियों से भरा पाया। मैं उसी दिन वहां से उतर आया, जहां पर मुझे दो मार्ग मिले। जिनमें एक पश्चिम की ओर दूसरा नैर्ऋत्य को जाता था। तब मैं उस मार्ग को जो जङ्गल की ओर था, झुक पड़ा। कुछ दूर तक चल कर मेरा गमन एक ऐसे घने वन में हुआ, जहां के शैल खण्ड बण्ड और नाले भी शुष्क और वहां से आगे को मार्ग भी न चलता था। मैं इस प्रकार घिर गया तो मन में सोचने लगा कि अब नीचे उतरना चाहिये या और ऊपर चढ़ना चाहिये। पर चोटी की उच्चता और मार्ग की कठिनताके विचार से मैंने सोचा कि पर्वत की चोटी पर चढ़ना असम्भव है। अतः यथा तथा शुष्क घास और सूखी झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर मैं नाले के ऊँचे तट पर पहुंचा। और एक शैल पर खड़े होकर जो चारों ओर दृष्टि की तो मुझको अगम्य पहाड़ियों, टीलों और जङ्गल के अतिरिक्त जिसमें मनुष्य का गमन असम्भव था, अन्य कुछ दिखाई न पड़ा। क्योंकि उस समय सूर्य्य भी अस्त होने वाला था, मुझको चिन्ता हुई कि इस

सुनसान निर्जन वन में बिना पानी, और ऐसे पदार्थ के जो जल सके मेरी क्या दशा होगी ? फलतः मुझे उस विकट जङ्गल में ऐसे ऐसे स्थानों में घूमना पड़ा कि जहाँ के बड़े बड़े काँटों में उलझ कर वस्त्रों की धज्जियाँ उड़ गईं और शरीर भी क्षत होगया, और पाँव भी लँगड़े होगये। अन्त को बड़ी कठिनता, दुःख और संकट के साथ उस मार्ग को पूरा करके पर्वत के नीचे पहुंचा। और अपने आप को साधारण पथ पर पाया। उस समय रात्रि का अन्धकार सब ओर छा रहा था। मुझे इस कारण अनुमान से मार्ग अन्वेषण करना पड़ा, परन्तु मैंने प्रसिद्ध मार्ग से पृथक् न होने का बहुत ही ध्यान रखा। अन्त को ऐसे स्थान पर पहुँचा जहां कतिपय पर्णकुटियाँ दिखाई पड़ीं। वहाँ के मनुष्यों से ज्ञात हुआ कि यह मार्ग ऊखी—मठ को जाता है। यह सुन कर मैं उस ओर चल पड़ा। रात ऊखी-मठ में व्यतीत की। प्रातः जब मैं भले प्रकार आराम कर चुका था; वहाँ से गुप्तकाशी को लौटा अर्थात् जिस स्थान से मैं उत्तर की ओर चला था। परन्तु इस यात्रा की अभिलाषा मुझे पुनः ऊखीमठ को ले गई, ताकि वहाँ की कन्दराओं के रहने वालों के वृत्त जानूं। सो वहाँ पहुँच कर मुझे ऊखीमठ के देखने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। जो कि आडम्बरयुक्त और पाखण्डी साधुओं से भरा हुआ था। यहाँ के बड़े महन्त ने मुझे अपना चेला करने का मनोगत किया। उसने इस बात की दृढ़ता के लिए भी मुझे प्रलोभन दिखाया, कि हमारी गद्दी के तुम स्वामी होगे। और लाखों रुपये की पूँजी तुम्हारे पास होगी। मैंने उनको निस्पृह यह उत्तर दिया कि यदि मुझे धन की लालसा होती तो मैं अपने पिता की सम्पत्ति को, जो तुम्हारे इस स्थल, धन धान्य से कहीं बढ़ कर थी, न छोड़ता। किन्तु मैंने यह भी कहा कि जिस उद्देश्य के लिये मैंने घर छोड़ा और सांसारिक ऐश्वर्य्य से मुख मोड़ा, न तो मैं उसके लिये तुम्हें यत्न करते देखता हूँ, और न तुम्हें उसका ज्ञान ही प्रतीत होता है। पुनः तुम्हारे

पास मेरा रहना कैसे सम्भव हो सकता है ? यह सुनकर महन्त ने पूछा कि वह कौनसा उद्देश्य है जिसकी तुम्हें जिज्ञासा है, और तुम इतना परिश्रम उठा रहे हो। मैंने उत्तर दिया कि मैं सत्य योगविद्या और मोक्ष चाहता हूँ और जब तक यह अर्थ सिद्ध न होगा तब तक बराबर अपने देश वालों का उपकार जो मनुष्य पर कर्त्तव्य है करता रहूँगा। यह सुनकर महन्त ने कहा "यह बहुत अच्छी बात है, कुछ दिन और तुम हमारे पास ठहरो।" परन्तु मैंने उसकी बात का कुछ भी उत्तर न दिया, क्योंकि मैं जान गया कि यहां कुछ पूर्ति न होगी। सो दूसरे दिन प्रातःकाल उठा और वहां से जोशीमठ को चल दिया।

वहां कुछ दिनों दक्षिणी महाराष्ट्रों और संन्यासियों के साथ जो संन्यासाश्रम की चतुर्थ श्रेणी के सच्चे साधु थे, रहा, और बहुत से योगियों और विद्वान् महन्तों और साधुओं से भेंट हुई और उन से वार्त्तालाप में मुझ को योगविद्या सम्बन्धी और बहुत नई बातें ज्ञात हुईं।*

उनसे पृथक् होकर पुनः मैं बद्रीनारायण को गया। विद्वान् "रावलजी" उस समय उस मन्दिर का मुख्य महन्त था और मैं उसके साथ कई दिन तक रहा। हम दोनों का परस्पर वेदों और दर्शनों पर बहुत वाद विवाद रहा। जब उनसे मैंने पूछा कि इस परिस्थिति में कोई विद्वान् और सच्चा योगी भी है या नहीं तो उसने यह जताने में बड़ा शोक प्रकट किया कि इस समय इस परिस्थिति में कोई ऐसा योगी नहीं है। उसने बताथा कि मैंने सुना है, कि प्रायः ऐसे योगी इसी मन्दिर

---

*'थियोसिफिस्ट' से जो लेख हमने इस पुस्तक में उद्धृत किया है वह यहीं तक है। इसके आगे पं० भगवद्दत्त संपादित ऋषि दयानन्द स्वरचित जन्मचरित्र में से उद्धृत है।

—लेखक

के देखने के लिये आया करते हैं। उस समय मैंने यह दृढ़ संकल्प कर लिया, कि समस्त देश में और विशेषत: पर्वती स्थलों में अवश्य ऐसे पुरुषों का अन्वेषण करूँगा। एक दिन सूर्य्योदय के होते ही मैं अपनी यात्रा पर चल पड़ा और पर्वत की उपत्यका में होता हुआ अलखनन्दा नदी के तट पर जा पहुँचा। मेरे मन में उस नदी के पार करने की किंचित इच्छा न थी। क्योंकि मैंने उस नदी के दूसरी ओर एक बड़ा ग्राम 'मांस' नामक देखा, अत: अभी उस पर्वत की उपत्यका में ही अपनी गति रख कर नदी के वेग के साथ २ मैं जंगल की ओर हो लिया। पर्वत, मार्ग और टीले आदि सब हिम के वस्त्र पहने हुए थे और बहुत घनी हिम उनके ऊपर थी। अत: अलखनन्दा नदी के स्रोत तक पहुँचने में मुझको अत्यन्त कष्ट उठाने पड़े। परन्तु जब मैं वहां गया तो अपने आपको सर्वथा अपरिचित और अजान जाना। और अपने चारों ओर ऊंची २ पहाड़ियां देखीं तो मुझे आगे जाने का मार्ग बंद दिखाई दिया। कुछ ही काल पश्चात् पथ सर्वथा लुप्त हो गया, और उस मार्ग का मुझ को कोई पता न मिला। उस समय मैं सोच वा चिन्ता में था कि क्या करना चाहिये ? अन्ततः अपना मार्ग अन्वेषण करने के अर्थ मैंने नदी को पार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। मेरे पहने हुए वस्त्र बहुत हलके और थोड़े थे और शीत अत्यधिक था। कुछ ही काल पश्चात् शीत ऐसा अधिक हुआ कि उसका सहन करना असम्भव था। क्षुधा और पिपासा ने जब मुझे अत्यन्त बाधित किया तो मैंने एक हिम का टुकड़ा खाकर उसको बुझाने का बिचार किया, परन्तु उससे किंश्चित् आराम वा सन्तुष्टि प्रतीत न हुई। पुन: मैं नदी में उतर उसे पार करने लगा।

कतिपय स्थानों पर नदी बहुत गंभीर थी और कहीं पानी बहुत कम था। परन्तु एक हाथ या आध गज से कम गहरा कहीं न था। किन्तु विस्तार अर्थात् पाट में दस हाथ तक था अर्थात् कहीं से चार

गज और कहीं से पांच गज। नदी हिम के छोटे और तिरछे टुकड़ों से भरी हुई थी। उन्होंने मेरे पांव को अति घाव-युक्त कर दिया सो मेरे नग्न पांव से रक्त बहने लगा। मेरे पांव शीत के कारण नितान्त सन्न हो गए थे। जिस कारण मैं बड़े बड़े घावों से भी कुछ काल तक अचेत रहा। इस स्थान पर अति शीत के कारण मुझ पर अचेतनता सी छाने लगी। यहां तक कि मैं अचेतन अवस्था में होकर हिम पर गिरने को था जब मुझे विदित हुआ कि यदि मैं यहां पर इसी प्रकार गिर गया तो पुनः यहां से उठना मेरे लिए अत्यन्त असम्भव और कठिन होगा। एवं दौड़ धूप करके जैसे हुआ मैं प्रबल प्रयत्न करके वहां से कुशल मंगलपूर्वक निकला और नदी के दूसरी ओर जा पहुँचा। वहां जा कर यद्यपि कुछ काल तक मेरी अवस्था ऐसी रही जो जीवित की अपेक्षा मृत-वत् थी तथापि मैंने अपने शरीर के उपरिभाग को सर्वथा नंगा कर लिया और अपने समस्त वस्त्रों से जो मैंने पहने हुए थे जानु वा पांव तक जंघा को लपेट लिया। और वहां पर मैं सर्वथा शक्तिहीन और घबराया हुआ, आगे को हिल सकने और चल सकने में अशक्त खड़ा हो गया। इस प्रकार प्रतीक्षा में था कि कोई सहायता मिले जिससे मैं आगे को चलूं। परन्तु इस बात की कोई आशा न थी कि वह आवेगी कहां से ? सहायता की आशा में था परन्तु सर्वथा विवश था और जानता था कि कोई सहायता का स्थान दिखाई नहीं देता। अन्त को पुनः एक बार मैंने अपने चारों ओर दृष्टि की और अपने सम्मुख दो पहाड़ी पुरुषों को आते हुए देखा जो मेरे समीप आए और अपने काश-सम्भ से (?) मुझको प्रणाम करके उन्होंने अपने साथ घर जाने के लिये मुझे बुलाया। और कहा "आओ हम तुमको वहां खाने को भी देवेंगे।" जब उन्होंने मेरे क्लेशों को सुना और मेरे वृत्त को श्रवण किया तो कहने लगे "हम तुम को सिद्धपत पर भी (जो एक तीर्थ स्थान है) पहुँचा देवेंगे।" परन्तु उनका मुझको यह सब कहना

अच्छा प्रतीत न हुआ। मैंने स्वीकार किया और कहा "महाराज शोक! मैं आपकी यह सब कृपा स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मुझमें चलने की किंचित् शक्ति नहीं है।" यद्यपि उन्होंने मुझको बहुत आग्रह पूर्वक बुलाया और आने के लिए अत्यधिक अनुरोध किया, तथापि मैं वहीं अपने पांव जमाये खड़ा रहा और उनकी आज्ञा वा इच्छानुकूल मैं उनके पीछे चलने का साहस न कर सका। मैंने उनसे कह दिया कि यहां से हिलने का प्रयत्न करने की अपेक्षा मैं मर जाना उत्तम समझता हूँ। ऐसा कह कर मैंने उनकी बातों की ओर ध्यान करना बन्द कर दिया अर्थात् पुनः उन्हें न सुना। उस समय मेरे मन में विचार आता था कि उत्तम होता यदि मैं लौट जाता और अपने पाठ को स्थिर रखता। इतने में वह दोनों सज्जन वहाँ से चले गये और कुछ ही काल में पर्वतों में लुप्त हो गए। वहां जब मुझे शान्ति प्राप्त हुई तो मैं भी आगे को चला और कुछ काल वसुधारा (प्रसिद्ध तीर्थ व यात्रा स्थान) पर विश्राम कर के संग्रम के निकटवर्त्ती प्रदेश से होता हुआ उसी सांय लगभग आठ बजे बद्रीनारायण जा पहुँचा। मुझे देख रावल जी और उनके साथी जो घबराए हुए थे, विस्मय-प्रकाश-पूर्वक पूछने लगे "आज सारा दिन तुम कहां रहे ?" तब मैंने सब वृत्तान्त क्रमबद्ध सुनाया। उस रात्रि कुछ आहार करके जिससे मेरी शक्ति लौटती हुई जान पड़ी, मैं सोगया। दूसरे दिन प्रातः शीघ्र ही उठा और रावल जी से आगे जाने की आज्ञा मांगी और अपनी यात्रा से लौटता हुआ राम-पुर की ओर चल पड़ा। उस सायं चलता चलता एक योगी के घर पहुंचा। वह बड़ा तपस्वी था। रात्रि उसी के घर काटी। वह पुरुष जीवित ऋषि और साधुओं में उच्चकोटि के ऋषि होने का गौरव रखता था। धार्मिक विषयों पर बहुत काल तक उसका मेरा वार्त्तालाप हुआ। अपने संकल्पों को पहले से अधिक दृढ़ करके मैं आगामी दिन प्रातः उठते ही आगे को चल दिया। कई वनों और पर्वतों से होता हुआ

चिलका घाटी से उतर कर मैं अन्ततः रामपुर पहुँच गया। वहां पहुंच कर मैंने प्रसिद्ध रामगिरि के स्थान पर निवास किया। यह पुरुष पवित्राचार और आध्यात्मिक जीवन के कारण अति प्रसिद्ध था। मैंने उसको विचित्र प्रकृति का पुरुष पाया अर्थात् वह सोता नहीं था, वरन् सारी २ रातें उच्च स्वर से बातें करने में व्यतीत करता। वह बातें प्रकट में अपने साथ करता हुआ ही प्रतीत होता था। प्रायः हमने उच्च स्वर से चीख मारते हुए उसे सुना। पुनः कई बार रोते हुए और चीख मारते हुए सुना। पर वस्तुतः जब उठ कर देखा तो उस के कमरे में उसके अतिरिक्त और कोई पुरुष दिखाई न दिया। मैं ऐसी वार्त्ता से अत्यन्त विस्मित हुआ। जब मैंने उसके चेलों और शिष्यों से पूछा तो उन विचारों ने केवल यही उत्तर दिया कि "ऐसी इस की प्रकृति ही है।" पर मुझे यह कोई न बता सका कि इस का क्या रहस्य है। अन्त को स्वयं जब मैंने उस साधु से कई वार एकान्त में चर्चा की तो मुझे ज्ञात हो गया कि वह क्या बात थी। इस प्रकार मैं इस निश्चय करने के योग्य हो गया कि अभी वह जो कुछ करता है वह पूरी पूरी योगविद्या का फल नहीं प्रत्युत पूरी में अभी उसे न्यूनता है। और यह वह वस्तु नहीं कि जिस की मुझे जिज्ञासा है यह पूरा योगी नहीं यद्यपि योग में कुछ गति रखता है।

उससे चल कर मैं काशीपुर गया। वहां से द्रोणसागर जा पहुंचा वहीं मैंने सारा शरद् ऋतु काटा। हिमालय पर्वत पर पहुँच कर देह त्याग करना चाहिये, ऐसी इच्छा हुई। परन्तु मन में यह विचार आ गया कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् देह छोड़ना चाहिए। अतः वहां से मुरादाबाद होता हुआ सम्भल आ पहुँचा। वहां से गढ़मुक्तेश्वर होते हुए पुनः मैं गङ्गातट पर आ निकला। उस समय अन्य धार्मिक पुस्तकों के अतिरिक्त मेरे पास निम्न—लिखित पुस्तकें भी थीं। शिवसंध्या, हठप्रदीपिका, योगबीज, केशराणि संगीत। प्रायः मैं इन्हीं पुस्तकों को

यात्रा में पढ़ा करता था। उन में से कई पुस्तकों का विषय नाड़ीचक्र आदि था। पर उन में इस विषय का ऐसा लम्बा चौड़ा विवरण था कि पुरुष पढ़ता २ थक जाता। मैं उन्हें कभी भी पूर्णतया अपनी बुद्धि में न ला सका और न ही समझ कर स्मरण कर सका। अतः मुझे विचार हुआ कि न जाने ये सत्य भी हैं वा नहीं। ऐसा सन्देह होता ही गया। यद्यपि मैं अपने संशय के मिटाने का यत्न करता रहा। परन्तु वह संशय दूर न हुए और नहीं उनके दूर करने का कोई अवसर प्राप्त हुआ। एक दिन दैवसंयोग से एक शव मुझे नदी में बहता हुआ मिला। तब समुचित अवसर प्राप्त हुआ कि मैं उसकी परीक्षा करता। और अपने मन में उन पुस्तकों के सम्बन्ध में जो विचार उत्पन्न हो चुके थे उनका निर्णय करता। सो उन पुस्तकों को जो मेरे पास थीं समीप ही एक ओर रख, वस्त्रों को ऊपर उठा मैं नदी के भीतर गया और शीघ्र वहां जा शव को पकड़ तट पर आया। मैंने तीक्ष्ण चाकू से जैसा हो सका उसे यथायोग्य काटना प्रारम्भ किया और हृदय को उसमें से निकाल लिया और ध्यानपूर्वक देख परीक्षा की। अब पुस्तकोल्लिखित वर्णन की उस से तुलना करने लगा। ऐसे ही शिर और ग्रीवा के अङ्गों को काट कर सामने रखा यह निश्चित कर के कि दोनों अर्थात् पुस्तक और शव लेश मात्र भी परस्पर नहीं मिलते, मैंने पुस्तकों को फाड़ कर उनके टुकड़े कर डाले और शव को फेंक साथ ही पुस्तकों के टुकड़ों को भी नदी में फेंक दिया उसी समय से शनैः २ मैं यह परिणाम निकालता गया कि वेदों, उपनिषदों, पातञ्जल और सांख्य-शास्त्र के अतिरिक्त अन्य समस्त पुस्तकें जो विज्ञान और योग-विद्या पर लिखी गईं, मिथ्या और अशुद्ध हैं।

ऐसे ही कुछ दिन और गङ्गा तीर पर विचरते हुए फर्रुखाबाद पहुँचा। और शृंगीरामपुर से होकर छावनी की पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर जाने वाला था, जब सम्वत् १९१२ विक्रम समाप्त हुआ।

अगले पांच मास में कानपुर वा प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। भाद्रपद के प्रारम्भ में मिर्जापुर पहुँचा। वहां एक मास से अधिक विन्ध्याचल अशोलजी के मन्दिर में निवास किया। असूज के आरम्भ में काशी पहुंचा। वहां जाकर मैं उस गुफा में ठहरा जो वरुणा और गंगा के संगम पर है। और जो उस समय भवानन्द सरस्वती के अधिकार में थी। वहां पर कई शास्त्रियों अर्थात् काकाराम, राजाराम आदि से मेरा परिचय हुआ। परन्तु वहां केवल १२ ही दिन रहा।

तत्पश्चात् जिस वस्तु की खोज में था उस के अर्थ आगे को चल दिया। और असूज शुदि २,१९१३ को दुर्गाकुण्ड के मन्दिर पर जो चण्डाल गढ़ में है पहुँचा। वहाँ दस दिन व्यतीत किये। यहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिये और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग-विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दौर्भाग्यवश वहाँ मुझे एक बड़ा दोष लग गया अर्थात् भाँग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। एक दिन मन्दिर से निकल कर चण्डालगढ के निकटस्थ जो एक ग्राम को आता था तो एक पुराना साथी मिला। ग्राम के दूसरी ओर कुछ ही दूर एक शिवालय था। वहाँ जाकर मैंने रात काटी। रात्रि के समय भांग से उत्पन्न हुई मादकता के कारण जब मैं अचेत सोता था तो मैंने एक स्वप्न देखा। वह ऐसे था। मुझे विचार हुआ कि मैंने महादेव और उनकी स्त्री पार्वती को देखा। वे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे और उनकी बातों का पात्र मैं था अर्थात् मेरे ही सम्बन्ध में वे कह रहे थे। पार्वती महादेव जी से कहती थीं "उत्तम हो यदि दयानन्द सरस्वती का विवाह हो जावे" परन्तु देवता इससे भेद प्रकट कर रहे थे और उनका संकेत भाँग की ओर था। मैं जागा और स्वप्न पर विचार करने लगा। तब मुझे बड़ा दुःख और क्लेश हुआ। उस समय धारासार वर्षा हो

रही थी। मैंने उस बराम्दे में जो मन्दिर के मुख द्वार के सम्मुख था विश्राम किया। वहाँ नन्दी वृष-देवता की एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। अपने वस्त्र और पुस्तकादि उसकी पृष्ठ पर रख कर मैं उसके पीछे बैठ गया और निज विचार में निमग्न हुआ। सहसा नन्दी मूर्ति के भीतर दृष्टिपात करने पर मुझे विदित हुआ कि एक मनुष्य उसमें छिपा हुआ है। मैंने अपना हाथ उसकी ओर फैलाया। इससे वह अति भयभीत हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि उसने तत्काल छलाँग मारी और छलाँग मारते ही वेग से ग्राम की ओर भागा। तब उसके जाने पर मैं उस ही मूर्ति के भीतर बैठ गया और अवशिष्ट रात्रि भर वहीं सोता रहा। प्रातः काल एक वृद्धा वहाँ आई। उसने वृष देवता की पूजा की, जिस अवस्था में कि मैं भी उसके अन्दर ही बैठा हुआ था। कुछ देर पीछे वह गुड़ और दही लेकर लौटी। मेरी पूजा करके और भ्रान्ति मुझे ही देवता समझ कर उसने कहा "आप इसे ग्रहण कीजिये और इसमें से कुछ खाइये।" मैंने क्षुधार्त्त होने के कारण वह सब खा लिया। दही क्योंकि बहुत खट्टा था, अतः भाँग की मादकता को दूर करने में एक अच्छा निदान हो गया। उससे मादकता जाती रही और मुझे बहुत आराम प्रतीत हुआ।

चैत्र १९१४–वहाँ से आगे चला और वह मार्ग पकड़ा कि जिस ओर पर्वत थे और जहाँ से नर्मदा निकली है। अर्थात् नर्मदा के स्रोत की ओर यात्रा आरम्भ की। मैंने कभी एक बार भी किसी से मार्ग नहीं पूछा प्रत्युत दक्षिण की ओर यात्रा करता हुआ चला गया। शीघ्र ही मैं एक ऐसे उजाड़, निर्जन स्थान में पहुंच गया, जहाँ चारों ओर बहुत घने वन और जङ्गल थे। वहाँ जङ्गल में अनियमित दूरी पर बिना क्रम झाड़ियों के मध्य में कई स्थानों पर मलिन और उजाड़ झोपड़ियाँ थीं। कहीं २ पृथक् २ ठीक झोपड़ियाँ भी दृष्टिगोचर होती थीं। उन झोपड़ियों में से एक पर मैंने किञ्चित् दुग्ध पान किया और पुनः आगे

की ओर चल दिया। परन्तु इसके आगे लगभग पौन कोस चल कर मैं पुनः एक ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ कोई प्रसिद्ध मार्ग आदि दिखाई न देता था। अब मेरे लिये यही उचित प्रतीत होता था कि उन छोटे २ मार्गों में से (जिन्हें मैं न जानता था कि कहाँ जाते हैं) कोई एक चुनूँ और उस ओर चल दूँ। सुतराँ मैं शीघ्र ही एक निर्जन बन में प्रविष्ट हुआ। उस जङ्गल में बेरियों के बहुत वृक्ष थे। परन्तु घास इतनी घनी और लम्बी थी कि मार्ग सर्वथा दृष्टिगोचर न होता था। वहाँ मेरा सामना एक बड़े काले रीछ से हुआ। वह पशु बड़े वेग और उच्च स्वर से चींखा। चिघाड़ कर अपनी पिछली टाँगों पर खड़ा हो मुझे खाने के निमित्त उसने अपना मुख खोला। कुछ काल तक मैं निष्क्रिय स्तब्धवत् खड़ा रहा। पश्चात् शनैः २ मैंने अपने सोटे को उस की ओर उठाया। उससे भयभीत हो वह उलटे पाँव लौट गया। उसकी चिंघाड़ वा गर्ज ऐसी बलपूर्ण थी कि ग्राम वाले जो मुझे अभी मिले थे, दूर से उसका शब्द सुनकर लट्ठ ले शिकारी कुत्तों सहित मेरी रक्षार्थ वहाँ आए। उन्होंने मुझे समझाने का परिश्रम किया कि मैं उनके साथ चलूं। वे बोले "इस जंगल में यदि तुम कुछ भी आगे बढ़ोगे तो तुम्हें संकटों का सामना करना पड़ेगा। पर्वत वा बन में बहुत से भयानक, क्रूर और हिंसक जंगली पशु अर्थात् रीछ, हाथी, शेर आदि तुमको मिलेंगे। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे कुशल मंगल का कुछ भय न करें क्योंकि मैं कुशल, मंगल और रक्षित हूँ। मेरे मन में तो यही सोच थी कि किसी प्रकार नर्मदा का स्रोत देखूँ अतः समस्त भय और कष्ट मुझे अपने संकल्प से न रोक सकते थे। जब उन्होंने देखा कि उन की भयानक बातें मेरे लिए कोई भय उत्पन्न नहीं करतीं और मैं अपने संकल्प में पक्का हूँ तो उन्होंने मुझे एक दण्ड दिया जो मेरे सोटे से बड़ा था और जिससे मैं अपनी रक्षा करूँ। परन्तु मैंने उस दण्ड को तुरन्त अपने हाथ से फेंक दिया।

उस दिन जब तक कि संसार में चारों ओर अन्धकार न छागया मैं बराबर यात्रा करता हुआ चला गया। कई घण्टों तक मानव—वस्ती का मुझे कोई चिन्ह न मिला। दूर २ तक कोई ग्राम दिखाई न दिया। कोई झोंपड़ी भी तो दृष्टिगोचर न होती थी और न ही कोई मनुष्य जाति मेरी आंखों के सामने आई। पर वह वस्तुएँ जो प्रायः मेरे मार्ग में आईं, वृक्ष थे। उनमें से अनेक टूटे पड़े थे कि जिनकी जड़ों को मस्त हस्तियों ने तोड़ और उखेड़ कर फेंक दिया था। इससे कुछ दूर आगे मुझे एक विशाल विकट बन दिखाई दिया। उसमें प्रवेश करना कठिन था अर्थात् बेर आदि कांटे वाले वृक्ष इतने घने लगे हुए थे कि उनके भीतर से निकल कर बन में पहुँचना अति दुस्तर प्रत्युत असम्भव प्रतीत होता था। प्रथम तो मुझे उसके भीतर से निकलना असम्भव दिखाई दिया परन्तु पीछे पेट के बल और जानू के सहारे मैं शनैः २ सर्पवत् उन वृक्षों में से निकला और इस प्रकार उस बाधा और कठिनाई पर विजय प्राप्त की। इस दिग्विजय के प्राप्त करने में मुझको अपने वस्त्रों को टुकड़े कर देना पड़ा और कुछ कर मुझको अपने शरीर के मांस का भी भेंट करना पड़ा। मैं इस में से घायल और अधमरा होकर निकला। इस समय सर्वत्र अन्धकार छाया हुआ था। तम के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर न होता था। यद्यपि मार्ग रुका हुआ था और दिखाई न देता था तो भी मैं आगे बढ़ने के विचार को छोड़ न सकता था। मैं इस आशा में था कि कोई मार्ग निकल ही आवेगा। अतएव निरन्तर आगे को चलता गया और बढ़ता रहा। अन्त को मैं एक ऐसे भयानक स्थान में पहुँचा कि जहां चारों ओर उच्च शैल और पर्वत थे कि जिन पर घनी औषधियाँ और वनस्पतियाँ उगी हुईं थीं। पर इतना अवश्य था कि मनुष्यवास के वहां कुछ २ चिन्ह और संकेत पाये जाते थे। अस्तु, शीघ्र ही मुझे कई झोंपड़ियां और कुटियायें दिखाई पड़ीं उनके चारों ओर गोबर के ढेर लगे हुए थे। निकट ही स्वच्छ जल

की एक छोटी सी नदी थी। उसके तीर पर बहुत सी बकरियां चर रही थीं। झोंपड़ियों और टूटे फूटे घरों के द्वारों और छिद्रों में से टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखाई देता था जो जाते हुए पथिक को स्वागत और बधाई के शब्द सुनाता हुआ प्रतीत होता था। मैंने वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे जो एक झोंपड़ी के ऊपर फैला हुआ था, रात्रि व्यतीत की। प्रातः उठकर मैं अपने क्षत पांव, हाथ और दण्ड को नदी जल से धोकर सन्ध्या वा प्रार्थना के लिये बैठने को ही था कि किसी जंगली पशु की गर्ज मेरे कर्णगोचर हुई। वह ध्वनि "टमटम" का उच्च शब्द था। कुछ काल पश्चात् मैंने एक बड़ी सवारी या जनसमूह को जाते हुए देखा। उसमें बहुत से स्त्री पुरुष और बालक थे। उनके पीछे बहुत सी गौऐं बकरियां थीं। वे एक झोंपड़ी या घर से निकले। अनुमान है कि वे किसी धार्मिक त्यौहार की रसमें पूरी करने के लिये जो रात्रि को हुआ, आये थे। जब उन्होंने मेरी ओर देखा और मुझे उस स्थान में एक अनजान पुरुष जाना तो बहुत से मेरे चारों ओर एकत्र हुए। अन्ततः एक वृद्ध पुरुष ने आगे बढ़कर मुझ से पूछा कि तुम कहां से आये हो? मैंने उन सबसे कहा कि मैं काशी से आया हूँ और अब नर्मदा नदी के स्रोत की ओर यात्रा के लिये जा रहा हूँ इतना पूछकर वे अब मुझे अपनी उपासना करने में निमग्न छोड़ कर चले गये। उनके जाने के आध घण्टा पश्चात् उनका एक अध्यक्ष दो पर्वतीय पुरुषों सहित मेरे पास आया और एक दिशा में बैठ गया। वह वस्तुतः उन सब की ओर से प्रतिनिधि बन कर मुझे अपनी झोपड़ियों में बुलाने को आया था। परन्तु पूर्ववत् मैंने अब भी उनका निमन्त्रण अस्वीकार किया क्योंकि वे सब मूर्ति पूजक थे। तब उसने अपने साथ वालों को मेरे समीप अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश किया और दो पुरुषों को स्थापित किया कि रात्रि भर मेरी रक्षा करते हुए जागते रहें। जब उसने मुझसे मेरे भोजन के सम्बन्ध में पूछा और मैंने उसे बताया कि मैं केवल दूध

पीकर निर्वाह किया करता हूँ तो उस दयावान अध्यक्ष वा नेता ने मुझसे मेरा तूम्बा मांगा। उसे लेकर वह अपनी कुटी को गया और वहां से उसे दूध से भर कर मेरे पास भेज दिया। मैंने उस रात्रि उसमें से थोड़ा सा दूध पिया। वह फिर मुझे उन दोनों पहरा देने वालों के ध्यान में छोड़कर लौट गया। उस रात्रि मैं घोर निद्रा में सोया और सूर्योदय तक सोया रहा। तत्पश्चात् अपने सन्ध्या आदि से अवकाश प्राप्त कर के मैं उठा और यात्रा के लिये चला।

ऐसे ही नर्मदा तट पर तीन वर्ष तक फिरता और अनेक महात्माओं से सत्संग करता रहा। फलतः नर्मदा स्रोत से लौटकर मैं विशेष विद्याप्राप्ति के अर्थ मथुरा आया।"

द्वितीय प्रमाण

इस हस्त लिखित प्रमाण के बाद द्वितीय प्रमाण की श्रेणी में हम उन प्रत्यक्षदर्शी महानुभावों के हस्तलिखित व स्वकथित बयानों को उपस्थित करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से ऋषि दयानन्द का प्रत्यक्ष किया था।

(१) इनमें सर्व प्रथम हम मौरवी संस्थान के स्वर्गीय महाराज श्रीमान् सर वाघजी सी. आई. ई., के. सी. एस. का वह बयान, जो कि उन्होंने अपने दीवान श्रीयुत भानजी कानजी की मार्फत पं० देवेन्द्रनाथ मुकर्जी के पास एक पत्र के स्वरूप में प्रेषित किया था—नीचे उद्धृत करते हैं :-

Hill Buildings,
Dewan Office,
Morvi, 13th June 1912

Dear Mr. Mukerji,

In reply to your letter dated 8th instant, I am to say under orders from H. H. the Maharaja, that H. H. had the pleasure to attend a lecture

delivered by late Swami Dayanand Saraswati in 1875 in Rajkot and that After the lecture the Swamiji met H. H. and in the course of conversation told H. H. that he was born in his state and was his subject, when H. H. expressed his great pleasure to him to hear it and said, he felt so proud to have such a jewel born in his state.

On other points H. H. has nothing of information to communicate.

Yours truly,
BHANAJI KANJI

इस पत्र का भावार्थ यह है कि "सन् १८७५ में स्वामी दयानन्द सरस्वती के राजकोट के एक व्याख्यान में एच. एच. महाराजा साहेब श्रोतृस्वरूप में उपस्थित हुए थे। व्याख्यान की समाप्ति पर स्वामी जी राजा साहब से मिले और वार्तालाप के प्रसङ्ग में उन्होंने एच. एच. से कहा कि वे मौरवी रियासत में उत्पन्न हुए थे और उनकी प्रजा हैं। यह सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि—मेरे राज्य में ऐसे अमूल्य रत्न ने जन्म ग्रहण किया है—मुझे इस बात का अभिमान है।"

(२) बड़ौदा रियासत के भूतपूर्व विद्याधिकारी श्री हरगोविन्ददास द्वारकादास कांटावाले, जिनका राजकोट में ऋषि दयानन्द के साथ प्रगट परिचय था, उन्होंने बड़ौदा में श्रीयुत मुकर्जी के साथ वार्तालाप करते हुए कहा था कि—

"मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि मैंने स्वामी जी से उनके जन्मस्थान के बारे में पूछा था और उन्होंने कहा था कि–"मेरा जन्म बांकानेर संस्थान की सीमा के पास एक ग्राम में हुआ था।"

(३) राजकोट की एजेन्सी आफिस के दफ्तरदार अपने पत्र में श्री मुकर्जी को लिखते हैं:–

Rajkot,
8th December 1914.

My Dear Mr. Mukherji,

In reply to your query I beg to state that I and my grand-father had had the pleasure of seeing Swami Dayanand Saraswati at the Wadhwan Civil Station in January 1875 in the Lakhtaruttara. The Swami Shri then said in course of conversation that he was originally a subject of the Morvi State. He said then something about Tankara but I do not remember perfectly now whether he then said that he was a native of Tankara or Morvi I was then a clerk in the office of the Deputy Assistant Political Agent in Jhalwad, and we had had conversation with the Swami for about half an hour at night time. There was then no one else present except the Swami Shri, my grand-father and myself. The Swamiji was then on his way from Rajkot to Ahmedabad.

Yours sincerely,
(Sd.) VITHAL RAI.

इस पत्र का भावार्थ यह है कि–"मुझे जनवरी १८७५ में वढवाण सिविल स्टेशन के लखतर के उतारे में श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब स्वामी जी ने वार्ता प्रसङ्ग में कहा था कि "मैं मौरवी रियासत की प्रजा हूँ।" उस समय उन्होंने टङ्कारा के बारे में भी कुछ कहा था परन्तु मुझे इसका पूर्ण स्मरण नहीं है।

तब उन्होंने मौरवी को अपना जन्मस्थान बताया था या टङ्कारा को इस बात का भी ठीक ठीक स्मरण नहीं है। मैं उस समय झालावाड में

डिप्टी असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेन्ट के कार्यालय में लेखक का कार्य करता था। हमने लगभग आधे घण्टे तक रात्रि के समय स्वामी जी से वार्तालाप किया था। उस समय मेरे और मेरे दादा के अतिरिक्त स्वामी जी के पास कोई उपस्थित नहीं था। उस समय स्वामीजी राजकोट से अहमदाबाद जाते हुए इस स्थान पर ठहरे थे।"

(४) राजकोट निवासी राजमान्य श्री प्राणलाल विश्वनाथ शुक्ल अपने एक पत्र में श्री देवेन्द्रनाथ जी मुकर्जी को लिखते हैं किः—

Rajkot, 14th December 1914.

Babu Devendranath Mukerji.

Dear Sir,

In answer to your questions regarding the birth place and the parentage of Swami Dayanand Saraswati I have been able to furnish you with the following information, which I gathered from Vallamji a Brahmin relative of Swamiji at Tankara.

I visited Tankara in the February of 1914 and I have been led to as certain that the birth place of Swami is Tankara. And I found the exact place where the early life of Swamiji was spent. His name was Mulshanker and also Dayaram because it is a custom of the people of his province to give one more pet name to a son or a daughter. Swami Dayanand's father's name was Kersonji and he was an Audichya Brahmin of Samved. It is said that he belonged to Gautam Gotra. There was no heir in the family of Swamiji and so the house and landed property (the field for cultivating grains) were given to his sister's heir and at present in his house lives Brahmin Popat the son of Kalianji

whose father was Bogha the son of Mangalji to whom their heirship was bestowed by Karsonji.

I hope this information will be of some use to you.

Yours sincerely,
(Sd.) PRANLAL V. SHUKLA,
Manager, Saraswati Stores.

तृतीय प्रमाण

स्वयं प्रत्यक्षदर्शियों के इन कतिपय चुने हुए हस्तलिखित वचनों के बाद अब हम उन लोगों के बचन उद्धृत करना चाहते हैं जिन्होंने ऋषि के प्रत्यक्षदर्शियों के मुख से ऋषि के बारे में ज्ञान उपलब्ध किया था। वह इस प्रकार हैः—

(१) बढ़वान में भ्रमण करते हुए श्री मुकर्जी को वहां के एक ब्राह्मण ने कहा किः—

"अद्वैताश्रमस्वामी (ऋषि दयानन्द के समकालीन) को मैंने यह कहते हुए सुना था कि स्वामी दयानन्द जी टंकारा के रहने वाले थे।"

(२) खानपुर स्थान टकारा से सात मील दूर है। उस में एक गोरीशङ्कर देवकृष्ण जोशी नामक व्यक्ति निवास करते हैं। उन्हों ने मुकर्जी को कहा कि—

"टंकारा में मेरा मामा रहता था। उससे मैंने सुना है कि स्वामी दयानन्द टंकारा के रहने वाले थे और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने के लिये *काशी चले गये थे और थोड़े समय बाद उन्होंने इस देश में एक नया धर्म स्थापित किया। वे औदीच्य ब्राह्मण थे।"

---

* जान पड़ता है कि ऋषि दयानन्द के घर से भाग जाने की घटना मौरवी आदि स्थानों में इस यथार्थ रूप में न फैलकर "वे काशी पढ़ने गये हैं" इस रूप में प्रचलित हुई होगी। संभव है लोकलज्जा के भय से ऋषि के पिता आदि ने स्वयं ही ऐसा संवाद प्रचलित किया हो। परन्तु यह अधिक संभव है कि यह जनश्रुति अन्य लोगों में से ही उत्पन्न हुई हो।

(३) प्रभुराम आचार्य जो पहले टंकारा में रहते थे तथा वर्तमान समय में रोही शाला ग्राम में रहते हैं, वे इस तरह कहते हैं—

"प्रेमबाई तथा केसरबाई से भी मैंने सुना है कि स्वामी दयानन्द के टंकारा से निकलने के बाद वे बड़ा रामपुर में जाकर वहां के मारुति-मन्दिर में रात्रिभर रहे थे। स्वामीजी को राजकोट में भाषण देते हुए मैंने सुना है। उनका शरीर कदावर और तेजस्वी था। स्वामीजी का चेहरा *प्रेमबाई के चेहरे से मिलता जुलता था। राजकोट में स्वामीजी का दर्शन कर टंकारा में जाकर जब मैंने केसरबाई से कहा तब केसरबाई ने जबाब दिया कि संभव है यह वही व्यक्ति हो जो तिवारी के घर से चला गया था तथा काशी में पढ़ने के लिए गया था। लोगों में उस वक्त इसी तरह की बातें चला करती थीं।"

(४) ध्रोल निवासी पं० घेलाराम जोगेश्वर व्यास ने श्री मुकर्जी से निम्नप्रकार कथन किया—

"अपने पिताजी के मुख से मैंने कई बार सुना है कि स्वामी दयानन्दजी टंकारा निवासी थे तथा कर्सनजी लालजी त्रिवेदी के पुत्र थे।"

परिणाम

इन उपर्युक्त कतिपय प्रमाणों से निम्नलिखित बातें प्रगट होती हैं—

(१) टंकारा ही स्वामीजी का जन्मस्थान है।
(२) स्वामीजी के पिता कर्सनजी लालजी त्रिवेदी थे।
(३) कर्सनजी जमेदार (Collector) थे।
(४) शराफ थे।
(५) जमींदार थे।
(६) कट्टर शैव थे।

*प्रेमबाई स्वामी दयानन्दजी की सहोदरा भगिनी थीं। —लेखक

(७) उनका पुत्र बाईस साल की आयु में घर से भाग गया था।
(८) ऋषि दयानन्द का मूल नाम मूलजी दयाराम था।

सिद्धि

इन उपर्युक्त आठ परिणामों में सर्व प्रथम परिणाम यह है कि टंकारा ही स्वामीजी का जन्मस्थान है।

इस स्थापना को सिद्ध करने से पूर्व हम स्वामीजी के स्वकथित जीवन चरित्र की देख-भाल करना उचित समझते हैं। स्वामीजी ने अपने जन्मस्थान का इशारा निम्न लिखित शब्दों में किया है—

"मोरवी रियासत के एक नगर (Town) में मेरा जन्म हुआ है।"

दूसरी जगह जहाँ शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया है, वहाँ उन्होंने कहा है कि—

"हमारे शहर के बाहर जो बड़ा शिवालय था, वहाँ शिवरात्रि के दिन एक महोत्सव होता था, जहाँ अनेक आदमी इकट्ठे होते थे।"

इन दोनों वाक्यों से प्रगट होता है कि स्वामीजी का जन्मस्थान एक शहर (Town) ही था।

दूसरी जगह पर यह भी देखा गया है कि स्वामीजी ने जब काशी अध्ययनार्थ जाने की प्रार्थना की तो उनकी माता ने विरोध किया था। इस पर उन्होंने अपना विचार स्थगित कर दिया और अपने पिताजी से कहा कि "हमारी जिमेदारी के अन्तर्गत एक ग्राम में जो विद्वान पण्डित रहते हैं, उनके पास जाकर अभ्यास करने की आज्ञा देवें।"

जमेदार— यह शब्द मराठी भाषा का है। इसका अर्थ है नगर का फौजदार तथा वसूली करने वाला। अर्थात् जिसे आंग्ल भाषा में कलक्टर कहते हैं। स्वामीजी के पिता जमेदार थे। उस समय टंकारा

की जमेदारी, कि जिसके आधीन अन्य कितने ही ग्राम थे···बड़ौदा के मराठे राजा के यहाँ गिरवी (Morgage) थी। उनकी तरफ से स्वामीजी के पिता जमेदार या कलक्टर नियुक्त थे। इसी लिये यहाँ पर यह मराठी भाषा का शब्द 'जमेदार' आया हुआ है।

नगर का दूसरा अभिप्राय (काठियावाड़ की प्रथानुसार) ताल्लुका भी होता है। ताल्लुका उसे कहते हैं कि जिसके अन्तर्गत कई ग्राम हों और उस ताल्लुके के मुख्य स्थान को नगर या कसवा कहते हैं। स्वामी दयानन्दजी के पिता ऐसे ही ताल्लुके में रहते थे तथा वे उन ग्रामों से कर वसूल किया करते थे। अगर यह बात न होती तो स्वामी जी ये वाक्य कभी न कहते कि—

"फिर तीन कोस पर एक ग्राम में अपनी जमेदारी थी।"

अब हमें यह देखना चाहिये कि मौरवी स्टेट में ऐसा क़सबा कौनसा है जहाँ जमेदार रहता हो तथा वह बांकानेर राज्य की सीमा पर हो।

मौरवी राज्य में तीन या चार ही ऐसे स्थान हैं जिन्हें हम कसबा या Town कह सकते हैं।

(१) मौरवी (२) बबाणियां (३) टंकारा तथा कई लोग (४) जैनपुर को भी कसबा कहते हैं।

इन चारों कसबों में से टंकारा के सिवाय कोई भी कसबा बांकानेर रियासत की तरफ नहीं है।

बबाणियां को साधारणतः Port या बन्दरगाह कहते हैं और वह भी बांकानेर की सीमा पर नहीं है।

मौरवी को शहर कह सकते हैं परन्तु वह भी बांकानेर रियासत की सीमा पर नहीं है। इतना ही नहीं प्रत्युत सूक्ष्म दृष्टया विवेचन करने के बाद यह भी ज्ञात हुआ है कि स्वामी जी के स्वलिखित आत्मचरित्रादि में वर्णित व्यक्ति (स्वामी जी के पिता जी) में जिन चिन्हों व लक्षणों

वाले औदीच्य ब्राह्मण का वर्णन है वैसा कोई भी औदीच्य ब्राह्मण वहां नहीं रहता था।

मौरवी शहर में कुछ सामवेदी औदीच्य ब्राह्मण अवश्य थे परन्तु सितम्बर १८८१ में, तथा उन दिनों, वहां कोई भी ऐसा ब्राह्मण न था जो शराफ, जमेदार या कलक्टर तथा जमींदार हो। इससे प्रतीत होता है कि सिवाय टंकारा के और किसी शहर में उपर्युक्त लक्षण नहीं मिल सकते, अतः 'परिशेषात्'* सिर्फ टंकारा ही ऐसा कसबा रह जाता है जो बांकानेर राज्य की सीमा पर मौरवी राज्य के अन्तर्गत उपस्थित है।

टंकारा एक कसबा था—'स्वामीजी की कुछ दिन चर्या' नामक पुस्तक में लिखा है कि स्वामी जी का जन्मस्थान एक कसबा था। विक्रम संवत् १८६६ अर्थात् ऋषि दयानन्द के जन्म से १६ साल पूर्व मौरवी नरेश श्रीमन्त जियाजी बाघजी ने ६ लाख कोरी (चार आने की एक कोरी होती है अर्थात् डेढ लाख रुपये) में सेठ सुन्दरजी शिवजी के यहां टंकारा को गिरवी रखा था। उनके बही खातों में भी टंकारा को कसबा ही लिखा गया है। गिरवी पत्र में टंकारा कसबे के साथ ६ ग्राम भी सम्मिलित हैं जिनके नाम ये हैं—

(१) टंकारा
(२) कागदडी
(३) हडवतियाली
(४) आणंदपर
(५) नेसडासुन्दरजी
(६) नेसडा खानपर
(७) दई सरड्ड
(८) मोटा खिजडिया
(६) नाना खिजडिया

---

* शेष रह जाने के कारण।

इसके अतिरिक्त मौरवी स्टेट के कागजातों में भी टंकारा को कसबा ही लिखा गया है। मौरवी संस्थान की दिशा में बांकानेर की हद जडेश्वर महादेव के मन्दिर तक है। जडेश्वर महादेव की पश्चिम दिशा में ढाई तीन कोस दूर पर टंकारा स्थान है। अतः टंकारा को ही बांकानेर रियासत की सीमा पर स्थित मानना चाहिये। इस बात की पुष्टि के लिये पाठकों को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि अभी तक टंकारा के पूर्वीय मुख्यद्वार को 'बांकानेर द्वार' कहते हैं।

टङ्कारा

उन दिनों टंकारा एक अति समृद्ध, आबाद, शोभाशाली तथा व्यापार का केन्द्र-स्थान था। उस समय टंकारा की जन संख्या लगभग ८ हज़ार थी। काठियावाड़ के ग्रामों की जन संख्या की दृष्टि से यह संख्या बहुत अधिक है। चूंकि काठियावाड़ के ग्राम बहुत छोटे छोटे होते हैं और वहां किसी ग्राम की संख्या इतनी नहीं होती। कर्सनजी के जमाने में अन्य भी दो तीन सर्राफ टंकारा में रहते थे। तीन चार सर्राफों का रोजगार ग्राम में नहीं चल सकता।

विक्रम संवत् १७७८ में श्रीयुत जीवा महता ने इस टंकारा नगरी के चारों तरफ़ एक सुदृढ़ कोट खिंचवा दिया था। इस कोट के चार सुदृढ़ मुख्य द्वार थे जिनके नाम ये हैं—

(१) जामनगर दरवाजा
(२) मौरवी दरवाजा
(३) राजकोट दरवाजा
(४) बांकानेर दरवाजा

इसी रमणीक शहर में ऋषि दयानन्द का जन्म हुआ था।

(२)—ऋषिदयानन्द के पिता का नाम कर्सनजी त्रिवेदी था।

ऊपर हम यह सिद्ध कर आये हैं कि टंकारा ही ऋषि दयानन्द का जन्म स्थान था, तथा यह भी लिख आये हैं कि ऋषि के पिता का नाम कर्सनजी त्रिवेदी था।

परन्तु पं० लेखरामजी ने स्वामीजी के पिता का नाम अम्बाशंकर लिखा है। इसका कारण यह है कि उन्हें अमृतसरमें स्वामी गोविन्दानन्द नामक एक संन्यासी ने यह बात कही थी और यह भी कहा था कि वह ऋषि दयानन्द का सगा भाई है। स्वामी गोविन्दानन्द यह भी कहा करते थे कि वे स्वामी दयानन्द जी के साथ अनुगांग प्रदेश में ६ साल तक रहे हैं। यही कारण था कि पं० लेखराम जी उक्त संन्यासी के कथन पर विश्वास कर ऋषि दयानन्द के पिता का नाम अम्बाशंकर लिख बैठे। परन्तु बाद में उक्त संन्यासी के विषय में जब पूरा अनुसन्धान किया गया तो मालूम पड़ा कि ऋषि दयानन्द के विषय में कही हुई उसकी ये बातें प्रायः कपोल कल्पित और निर्मूल हैं। अनुगांग प्रदेश में जिन्होंने ऋषिदयानन्द को विचरण करते हुए देखा है तथा वहां पर उनके सत्संग का जिन्हें विशेषतः सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे इस बात से निषेध करते हुए कहते थे कि गोविन्दानन्द या ऐसा अन्य कोई संन्यासो उन दिनों ऋषि के साथ नहीं रहता था।

स्वामीजो के स्वकथित जीवन चरित्र से विदित होता है कि उनके पिता की चार विशेषतायें थीं। प्रथम यह कि वे सर्राफ थे। दूसरे वे बड़े उच्च जमीदार थे। तीसरे वे जमेदार या Collector थे तथा चौथे वे बड़े कट्टर शिवभक्त थे। इन चारों बातों के साथ ही साथ उनका पुत्र भी गृह त्याग कर चला गया था।

(१) कर्सन जी टङ्कारा के प्रसिद्ध सर्राफ

जब कर्सनजी लालजी त्रिवेदी का ज्येष्ठ पुत्र घर छोड़ कर भाग गया और दूसरा पुत्र अकाल में ही पंचत्व को प्राप्त हुआ तो कर्सनजी का हृदय एकदम निराश हो गया। अपने समृद्धिशाली, धनधान्य पूर्ण घर को 'अपुत्रस्य गृहं शून्यम्' के अनुसार जब उन्होंने सर्वथा शून्य देखा तो वंशनाश की विशाल चिन्ता उनके हृदय देश में रह २ कर सूल-सी चुभने लगी। उस समय इस नरक से उनका कौन उद्धार करेगा? यही सब

सोचकर वे एक ऐसे लड़के की खोज में घूमने लगे जो उनका दामाद भी बने और उत्तराधिकारी बनकर पुत्र की न्यूनता को भी पूर्ण करे। खोजते खोजते गोंडल शहर के निकटवर्ती एक ग्राम में उन्हें मंगलजी लीलाधर रावल नामक एक लड़के का पता चला। वे उसे वहां से अपने घर पर टंकारा में ले आये और ऋषि दयानन्द की भगिनी प्रेमबाई के साथ उसका विवाह कर दिया। इस तरह अपने डगमगाते वंश-वृक्षको सुरक्षित कर कर्सनजी तो स्वर्गगामी हुए और उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति मंगलजी के हाथ में आई। समय पाकर मंगल जी को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम बोधा था। बोधा का पुत्र हुआ कल्याणजो और कल्याणजी के दो पुत्र हुए पोपटलाल जी तथा प्रभाशङ्कर। वर्तमान समय में इन्ही प्रभाशङ्कर व पोपटलाल के हाथ में कर्सन जी की सब मिल्कियत है।

इन्हीं पोपटलालजी के घर में से एक पुरानी बही प्राप्त हुई है, जो कर्सनजी के समय की है। इस बही में कर्सनजी ने किस-किस को कितना-कितना रुपया सूद पर दिया—इसका विवरण व हिसाब मिति-वार लिखा है। उसमें एक स्थान पर लिखा है कि विक्रम संवत् १८५८ पौष शुक्ला अष्टमी के दिन झाला मेघपुर के प्रसिद्ध रईस मुलूजी तथा मुलूजी गज्जन ने मेघपुर रियासत १८०० कोरी में कर्सनजी त्रिवेदी के यहाँ रहन (Morgage) रखी। खोज करने के बाद यह भी पता चला है कि इसी झाला मेघपुर के रईस उदयसिंहजी बजाजी ने संवत् १८६३ में टंकारा के धनी मानी सर्राफ कर्सनजी त्रिवेदी के यहाँ अपनी १३ सांती जमीन रहन पर रखकर १३ आना सूद के हिसाब से १५०० कोरी उनसे लिये थे।

इन सबूतों से यह परिणाम निकालना अनुचित न होगा कि ५००० रुपया एकदम सूद पर देने वाले कर्सन जी कोई साधारण सर्राफ न थे।

(२) कर्सनजी जमींदार

ऋषि दयानन्द ने अपने पूना के व्याख्यान में एक जगह कहा था कि 'हमारा कुटुम्ब एक विशाल जमींदारी का उपभोग करता था।'

यह ध्यान रखना चाहिए कि काठियावाड़ में जमीदारी को गरासदार भी कहते हैं।

कर्सनजी त्रिवेदी जामनगर रियासत के जोडिया जिलान्तर्गत कोशिया नामक ग्राम के जमींदार थे। यह बात आज भी कोशिया में प्रसिद्ध है। वहाँ के वासी आज भी वंशानुगत क्रम से कर्सनजी को स्मरण करते हैं। यद्यपि कोशिया ग्राम सारा ही कर्सनजी की जमींदारी में न था तथापि वे उसके बड़े हिस्से के मालिक थे। कोशिया की जमींदारी का कुछ हिस्सा आज तक भी कर्सनजी के वंशधरों को प्राप्त है।

कर्सनजी की दो बहनें थीं। उनके विवाह जामनगर स्टेट के हडियाणा ग्राम में हुये थे। कर्सनजी ने सम्वत् १८८३ के पौष मास में एकादशी के दिन अपने एक भांजे को इस जमीन में ३६ बीघा और दूसरे को २४ बीघा दानपत्र लिख कर दिया था। यह ६० बीघा जमीन आज भी उनके भांजों के वंशधरों के अधिकार में है।

कर्सनजी के द्वितीय पुत्र तथा ऋषि दयानन्द के छोटे भाई वल्लभजी का विवाह कच्छ की कन्या मोंगी बाई से सम्पन्न हुआ था। विवाह के छः मास बाद ही वल्लभजी का देहान्त होगया और कर्सनजी की पुत्रवधू विधवा होगई। इस समय मोंगी बाई की आयु १५-१६ साल की थी !! इस अनभ्र वज्रपात से कर्सनजी को बड़ा दुःख हुआ। उनके सिर पर विधवा पुत्रवधू के भविष्य जीवन की चिन्तायें मंडराने लगीं। जेष्ठ पुत्र भाग गया ! भाई मर गया। बड़ी कन्या हैजे के प्रकोप में निधन को प्राप्त हुई और आज एक मात्र अवशिष्ट छोटा पुत्र भी एक युवती स्त्री को वैधव्य सागर में छोड़ कर संसार से सदा के लिये

विदा हो गया ! तथापि मनस्वी कर्सनजी ब्राह्मणोचित धैर्य का अवलम्बन कर अपने शेष कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त हुए । इस समय कर्सनजी का बलिष्ठ सुन्दर शरीर वृद्ध हो चुका था । वे सोचने लगे मेरे मरण के उपरान्त मेरी विधवा पुत्र वधू को आर्थिक कष्ट न उठाना पड़े—ऐसा उपाय कर देना चाहिये । इसलिये उन्होंने कोशिया की जमीन का बड़ा भाग मोंगी बाई के नाम लिख दिया, तथा कुम्भारिया मेघपुर, जिरागढ़ तथा धूलकोट में उनके जो यजमान रहते थे, उन्हें भी मोंगी बाई को ही दे दिया । इस तरह अपनी विशाल आमदनी में से कुछ हिस्सा मोंगी बाई को समर्पित कर कर्सनजी उसकी तरफ से निश्चिंत होगये । जोडिया ग्राम में वर्तमान में बालाशंकर भीमजी नामक एक मोंगी बाई का रिश्तेदार रहता है । यह द्विवेदी है । इसका कथन है कि इसने कई बार मोंगीबाई के मुख से सुना था कि मोंगीबाई के श्वसुर बड़े धनवान थे ।

इसी कोशिया की जमीन का कुछ हिस्सा कर्सनजी ने अपने दामाद मंगलजी रावल को भी दिया था । उसके वंशज म० पोपटलाल आज भी उस जमीन की आमदनी का उपभोग कर रहे हैं ।

कुछ साल पूर्व एक मनुष्य ने जामनगर के रेवेन्यू कमिश्नर की सेवा में यह शिकायत की थी कि मोंगीबाई तथा रावलजी के पास कोशिया की इस जमीन के मालिक होने का कोई प्रमाण नहीं है । अतः वे उस जमीन के हकदार नहीं हैं । यह शिकायत अन्त में जामनगर के राज दरबार में पहुँची और दरबार की तरफ से हुक्म सादिर हुआ कि यदि उक्त दोनों व्यक्तियों के पास कोई सबूत न हो तो उनकी जमीन राज्य में शामिल की जाय । तब पोपट जी रावल ने सन् १९०५ ई० की ३ मार्च को दरबार में यह जवाब भेजा था कि—

"मैं अरजदार पोपटलाल रावल—इस जमीन का दान देनेवाले कर्सन जी त्रिवेदी की पीढी में से हूँ । इस बात को सिद्ध करने के लिये

मेरे पास यह सबूत है कि त्रिवेदी हरिभाई के वंश में लालजी त्रिवेदी नामक एक व्यक्ति हुआ उसके पुत्र कर्सन जी हुए तथा उनकी कन्या प्रेमबाई का विवाह मंगल जी लीलाधर रावल से हुआ। इन मंगल जी रावल के पुत्र बोधाजी रावल हुए। और इनके पुत्र कल्याण जी का पुत्र मैं पोपटलाल रावल तथा प्रभाशंकर रावल हैं। हमें कोशिया की जमीन अपने मातुलालय से प्राप्त हुई थी और इस जमीन में राजगर, नगा, देव माधवजी, गंगाराम तथा गोविन्दजी द्वारा हम खेती करवाते थे ।

(३) कर्सनजी जमेदार

ऋषि दयानन्द ने अपने आत्मचरित्र में अपने पिताजी को जमेदार या फौजदार या कर वसूल करने वाला कलक्टर बताया है। जमेदार शब्द मराठी भाषा का है, यह हम पहले लिख आये हैं। तथा हम यह भी लिख आये हैं कि यह शब्द गुजरात काठियावाड़ में कैसे प्रविष्ट हुआ। उसी प्रसंग में इतना और समझ लेना चाहिये कि यह मोरोबा पंत गोपाल मरेल नारायण भाऊ के आधीन कर्मचारी था।

आज से एक शताब्दि पूर्व काठियावाड़ के राजाओं की स्थिति वर्तमान काल के अनुसार समृद्ध न थी। उन्हीं गायकवाड़, पूना के पेशवा तथा अँग्रेज़ सरकार को कर देना पड़ता था। यदि कभी कर देने में विलम्ब होजाता था तो गायकवाड़ वगैरह की सेनायें उन पर चढ़ दौड़ती थीं और उनके राज्य में घुसकर उनकी प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार करती थीं इन अत्याचारों से तंग आकर कई बार काठियावाड़ की प्रजा भी म्यान से तलवार सूंतकर 'मरेंगे मारेंगे' के लिये सन्नद्ध हो जाती थीं। उसी समय भीषण संग्राम ठन जाते थे।

इन संग्रामों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय था और वह था नियत समय पर कर दे देना। अतः काठियावाड़ के नरेशों को उस कर के चुकाने के लिये श्रीमन्तों से कर्ज लेना पड़ता था।

यही दशा मौरवी राज्य की थी। वह आर्थिक अवस्था की तंगी के कारण समय समय पर सेठों से कर्ज लेकर अपना कर चुकाया करता था। इसी कर्ज के सिलसिले में मौरवी नरेश ने अपना गुलजार व हरा भरा टंकारा ताल्लुका बड़ौदा के प्रसिद्ध सेठ गोपाल मेरल नारायण भाऊ के यहां गिरवी (Mortgage) रख दिया था। यह मेरल वंश करोड़पति था। बड़ौदा के नरेश भी समय पड़ने पर इनसे कर्ज लिया करते थे। संक्षेप में, इस प्रसंग में इतना ही कह देना काफ़ी होगा कि जिस समय ऋषि दयानन्द का जन्म हुआ उस समय यह टंकारा सेठ मेरल के हाथ में था। हमारी इस स्थापना की पुष्टि मुंबई सरकार का Selections from the records of Bombay Government, No. XXXIX, New series, Page 99. का निम्नलिखित डाक्यूमेन्ट करता है:—

"For the first year after Colonol Walker's settlement (which happened in 1807-8 a. d.) the management remained in the hands of the Chief. It was then transferred in mortgage for a debt to Seth Sunderji Sewji, who held it for some years and then made it over, in Samvat 1808 (A. D. 1811-12) to Meiral Narayan, by whom as a private transaction, his claims were discharged; but no final settlement being thus promoted further embarassment accured and a new arrangement was made in samvat 1882 (A.D. 1825-26) under the Government Bhandari, for a fixed period of fifteen years, on the conclusion of which, the debt being considered to have been discharged the Taluka is to be restored to the Morvi Chief."

मुंबई सरकार के रिकार्ड नं० × × ×।× की न्यू सीरीज के ९९ पृष्ठ से उद्धृत इस रिकार्ड का सारांश यह है कि सम्वत् १८०७-१८०८

ए. डी. में कर्नल वाकर का प्रबन्ध होने के बाद एक साल तक टंकारा पर मौरवी नरेश का आधिपत्य रहा। इसके बाद कर्ज के सिलसिले में यह ताल्लुका सेठ सुन्दरजी शिवजी के पास गिरवी रखा गया। इन्होंने कुछ साल तक अपने कब्जे में रखकर संवत् १८६८ तदनुसार १८११-१८१२ ईसवी में सेठ मेरल नारायण के सुपुर्द कर दिया। परन्तु मौरवी नरेश मेरल के कर्ज को न चुका सके और नाना प्रकार की कई अन्य विपत्तियों में फंस जाने के कारण संवत् १८८२ तदनुसार १८२५-१८२६ ई० में भण्डारी सरकार द्वारा एक नया शर्तनामा बनाया गया। जिसके अनुसार पन्द्रह वर्ष तक सेठ मेरल नारायण के हाथ में रह कर टंकारा को पुनः मौरवी नरेश को वापिस कर देना मंजूर किया गया था। परन्तु वापिस कर देने के बाद भी यह ताल्लुका मौरवी नरेश के अधिकार में न रह सका। चूंकि नियत समय पर कर न भर सकने के कारण अँग्रेज सरकार अर्थात् काठियावाड़ एजेन्सी ने १८८८ में इस ताल्लुके पर अपना अधिकार रखा और मंगलजी गौरीशंकर नामक एक जूनागढ़ निवासी व्यक्ति को इसका अधिकारी बनाकर उसके हाथ में दे दिया।

इस तरह यह बात सहज में समझी जा सकती है कि सम्बत् १८६८ से १८९७ तक लगभग ३० बरस टंकारा बड़ौदा के प्रसिद्ध सेठ गोपाल मेरल नारायण भाऊ के अधिकार में रहा। आज भी टंकारा के निवासी वार्ता प्रसंग में कभी कभी 'भाऊ का टंकारा' कहते हुए इस स्थापना को पुष्ट करते हैं। अतः यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द के जन्म समय में टंकारा भाऊ के पास था और उन्हीं भाऊ की तरफ से कर्सनजी टंकारा के जमेदार नियुक्त थे।

कर्सनजी उस समय टंकारा के उच्चपदाधिकारी थे। इस स्थापना की सिद्धि के लिये तीन प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं—

(१) टङ्कारा के समीप ही मालिया नामक एक कसबा है। इस कसबे पर मियाणा नामक डकैत जाति का अधिकार है। यह जाति

मुसलमान हैं और ढाका चोरी वगैरह पेशों के करने के कारण जरायम पेशा कौम मानी जाती है। आज से सैंकड़ों साल पहले से इस मियाणा जाति के साथ मौरवी राज्य का वैमनस्य चला आता है। एक बार मौरवी नरेश श्रीमान् पृथ्वीराज ने मालिया के ठाकुर डोसाजी को बन्दी बनाकर कुछ दिन तक अपने यहां नज़रबन्द रखा था। मालिया वाले इस अपमान को भूले न थे तथा इसका बदला चुकाने के लिये वे हरदम घात में लगे रहते थे। मौका पाकर इन मियाणा लोगों ने सम्वत १८६८ के वैशाख मास में टंकारा के अन्तर्गत कागदड़ी ग्राम पर आक्रमण किया और लूटमार मचा दी। उस समय इस उपद्रव का उपशमन करने के लिये कर्सनजी त्रिवेदी फौजदार निर्भयशङ्कर के साथ कागदड़ी पहुँचे। इस उपद्रव में निर्भयशङ्कर मारे गये और कर्सनजी को कैद कर वहां का ठाकुर उन्हें अपनी राजधानी मालिया में ले गया। इस जगह ठाकुर पृथ्वीराजसिंह के पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिये उन्होंने कर्सनजी को कुछ दिन तक अपने यहां नज़रबन्द रखा और फिर उन्हें छोड़ दिया।

निर्भय शङ्कर के साथ कर्सनजी का उपद्रव शान्त करने के लिये कागदड़ी जाना यह सिद्ध करता है कि कर्सनजी टङ्कारा के उच्च पदाधिकारी थे तथा उन्हें पकड़कर ले जाना भी यही सिद्ध करता है कि वे टंकारा के बड़े अधिकारी समझे जाते थे। अन्यथा साधारण आदमी को बन्दी बनाना कोई अर्थ नहीं रखता।

(२) रोहीशाला के प्रभुराम आचार्य कहते हैं कि कर्सनजी एक बड़े अमलदार थे।

(३) टंकारा ग्राम के दरबारगढ़ के पश्चिम भाग में अब भी एक ऐसा स्थान है जिसे 'कर्सनजी की घोडार' अर्थात् कर्सनजी की अश्व-शाला कहा जाता है। इस दरबारगढ़ के अन्दर किसी साधारण व्यक्ति को अपने घोड़े बांधने का अधिकार नहीं था। कर्सनजी का निवासगृह जीवापुर मोहल्ले में था और इसी मोहल्ले के पास यह अश्वशाला भी है।

इन प्रमाणों से सिद्ध है कि ऋषि दयानन्द के जन्म समय में कर्सनजी टंकारा के जमेदार, कलक्टर थे।

(४) कर्सनजी शिवभक्त

ऋषि दयानन्दने अपने स्वकथित जीवन चरित्र में कहा है कि उनके पिता अनन्य शिवभक्त थे तथा वे उन्हें भी शिवभक्ति का उपदेश देते थे। दूसरे स्थान पर यह भी कहा है कि जहाँ कहीं शिव पुराण की कथा होती थी उनके पिता उन्हें भी अपने साथ ले जाते थे।

इन कथनों के अतिरिक्त उन्होंने टंकारा के राजकोट दरवाजे के बाहर डेमी नदी के तटपर एक शिव मन्दिर को स्थापना की थी जिसका नाम 'कुबेरनाथजी का शिवालय' है। इस मन्दिर की सेवा वर्तमान में कर्सनजी की कन्या प्रेमबाई के वंशज महाशय पोपटलालजी करते हैं तथा यह उन्हीं के अधिकार में है। कर्सनजी की कन्या प्रेमबाई भी जब तक जीवित रहीं, अनन्य श्रद्धा से वे इस कुबेरनाथ की सेवा करती रहीं।

यह कुबेरनाथजी का मन्दिर कर्सनजी ने ही बनवाया था—इसके लिये हम निम्न लिखित प्रमाण उद्धृत करते हैं:—

"श्री सही जोड़जा श्री पृथ्वीराज जी, कर्सनजी लालजी त्रिवेदी कों लिख देते हैं कि आपने टंकारा में शिवजी का जो मन्दिर बनवाया है उसकी पूजा करने के कारण आपको १२ बीघा जमीन हम देते हैं। और जब तक आप सदाशिव की पूजा करें तब तक इसकी आमदनी आपको ईश्वर पूजा के निमित्त शिवार्पण की जाती है। इस पर हमारा अब कोई अधिकार नहीं।

संवत् १८८७ पौष वदी चतुर्दशी बुधवार।

(ह०) श्रीयुत हजूर"

यह दानपत्र कर्सन जी की बही के ३० पृष्ठ पर उल्लिखित मिलता है।

इन कतिपय प्रमाणों से इस कथन में किंचिन्मात्र भी संशय नहीं रह जाता कि कर्सन जी लालजी त्रिवेदी परम शिवभक्त थे।

(५) कर्सनजी का पुत्र घर से भाग गया था

टंकारा में परम्परा से यह बात सुनते आये हैं कि जिस ब्राह्मण ने कुबेरनाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा की उसी का पुत्र घर छोड़ कर भाग गया है। यह हम ऊपर सिद्ध कर आये हैं कि कुबेरनाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा कर्सनजी ने की थी।

कालिदास कर्सनजी नामक एक गौड ब्राह्मण टंकारा में सर्राफ है। उसकी वृद्धा माता ने श्रीयुत देवेन्द्रनाथ मुकुर्जी को कहा था कि "जीवापुर मोहल्ले में एक ब्राह्मण था जो दरबार में अमलदार था। एक दिन मेरे पति ने आकर मुझसे कहा कि उस ब्राह्मण का पुत्र घर छोड़ कर भाग गया है और ग्राम में उसका शोर मचा हुआ है।"

जीवापुर मोहल्ले में कर्सन जी का घर था तथा वे ही दरबार के उच्च पदाधिकारी थे— यह हम ऊपर लिख आये हैं। इस बात से भी यही सिद्ध होता है कि कर्सनजी का पुत्र घर छोड़ कर भाग गया था।

ऋषि दयानन्द का जन्म संवत् १८८१ में हुआ था और उस वक्त टंकारा निवासी देवचन्द भगवानजी नामक एक वणिक का भी जन्म १८८१ में ही हुआ था। जब श्री देवेन्द्रनाथ मुकर्जी ऋषि सम्बन्धी खोज के प्रसंग में टंकारा में थे उस समय इस वणिक की आयु ६० साल की थी। संयोगवश मुकर्जी की इसके साथ भेंट और वार्तालाप हुआ। तब उक्त देवचन्द भगवानजी ने बताया कि "भाऊ साहब के समय में भाऊ की ओर से एक ब्राह्मण टंकारा में कामदार थे। इस ब्राह्मण का घोड़ा दरबारगढ़ में बंधता था। इसका नाम कर्सनजी था। इनका पुत्र दयाराम नित्य एक घोड़े को पानी पिलाने ले जाता था। दयाराम को कई लोग दयाल भी कहते थे। थोड़े दिन पहले मैंने सुना था कि कर्सन जी का यह पुत्र संसार का मोहत्याग कर चला गया है।"

इस प्रत्यक्ष वर्णन से यह सिद्ध होता है कि कर्सनजी का पुत्र घर छोड़ कर भाग गया था।

ऋषि का मूल नाम क्या था ?

हम प्राणलाल शुक्ल का एक पत्र पहले पृष्ठों में उद्धृत कर आये हैं। इससे हमें यह भी विदित होता है कि ऋषि दयानन्द के बाल्यावस्था में दो नाम थे। एक तो मूलशंकर दूसरे मूलजी दयाराम। इसी पत्र में यह भी बताया गया है कि सौराष्ट्र में अपनी सन्तान के दो नाम रखने का प्रचलित रिवाज है। सिर्फ सौराष्ट्र में ही नहीं प्रत्युत सर्वत्र भारतवर्ष में ही सन्तान के दो नाम रखने की परम्परागत रीति प्रचलित है। उपर्युक्त वणिक देवचन्द भगवानजी ने भी अपने वर्णन में कहा है कि कर्सनजी त्रिवेदी का जो पुत्र घर छोड़कर भाग गया था उसे दयाराम या दयाल कहते थे।

प्रभुराम आचार्य रोहीशालावासी कहते हैं कि ऋषि दयानन्द की भगिनी प्रेमबाई ने उनसे कहा था कि 'दयाराम घर छोड़ कर एक रात रामपुर के मारुति मन्दिर में रहा था।'

टंकारा के एक वृद्ध महाशय कहते हैं कि दयानन्द जी का मूल नाम मूलजी था।

ऋषि दयानन्द का बाल्यावस्था का नाम दयाराम था। इस विषय में प्रेमबाई, देवचन्द वणिक तथा प्राणलाल शुक्ल का एकमत प्रतीत होता है।

अब प्रश्न इतना ही रह जाता है कि उनका मुख्य नाम दयाराम था या मूलशंकर। सामान्यतः पिता इत्यादि अपने बालक को उपनाम से ही अधिक रूपेण सम्बोधन करते हैं।

परिणाम

हमने ऊपर पांच शर्तें लिखते हुए कहा था कि जिस व्यक्ति में ये पांचों शर्तें पूर्ण रूपेण घटेंगी वही ऋषि दयानन्द के पिता होंगे।

उपरिलिखित प्रमाणों व युक्तियों से ये पांचों शर्तें टंकारा के कर्सनजी त्रिवेदी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति में पूरी नहीं उतरतीं। अतः हमारा यह निश्चय है कि 'ऋषि दयानन्द के पिता का नाम कर्सनजी त्रिवेदी था।'

ऋषि दयानन्द के पूर्वज

भगवान दयानन्द के पूर्वजों में हरीभाई त्रिवेदी एक प्रसिद्ध पुरुष थे। कोशिया की जमींदारी सबसे प्रथम इन्हीं हरीभाई त्रिवेदी को प्राप्त हुई थी। इस सम्बन्ध के अनेक प्रमाण पत्र वर्तमान समय में पोपटलाल जी के पास विद्यामान हैं। ये हरीभाई वास्तव में कहां के निवासी थे— इस बात को लिखने से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक होगा कि त्रिवेदी सामवेदी औदीच्य ब्राह्मण कौन हैं ?

आज से लगभग एक हजार वर्ष पहले की बात है। भारत में सर्वत्र ब्राह्मणों की पूजा तथा उनके सत्कार करने की प्रथा प्रचलित थी। उस काल के धनी मानी पुरुष व प्रतापी नरेश भी इन विप्रों की अभ्यर्चना करना अपना कर्तव्य समझते थे। इतिहास में इस काल को ब्राह्मण काल कहा गया है। एक बार गुजरात–सौराष्ट्र के अनहीलवाड के नरेश श्रीमान् मूलराज सोलंकी के हृदय में भी यह प्रबल अभिलाषा जागृत हुई कि अपने देश में उत्तर भारत के ब्राह्मणों को निमन्त्रित कर उनका आदर सत्कार किया जाय। यह स्थिर कर उक्त नरेश उत्तर भारत की यात्रा की। वह उच्च ब्राह्मणों की खोज में प्रायः सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध तीर्थों व नगरों में फिरता रहा। उसने कन्धार, कुरुक्षेत्र, स्थाण्वीश्वर, कान्यकुब्ज तथा नैमिषारण्य प्रभृति सभी प्रसिद्ध तीर्थों व नगरों की यात्रा की और अन्त में लगभग एक सहस्र ब्राह्मणों के साथ वह अपनी राजधानी सिद्धपुर में प्रविष्ट हुआ। मूलराज ने इन ब्राह्मणों का बहुत आदर सत्कार किया। इन्हें धन, जन तथा ग्रामादि दक्षिणा में देकर

सन्तुष्ट किया। उदीची दिशा या उत्तर देश के निवासी होने के कारण ये ब्राह्मण औदीच्य नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं औदीच्य ब्राह्मणों में त्रिवेदी औदीच्य वंश का सामवेदी मूल पुरुष भी था। मूल-राज ने इसका भी अन्य ब्राह्मणों की तरह पुष्कल सत्कार किया और इसे सिद्धपुर नामक ग्राम दक्षिणा में अर्पित कर दिया। इससे प्रतीत होता है कि सामवेदी त्रिवेदी औदीच्य ब्राह्मणों का गुजरात में आदि-स्थान सिद्धपुर ही था।

परम्परा से यह प्रसिद्ध है कि सिद्धपुर में निवास करने वाले इन ब्राह्मणों में से एक विद्वान्, शास्त्रज्ञ तथा धर्मनिष्ठ त्रिवेदी औदीच्य ब्राह्मण ने यात्रा की इच्छा से कच्छ की यात्रा की तथा प्रसिद्ध स्थान भूज में पहुँचकर वह एक धर्मशाला में ठहरे। उस समय कच्छ के नरेश ने एक वृहद्यज्ञ का समारंभ उद्‌घोषित किया था। यज्ञमण्डप, यज्ञवेदी तथा यज्ञशाला की बड़ी सुन्दर रचना हुई थी। कर्ण परम्परा से यह सम्वाद इस सिद्धपुरवासी औदीच्य ब्राह्मण ने भी सुना और दर्शन लालसा से यज्ञ मण्डप की तरफ प्रस्थान किया। वहाँ पहुँच कर जब इसने वेदी चयन आदि का समीक्षण किया तो इसके मुख से अनायास ही निकल पड़ा कि 'इस यज्ञ का कार्य शास्त्र की पद्धति के अनुसार नहीं हो रहा है तथा यज्ञवेदी की रचना भी अयोग्य रीति से हुई है। चूँकि इस वेदी के नीचे गाय की अस्थि दबी रह गई है। इस अयोग्य विधि से यज्ञ संपादन करने पर राज्य का मान घटेगा।" यह बात फैलते फैलते कच्छनरेश के कानों तक पहुँची। कच्छनरेश ने इस औदीच्य ब्राह्मण को राज दर्बार में बुलाकर कहा कि 'वेदी के नीचे से गाय की अस्थि निकालकर दिखाओ, नहीं तो यज्ञ का समग्र खर्च तुम्हारे ऊपर डाल दिया जायगा।" यह सुनकर उस ब्राह्मण ने यज्ञवेदी उखड़वाकर उसके नीचे से गाय की अस्थि निकालकर सामने रखदी।

यह देखकर कच्छनरेश आश्चर्य मुग्ध हो गये और श्रद्धापूर्वक यज्ञ कार्य का सम्पूर्ण नेतृत्व इसी ब्राह्मण के आधीन कर दिया।

इस बात को इस ब्राह्मण ने अस्वीकार किया और कहा कि इस राजकीय यज्ञ का सम्पादन कुल पुरोहित द्वारा ही कराना उचित है।

यज्ञ पूर्ण हो जाने के अनन्तर जब भूमिदान का अवसर आया कच्छनरेश ने सिद्धपुर निवासी इस विद्वान् ब्राह्मण को २०० बीघा जमीन, दो उद्यान तथा दो बाडिएँ भेंट कीं। तीर्थाटन के उद्देश्य से बाहर निकले हुए इस ब्राह्मण को जब इतना पुष्कल दान प्राप्त हुआ तो इसने थोड़े ही दिनों में तीर्थों का दर्शन कर भूँजमें निवास शुरू कर दिया। इसी ब्राह्मण के प्रताप से भूँज तथा कच्छ के सामवेदी, त्रिवेदी औदीच्य ब्राह्मणों का वंश विस्तार हुआ और शनैः शनैः यह कुटुम्ब विस्तृत हुआ।

सौराष्ट्र के इतिहास से पता लगता है कि कच्छ के राव के वंशजों ने समय समय पर काठियावाड़ में उतर कर अनेक स्थानों पर राज्य की स्थापना की थी। इसी कारण काठियावाड़ के कई नरेश कच्छ के राज कुटुम्ब के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित करते हैं। काठियावाड़ के इतिहास में यह एक प्रसिद्ध बात है कि भूँज के चार राज वंशज सहोदर भाई अपने साथ ८० हजार राजपूत सैन्य, गृहस्थोपयोगी पुष्कल सामान, अनेक मनुष्य तथा पुष्कल ब्राह्मणों के साथ विक्रम सम्बत् १५६२ में सौराष्ट्र में आये थे और उनमें से ज्येष्ठ भाई जाम रावल जी ने सम्बत् १६०२ (ईस्वी) में जामनगर में अपनी राज्य गद्दी स्थापित की थी। इस बात से यह सिद्ध होता है कि जाम रावलजी वगैरह के साथ कच्छ से अनेक ब्राह्मण काठियावाड़ में आ बसे थे।

कच्छ से केवल जाम रावलजी आदि के साथ ही ब्राह्मण नहीं आये थे प्रत्युत रायगढ़जी के एक पुत्र रेवाजी के साथ भी अनेक ब्राह्मण

कच्छ से काठियावाड़ में आये थे। इन रेवाजी ने जिला कलक्टर के अधिकार पद पर १७४३ विक्रमी सम्वत् में मौरवी में आकर ११ वर्ष तक राज्य का कार्य किया था। रेवाजी के पुत्र कायाजी के साथ भी कई ब्राह्मण आये थे। जाम रावलजी, रेवाजी तथा कायाजी के साथ भिन्न भिन्न समयों में जो ब्राह्मण आये थे, उनमें त्रिवेदी वंश के सामवेदी औदीच्य ब्राह्मण भी थे" इस विषय में कोई संशय नहीं है । सिद्धपुर से आया हुआ सामवेदी औदीच्य ब्राह्मण कच्छनरेश की कृपा से हो भूज का निवासी बना था और राज्य की तरफ से मिली हुई जमीन से उसने उन्नति लाभ कर उसने अपनी वंश वृद्धि की थी । उस समय राजाओं के पारस्परिक गृह विवाद के आन्तरिक कलह के समयों में भी इन्हें इन्हीं राजाओं की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था । उस समय इनके समानगोत्र ब्राह्मणों व अन्य ब्राह्मणों को किसी भी राजा का पक्ष ग्रहण कर उसके साथ देशान्तर में जाना पड़ा हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

उस समय विशेषतः कायाजी के साथ जो ब्राह्मण काठियावाड़ में आये थे उनमें सामवेदी त्रिवेदी औदीच्य ब्राह्मण भी थे इस विषय का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है। कायाजी के साथ आये हुए सामवेदी ब्राह्मण प्रथमतः भूज से कच्छ के कंटारिया में आये थे और वहाँ से मौरवी राज्य की बरसामंडी में और बरसामंडी से दो शाखायें होकर एक शाखा जो कि मौरवी में आई थी वह बडाल में और दूसरी टंकारा में आकर निवास करने लगी थी। बडाल वालों का वंश निस्सन्तान होकर नष्ट होगया परन्तु टंकारा वालों का वंश आज तक स्थिर है।

जो टंकारा में आकर बसे थे उनमें एक मेघजी त्रिवेदी नामक सामवेदी थे जिनकी दो सन्तानें थीं। पहली का नाम विश्राम तथा दूसरी का नाम डोसा था। जीवा मेहता ने जब जीवापुर ग्राम की स्थापना की थी तब उन्होंने इन्हीं विश्राम को प्रचुर भूमि देकर वहां पर बसाया था।

वर्तमान समय में जीवापुर में जितने सामवेदियों के घर हैं वे सभी इन्हीं विश्राम के वंशज हैं। विश्राम तो जीवापुर में जाकर बसने लगे और डोसा टंकारा में ही रहने लगे। डोसा का पुत्र कुंवरजी और कुंवरजी का बेलजी नामक पुत्र हुआ। इन बेलजी के साथ ऋषि दयानन्द के पिता कर्सनजी त्रिवेदी का सम्बन्ध था। टंकारा के पोपटरावल व वेणीबाई के मुख से हमें विदित हुआ है कि ये बेलजी या तो कर्सनजी त्रिवेदी के चाचा का पुत्र था या कर्सनजी के पिता का भाई था।

अब यह प्रश्न शेष रह जाता है कि कर्सनजी त्रिवेदी के पूर्वज किस समय में किस राजा के साथ काठियावाड़ में आये थे ? ऐसा प्रतीत होता है कि या तो वे जाम रावलजी आदि चार भाइयों के साथ आये थे या रेवाजी व उनके पुत्र कायाजी के साथ आये थे। चूंकि यह एक प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य जिस स्थान पर चिरकाल तक निवास करता है और जिसे वह अपना स्वदेश मानता है उसको यदि कारणवश छोड़ना पड़े और वहां से दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़े तब भी वह विवाहादि समयों पर अपने स्वदेश वासियों के साथ ही सम्बन्ध घटित करने का प्रयत्न करता है। उदाहरणार्थ राजपूताना में आने के बाद कितने ही बंगाली चिरकाल से बंगाल के भिन्न २ भागों से आकर जयपुर, करौली तथा अलवर वगैरह स्थानों में जा बसे हैं। परन्तु अपनी सन्तान के उद्वाह सम्बन्ध के समय वे वहाँ पर सम्बन्ध स्थापित न कर, जहाँ से आकर बसे हैं, वहाँ पर ही सम्बन्ध स्थापित करने को इच्छा करते हैं।

इसी तरह कर्सनजी त्रिवेदी के मूल पुरुष भी कच्छ के निवासी थे, यह इस बात से विदित होता है कि उन्होंने अपने कनिष्ट पुत्र वल्लभजी का विवाह कच्छ में ही किया था। जिस मोंगीबाई के साथ वल्लभजी का विवाह हुआ था वह कच्छ की ही थी। मोंगी के पिता भूज में रहते थे और एक मन्दिर के पुजारी थे।

हरिभाई त्रिवेदी के समय से ही कर्सनजी के पूर्वज जिस तरह कोशिया जमीनका उपभोग करते आये हैं उसी तरह वे घुड़कोट, जीरागढ़ आदि के यजमानों को दक्षिणादि का उपभोग भी करते थे। इसका यही प्रमाण है कि विशेष शास्त्रज्ञ व धर्मनिष्ठ होने के कारण इन सब ग्रामों के बहुसंख्यक व्यक्ति हरीभाई त्रिवेदी को अपना गुरु मानते थे। सिर्फ हरीभाई त्रिवेदी ही शास्त्र पारंगत थे यह बात नहीं है, प्रत्युत ऋषि दयानन्द के पिता पितामहादि भी शास्त्र निपुण, स्वधर्मनिष्ठ तथा कर्मकाण्डी थे। इसी लिये ऋषि दयानन्द ने स्वकथित आत्मचरित में कहा है कि—"पिता माता तथा अन्य मेरे वयोवृद्ध मुझे कुलक्रमागत रीति के अनुसार शिक्षा देने लगे" इससे यह विदित होता है कि जिस कुल में ऋषि दयानन्द ने जन्मग्रहण किया था उसमें शास्त्राध्ययन कुल परम्परा से चला आता था। वे लोग शास्त्र पठन तथा विद्याभ्यास पर विशेष ध्यान रखते थे।

हम यह ऊपर लिख आये हैं कि कायाजी के साथ जो त्रिवेदी सामवेदी ब्राह्मण आये थे उनमें से कुछ बडाल में और कुछ टंकारा में बस गये थे और इन्हीं में कर्सनजी के पूर्वज भी थे। हम यह भी लिख आये हैं कि जो टंकारा में आकर रहे थे उनमें वेलजी भी थे, जो कर्सनजी त्रिवेदी के चाचा के पुत्र थे। इसके सिवाय यह भी पता लगाया गया है कि जो ब्राह्मण बडाल में जाकर बसे थे वे भी कर्सनजी के जाति बन्धु ही थे। बडाल वासी त्रिवेदी तथा कर्सनजी के पिता पितामहों की शाखायें पहले एक हीकुटुंब में थीं परन्तु बाद में जब वे कच्छ से हटकर काठियावाड़ में आये तब वे भिन्न भिन्न रूप में फैलगईं। जिस वंशवृक्ष की शाखायें इतनी विस्तृत और प्रलम्ब हैं वह स्वयं बहुत महान होगा यह अनुमान तो स्वतः सिद्ध ही है। इसीलिये ऋषि दयानन्द ने भी अपने पूना व्याख्यान में एक जगह कहा है कि—

"वर्तमान में हमारा कुटुम्ब १५ शाखा प्रशाखाओं में फैला हुआ

है।' जिस कुटुम्ब के १५ विभाग हैं वह बड़ा होना ही चाहिये। इस लिये संक्षेप से यह कहा जा सकता है कि ऋषि दयानन्द के पूर्वज प्रारम्भ में उत्तर हिन्दुस्तान के किसी भाग से आकर सिद्धपुर में बसे थे। वहां से कच्छ भूज में आकर और वहां कुछ काल रहकर वे अन्त में काठियावाड़ में आ बसे थे। बाद में जब कोशिया की जमीन दान में प्राप्त हुई तब हरीभाई त्रिवेदी स्वयं कोशिया में आकर रहने लगे। इनकी सन्तान भी बाद में इसी कोशिया में रहती थी। कर्सनजी के पिता लालजी त्रिवेदी भी कुछ समय तक कोशिया में ही रहते रहे परन्तु ऐसा अनुमान होता है कि किसी विशेष अनिवार्य कारणवश उन्हें कोशिया छोड़ कर टंकारा में निवास करना पड़ा।

कुछ भी हो इतना तो अवश्य सिद्ध हो जाता है कि कोशिया ग्राम हरिभाई त्रिवेदी को दान में प्राप्त हुआ था उनके पुत्र लालजी ने भी उक्त सम्पत्ति का उपभोग किया तथा इन लालजी ने ही सर्व प्रथम टंकारा को अपना निवास स्थान बनाया। लालजी के अनन्तर उनके पुत्र कर्सनजी त्रिवेदी ने भी उक्त ग्राम में ही शिक्षा प्राप्त कर वहीं पर अपने व्यवसाय की और भी वृद्धि की। वे कोशिया की व्यवस्था भी करते थे, टंकारा में शराफी का व्यवसाय भी करते थे, इन दोनों कार्यों के साथ साथ भाऊ साहब की तरफ से टंकारा के कलक्टरी पद को भी सुशोभित करते थे और अपनी उच्च बुद्धि शक्ति के कारण इन सभी पृथक् पृथक् कार्यों को सुचारु रूपेण संचालित करते थे।

ऋषि का जन्म स्थान

प्रो० रामदेव जी की रिपोर्ट

सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा की आज्ञानुसार प्रो० रामदेव जी काठियावाड़ प्रान्त में ऋषि दयानन्द के जन्म स्थान की निश्चित खोज करने गये थे। प्रोफेसर महोदय की रिपोर्ट का सार, जो उक्त सभा के आगे पेश हुआ इस प्रकार है:—

"मुझ से पूर्व पं० लेखराम जी तथा बंगाल के महा० देवेन्द्रनाथ मुकर्जी ने स्वामी दयानन्द जी के जन्म स्थान की खोज की थी। प० लेखराम जी मौरवी गये थे। और वहां के कामदार कान्ह जी कुबेर जी के प्रबन्ध से वहां के मुखिया लोग कल्याण जी रावल के स्थान पर एकत्रित हुए थे। परन्तु पण्डित जी के मुख से मूर्ति पूजा के विरुद्ध कोई बात सुनकर उन्होंने पण्डित जी से न केवल स्वयं असहयोग ही कर लिया किन्तु दूसरे स्थानों में भी असहयोग का प्रबन्ध कर दिया। इस वृत्त का प्रमाण ३ वृद्ध पुरुषों की साक्षी है।

पण्डित जी को उक्त कामदार कान्ह जी कुबेर जी ने अपने एक चाचा का वृत्तान्त सुनाया कि वह भी वैरागी होकर घर से निकल गया था। पण्डित जी ने इसी से निश्चय कर लिया कि ऋषि इन्हीं कान्ह जी कुबेर जी के चाचा होंगे।

मैं कान्ह जी कुबेर जी के पुत्र म० प्रेम शङ्कर बी० ए० से मिला। यह महाशय मौरवी में फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं। उनका वंश उदीच्य तो है, परन्तु है यजुर्वेदी। इसके विरुद्ध स्वामी जी ने अपने वंश को सामवेदी लिखा है। यद्यपि उन्हें स्वयं यजुर्वेद कण्ठस्थ कराया गया था अधिक अन्वेषण करने पर ज्ञात हुआ कि मौरवी में सामवेदी उदीच्यों के कम घर हैं और लड़का भागने की कथा किसी घर की नहीं।

कान्ह जी कुबेर जी के विषय में सविस्तर पूछने पर पता लगा कि उनका जन्म नाम चक्कू था और उपनाम महेश्वर। भागने के समय उनकी आयु ३०, ४० के बीच में थी। उनके पिता पीतम्बर पांडे थे। उनकी दो स्त्रियां थीं वे अफीम खाते थे। महेश्वर महाशय के पोते से भी मेरी भेंट हुई।

ये सब बातें पण्डित लेखराम जी की खोज को भ्रम मूलक सिद्ध करती हैं।

मौरवी के एक ओर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट म० छोटेलाल ने मौरवी महाराज के प्रमाण से बताया कि स्वामी जी का जन्मस्थान सज्जनपुर है। पं० लेखराम जी ने मौरवी राज से एक महाशय द्वारा पूछा था उसके उत्तर में महाराज ने मौरवी राज्य का तो पता दिया था परन्तु नगरादि के विषय में अनभिज्ञता प्रकट की थी।

ऋषि चरित्र के दूसरे अन्वेषक म० देवेन्द्रनाथ ने मौरवी राज्य की सहायता से ही उनकी रियासत में अन्वेषण कार्य्य किया था। उन्हें इस स्थान का पता नहीं दिया गया। इससे यह धारणा भी निर्मूल प्रतीत होती है।

इन स्थानों के अतिरिक्त मघपुर जिह्वापुर तथा मतियाना के विषय में ऋषि की जन्म-भूमि होने की किंवदन्ती भी है। परन्तु किसी स्थान की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं। ऋषि के वंश के कुछ लोग इन स्थानों में जा बसे थे। स्यात् इसी से इन स्थानों को ऋषि का जन्म स्थान होने का अनुमान किया गया है। सबसे अधिक चर्चा टंकारा ग्राम की है। म० देवेन्द्रनाथ की खोज का फल भी यही स्थान है। टंकारा के बाहर कुबेर का मन्दिर है। ग्राम में प्रसिद्ध है कि इस मन्दिर में त्रिपाठियों के एक लड़के ने महादेव पर ऊँदर (चूहा) चढ़ता देखकर पिता से उलटे सीधे प्रश्न किये थे। उक्त पिता का नाम कर्सनजी लालजी था। उनकी लड़की प्रेमबाई थी। कर्सनजी का भाई वल्लभजी था जिसकी विधवा मूंगी बाई थी। प्रेमबाई का विवाह मंगलजी के साथ हुआ था। प्रेमबाई के पुत्र बोगा रावल का पुत्र कल्याणजी रावल था। इसका पुत्र पोपटलाल रावल हुआ। पोपटलाल रावल इस समय जीवित है और मद्रास में ठेकेदारी करता है। पोपट की आयु इस समय ४० वर्ष के लगभग है। कर्सन जी के लड़के के भाग जाने और भाग कर संन्यासी हो जाने और भाई वल्लभ जी के मर जाने से, उनकी सम्पत्ति प्रेमबाई को मिली और वह अब तक पोपटलाल के अधिकार में है।

पोपटलाल की माता और प्रेमबाई की पोती इन दोनों देवियों से मैं मिला। अन्तिम देवी ने मुझे बताया कि प्रेमबाई प्रायः रुदन किया करती थी कि मेरा एक भाई घर से भाग गया था। पिता के उपवास सम्बन्धी आग्रह और इसी सम्बन्ध में कठोर व्यवहार तथा चूहे आदि का वृत्तान्त भी प्रेमबाई सुनाया करती थी।

इस साक्षी का समर्थन कालीदास रावल (आयु ६६ वर्ष) ने किया। इन महाशय ने प्रेमबाई से उसकी एक बहिन के हैजे से मरने की वार्ता भी सुनी थी।

पोपटलाल की माता की यह सारी बातें सुनी हुई हैं। उसने भी उक्त सारे वृत्तान्त का समर्थन किया। कर्सन जी की सम्पत्ति (कोशिया में ४५ बीघे भूमि और टंकारा में १५ बीघे) पोपटलाल के अधिकार में अब तक विद्यमान है। कर्सन जी के गृह में, जहाँ स्वामीजी का जन्म हुआ था अब पोपटलाल का भाई रहता है, मैं उस गृह में भी गया था।

इब्राहीम पटेल (आयु १०० वर्ष) कर्सन जी के पड़ोसी थे। उन्होंने कर्सन जी के कुबेर मन्दिर में पूजा-रत रहने तथा उनके एक गौरवर्ण लड़के के भाग जाने का वृत्तान्त सुनाया। उन्होंने कहा कि कर्सन जी धनी पुरुष थे और लेन देन किया करते थे। उनके घर पर गायें भैंसें भी रहती थीं। गांव में हैजा होना उन्हें स्मरण है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्सन जी की आयु मृत्यु समय ५० वर्ष की थी।

रेवाशंकर ब्रह्मचारी (आयु ७० वर्ष) पोपटलाल के वंश के हैं। वह बुगा से मिल चुके हैं। बुगा ने प्रेमबाई द्वारा सुनी हुई ऋषि के भागने की कथा उन्हें सुनाई थी।

बुगा की भगिनी वेंकौर जीती है। उसने उक्त बात का समर्थन किया। केसर बाई (रेवाशंकर की दादी) ने तीर्थ यात्रा में स्वामी जी

को देखा था। और घर आकर बताया था कि मूल अब दयानन्द बन गया है और मूर्ति पूजा का खण्डन करता है।

हनुमतिया के रेवाशंकर तिवारी (आयु ७५ वर्ष) ने केसरबाई से स्वामी जी की सारी कथा सुनी है।

महर्षि दयानन्द अपने चरित्र में लिखते हैं।

'इसके पश्चात् एक दफा प्रयाग में मेरे गांव के कुछ लोग मुझे मिले थे लेकिन मैंने पहचान नहीं दी।' सम्भव है उन "गांव के लोगों" में केसर बाई हो। दोनों ने एक दूसरे को पहचान भी लिया हो और बताया भी न हो कि पहचाना है। जिस से दोनों का भ्रम बना रहा हो। कि पहचान नहीं दी।

इन साक्षियों से मुझे यही प्रतीत होता है कि ऋषि का जन्म स्थान टंकारा था।

अभी ऋषि के बहिनों भाइयों का, जिनका वर्णन ऋषि के स्व-कथित जीवन चरित्र में है, पता नहीं चला और इस अंश में यह खोज अधूरी है तो भी खोज का मुख्य भाग पूरा हो गया प्रतीत होता है।

ऋषि की वंशावली को भी मैंने लाने का यत्न किया। परन्तु सफलता नहीं हुई। वंश में से कोई आदमी न रहने के कारण चारणों को वंशावली स्मरण रखने का कोई प्रयोजन नहीं रहा। जब बा० देवेन्द्र नाथ काठियावाड़ गये थे तब यह वंशावली उपस्थित थी। यदि बाबू जी जिह्वापुर जाते तो उन्हें वह वंशावली मिल जाती। एक बार फिर वहां जाने और खोज करने से सम्भव है कि यह कार्य्य भी सिद्ध हो जाये।"

(१२) आर्य्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, लाहौर

पंजाब के आर्यों और आर्यसमाजों में, जो मतभेद प्रारम्भ में उत्पन्न हुआ था, उसका कारण, मांस भक्षण था। एक फरीक़ उसे,

विहित और दूसरा निषिद्ध समझता था। विहित समझने का क्रियात्मक रूप यह था कि मांस भक्षण चाहे वेदानुकूल न हो परन्तु कोई भी मांस भक्षक आर्यसमाज का अन्तरंग सभासद् और अधिकारी रह सकता है। यद्यपि कोई कोई उसे (मांस भक्षण को) वेदानुकूल होने की बात भी कह दिया करते थे परन्तु समष्टि रूप से आर्यसमाज की उस पार्टी ने भी जिसे प्रारंभ में मांस पार्टी कहा जाता था, मांस भक्षण के वेदानुकूल या विहित होने की घोषणा नहीं की थी। इसी भेदभाव के कारण वहां पृथक् पृथक् समाज और अन्त में एक दूसरी प्रतिनिधि सभा भी "प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा" के नाम से बनी और इस प्रकार पंजाब का आर्य जगत् दो भागों में विभक्त होगया।

इस बीच में एक उल्लेखनीय घटना घटित हुई और वह यह थी कि महाराजा जनरल सर प्रतापसिंह बहादुर के हस्ताक्षर से आर्य्य समाज जोधपुर ने एक प्रस्ताव छपवाकर समस्त समाजों में भिजवाया जिसमें मांस भक्षण का विहित होना प्रतिपादन किया गया था। यह पीछे से निश्चित होगया था कि महाराजा को उस समय कुछ एक संन्यासियों और पण्डितों ने विश्वास दिलाया था कि आर्य समाजें, समष्टि रूप से, इस प्रस्ताव का स्वागत करेंगी। पंजाब की मांस पार्टी का, इस जोधपुर वाले प्रस्ताव के स्वीकार कराने में, हाथ था या नहीं, इसमें मतभेद था। निश्चित रीति से कुछ नहीं कहा जा सकता। जो कुछ हो घटना घटित यह हुई कि प्रस्ताव का आर्य्यसमाजों ने घोर विरोध किया और वह प्रस्ताव रद्दी के टोकरे में डालने के योग्य ठहरा दिया गया। इस घटना के बाद पंजाब की मांस पार्टी का जो उस समय, कलचर्ड पार्टी कही जाती थी, रूप बदला और अब वह कालिज पार्टी कही जाने लगी और मांस भक्षण का विहित कहा जाना भी बंद होगया। प्रादेशिक सभा ने पूछने पर कि मांस भक्षण के सम्बन्ध में अब उनकी स्थिति

क्या है, अपनी घोषणा सं० ८६५६ ता० ६ अक्टूबर १६१८ ई० की लिपि भेजी जो इस प्रकार है:—

"मांस भक्षण के विषय में हमारी सभा का सिद्धांत वही रहा है और अब भी वही है जो श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज का है अर्थात् मांस भक्षण वेदानुकूल नहीं है।"

श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से पूछा गया कि जब प्रादेशिक सभा की घोषणानुसार, उनका मांस भक्षण के सम्बन्ध में, उसी प्रकार का मत है जो बाकी प्रान्तिक सभाओं और समाजों का है तब क्यों न प्रादेशिक सभा को इस सभा में प्रविष्ट कर लिया जावे। इस पर अनेक प्रकार के पत्र व्यवहार के बाद, पंजाब की प्रतिनिधि सभा की ओर से यह आपत्ति की गई कि यह जिसे घोषणा कहा जाता है वह केवल प्रादेशिक सभा के मंत्री के एक पत्र की लिपि है जो देहली के आर्यसमाज बाज़ार सीताराम के पत्रोत्तर में उन्होंने लिखा था। उनकी सभा (प्रादेशिक सभा) को स्पष्ट रूप में अपनी अन्तरङ्ग सभा से एक प्रस्ताव स्वीकार कराना चाहिये कि "मांस भक्षण वेद विरुद्ध और पाप है और मांस भक्षण करने वाले को समाज में कोई स्थान (अधिकार) न दिया जावे।"

प्रादेशिक सभा के मन्त्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उपर्युक्त घोषणा के सिवा, उनकी सभा ने मांस के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पक्ष या विपक्ष में स्वीकार नहीं किया है। इस पर प्रादेशिक सभा के मन्त्री जी को लिखा गया कि वे अपनी अन्तरङ्ग सभा से अपेक्षित प्रस्ताव स्वीकार करावें—इस पर उन्होंने अपने पत्रोत्तर द्वारा अपनी अन्तरङ्ग सभा के प्रस्ताव सं० २२ तिथि ६-१-१६३२ की लिपि भेजी जो इस प्रकार है:—

"आर्य्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा का पत्र पढ़ा गया। निश्चय

हुआ कि यदि उक्त (सार्वदेशिक) सभा की अन्तरङ्ग सभा एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय दिलावे कि मांस के विषय में हमारी सभा ने जो घोषणा कर रक्खी है, उसका confirm (पुष्ट) करना Affiliation (सार्वदेशिक सभा में प्रवेश) के लिये पर्याप्त होगा तो उस घोषणा को हमारी सभा confirm कर देगी।"

इस प्रस्ताव के आने के बाद, यह विषय सार्वदेशिक सभा के विशेष अधिवेशन में, जो तारीख २० अक्टूबर सन १९३३ ई० को अजमेर नगर में हुआ था, पेश हुआ और प्रशंसित सभा ने अपने प्रस्ताव संख्या २ द्वारा निश्चय किया कि "यह सभा निश्चय करती है कि यदि प्रादेशिक सभा को अन्तरङ्ग सभा ता० ६ अक्टूबर १९१८ ई० के पत्र की घोषणा को, जो सभा के मन्त्री ने आर्यसमाज बाज़ार सीताराम देहली को लिखा था, प्रस्ताव के रूप में पास कर देवे तो प्रादेशिक सभा को सार्वदेशिक सभा में सम्मिलित किया जावे।"

इस प्रस्ताव की लिपि प्रादेशिक सभा के मन्त्री की सेवा में ता० ३-११-३३ को भेजी जा चुकी है अब प्रादेशिक सभा जब चाहे अपेक्षित प्रस्ताव पास करके इस सभा में सम्मिलित हो सकती है।

(१३) देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर प्रचार

सन् १९२४ ई० के अन्त तक धनाभाव के कारण यह सभा अपने नाम के अनुरूप कोई काम नहीं कर सकी। मद्रास प्रचार का काम एक उपदेशक रख कर शुरू कराया गया था, परन्तु धन न होने के कारण उस काम को उस समय के प्रधान स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी ने आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के आधीन कर दिया था और सार्वदेशिक सभा की अन्तरङ्ग सभा ने अपने प्रस्ताव सं० ६ ता० ७ जुलाई १९२३ के द्वारा प्रधान ज़ी की इस कार्यवाही को स्वीकार कर लिया था।

(२) सन् १९२५ ई० में देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर प्रचार

के लिए श्रीमद्दयानन्द जन्म शताब्दी मथुरा के महोत्सव में अपील की गई। उस अपील के द्वारा ४८ हज़ार से कुछ अधिक धन एकत्रित हो गया। यह अपील स्वदेश के ऐसे भागों में, जहाँ न आर्य समाजें हैं, न प्रांतिक सभायें और जहाँ प्रचार कराना इस सभा का कर्तव्य है प्रचार कराने तथा देश से बाहर अन्य देशों में भी प्रचार कराने के लिये की गई थी, इसी लिये इस निधि का नाम 'देश देशान्तर (स्वदेश) और द्वीप द्वीपान्तर (विदेश) प्रचार निधि', ऋषि दयानन्द के स्वीकार पत्र के अनुसार रक्खा गया था। इस निधि की स्थापना के बाद इस सभा ने इन दोनों क्षेत्रों में प्रचार के लिये क्या कार्य किया, उसका वृतान्त निम्न भांति है:—

(१) देश देशान्तर प्रचार

स्वदेशान्तर्गत मद्रास, उड़ीसा और आसाम तथा पहाड़ी इलाक़े ऐसे स्थान हैं जहाँ इस सभा को प्रचार कराना चाहिए था। इन स्थानों में से आसाम को बंगाल की आर्य प्रतिनिधि सभा ने अपने अन्तर्गत लेकर अपनी सभा को, दोनों प्रान्तों की सभा होने का दरजा दे दिया। इसी प्रकार उड़ीसा को आर्य प्रतिनिधि सभा बिहार ने अपने आधीन कर लिया था, इसलिये इस सभा ने इन प्रान्तों में प्रचार कराने का सम्प्रति विचार छोड़कर केवल मद्रास प्रान्त में प्रचार शुरू कराया। मद्रास के मुख्यतया चार भाग हैं और चारों की भाषा एक दूसरे से सर्वथा पृथक् है:—

(१) मद्रास .... तामिल भाषा
(२) आन्ध्र प्रान्त .... तैलगू भाषा
(३) मलावार .... मलयालम भाषा
(४) करनाटक .... कनाड़ी भाषा

इन चारों प्रान्तों के लिये इस सभा ने दो उपदेशक नियत किये हुए हैं। पहले और दूसरे भाग पं० केशवदेव ज्ञानी के आधीन हैं

और तीसरे चौथे भाग पं० धर्मदेव विद्यावाचस्पति की देख रेख में किये गये हैं। ये उपदेशक महोदय बराबर १९२३ ई० से अब तक वहाँ प्रचार कर रहे हैं।

पहले मिशन के यत्न से अब तक निम्न समाज स्थापित हो चुके हैं:—

(१) मद्रास (२) विजगापट्टम (३) गुन्टूर (४ मदनपल्ली (५) हिन्दूपुर (६) नैल्लार (७) मसूलीपटम (८) राजमहन्द्री (९) ट्रिप्लीकेन (१०) सूलै (११) पैशम्बूर (१२) पैडारियर (१३) कारेकुड़ी (१४) पुलियन्तोप (१५) सेलम।

दूसरे मिशन के यत्न से अब तक निम्न समाज स्थापित हो चुके हैं:—

(१) बंगलौर (२) मंगलोर (३) मैसूर (४) तीर्थहल्ली (५) कासरगौड (६) कुकरपुर (७) बलवन्तगड़ी (८) बेलगांव (९) हुबली (१०) पुत्तूर (११) होसदुर्ग (१२) हिरिपड़क (१३)रामचन्दुपुरम (१४)कार्कल।

इन दोनों मिशनों के आधीन अब तक कई हज़ार शुद्धियाँ हो चुकी हैं। दक्षिणी भाषाओं में कई उपयोगी पुस्तकें तथा ट्रेक्ट लिखे गये हैं। इस सभा के उपदेशकों ने दक्षिणी पंडितों से, जो संस्कृत के बड़े विद्वान् समझे जाते हैं, कई बड़े मार्के के शास्त्रार्थ किये हैं, जिनका प्रभाव आर्य समाज के लिये बड़ा हितकर सद्ध हुआ है।

विदेश प्रचार

अमेरिका प्रचार

सितम्बर १९३३ ई० में अमेरिका के शिकागो नगर में 'विश्व धर्म सम्मेलन' हुआ था। उस सम्मेलन में संसार के भिन्न भिन्न धर्मों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। आर्य समाज की ओर से सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधि के रूप में उस सम्मेलन में श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी

बी. ए. वैदिक रिसर्च स्कालर सम्मिलित हुए थे। पंडित जी ने उस सम्मेलन में बड़ी योग्यता और सफलता के साथ आर्य समाज का प्रतिनिधित्व किया और आर्य समाज की शिक्षा और कर्तव्यों के प्रति अमेरिका के नर-नारियों को दिलचस्पी को जागृत किया। पंडित जी के प्रचार से वे लोग इतने प्रभावित हुए कि सम्मेलन के कार्यकर्ता प्रधान को निम्न पत्र द्वारा इस सभा को प्रेरणा करनी पड़ी कि वह पंडित जी को कुछ अधिक समय तक अमेरिका में रखकर प्रचार करायें।

World Fellowship of Faiths,
Chicago (United States, America)
October 6, 1933.

To

The Secretary of the
International Aryan League,
Delhi (India).

My Dear Mr. Secretary,

Namaste !

Hearty thanks are due to you and your colleagues in the International Aryan League of Delhi, India, for enabling the Rev. Pandit Ayodhya Prasad, B.A. to participate in the Chicago meeting of the world Fellowship of Faiths.

He has several times addressed the meetings, and his addresses have been informing and inspiring At a number of meetings, he has opened the Services with the very beautiful and stirring chanting of Vedic hymns and prayers. He has also given good Council and leadership in individual and group Conferences.

Altogether, we are deeply grateful for the leadership, information and inspiration which he has contributed to the World Fellowship of Faiths in a splendid spirit of fraternal fellowship, which has endeared him to all of us.

Now that he has made the long journey to Chicago, it seems important that he should remain some what longer to address various meetings, to familiarise himself with our American Institutions, and to make known the whole character and achievements of your great movement.

Gratefully and fraternally yours,
Charles Frederick Weller
General Executive.

विश्वधर्म सम्मेलन,
शिकागो (संयुक्त राज्य अमेरिका)
६ अक्तूबर, १९३३ ।

सेवा में श्री मन्त्री जी,
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा'
देहली ।

प्रियवर मन्त्री महोदय,

नमस्ते !

श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी बी० ए० को विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो के अधिवेशन में भेजने के लिये आपको तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में आपके सहयोगियों को हार्दिक धन्यवाद !

श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी ने सभाओं में कई भाषण दिये हैं। उनके व्याख्यान खोज पूर्ण तथा प्रभावशाली होते हैं। बहुत से अधिवे-

शनों का कार्यारम्भ उन्होंने सुन्दर और ओजस्विनी वेद की ऋचाओं और ईश्वर प्रार्थनाओं से कराया है। उन्होंने वैयक्तिक बातचीत तथा सभा सोसाइटियों द्वारा उत्तम परामर्श दिए हैं।

सारांश यह है कि हम सब उनके नेतृत्व, ज्ञान और उत्साह वर्धन के लिए जो उन्होंने भ्रातृत्व की सुन्दर भावना से सर्व धर्म सम्मेलन में योगदान दिया है अत्यन्त कृतज्ञ हैं और इन बातों के कारण उन्होंने अपने को सर्वप्रिय बना लिया है।

अब चूंकि वे लम्बी यात्रा करके शिकागो तक आये हैं यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वे कुछ अधिक समय तक यहाँ ठहरे, विभिन्न सभाओं में व्याख्यान दें, हमारी अमरीकन संस्थाओं से परिचित हों और उन्हें आर्यसमाज के महान् आन्दोलन के आदर्श चरित्र और सफलताओं से परिचित करायें।

आपका भाई
चार्ल्स फ्रेडरिक वेलर

इसी प्रकार दूसरा निम्न पत्र विश्व धर्म सम्मेलन के शिकागों संघ के प्रधान श्रीयुत रेबीनोफ ने भेजा था:—

World Fellowship of Faiths,
Chicago, December 19, 1933.

To

The Secretary, of the
International Aryan League,
Delhi (India).

My dear Mr. Secretary,

Namestey !

Please permit me to take this opportunity to thank your organization and to express our appreciation on the splendid work on behalf of the world

Fellowship of Faiths movement performed by Pandit Ayodhya Prasad.

Information has reached me that Mr. Prasad is leaving the United States to go to British Guiana so that he may change his temporary Visa for a permanent one. We hope he will be able to do this as we are quite anxious and eager to have him here in our midst. This may appear selfish, but we do feel the importance and value of his co-operations, and if he returns and remains here, We shall also be glad to co-operate with him in his work in whatever manner is within our power.

विश्व-धर्म सम्मेलन
शिकागो

सेवा में, १६ दिसम्बर १६३३

श्री मन्त्री जी !

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली।

प्रियवर मन्त्री महोदय नमस्ते !

कृपया मुझे आपकी सभा को धन्यवाद देने तथा विश्व-धर्म सम्मेलन में श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी द्वारा किये गये सुन्दर कार्य की सराहना करने का अवसर प्रदान करें।

मुझे समाचार प्राप्त हुआ है कि श्री पं० अयोध्याप्रसादजी ब्रिटिश गायना जाने के लिये संयुक्त राज्य को छोड़ रहे हैं, ताकि वह संयुक्त राज्य में रहने की अस्थायी आज्ञा को स्थाई आज्ञा में परिवर्तित करा सकें। हमें आशा है कि वह ऐसा करने में सफल होंगे, चूंकि हमारी प्रबल इच्छा है कि वह हमारे मध्य में रहें। यद्यपि हमारी यह इच्छा कुछ स्वाथ लिये हुए प्रतीत होती है परन्तु हम उनके सहयोग का महत्व

तथा मूल्य अनुभव करते हैं और यदि वह यहाँ लौटे और रहे तो हम यथा शक्ति उनके कार्य में हर प्रकार से सहयोग देकर आनन्दित होंगे।

आपका शुभचिंतकः -

एस. आर. रेबीन्यफ

उपरोक्त पत्रों के आने के पश्चात् अमरीका के अन्य नर नारियों की ओर से भी पंडित जी के कार्य के सम्बन्ध में कई पत्र आये, उनसे भी सम्मेलन के उपरोक्त दोनों प्रधानों की इच्छा और प्रेरणा की पुष्टि होती रही। इस सभा ने इस अवसर से लाभ उठाकर १० दिसम्बर १६३३ की अन्तरङ्ग सभा द्वारा पंडित जी को कम से कम एक साल तक अमरीका में रखने का निश्चय किया।

पंडित जी को कई अमरीकन संस्थाओं ने वैदिक धर्म पर व्याख्यान देने के लिये आमन्त्रित किया। वेद विषय पर पंडित जी के व्याख्यानों को सुन कर उत्तरी पश्चिमी विश्वविद्यालय के तुलनात्मक धर्म के प्रोफेसर चार्ल्स बरेडिन पंडित जी के मन्त्रार्थों से अचम्भित हो गये और एकान्त में कई घण्टे बातचीत करने के बाद पंडित जी से प्रार्थना की कि वेद और अन्य मतों के तुलनात्मक विषय पर एक व्याख्यान माला उनके विश्वविद्यालय मं देवें। तदनुसार पण्डित जी ने कई दिन तक उक्त विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिये। इसका यह प्रभाव हुआ कि उक्त प्रोफेसर पंडित जी के परम मित्र बन गये और उनके द्वारा कथित आर्य समाज की शिक्षाओं से प्रभावित होकर विश्वविद्यालय के अपने विभाग के पाठ्यक्रम में आर्य समाज का विषय रख दिया। इसके निमित्त उन्हें सभा की ओर से धन्यवाद दिया जा चुका है। पण्डित जी ने अपनी विद्वत्ता से अमरीका निवासियों पर आर्य समाज की छाप डाल दी, तथा कई पुरुषों तथा देवियों को अपना परम भक्त बना लिया। कई को निरामिषहारी बना दिया और कई को वैदिक संस्कृति के अध्ययन की रुचि उत्पन्न करा दी।

पंडित जी के शिकागो (अमेरिका) जाने का समस्त व्यय आर्य समाज कलकत्ता और बम्बई ने अपने अपने अधिकार क्षेत्रों से धन संग्रह करके दिया था। इसके लिये वे दोनों समाजें सार्वदेशिक सभा की ओर से विशेष धन्यवाद की पात्र हैं।

संयुक्त राज्य में ठहरने के लिये पंडित जी के पासपोर्ट की अवधि ६ मास की थी। अतः अवधि समाप्त हो जाने पर पासपोर्ट बदलवाने के लिये पण्डित जी दक्षिण अमेरिका के वेस्ट इण्डीज़ आदि द्वीप समूह में चले गये।

द्वीप द्वीपान्तर प्रचार

पंडित जी जिस समय कहीं बाहर जाकर पासपोट को बदलवाने की चिन्ता में थे, उनको वेस्ट इण्डीज़ तथा दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशों में बसे हुए भारतीयों की सामाजिक अवस्था का बड़ा ही खेद जनक परिचय मिला। इसलिये उन्होंने इस अवसर को अनुकूल समझ कर वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। इन उपनिवेशों में ब्रिटिश गायना डच गायना तथा ट्रीनीडाड आदि मुख्य स्थान हैं, जहाँ भारतीय पर्याप्त संख्या में बसे हुए हैं। पडित जी ने इन स्थानों में भ्रमण कर यहाँ के बसे हुए भारतीयों की सामाजिक तथा धार्मिक अवस्थाओं का अध्ययन किया और इससे इन्हें पता लगा कि उन भारतीयों में वृद्धों को छोड़कर प्रायः सभी युवकों से मातृ भाषा हिन्दी का पूर्ण रूप से लोप हो चुका है। हिन्दू जनता ईसाईयत और अंग्रेज़ी भाषा और वेष को अपना चुकी है। पौराणिक मतावलम्बियों के मिथ्या प्रचार से सर्व साधारण अपनी वास्तविक सभ्यता से अनभिज्ञ होते जा रहे थे। शिक्षित वर्ग उनके पाखण्ड और लूट खसोट से ऊब चुका था और मुख्यतया इसी के परिणाम स्वरूप ईसाईयत की ओर अग्रसर हो रहा था।

ट्रीनीडाड में प्रचार

पंडित जी के प्रचार से इस द्वीप में १५०० से अधिक व्यक्ति आर्य समाज में दीक्षित हो चुके हैं। इनमें अधिक संख्या ईसाइयों की है। डायमण्ड, छगुआनास, परसीवियेरेन्स स्टेट, प्रिंसेज़ टाउन, सेंट जोज़फ और डेबे आदि स्थानों पर आर्य समाज की स्थापना हो गई है। इनमें छगुआनास तथा प्रिंसेज़ टाउन उल्लेखनीय समाजें हैं। ट्रीनीडाड के समस्त आर्य समाजों में छगुआनास आर्य समाज का मुख्य स्थान है। यहीं से अन्य समाजों का सूत्र संचालन हुआ करेगा। यहाँ के आर्य भाइयों ने यह भी निश्चय किया है कि इस समाज का सम्बन्ध सार्वदेशिक सभा से किया जाय। इस समाज का सम्बन्ध विषयक आवेदन पत्र इस सभा के कार्यालय में प्राप्त हो गया है।

इस समाज के मन्दिर का निर्माण हो चुका है। नव दीक्षित भाइयों ने इस मन्दिर के निर्माण में जिस त्याग, तत्परता तथा आर्य-समाज के प्रति प्रेम का परिचय दिया है, वह प्रशंसनीय है। प्रिंसेज टाउन में श्रीयुत जे. एच. दुबे, जो एक सम्पन्न और विद्वान सज्जन हैं, पूर्व एक विख्यात ईसाई थे। श्री पण्डित जी के पुरुषार्थ से वह ईसाई मत छोड़कर आर्य धर्म में दीक्षित हो गये। अपने स्थान पर आर्यसमाज मन्दिर बनवाने और उसका व्यय सहन करने का वायदा किया है। डायमण्ड में एक और सज्जन ने समाज के लिये अपना एक मकान देने का वचन दिया है।

ट्रीनीडाड में पौराणिकों और मुसलमानों का विरोध

पौराणिकों और मुसलमानों के सम्मिलित विरोध के होते हुए भी दिन प्रतिदिन आर्यसमाज का क्षेत्र और कार्य बढ़ता जा रहा है। जनता के आर्यसमाज के प्रति बढ़ते हुए प्रेम को दृष्टि में रखते हुए यह आशा उचित रीति से की जा सकती है कि अल्पकाल में ही इस द्वीप

में बहुसंख्या में आर्यसमाजों की स्थापना होगी और आर्यसमाज का कार्य संगठित रूप से होने लगेगा।

ट्रीनीडाड में शुद्धियाँ

ट्रीनीडाड में श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी ने लगभग ३०० ईसाई और मुसलमानों को शुद्ध किया। इन शुद्धियों में अधिकांश संख्या सुशिक्षित ईसाई और मुसलमानों, विशेषतया नवयुवकों की है। इनमें ट्रीनीडाड के प्रसिद्ध मुसलमान श्री वाजिद अली तथा श्री सोहराव खाँ की शुद्धियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। यह दोनों महाशय बड़े सम्पन्न, विद्वान् तथा वक्ता हैं। ट्रीनीडाड में इनका बड़ा प्रभाव है। इनकी शुद्धि का उनके परिवार वालों और धर्मान्ध मुसलमानों ने प्रबल विरोध किया और उन्हें शुद्ध न होने देने का हर प्रकार से उचित और अनुचित यत्न किया परन्तु वे आर्यसमाज से इतने प्रभावित हो गये थे कि उन यत्नों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। उनका नाम श्री सत्यपाल तथा श्री सत्यदेव रखा गया। आर्यसमाज का यह लोग बड़े उत्साह से कार्य करते रहते हैं। ट्रीनीडाड में बहुत से नीग्रो जाति के मनुष्य भी आर्य समाज में सम्मिलित हो गये हैं।

ट्रीनीडाड में प्रचार के दो बड़े स्तम्भ

ट्रीनीडाड में स्व० सेठ पन्नालाल तथा श्रीराम महाराज ही, दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हृदय में पूर्व से ही भारतीय सभ्यता के प्रति कुछ कुछ प्रेम था। इन्होंने सुना कि कोई श्री पण्डित अयोध्याप्रसाद जी जो आर्य समाज के उच्च विद्वान् हैं डच गायना पधारे हुए हैं और भारतवर्ष की सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा की ओर से आर्यसमाज का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने तत्काल ही पण्डित जी को ट्रीनीडाड आने के लिये निमन्त्रण भेज दिया। इस निमन्त्रण पर ही पण्डित जी ट्रीनीडाड पधारे थे। जब तक भी पंडित जी ट्रीनीडाड ठहरे यह दोनों महानुभाव अपनी सहस्रों रुपये की हानि उठाकर पण्डित जी को आर्यसमाज के प्रचार

में हर प्रकार का योग देते रहे। समस्त आर्य जगत् की ओर से सार्वदेशिक सभा इन दोनों महानुभावों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती तथा धन्यवाद देती है। सम्प्रति ट्रीनीडाड में आर्यसमाज के कार्य संचालन का भार श्रीमान् जे०एच० दुबे प्रधान समाज तथा कुमारी सुशीला देवी मन्त्रिणी के ऊपर है। श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी के वहाँ से चले आने पर इन्हीं दोनों व्यक्तियों के पुरुषार्थ से समस्त ट्रीनीडाड द्वीप में आर्यसमाज के प्रचार का कार्य जो पंडित जी ने आरम्भ किया था अब भी चालू है।

डच गायना

डच गायना की जनता आर्यसमाज के सम्बन्ध में पूर्व ही से कुछ-कुछ जानती थी परन्तु पण्डित अयोध्याप्रसाद जी के वहाँ पर प्रचार के फलस्वरूप आर्यसमाज के सदस्यों और सहायकों की संख्या हज़ारों तक पहुँचने लगी।

डच गायना की आर्य समाजें

अब तक डच गायना में निम्न स्थानों पर समाजें स्थापित हो चुकी हैं:—

(१) मखेन्ता, (२) बकारखन सापे, (३) फ़ौरदन वैरख, (४) लाना सुलेस, (५) फ़ोलवे राखसेई, (६) क्वाटा वख (७) वकौसा, (८) कर्म भोग, (६) अलखभार, (१०) मरापमवख, (११) लीफोर्नो, (१२) पारामारीबो।

इन समाजों में पारामारीबो समाज विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पारामारीवो डच गायना की राजधानी है। यहां समाज मन्दिर की ज़मीन इस सभा के नाम से खरीद की गई है और एक विशाल समाज मन्दिर का भी निर्माण हो गया है। इस मन्दिर का शिलान्यास डच गवर्नर द्वारा किया गया था। अनाथालय भवन तथा स्कूल भवन भी निर्मित हो चुके हैं।

श्रीमती महादेवीजी का दान

श्रीमती महादेवीजी पारामारीबो (डच गायना) की एक सम्भ्रान्त आर्य्य महिला हैं। आप स्वर्गीय श्री पं० रामप्रसाद जी की धर्मपत्नी हैं। आर्यसमाज के प्रति अनन्य प्रेम से प्रेरित होकर बहुमूल्य सेवाओं के अनुष्ठान के निमित्त देवीजी ने अन्यान्य सहायताओं के अतिरिक्त पारामारीबो समाज मन्दिर के निर्माण में १८०००) रु० दान दिया था। उन्होंने एक पत्र श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज प्रधान सार्वदेशिक सभा को भेजा था, उसमें जहाँ उनके आर्यसमाज के प्रति प्रेम, विदेशों में आर्यसमाज के प्रचार और विस्तार की उत्कट अभिलाषा और पं० अयोध्याप्रसाद जी के कार्य के सुप्रभाव का परिचय मिलता है, वहाँ अखिल आर्य सामाजिक जगत् को भी एक सन्देश और चेतावनी मिलती है। उस पत्र को अविकल रूप से हम यहाँ उद्धृत करते हैं:—

"सुरीनाम प्रदेश में आर्यसमाज की प्रगति का समाचार श्रीमान् को श्रद्धेय पण्डित अयोध्याप्रसादजी के पत्रों से ज्ञात होता ही रहता होगा। मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि श्रीमानों के नेतृत्व में 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' ने विदेश में बसे हुए हम आर्य सन्तानों में तथा इतर जातियों में वैदिक धर्म के प्रचार का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। मुझे अब पूर्ण आशा होती है कि यदि सार्वदेशिक सभा ने इस दिशा में तत्परता से कार्य किया तो न केवल विदेशों में बसे हुए हम भारतीयों ही के धर्म, कर्म और संस्कृति का संरक्षण ही होगा वरन् हमारे आस पास बसी हुई अन्यान्य जातियों में भी वैदिक धर्म का पूर्ण प्रचार हो जायेगा। आशा है भारत के हमारे आर्य भाई बहन इस शुभ कार्य में सार्वदेशिक सभा को यथेष्ट आर्थिक सहायता प्रदान कर यश के भागी बनेंगे और विदेशों में बसे हुए हम आर्य सन्तान भी अपनी शक्ति के अनुसार सभा की अर्थ इत्यादि के

द्वारा सहायता करते रहेंगे। इस विदेश प्रचार रूपी महायज्ञ में मैं ८ पौंड (लगभग १०७) रु०) की तुच्छ रक़म आहुति रूप में भेजती हूँ। आशा है इसे स्वीकार कर प्रोत्साहित करेंगे।"

"आर्य प्रतिनिधि सभा सुरीनाम ने यह प्रस्ताव पास करा दिया है कि प्रति वर्ष यहाँ से कम से कम १००) रु० सार्वदेशिक सभा की विदेश प्रचार निधि में भेजा जाय। क्योंकि सम्प्रति हम लोग यहाँ एक विशाल आर्यसमाज मन्दिर, एक अनाथालय भवन तथा पाठशाला भवन श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी की देख रेख में बनवा रहे हैं। इस लिये विदेश प्रचार निधि में १००) रु० वार्षिक से अधिक भेजने में हम इस समय असमर्थ हैं। आशा करती हूँ कि जिस प्रकार इन दिनों स्वार्थ के वशीभूत कतिपय अपने लोगों द्वारा प्रचार कार्य में बाधा उपस्थित होने पर भी वैदिक धम का विस्तार इस देश में तीव्रता से हो रहा है। यदि हमारी प्रगति लगातार ऐसी ही रही तो निकट भविष्य में एक बड़ी रक़म प्रति वर्ष यहाँ से विदेश प्रचार निधि में भेजने का प्रबन्ध किया जावेगा। आप महानुभावों का आशीर्वाद चाहिये कि सुरीनाम देश वैदिक धर्म का विशाल क्षेत्र बन जाये।

मेरा विचार है कि यदि भारत तथा विदेशों की आर्य प्रतिनिधि सभाऐं प्रचार निधि में नियम पूर्वक एक माक़ूल रक़म जो १००) रु० से कम न हो सभा को भेजा करें तो विदेश प्रचार में सभा को अवश्य कुछ सहूलियत होजाये। आर्यप्रतिनिधि सभा सुरीनाम ने इस वर्ष से इस कर्तव्य का पालन करने का व्रत लिया है। आशा है अन्यान्य प्रतिनिधि सभाऐं भी इस पुनीत कार्य में हाथ बटावेगी और सम्पन्न आर्य नरनारी भी इस महान् यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करेंगे।"

उक्त देवी जी आर्यसमाज के प्रति इस अगाध प्रेम तथा लगन के लिये धन्यावाद की पात्र हैं। देवी जी अपने द्वीप में आर्य धर्म के प्रचार की प्राण हैं।

आर्य प्रतिनिधि सभा सुरीनाम

जैसा कि उपरोक्त पत्र में आर्य प्रतिनिधि सभा सुरीनाम का उल्लेख है, इस द्वीप में प्रतिनिधि सभा की स्थापना हो गई है और उसकी नियमानुकूल रजिस्ट्री भी हो गई है। आर्य प्रतिनिधि सभा सुरीनाम की स्थापना के पूर्व वहाँ "आर्य दिवाकर" नामक एक संस्था थी, जिसके द्वारा कभी कभी यत्र तत्र आर्य समाज के प्रचार का कार्य किया जाता था, परन्तु इस संस्था के अधिकारियों में अधिकांश ऐसे लोग थे, जो आर्य समाज के सिद्धान्तों तथा उनके संगठन के पोषक नहीं थे, बल्कि उनका उद्देश्य एक मात्र यह था कि भोली भाली जनता को धोखे में डाल कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करें। इस प्रकार इस संस्था की गतिविधि के प्रति वहाँ की आर्य जनता में अविश्वास उत्पन्न हो गया। तब श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी ने उचित समझा कि यहाँ के आर्य समाजों का संगठन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के नियमानुकूल किया जावे। तदनुसार श्री पंडित जी ने वहाँ आर्य प्रतिनिधि सभा सुरीनाम की स्थापना की और इसका सम्बन्ध सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से उसकी अन्तरङ्ग सभा तिथि ३१-१-३७ के निश्चय सं० २ के अनुसार करा दिया। "आर्य दिवाकर" संस्था का इस सभा से कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि इस उपनिवेश में आर्य प्रतिनिधि सभा सुरीनाम ही सार्वदेशिक सभा से सम्बन्धित केवल एक मात्र आर्य संस्था है।

ब्रिटिश गायना में प्रचार

ब्रिटिश गायना में भी श्री पंडित अयोध्याप्रसाद जी ८-६ मास तक रहे। आपने अपनी विद्वत्ता, योग्यता, व्यवहार और प्रचार से इस उपनिवेश में भी आर्य समाज के लिये काफी भूमि तैयार कर दी। इस उपनिवेश में एक संस्कृत और हिन्दी पाठशाला चलाने की आयो-

जना की गई थी और स्थिर रूप से एक आर्य प्रचारक रखने का प्रबन्ध किया गया है। इस उपनिवेश की मुख्य आर्य समाज कोरनटीन-बरबीस में है।

इस उपनिवेश में भी पौराणिकों तथा मुसलमानों के सम्मिलित विरोध का श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी को मुकाबिला करना पड़ा। ज्यों ज्यों उनका सम्मिलित विरोध बढ़ता गया, त्यों त्यों पंडित जी के प्रचार में सफलता मिलती गई और समझदार जनता आर्य समाज की ओर आकर्षित होती गई।

श्री पं० मातावादलजी महाराज का आर्य-समाज के प्रति प्रेम

इस उपनिवेश में श्री पं० मातावादल जी महाराज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपको आर्य समाज के प्रति बड़ा प्रेम है। ब्रिटिश गायना में आर्य समाज के प्रचार के लिये आप सबसे अधिक चिन्तित हैं और आर्य समाज के प्रचार के लिये सब प्रकार की सहायता देने के लिये तैयार रहते हैं। आपने श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी द्वारा प्रचार कार्य में यथेष्ट धन व्यय कर अपनी उदारता और धर्म प्रियता का परिचय दिया है। यह सभा इसके लिये आपकी कृतज्ञ है।

श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी का महत्वपूर्ण प्रचार कार्य

इन उपनिवेशों में श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी को जो इतनी सफलता मिली और भविष्य के लिये उन्होंने जो आशा और विश्वास का उज्ज्वल वातावरण उत्पन्न किया है, वह उनकी सच्ची मिश्नरी स्प्रिट, प्रकाण्ड विद्वत्ता, गम्भीर व्याख्यान शैली, अटूट लगन, पुरुषार्थ तथा ईश्वर विश्वास ही का फल है। श्री पंडित जी ने इन उपनिवेशों में सैकड़ों व्याख्यान दिये, बीसियों शास्त्रार्थ किये और व्यक्तिगत रूप से भी सैकड़ों मनुष्यों की शंकाओं को निवारण किया, जिसका यह परिणाम हुआ कि सैकड़ों की तादाद में लोग वैदिक धर्म के अनुयायी बन गये। आपने कई समाजें स्थापित कीं, समाज मन्दिर, अनाथालय,

आर्य पाठशाला की इमारतें बनवाईं, प्रतिनिधि सभा तथा सैन्ट्रल समाज स्थापित कर उनका सम्बन्ध इस सभा से करा दिया। यह वह कार्य हैं कि इन उपनिवेशों की जनता की सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था तथा उस थोड़े से समय को जिसमें पंडित जी ने प्रचार किया, ध्यान में रखते हुए, यह सभा, अपने इस आदर्श प्रचारक पर, जिसने निन्तर तीन वर्ष तक अपने परिवार से पृथक रह कर आचार्य दयानन्द के मिशन का प्रचार किया. उचित रीति से गर्व कर सकती है। हम प्रभू से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिरायु करें, जिससे आप समस्त भूमण्डल पर वेद तथा दयानन्द का सन्देश पहुँचा सकं।

दानवीर श्री सेठ जुगलकिशोर जी बिड़ला से सहायता

दानवीर श्री सेठ जुगलकिशोर जी बिड़ला गत् तोन वर्षों से ३००) मासिक विदेश प्रचार कार्य के लिये सहायता रूप इस सभा को देते रहे हैं। श्री सेठ जी इस सभा को देश तथा विदेश में प्रचारार्थ आर्थिक सहायता समय समय पर आवश्यकतानुसार देते रहते हैं। इस सबके लिये यह सभा उनकी आभारी है।

(१४) प्रकाशन विभाग

इस सभा के प्रस्ताव सं० ५ ता० १७ जून १९२४ ई० के द्वारा इस विभाग की स्थापना हुई—श्रीमद्दयानन्द जन्म शताब्दी सभा मथुरा ने, जो ग्रन्थ प्रकाशित किये थे उनमें से जो विक्री से बचे हुए ग्रन्थ थे वह सभी स्टाक इस सभा की आधीनता में आ गया—प्रशंसित सभा के प्रकाशित किये हुए ग्रन्थ ये थे:—

सं०	नाम ग्रन्थ	मूल्य स० अ०	कितने छपे थे	कितने इस सभा में आये
(१)	संस्कृत सत्यार्थप्रकाश	२॥) २।)	२०००	१७७५
(२)	वैदिक सिद्धान्त	१॥) १।)	२०००	१५६०

(३)	भजन भास्कर	॥)	३०००	२०२५
(४)	आर्यसमाज क्या है	॥)	२०००	१४५७
(५)	पर्व पद्धति	।॥)	३०००	२२१८
(६)	प्राणायाम विधि	—)	५०००	३१४०

अंग्रेज़ी के पुस्तक

(७)	Truth and Vedas	॥)	२०००	१८४४
(८)	Truth Bed rocks of Aryan Culture	॥=)	२०००	१८२२
(९)	Vedic Teachings	१।॥)	१०००	८७५
(१०)	Crucifixion by an Eyewitness	।=)	२०००	१७३४

इस प्रकार विभाग की स्थापना हो जाने और काम प्रचलित होजाने पर इस सभा के इस विभाग ने निम्न ग्रन्थ और प्रकाशित किये हैं: —

नाम		मूल्य
(१) वैदिक संध्या रहस्य (संध्या की वैज्ञानिक व्याख्या)	३०००	—)॥
(२) दयानन्द जन्म शताब्दी मथुरा वृतान्त ...	३०००	१।)
(३) विदेशों में आर्य समाज	१०००	॥)
(४) यम पितृ परिचय श्री पं० प्रियरत्न जी आर्शकृत इस ग्रन्थ में चारों वेदों में ऐसे मन्त्रों के' जिनमें यम और पितर शब्द आये हैं, शुद्ध अर्थ, ऋषि दयानन्द की शैली से किये गये हैं। श्राद्ध विषयक शास्त्रार्थों के लिये बड़ा उपयोगी ग्रन्थ है ...	१०००	२)
(५) आर्य्य सिद्धान्त विमर्श। वेद में इतिहास नहीं है आदि अनेक उत्तम विषयों पर प्रथम आर्य विद्वत् सम्मेलन में पढ़े गये, श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु आदि अनेक विद्वानों के उच्च कोटि के निबन्धों का संग्रह वेद के सम्बन्ध में एक अपूर्व भूमिका के साथ	१०००	१॥)

(६) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर श्रीकृष्ण विरमानीकृत इस ग्रन्थ में ऋषि दयानन्द ने किस विषय पर अपने ग्रन्थों में कहाँ कहाँ और क्या क्या सम्मति दी है। उस सबका विषय वार संग्रह है। २००० १।)

(७) वेदों में असित शब्द श्री पं० प्रियरत्न आर्षकृत असित शब्द के वेदानुसार क्या अर्थ हैं इसका संक्षिप्त व्याख्यान। १००० –)।

कार्य विवरणान्तर्गतवर्षान्त में इस सभा के प्रकाशन विभाग की स्थिति इस प्रकार थी:—

सं०	नाम ग्रन्थ	मूल्य	कितने के बिके	बाकी मूल्य
(१)	शताब्दी सभा द्वारा प्राप्त समस्त ग्रन्थ	१६५८६।≡)	१३२७१।।।=)।।	१०१६१)
(२)	इस सभा द्वारा छपाये समस्त ग्रन्थ	३८४६।≡)।। पुराना ७५७८=) नया	१६३१।।–)	५६४६।।–)
(३)	अन्य ग्रन्थ	१००००)	७१६७।।)	२८०२।।)
	योग	४१०११)।।	२२१००।।।≡)।।	१८६१०–)

श्री मद्दयानन्द ग्रन्थ-माला आर्यसमाजों के आग्रह से वैदिक प्रेस अजमेर ने छापी थी और यह ग्रन्थ भी उसने जब छापा था जब श्री मद्दयानन्द जन्म शताब्दी सभा ने ३००० ग्रन्थों के बिकजाने की आशा दिलाई थी। वैदिक प्रेस के कथनानुसार केवल १००० ग्रन्थ बिके। इस लिये बाकी २००० ग्रन्थों के सैट परोपकारिणी सभा के आग्रह पर इस सभा को ७५००) देकर लेने पड़े—

आर्य्यों और आर्यसमाजों के कम ध्यान देने से ये ग्रन्थ अब तक नहीं बिक सके। इसमें शक नहीं है कि इस ग्रन्थ के छपवाने में प्रशंसित (परोपकारिणी) सभा ने बड़े प्रमाद से काम लिया था। इतने बड़े ग्रन्थ में विषय सूची आदि कुछ नहीं लगाई गई जिसकी वजह से यह ग्रन्थ माला लोकप्रिय नहीं बन सकी और उनके प्रमाद का दण्ड इस सभा को भुगतना पड़ा।

बिकाऊ पुस्तकों का विवरण

वर्ष	मूल्य: बकाया	मूल्य: आय	मूल्य: योग	मूल्य: व्यय	मूल्य: बाकी	पुस्तकें: बकाया	पुस्तकें: आय	पुस्तकें: योग	पुस्तकें: व्यय	पुस्तकें: बाकी
१९२५-२६	१९५८६।≡)	११६५६॥)	३१२४५॥≡)	१९५८)	२९२८७॥≡)	२१७३९	११०९६	३२८३५	९३३	३१९०२
१९२६-२७	२९२८७॥≡)	१८०)	२९४६७॥≡)	९७७॥–)॥	२८४९०।–)॥	३१९०२	१४	३२०४६	१६४२	३०४०४
१९२७-२८	२८४९०।–)॥	६४१)	२९१३१।–)॥	१५६८॥–)॥	२७५६२॥)	३०४०४	७९८०	३८३८४	२०३०	३६३५४
१९२८-२९	२७५६२॥)	५१२॥)	२८०७५)	१५६५।)॥	२६५०९॥≡)॥	३६३५४	११३०	३७४८४	१९९६	३५४८८
१९२९-३०	२६५०९॥≡)॥	५७३॥)॥	२७०८३॥)	१५२७॥–)	२५५५५॥≡)	३५४८८	२७३०	३८२१८	३९५८	३४२६०
१९३०-३१	२५५५५॥≡)	२००)	२५७५५॥≡)	९७९॥)	२४७७५॥≡)	३४२६०	१००	३४३६०	१५८४	३२७७६
१९३१-३२	२४७७५॥≡)	५२॥)	२४८२८॥≡)	९८९)	२३८३९॥≡)	३२७७६	८४	३२८६०	२४००	३०४६०
१९३२-३३	२३८३९॥≡)	॥)	२३८४०≡)	३३३–)॥	२३५०७–)॥	३०४६०	२	३०४६२	७१२	२९७५०
१९३३-३४	२३५०७–)॥	४।)	२३५११।–)॥	१८०७–)॥	२१७०४।)	२९७५०	१७	२९७६७	२४१६	२७३५१
१९३४-३५	२१७०४।)	१।–)	२१७०५॥–)	१६५७॥–)	२००४८)	२७३५१	१०	२७३६१	२५९७	२४७६४
१९३५-३६	२००४८)	×	२००४८)	८६८–)	१९१७९॥≡)	२४७६४	×	२४७६४	१४४६	२३३१८
१९३६-३७	१९१७९॥≡)	२०॥=)	१९२००॥–)	९२३७।–)	१२९६३॥)	२३३१८	१९	२३३३७	८१६२	१५१७५
योग		१३८४६।≡)॥		२०४६९।=)॥			२३३१२		२९८७६)	

	मूल्य	पुस्तकें		नया प्रकाशन	
गत शेष	१९५८६।≡)	२१७३९		आय ७५७८=।	८०००
आय अब तक	१३८४६।≡)॥	२३३१२		बिक्री १६३१॥–)	१९२५
योग	३३४३२॥।=)॥	४५०५१			
व्यय	२०४६९।=)॥	२९८७६			
शेष	१२९६३॥)	१५१७५	शेष	५९४६॥–)	६०७५
नया प्रकाशन शेष	५९४६॥–)	६०७५			
कुल शेष	१८९१०–)	कुल शेष २१२५०			

(१५) सार्वदेशिक आर्य महा सम्मेलन
(Aryan Congress) देहली

आर्य समाज जन्म काल से ही विदेशी सरकार का कृपा पात्र नहीं बन सका। कभी उसे राजनैतिक संस्था समझा गया। कभी क्रान्तिकारी, कभी देश की शान्ति भंग करने वाला ठहराया गया, कभी इसी प्रकार के अन्य। इलज़ाम उसके विरुद्ध लगाये गये। पटियाला राज्य में एक अभियोग आर्यों को बाग़ी सिद्ध करने के लिये चलाया गया, लाला लाजपतराय डिपोर्ट किये गये, इत्यादि अनेक षडयन्त्र, आर्य समाज सरीखे एक जीते जागते स्वदेशी समाज को कुचल देने के लिये रचे गये, परन्तु आर्य समाज रूपी सोना इन अग्नियों पर तपाने से और भी अधिक निखरा। उसका बिगड़ा कुछ भी नहीं। यद्यपि आर्य समाज की प्रगति को ये षडयन्त्र रोक नहीं सके, परन्तु आर्य समाज कुछ देशी और अधिकतर विदेशियों की निगाह में खटकता जरूर रहा और यही हालत उसकी आज भी है।

आर्यों का वध और सरकार की उपेक्षा नीति

आर्य समाज रूपी दीपक पर न्यौछावर होने वाले परवानों में सबसे प्रथम शहीदे अकबर पं० लेखराम आर्य मुसाफिर का नाम आता

है। पं० जी का वध एक षडयन्त्र का फल था। जिस षडयन्त्र का चिन्ह पेशीन गोई के रूप में इधर उधर से दिखाई देता और सुनाई पड़ता रहा, परन्तु सरकारी पुलिस न तो उस षडयन्त्र ही को उद्‌घाटित कर सकी और न क़ातिल ही का पता चला सकी।

(२) आर्य समाज चकराता के मन्त्री म० मंगतराम जी ठीक उस समय जब वे आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में थे, एक फौज़ी आदमी के हाथ से मारे गये, परन्तु अपराधी को दण्ड देने में उदासीनता ही दिखलाई गई।

(३) आर्य समाज ही नहीं अपितु देश के सर्वमान्य नेता श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी, जब वे रोग शय्या पर थे, एक मज़हबी दीवाने, नहीं नहीं एक किराये के आदमी अब्दुल रशीद के हाथ से वध किये गये, परन्तु यह षडयन्त्र भी अँधेरी कोठरी ही में रहा, प्रकाश में नहीं लाया जा सका। षडयन्त्र कारियों को सज़ा मिलने का तो प्रश्न ही कहाँ और किस प्रकार उठाया जा सकता है।

और भी इसी प्रकार अनेक वध हुए परन्तु उनके सम्बन्ध में भी बराबर उसी उपेक्षा नीति से काम लिया जाता रहा।

नगर कीर्तनों में सरकार की ओर से वाधा

दूसरी ओर देखा गया कि आर्य समाज अपने प्रचार कार्य के प्रोग्राम को भी निर्विघ्नता के साथ काम में नहीं ला सकता। तरह तरह के विघ्न और अनेक प्रकार की वाधायें उसमें उपस्थित की जाती रहीं। आर्य समाज के नगर कीर्तन ही को लेवें। उसमें जगह जगह विघ्न वाधायें उपस्थित की गई। कहीं मस्जिद के सामने बाजे का प्रश्न बीच में लाया गया, कहीं और इसी प्रकार के रोड़े अटकाये गये। उदाहरण की रीति से आर्य समाज मुरादाबाद के नगर कीर्तन को लेवें। मुरादाबाद में आर्य समाज १८७८ ई० से स्थापित है

और निर्विघ्नता के साथ अपने उत्सव और नगर कीर्तन आदि ४५ वर्ष से अधिक तक करता रहा है परन्तु इतनी बड़ी लम्बी अवधि से प्रचलित नगर कीर्तन की मर्यादा को स्थानिक राज्य कर्मचारियों ने धूल में मिला दिया और वहाँ एक नादिरशाही हुक्म जारी किया कि नगर कीर्तन में शुरू से अन्त तक न कहीं बाजा बजे और न कहीं भजन गाये जावें। इस और इसी प्रकार की अन्य अनुचित आज्ञाओं को दूर करने के लिये जब आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त ने चाहा कि प्रान्तिक सरकार से उसका एक डेपुटेशन मिले और इन बातों को सरकार के नोटिस में लावें तो प्रान्तिक सरकार ने उस डेपुटेशन से मिलने में अपनी असमर्थता प्रकट की। छोटी मोटी अन्य बातों को छोड़कर मुख्यतया ये दो बातें थीं, जिन्होंने आर्य समाजों और आर्यों में अशान्ति पैदा की और ये अशान्ति की लहरें आर्य समाज के विस्तृत जगत में एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैल गई और उन्होंने साधारण से लेकर असाधारण आर्यों के भीतर असन्तोष पैदा कर दिया। आर्य समाज में जगह जगह सभायें हुईं, एकान्त में विचार किया गया और सभी इस परिणाम पर पहुँचे कि इसका सन्तोषप्रद उपाय होना चाहिए।

सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन

सार्वदेशिक सभा ने भी इस पर विचार किया और विचार करने के बाद इस परिणाम पर पहुंची कि आर्य समाज का, जरूरत पड़ने पर एक ऐसा सम्मेलन भी होना चाहिए जिसमें आर्य समाज और आर्यों के राजनैतिक अधिकारों पर विचार किया जाया करे, और उनमें यदि कोई विघ्न बाधायें उपस्थित हों तो उनके दूर करने के उपाय निश्चय किये और काम में लाये जाया करें। इसी उद्देश्य से सभा ने एक प्रस्ताव २४ जुलाई १९२७ ई० को इस भांति स्वीकार किया:—

"आर्य समाज बरेली का विषय पेश हुआ। बरेली आर्य समाज और वहाँ के आर्य समाजियों पर गत मुहर्रम के दिनों में मुसलमानों और सरकार के कुछ कर्मचारियों की ओर से जो दुर्व्यवहार हुआ तथा उसके पीछे जो परिस्थित पैदा हुई उसकी रिपोर्ट श्री नारायण स्वामी जी प्रधान सार्वदेशिक सभा और स्वामी रामानन्द जी ने पेश की और निम्न लिखित प्रस्ताव स्वीकार हुए:—

(१) बरेली की दुर्घटना के समाचार पढ़कर इस सभा को महान दुख हुआ। सभा की सम्मति में शहर कोतवाल और तहसीलदार का जूते पहने वेदी पर चढ़ जाना, साप्ताहिक अधिवेशन में विघ्न डालना, फिर निरपराध आर्य पुरुषों को गिरफ्तार करना, बारहदरी के पुलिस इन्सपेक्टर का आर्य पुरुषों के जनेऊ उतरवाना, अन्याय युक्त बलात्कार पूर्ण कार्य था और धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप और धर्म का अपमान था इससे आर्य जगत में गहरा असन्तोष फैला हुआ है। अतः यह सभा, गवर्नमेंन्ट से आशा करती है कि वह इन सब अन्याय पूर्ण कार्यों के उत्तरदाता अधिकारियों तथा अन्य अपराधियों को उचित दंड देकर आर्य पुरुषों के घायल हृदयों को आश्वासन देगी और भविष्य के लिये ऐसे आदेश देगी कि ऐसे अयनियम कार्य असंभव हो जावें।

(२) सब नगरों और ग्रामों में ७ अगस्त १९२७ रविवार को सार्वजनिक सभायें की जावें जिनमें हिन्दू, सिक्ख, जैनी, पारसी आदि समस्त आर्य लोग निमन्त्रित किये जावें—सभाओं में बरेलीसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार करके भारत सरकार, प्रान्तीय सरकार तथा पत्रों को भेजे जावें।

(३) आर्यसमाज को वर्तमान परिस्थिति पर विचार करने और आर्य जनता की सम्मति को प्रकाशित करने के लिये सितम्बर या अक्तूबर में दिल्ली में आर्य पुरुषों की एक कान्फ्रेन्स की जावे जिसके

प्रबन्ध के लिये एक स्वागत कारिणी सभा संगठित की जावे। स्वागत कारिणी के संगठन के लिये एक उपसमिति निम्न महानुभावों की बनाई जावे:—

(१) स्वामी रामानन्द

(२) प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति

उपर्युक्त प्रस्तावों में से प्रस्ताव संख्या १ तथा २ में तो उसी प्रकार की शिकायतों का उल्लेख है जिसका ऊपर जिक्र किया गया है और उनमें जैसा निर्देश किया गया है उसके अनुकूल कार्य किया जा चुका है। प्रस्ताव सं० ३ वह प्रस्ताव था जिसके द्वारा उल्लिखित सम्मेलन के बुलाने का आयोजन किया गया है।

सम्मेलन का नाम और उद्देश्य

इस सभा की अन्तरंग सभा ने ता० ४ सितम्बर १९२७ की बैठक में उक्त सम्मेलन के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव स्वीकार किये:—

(१) निश्चय हुआ कि सम्मेलन का नाम "सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन" होगा।

(२) सम्मेलन के निम्न लिखित उद्देश्य होंगे:—

(क) आर्य जाति के धार्मिक तथा नागरिक अधिकारों पर होने वाले आक्रमणों के निवारण के उपाय सोचना।

(ख) सरकार की धार्मिक नीति के सम्बन्ध में आर्य जाति की नीति का निर्णय।

(ग) देश देशान्तरों में और द्वीप द्वीपान्तरों में आर्य संस्कृति की रक्षा तथा प्रचार के उपायों पर विचार।

(घ) आर्यसमाज के आन्तरिक संगठन को दृढ़ करना।

(च) उपर्युक्त नियमों की ओर आर्यजगत् के लोकमत को केन्द्रित करना।

आर्य सम्मेलन तथा विषय निर्धारिणी सभा का संगठन

स्वागतकारिणी सभा ने अपनी १४ अगस्त १६२७ की बैठक में अपना संगठन इस प्रकार बनाना निश्चय किया:—

(१) आर्यसमाज का प्रत्येक सभासद् प्रतिनिधि बनने का अधिकारी होगा।

(२) प्रत्येक आर्यसमाज को कम से कम एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा।

(३) प्रत्येक आर्यसमाज जिसके १० या १० से अधिक सभासद् होंगे उसे प्रति १०सभासद् पीछे एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा।

(४) सम्मति देने का अधिकार केवल प्रतिनिधि को होगा।

(५) विषय निर्धारिणी सभा के सब सदस्य निज अधिकार से प्रतिनिधि समझे जावेंगे।

(६) प्रतिनिधि की फीस २) होगी

विषय निर्धारिणी समिति

(७) विषय निर्धारिणी सभा के निम्नलिखित सदस्य होंगे।

(क) सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के समस्त सदस्य अपने निज अधिकार से।

(ख) परोपकारिणी सभा के समस्त सदस्य अपने निज अधिकार से।

(ग) आर्यप्रादेशिक सभा के, प्रतिनिधि

(घ) आर्यप्रतिनिधि सभा इन्द्रप्रस्थ के ३ प्रतिनिधि

(च) स्वागत कारिणी सभा के प्रतिनिधि। परन्तु ये वे ही सज्जन होंगे जो किसी न किसी समाज के प्रतिनिधि भी हैं।

(छ) जिन प्रान्तों या प्रदेशों में प्रतिनिधि सभायें नही हैं उन के ५ प्रतिनिधि

(ज) सभापति को अधिकार होगा कि १० तक सभासद् निज अधिकार से निर्वाचित करे।

(८) स्वागतकारिणी सभा का प्रधान मंत्री, निज अधिकार से, विषय निर्धारिणी सभा का मंत्री होगा।

(९) आर्य सम्मेलन का प्रधान विषय निर्धारिणी सभा का भी प्रधान होगा।

(१०) प्रत्येक प्रस्ताव विषय निर्धारिणी सभा से स्वीकृत होकर ही सम्मेलन में पेश हो सकेगा।

(११) सम्मेलन के सभापति का निर्वाचन स्वागतकारिणी सभा करेगी, परन्तु अन्तिम निश्चय से पूर्व आर्य प्रतिनिधि सभाओं तथा आर्य जनता से राय लेना आवश्यक होगा।

(१२) यह भी निश्चय हुआ कि दलित जाति के प्रतिनिधियों से कोई फ़ीस नहीं ली जायगी।

स्वागतकारिणी सभा का निर्वाचन

२८ सितम्बर १९२७ ई० को ७० सदस्यों की उपस्थिति में स्वागत कारिणी सभा के अधिकारियों का निम्न भांति निर्वाचन हुआ:—

(१) प्रधान—पं० रामचन्द्रजी देहलवी

(२) उपप्रधान-(१) डाक्टर के. डी. शास्त्री एम. डी.

(२) प्रो० राजेन्द्र कृष्ण कुमार एम. ए.

(३) ला० रामप्रसाद चांदनी चौक

(४) ला० सत्य नारायण गुड़वाले

(५) ला० ज्ञानचन्द ठेकेदार

(६) ला० प्यारेलाल साइकल मर्चेण्ट

(३) प्रधान मन्त्री—पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति

(४) मन्त्री—(१) ला० अमीरचन्द खोसला कार्यालय विभाग

(२) बाबा मिलखासिंह ठेकेदार पिंडाल विभाग

(३) पं० जानकीनाथ स्वयंसेवक „

(४) ला० नन्दकिशोर खन्ना अतिथि „

(५) स्वा० रामानन्द प्रचार „

(६) ला० चिम्मनलाल चन्दा „

(७) ला० बाबूमल स्वागत „

(८) डाक्टर तुलसीराम स्वास्थ्य „

(९) ला० देशबन्धु गुप्त प्रकाशन „

(१०) ला० नारायण दत्त

कोषाध्यक्ष सार्वदेशिक सभा कोष „

(५) कार्यकारिणी सभा के सदस्य—

(१) ला० विश्वेश्वर दयाल गुप्त

(२) म० शान्ति स्वरूप

(३) ला० काकाराम

(४) प्रो० रामदत्त एम. ए.

(५) ला० अनन्तराम

(६) बाबू शादीलाल

(७) ला० ईश्वरदास एम.ए.

(८) ला० रलाराम

(९) ला० गिरधारी लाल ठेकेदार

(१०) ला० देवेन्द्र किशोर

(११) ला० शिवचरणदास

(१२) ला० दीवानचन्द ठेकेदार

(१३) चौ० प्रतापसिंह

(१४) ला० सुन्दरलाल गोटेवाले
(१५) ला० निक्कूमल
(१६) ला० बुलाकी दास
(१७) पं० रामचन्द्र जिज्ञासु
(१८) ला० बिहारीसिंह ठेकेदार
(१९) मु० रामप्रसाद
(२०) सरदार प्रतापसिंह
(२१) प्रो० ब्रजमोहनलाल
(२२) पं० देशराज
(२३) डाक्टर सुखदेव
(२४) स्वा० चिदानन्द
(२५) ला० रूपलाल
(२६) ला० गंगा सहाय
(२७) मा० नानकचन्द
(२८) ला० गोपीचन्द
(२९) पं० शिवदत्तराम
(३०) ला० रामकृष्ण दास
(३१) स्वा० ब्रह्मानन्द

कांग्रेस का आय व्यय

प्रारम्भ से अंत तक इस सम्मेलन में जो आय व्यय हुआ उस का विवरण नीचे दिया जाता है:—

आय

(१) स्वागत कारिणी सभा की सदस्य फीस	३१५५)
(२) दर्शक फीस	५१६५)
(३) प्रतिनिधि फीस	३७७४)
(४) दूकानों का किराया	८८६॥)
(५) दान	४३६८)
(६) विविध आय	१०२॥-)
योग	१७४५१-)

व्यय

(१) पिंडाल	३६५६।)।।।
(२) कार्य्यालय *	२१८५≡)।
(३) किले को किराया भूमि	३६६)
(४) बिजली	२४८॥)
(५) प्रकाशन विभाग	६१०॥-)॥
(६) भोजन तथा रहाइश	६५७)
(७) प्रचार	२३४।≡)
(८) स्वास्थ्य	३१६॥)।।।
(९) जलूस	२४१-)
योग	९४१६।॥=)।

(१०) पेशगी वसूल तलब जिसमें से कुछ वसूल होकर सभा के कोष में जमा हुई और कुछ जो वसूल नहीं हो सकी वह बट्टे खाते में डाली गई। १३१२।-)।।।

कुल व्यय का योग १०७३२।)

---

* कार्य्यालय के व्यय का विवरण इस प्रकार है:—

(१) स्टेशनरी	१६६≡)॥
(२) डाक व्यय	१२२॥)
(३) विविध व्यय	२८५।)।
(४) छपाई	५२७॥=)
(५) वेतन	४३६॥)।।।
(६) भोजन	६८॥)।
(७) किराया फरनीचर	११२=)
(८) बैंजेज	३८२)॥
(९) टेलीफोन	७=)
(१०) अन्य व्यय	४४)
योग	२१८५≡)।

बाक़ी जो सार्वदेशिक सभा के कोष में, रक्षानिधि में जमा होने के लिये गये।	६७१८॥-)
सर्व योग	१७४५१-)

आर्य कांग्रेस के स्वीकृत प्रस्ताव

कुल १८ प्रस्ताव इस सम्मेलन में स्वीकृत हुए जिन का विवरण नीचे दिया जाता है:—

सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन के स्वीकृत प्रस्ताव

प्रस्ताव नं० १

यह सम्मेलन हिन्दू जाति और आर्य समाज के सर्व मान्य नेता श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के निर्दयता पूर्ण वध को, जो एक दिवाने मुसलमान द्वारा किया गया था, अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखता है।

यह सम्मेलन मुसलमानों के उन प्रयत्नों को घृणा और क्रोध की दृष्टि से देखता है जो उन्होंने प्रसिद्ध कार्यकर्त्ताओं के कायरतापूर्ण वधों के द्वारा सामान्यतया हिन्दू जाति को और मुख्यतया आर्य समाज को भयभीत करने के लिये किये हैं।

यह सम्मेलन ला० बद्रीशाह, म० भैरोंसिंह, रायबहादुर बहादुर सिंह, म० नानकचन्द, म० मानकचन्द, म० बनवारीलाल तथा अन्य शहीदों के कुटुम्बियों के प्रति समवेदना प्रकट करता है और उन्हें इन अमर शहीदों की पुण्यस्मृति के द्वारा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेने पर वधाई देता है।

इस सम्मेलन का यह दृढ़ निश्चय है कि अमर शहीद पूज्य श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के पवित्र पद चिह्नों का अनुसरण करने एवं वैदिक धर्म की पवित्र वेदी पर प्राण देने के लिये हजारों वीर सन्नद्ध रहेंगे।

प्रस्तावक—भाई परमानन्द जी। अनुमोदक महाशय कृष्ण जी, समर्थक— श्री पं० नेकीराम जी शर्मा और श्री घासीराम जी आदि।

प्रस्ताव २

यह सम्मेलन श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज के उस वीरोचित कार्य को जो उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाल कर म० राजपाल को घातक के फन्दे में से छुड़ाने में किया था और कपूर बन्धुओं के उस कार्य को जो उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर स्वा० सत्यानन्द जी का वध करने का प्रयत्न करने वाले अपराधी को पकड़वाने में किया था और स्नातक धर्मपाल जी विद्यालङ्कार और धर्मसिंह के उस कार्य को जो उन्होंने घातक अब्दुलरशीद को पकड़वाने की सहायता देने में किया था आदर की दृष्टि से देखता है।

प्रस्तावक—श्री रामजी वृन्दावन। अनुमोदक—विजय शंकर जी बम्बई।

प्रस्ताव ३

यह सम्मेलन म० राजपाल, श्री स्वामी सत्यानन्द जी और हिन्दू संगठन के आन्दोलन के साथ सम्बन्धित कार्य कर्ताओं के ऊपर किये गये घातक आक्रमणों का घोर प्रतिवाद करता है। सम्मेलन का दृढ़ निश्चय है कि ये वध और घातक आक्रमण उस उत्तेजना के परिणाम हैं जो प्रकट रूप से जिम्मेवार और गैर जिम्मेवार मुस्लिम आन्दोलनकारियों के द्वारा प्रेस और प्लेट फार्म से दी जा रही है। यह सम्मेलन राजकर्मचारियों की उस अकर्मण्यता पर अत्यन्त रोष प्रकट करता हुआ, जो उन्होंने नीच गुण्डों के दल की विद्यमानता में, क्रूरकर्माघातकों के कार्यों की निर्लज्जतापूर्ण प्रशंसा करने और धर्म के पवित्र नाम पर कत्ल और कानून को हाथ में लेने का निरन्तर उपदेश जारी रहने की मौजूदगी में दिखलाई है। यह सम्मेलन आर्य (हिन्दू) कार्य कर्ताओं की रक्षा करने के क्रियात्मक निषेध किये जाने पर जो इनका ब्रिटिश नागरिकों की ओर से वैध अधिकार है हिन्दू जनता का रोष प्रकट करता है। इस सम्मेलन की सम्मति में अधिकारियों ने उस गवर्नमेण्ट के

प्रति घृणा (Contempt) उत्पन्न कर दी है जो इस देश में कानून के आधार पर स्थापित की हुई मानी जाती है और इस कर्तव्य हीनता के लिए गवर्नमेण्ट उत्तर दाता है।

प्रस्तावक— श्री रामप्रसाद जी मन्त्री अछूतोद्धार सभा दिल्ली। अनुमोदक--चौधरी मुख्तारसिंह जी मेरठ। समर्थक--पन्नालाल जी व्यास आदि।

प्रस्ताव ४

इस सम्मेलन की सम्मति है कि मुसलमानों का अब्दुलरशीद की रक्षा के लिये पब्लिक चंदा जमा करना और बड़ी तादाद में उसके छुटकारे के लिये झूठी गवाही देने के लिये लोगों को अपने को प्रस्तुत करना, मुसलमानी अखबारों का खुदाबख्श और अब्दुलअजीज के पक्ष की पुष्टि करना मुसलमानी प्रेस का खुले आम धमकियां देना और एक ही नाम पर प्रसिद्ध हिन्दुओं को कत्ल की धमकी के पत्रों का लिखा जाना ये सब इस विश्वास की पुष्टि करते हैं कि ये कत्ल और हमले षडयन्त्र के फल हैं जिसके पीछे दूसरे लोगों के दिमाग, धन दौलत काम कर रहे हैं। यह सम्मेलन प्रान्तिक और बड़ो व्यवस्थापिका सभाओं के हिन्दू सदस्यों से प्रेरणा करता है कि वे लोग इस मामले में पूरी तहकीकात करने के लिये निष्पक्ष कमीशन बिठलाने पर बल देवें।

प्रस्तावक —म० कृष्ण जी लाहौर। अनुमोदक--श्री देशबन्धु जी देहली। समर्थक—श्रीमती चंद्रावती जी आदि।

प्रस्ताव ५

जहाँ यह सम्मेलन इस बात पर सन्तोष प्रकट करता है कि आर्य जाति ने विधर्मियों के लिये वैदिक धर्म का द्वार खोलना अंगीकार कर लिया है और गत चार वर्षों में शुद्धि का कार्य बहुत हुआ है वहाँ यह कहने को वाधित है कि कुछ प्राचीन कुसंस्कारों और कुछ अपनी

निर्दयताओं के कारण अभी तक नव आर्य भाइयों के साथ समान सामाजिक व्यवहारों के आरम्भ करने में बहुत सी कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं। यह सम्मेलन अत्यन्त आग्रह पूर्वक आर्य मात्र से अनुरोध करता है कि वे नवागत भाइयों को समान व्यवहार द्वारा अपनावें। यह सम्मेलन आर्यसमाजों का ध्यान इस ओर खींचना चाहता है कि वे नव आर्य भाइयों को शिक्षण और अन्य सहायता प्रदान करने के लिये स्थायी प्रबन्ध शीघ्र और अवश्य करें।

यह सम्मेलन आर्य शिक्षणालयों के संचालकों से बल पूर्वक अनुरोध करता है कि वे अपने शिक्षणालयों में छात्रों को निःशुल्क प्रविष्ट करने में शुद्ध हुए निर्धन भाइयों के बालकों को पहला स्थान दें।

(सभापति द्वारा)

प्रस्ताव ६

इस सम्मेलन को यह देख कर सन्तोष होता है कि जन्म से अस्पृश्यता का भाव जो हिन्दू जाति पर एक कलंक था दिनों दिन कम होता चला जा रहा है परन्तु इसकी गति में अधिक वृद्धि की आवश्यकता है। चूंकि दलित अथवा अछूत कहलाने वाले भाई जाति का एक बड़ा भाग हैं इस लिये उनको जाति में पूर्ण रूप से सम्मिलित करलेना और उनको जाति के संगठन में यथोचित भाग देना प्रत्येक आर्य (हिन्दू) का धर्म होना चाहिये। यह सम्मेलन सर्व सामान्य हिन्दू जनता को साधारण रूप से और आर्य समाजियों से विशेष रूप से अनुरोध करता है कि वे

(१) अछूत कहलाने वाले भाइयों के साथ अस्पृश्यता के भाव को बिल्कुल मिटा दें और उन्हें समान सामाजिक अधिकार दें।

(२) उनकी आर्थिक दशा के सुधार को दृष्टि में रखते हुए जहाँ तक हो सके पहले उनको काम देने का यत्न करें, और

(३) उनमें आर्य संस्कृति का संचार करने के लिये विशेष रूप से धर्म तथा विद्या प्रचार का यत्न किया जाय।

(सभापति द्वारा)

प्रस्ताव ७

यह सम्मेलन आर्य नर नारियों से सानुरोध प्रेरणा करता है कि आगामी वर्ष के आरम्भ से प्रत्येक आर्य समाज की ओर से शारीरिक उन्नति के साधनों को प्रयोग में लाने के लिये अखाड़े खोले जांय। जहाँ हिन्दूमात्र साधारणतया और सभासद् विशेषतया नित्य प्रति इकट्ठे हो व्यायाम किया करें और आर्यसमाज के उत्सवों पर शारीरिक व्यायाम के प्रदर्शन का प्रबन्ध हुआ करे। यह सम्मेलन आर्य शिक्षणालयों से अनुरोध करता है कि वे बालकों और बालिकाओं की शारीरिक उन्नति की ओर विशेष ध्यान दें।

(सभापति द्वारा)

प्रस्ताव ८

यह सम्मेलन आर्य मात्र को चेतावनी देता है कि यदि वे केवल नौकरी और दुकानदारी से संतुष्ट होकर कारीगरी और स्वतन्त्र पेशों की उपेक्षा करते रहेंगे तो उनका जातीय जीवन कभी स्वतंत्र और बलवान न बनेगा और वे समय से पिछड़ जावेंगे इस कारण आवश्यक है कि वे मेहनत पवित्रता के सिद्धान्त को सम्मानित करते हुए स्वयं दस्तकारी और कारीगरी की ओर प्रवृत्त हों और अपनी सन्तति को भी स्वतन्त्र पेशों में डालने का प्रयत्न करें।

(सभापति द्वारा)

प्रस्ताव ९

भारतवर्ष में निवास करने वाली विविध जातियों में शान्ति और एकता स्थापित करने के लिये जो प्रयत्न सच्चे हृदय से किये गये हैं उनका यह सम्मेलन स्वागत करता है परन्तु कलकत्ता के सम्मेलन में

जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिसका समर्थन किया है उनके विषय में इस सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन की सम्मति इस प्रकार है:—

(१) मत परिवर्तन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया है वह बहुत न्यायपूर्ण और उचित है, यदि धार्मिक प्रचारकों ने उसका पूर्णतया सच्चे हृदय से अनुसरण किया तो वर्तमान शोचनीय जातिगत झगड़ों को दूर करने में उससे बहुत सहायता मिलेगी ।

(२) गोहत्या और मस्जिदों के सन्मुख बाजों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया है उसका यह सम्मेलन घोर विरोध करता है, उसके द्वारा हिन्दुओं के साथ सर्वथा अन्याय किया गया है क्योंकि:—

(क) इस प्रस्ताव द्वारा हिंदुओं के अत्यन्त प्राचीन धार्मिक प्रश्न गोहत्या और मुसलमानों के मस्जिद के सन्मुख बाजे के नवीन प्रश्न को एक समान महत्व दिया गया है ।

(ख) इस प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया गया है कि मस्जिदों के सन्मुख किसी भी समय ठहर कर बाजे न बजाये जावें इस प्रकार यह प्रस्ताव मुसलमानों की इस मांग से कि नमाज के मौके पर कुछ निश्चित समयों पर बाजे न बजाये जावें, भी आगे बढ़ गया है। इस प्रस्ताव पर अमल करने से कई शहरों में लम्बे जलूस बिल्कुल बंद हो जावेंगे, विशेषतया जब कि नई मस्जिदों के बनने में कोई रुकावट नहीं है ।

(ग) इस प्रस्ताव में हिन्दुओं को मस्जिद के सन्मुख बाजा बजाने और भजन गाने की जो स्वतंत्रता दी गई है उसे

मुसलमान यह कह कर कि हमें इससे तक़लीफ़ पहुँचती है सर्वथा निरर्थक कर सकते हैं।

(घ) इस प्रस्ताव द्वारा हिंदुओं के पवित्रतम स्थानों, तीर्थ स्थानों और उन स्थानों पर जहाँ अब तक कभी भी गोहत्या व किसी प्रकार की प्राणि हत्या नहीं होती है व क़ानून द्वारा वर्जित है वहाँ पर भी गोहत्या करने की अनुमति दी गई है यह अनुमति आर्य और हिन्दू मात्र के लिये असह्य है।

(ङ) इस प्रस्ताव में म्युनिसिपलिटियों द्वारा व अन्य स्वास्थ्य विषयक दृष्टियों से प्राणि हत्या के सम्बन्ध में जो भी बाधाएँ विद्यमान हैं उनको एक दम दूर कर दिया गया है क्योंकि इस प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक मुसलमान अपने घर में जो कि किसी मंदिर के समीप न हो न केवल बक़राईद के अवसर पर परन्तु अन्य समयों पर भी गोहत्या कर सकता है।

यह सम्मेलन देश के नेताओं को यह सूचित कर देना आवश्यक समझता है कि उन सब निर्णयों को जिनमें हिंदुओं और आर्य समाजियों के धार्मिक व सामाजिक अधिकारों का प्रश्न उपस्थित हो और जिनका निश्चय हिंदू और आर्य नेताओं की स्वीकृति के बिना किया गया हो मानने के लिए आर्य हिन्दू जाति बाध्य नहीं है और न इस प्रकार के निर्णय हिन्दू और आर्य नेताओं की स्वीकृति के बिना किसी को करने का अधिकार है।

प्रस्तावक—श्री राधाकृष्ण जी लाहौर। अनुमोदक—श्री भाई परमानन्द जी।

समर्थक—श्री रामप्रसाद जी दिल्ली।

प्रस्ताव नं १०

वर्तमान संकट और सामाजिक सेवाओं के महत्व को दृष्टि में रखता हुआ यह सम्मेलन आर्य जाति के धार्मिक तथा सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न लिखित सज्जनों की आर्य रक्षा समिति बनाता है जो सार्वदेशिक सभा के आधीन होगी यह समिति देश भर में भ्रमण करके निम्न लिखित कार्यों का सम्पादन करे:—

(१) दश हजार ऐसे स्वयं सेवकों की भर्ती करे जो धर्म रक्षा के लिए प्राण तक अर्पण करने के लिए सर्वदा उद्यत हों।

(२) रक्षा निधि के लिए ५० हजार रुपया एकत्र करें। इस निधि का धन सार्वदेशिक सभा के आधीन होगा।

(३) स्थान और अनुकूलता देखकर शीघ्र से शीघ्र उस स्थान की प्रान्तिक आ० प्रतिनिधि की सलाह से और सार्वदेशिक सभा की अनुमति से सब आवश्यक उपायों का जिसमें सत्याग्रह भी शामिल है, अवलम्बन करे।

(४) यह समिति अपने कार्य के लिए नियम बनाए और सम्मेलन के समाप्त होते ही उपर्युक्त कार्य आरम्भ करदे।

समिति के सदस्य

(१) श्री नारायण स्वामी जी देहली
(२) श्री भाई परमानन्द जी लाहौर
(३) प्रो० रामदेव जी गुरुकुल कांगड़ी
(४) स्वा० स्वतन्त्रानंद जी लाहौर
(५) म० कृष्ण जी लाहौर
(६) बाबू सीताराम जी वकील खीरी
(७) कुं० चांदकरण जी शारदा अजमेर

(८) बा० रामप्रशाद जी कोठी नं० ७ दिल्ली

(९) श्री रामचन्द्र जी देहलवी

(१०) श्री आनन्दप्रिय जी बड़ोदा

(११) श्री श्रीराम जी वृन्दावन

(१२) श्री स्वामी रामानन्द जी दिल्ली

(१३) श्री विजयशङ्कर जी बम्बई

(१४) श्री देवेश्वर जी रावलपिण्डी

(१५) श्री ला० देशबन्धु जी दिल्ली

(१६) श्री पं० इन्द्र जी दिल्ली

प्रस्तावक—श्री नारायण स्वामी जी

अनुमोदक—श्री पं० इन्द्र जी

समर्थक—श्री स्वामी रामानन्द जी

विरोधी—श्री नानकचन्द जी लाहौर और प्रिंसिपल दीवानचन्द जी कानपुर।

प्रस्ताव नम्बर ११

गत कई वर्षों की घटनाओं से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत में हिन्दू मुसलिम झगड़े का एक बड़ा कारण जातिगत प्रतिनिधित्व (Communal Representation) है। इस सम्मेलन की सम्मति है कि भारत सरकार को यह प्रथा शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देनी चाहिए।

(सभापति द्वारा)

प्रस्ताव नम्बर १२

यह आर्य सम्मेलन आर्य समाज की प्रांतीय प्रतिनिधि सभाओं को प्रेरित करता है कि वे अपने यहां से प्रकाशित होने वाले आर्य

सामाजिक साहित्य के निरीक्षण और नियमों के लिए अपने आधीन निरीक्षक सभाएँ बनावे।

(सभापति द्वारा)

प्रस्ताव नम्बर १३

स्वर्गीय श्री स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज की देश तथा धर्म के प्रति सेवाओं, कुर्बानियों और सब से बढ़ कर अन्तिम बलिदान को दृष्टि में रखते हुए यह सम्मेलन आवश्यक समझता है कि ४ बदी मंगसिर को श्रद्धानन्द चतुर्थी दिवस के रूप में मनाया जाय।

(सभापति द्वारा)

प्रस्ताव नम्बर १४

इस सम्मेलन को यह जानकर प्रसन्नता होती है कि बड़े २ रोष के कारणों की मौजूदगी में भी हमारी ओर से न तो बदला लेने का भाव ही प्रकट किया गया है और न कानून को अपने हाथ में लेने की चेष्टा की गई है। साथ ही यह सम्मेलन गवर्नमेंट तथा मुसलिम नेताओं को चेतावनी देता है कि यदि घातक दल की पीठ ठोकी गई, यदि गवर्नमेंट ने इसे न दबाया और यदि मुसलमान नेताओं ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया तो यह सम्भव है कि नेताओं के रोकने वाले यत्न रहने पर भी हिन्दुओं के दुखी और पीड़ित भाव प्रत्याक्रमण के रूप में प्रकट हों, उस दशा में हिन्दू जाति उत्तर दाता न होगी।

प्रस्ताव नम्बर १५

यह सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन निश्चय करता है कि आर्य समाज का सार्व भौमिक सुधार सम्बन्धी कोई भी आंदोलन अर्थात् शुद्धि, दलितोद्धार, अछूतोद्धार, आदि तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वैदिक वर्ण व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए भेद मूलक जन्म की जाति पांति के बन्धनों को सर्वथा तोड़ कर समानता के नाते से सारी आर्य जाति का एक भ्रातृसंघ (Brotherhood) न बनाया

जावे। इस लिए यह सम्मेलन सब आर्य समाजियों को इन बातों को अपने आचरण में लाने का आदेश करता है कि (१) वैदिक शिक्षाओं के अनुसार जात पांत को वर वधू के चुनाव का निर्णायक न मान कर योग्यता और गुणों को दृष्टि में रख कर ही विवाह सम्बन्ध करना चाहिये।

(२) वर्तमान जात पात की परवा न करके विवाहों को यथा सम्भव सुगम बनाने के लिए जो भी कानून पेश किए जावें उनका समर्थन करना चाहिये।

(३) यह सम्मेलन आर्य मात्र को प्रेरणा करता है कि वह जात और उपजातों की पृथक् सभाओं में भाग न लिया करें।

प्रस्तावक प्रो० रामदेव जी। अनुमोदक भगवतदत्तजी। समर्थक-भाई परमानन्द जी।

नोट—यह प्रस्ताव भाई परमानन्द जी के संशोधन सहित जिस रूप में सम्मेलन में पास हुआ था उसी रूप में यहां दिया गया है।

प्रस्ताव नम्बर १६

यह सम्मेलन घोषणा करता है कि नगर कीर्तन आर्य समाज के धार्मिक उत्सवों के आवश्यक अंग हैं और बाजा परम्परा से हिन्दूधर्म के कृत्यों में बजता आया है। नगर कीतनों और बाजों के विरुद्ध जो आंदोलन कुछ वर्षों से उठाया गया है वह मुसलमानों के दुराग्रह और सरकार की मुस्लिम पक्षपातिनी नीति का फल है।

यह सम्मेलन बड़े दुख से इस बात को प्रकट करता है कि गत वर्षों में अंग्रेजी राज्य के कई हिस्सों में और विशेषतः संयुक्त प्रांत में आर्य समाज के नगर कीर्तनों में मुसलमानों की ओर से बहुतसी विघ्न बाधायें उपस्थित की गई हैं और जलसों पर आक्रमण किए गए हैं जिन में बहुतसा रक्तपात हुआ है। इससे भी अधिक दुखः इस सम्मेलन को इस बात का है कि राज्याधिकारी दंगा करने वाले मुसलमानों को

दण्ड देने और उनसे शांति रखने के लिए जमानतें लेने के स्थान में या तो आर्य समाज के नगर कीर्तन बन्द कर देते हैं या इन पर ऐसी बन्दिशें लगाते रहे हैं जिनके कारण आर्य समाज को रोष प्रकट करने के निमित्त नगर कीर्तन बन्द करने पड़े हैं। सरकार की इस नीति को यह सम्मेलन न्याय पूर्ण नहीं समझता बल्कि हिन्दुओं के अनिवार्य स्वत्वों को दबाते हुए मुसलमानों पर विशेष कृपादृष्टि का सूचक समझता है।

इस सम्मेलन की राय है कि जब स्थानीय राज्याधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखने तथा नगरकीर्तनादि जलूसों और अन्य धार्मिक कामों का असन्तोष प्रकट करने के हेतु बन्द करने पर भी आर्यसमाज के साथ न्याय का बर्ताव न हो तो प्रत्येक आर्यसमाज अपनी अपनी प्रतिनिधि सभा और यदि आवश्यकता हो तो सार्वदेशिक सभा की आज्ञा से प्रत्येक उचित धर्मानुकूल उपायों से अपने स्वत्वों की रक्षा करें।

यह सम्मेलन इस बात को सन्तोष से देखता है कि अमेठी, लखनऊ आदि स्थानों पर जब २ और जहाँ २ मुसलमानों की ओर से अन्य हिदू देव मन्दिरों पर आक्रमण किये गए हैं आर्य समाजियों ने इस दुःख को अपना दुःख समझ कर इसमें पूरा भाग लिया और इसके निवारणार्थ जो भी उनसे हो सका किया तथा आज तक जहाँ कहीं आर्यसमाज के नगरकीर्तनों या अन्य धार्मिक अधिकारों पर आक्रमण हुआ वहाँ सर्व सामान्य सनातनी हिन्दू नेताओं ने जो सहानुभूति प्रकट की और सहयोग दिया उसके लिये सम्मेलन उनका हार्दिक धन्यवाद करता हुआ उन्हें विश्वास दिलाता है कि आर्य (हिन्दू) संस्कृति पर किसी प्रकार का और चाहे किसी ओर से हो जब आक्रमण होगा प्रत्येक आर्यसमाजी उसके निवारण के लिये प्राणपन से उद्यत रहेगा।

(सभापति द्वारा)

प्रस्ताव नं० १७

इस सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन की सम्मति में कई मुसलमान मौलवियों और मुफ़तियों की यह पुकार कि जो गैर-मुसलमान इस्लाम के पैगम्बर की प्रतिकूल आलोचना करे अथवा जो मुसलमान इस्लाम को छोड़ कर किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर ले उन सबको इस्लाम की शरियत के अनुसार दण्ड दिया जाना चाहिये, देश के कानूनों की निर्दयता से अवहेलना करके प्रतिहिंसा को उकसाने वाली है। सम्मेलन यह भी अनुभव करता है कि इन लोगों के इस दुष्टतापूर्ण प्रचारको जारी रहने देने की सरकार की नीति ने परिस्थिति को और भी विकट बना दिया है इसलिए यह सम्मेलन सरकार को आदेश करता है कि वह इन मुसलमान मौलवियों और मुफ़तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करे तथा अपने अधिकारियों को हिदायत कर दे कि जब कभी उनकी नजर में इस प्रकार की अशांति का प्रचार या उसकी हठ होती हुई आवे तब वैसा करने वालों के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करे।

प्रस्तावक—प्रो० दीवानचन्द्र जी। अनुमोदक—श्री रामचन्द्र जी। समर्थक— श्री ला० खुशहालचन्द जी खुरसंद।

प्रस्ताव नं० १८

यह सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन संयुक्त प्रान्त की सरकार के उस व्यवहार की घोर निन्दा करता है जो कि उसने बरेली शहर की आर्य-समाज की धार्मिक विधि में ता० १० जुलाई १९२७ को विघ्न डालने के लिये जिम्मेवार कोतवाल और तहसीलदार का तथा कुछ आर्यसमाजियों के यज्ञोपवीत जबरदस्ती उतरवाने के लिये जिम्मेवार पुलिस के दारोगा को नौकरी से बरखास्त कर देने की आर्य और हिन्दू मात्र की मांग की उपेक्षा करके तथा मुसलमान कोतवाल पर मुकदमा चलाने की इजाज़त न देकर सम्राट की लाखों प्रजा के धार्मिक भावों पर बेपरवाही से आघात पहुँचाने में प्रदर्शित किया है।

सम्मेलन यह भी घोषणा करता है कि यदि भविष्य में किसी अधिकारी की ओर से आर्य मन्दिर को इसी प्रकार भ्रष्ट करने का कोई यत्न किया गया तो सब उचित उपायों से रोकने में आर्य जनता दोषी न होगी।

प्रस्तावक—ला० दीवानचन्द जी। अनुमोदक महाशय एम० जे० शर्मा।

सार्वदेशिक आर्य्य महासम्मेलन देहली के प्रस्तावों पर इस सभा ने ता० २७ जनवरी १६२८ की अन्तरंग सभा में जो निश्चय किया वह इस प्रकार से है:—

(१) (क) सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन (देहली) के स्वीकृत प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि प्रधानजी ने जो नोट उन पर दिये हैं वे स्वीकार किये जावें और प्रधानजी के लेखानुसार उन पर कार्यवाही की जावे।

(ख) सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि सार्वदेशिक सभा के कार्यालय से प्रतिवर्ष के आरम्भ होने से पूर्व समस्त पर्व्वों की एक सूची कि किस किस तिथि को यह पर्व्व मनाये जावें प्रकाशित करदी जाया करे। इस लिस्ट में श्रद्धानन्द चतुर्थी व लेखराम मृत्यु दिवस भी शामिल किया जावे।

(१६) सत्यार्थ प्रकाश के विरुद्ध आन्दोलन

ऋषिदयानन्द का जगत प्रसिद्ध और अमर ग्रन्थ सत्यार्थ-प्रकाश प्रथम वार १८७५ ई० में छपा था और स्वर्गवासी राजा जय कृष्णदास साहिब बहादुर ने उसे अपने निज व्यय से छपवाया था उसके बाद उसकी दूसरी आवृत्ति ग्रन्थकर्त्ता के द्वारा संशोधित-परिवर्धित और परिवर्तित करने के बाद १८८३ ई० में छपी उसके बाद अबतक लगभग ५ लाख कापी केवल हिन्दी संस्करण की निकल चुकी

हैं। उसका अनुवाद निम्न भाषाओं में हुआ और उन भाषाओं में बराबर उस समय से छपता रहता है:—

(१) अंगरेजी
(२) बंगाली
(३) गुरुमुखी
(४) उर्दू
(५) मराठी
(६) गुजराती
(७) तामिल
(८) तैलगू
(९) जरमन

इन भाषाओं में कितनी कापियां अबतक छप चुकी है इसका ठीक अन्दाजा नहीं किया जासक्ता परन्तु अनुमान है कि एक लाख से कुछ अधिक कापी छपकर प्रकाशित हो चुकी हैं। इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में दो भिन्न भिन्न समयों में दो भिन्न भिन्न प्रकार ही के आन्दोलन हुये:—

पहला आन्दोलन

पहले आंदोलन का रूप यह था कि यह ग्रन्थ गवर्नमेन्ट के विरुद्ध बगावत फैलाता है यह आंदोलन दो भिन्न भिन्न सीमाओं से प्रारम्भ हुआ था।

(१) इसके पहले आंदोलक सनातन धर्म के एक विद्वान् स्वामी आलाराम सागर थे इन्होंने एक ट्रेक्ट लिखकर आर्यसमाज को एक विद्रोही संस्था सिद्ध करने का यत्न किया था। इसी प्रकार का एक गुप्त पत्र भी सरकार के कुछेक उच्च कर्मचारियों के पास भेजा था। इन स्वामी पर इस और इसी प्रकार के अन्य लेखों के आधार पर १९०२ ई० में

सरकार ने नेक चलनी की जमानत लेने का एक अभियोग चलाया था। प्रयाग में श्रीयुत पी० हैरिसन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में यह अभियोग था—आलाराम ने अपने इन ट्रेक्टों में सत्यार्थप्रकाश के उद्धरण देकर उनसे विद्रोह फैलने की बात लिखी थी—मजिस्ट्रेट ने उन उद्धरणों को देखा और उनके लिये अपने फैसले में लिखा कि "इन उद्धरणों में कहीं भी विद्रोह की उत्तेजना के कोई चिन्ह नहीं मिलते हैं। × × × उस (दयानन्द) की प्रेरणायें और प्रार्थनायें विदेशी राज्य के तुरन्त उलट देने के लिये नहीं अपितु इस प्रकार के सुधार के लिये हैं जो हिन्दुओं को शायद भविष्य में स्वयं राज्य करने के योग्य बना दे। गोरक्षा की ओर के संकेत भी मुझे अपने आप में विद्रोह के उत्तेजक प्रतीत नहीं होते। × × × न (इन लेखों में) शस्त्र ग्रहण करने की कोई प्रेरणा की गई है और न युद्ध ही के लिये बिगुल बजाया गया है।" स्वामी आलाराम की बातों को उपरोक्त भांति मिथ्या ठहरा कर उन्हें दंडित किया गया अर्थात् उनसे नेक चलनी की जमानत ली गई।

(२) दूसरा आंदोलक लाहौर का सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट, था। इसने १६ जून १६०७ ई० के अंक में एक भारतीय का पत्र छापा जिसमें सत्यार्थप्रकाश के उद्धरणों से सिद्ध करने का यत्न किया गया कि आर्यसमाज वास्तव में विदेशियों के वहिष्कार ही के लिये स्थापित हुआ है। उदाहरण के लिये, लेख में प्रकट किया गया था कि राज्य करने का अधिकार क्षत्रियों का है। क्षत्रिय भारत के बाहर का हो नहीं सकता इत्यादि। लेख के उत्तर इसी पत्र में दो सज्जनों ने दिये:— (१) स्वामी श्रद्धानन्द (२) सर गोकलचन्द नारंग M. A. P. H. D. जो इस समय मार्च ३७ में पञ्जाब की सरकार के मिनिस्टर हैं। दोनों महानुभावों ने प्रतिपादन किया कि वेद तथा दयानन्द का क्षत्रिय भारत का "खत्री या छत्री नहीं" किन्तु किसी भी देश का क्षात्रधर्म के

गुण कर्मों का रखने वाला वीर व्यक्ति हो सकता है। इस प्रकार इन उत्तरों से, लेख का विषैला प्रभाव जाता रहा।

दूसरा आन्दोलन

इसके आंदोलक कुछेक कट्टर पन्थी मुसलमान थे। इन्होंने सत्यार्थप्रकाश की जब्ती के लिये आंदोलन किया और अखबारों में लेख भी लिखे। ५२ वर्ष के बाद १९२६ ई० में इन कट्टर पन्थियों को, पुस्तक की जब्ती का विचार पैदा हुआ—स्वाभाविक था कि इस आंदोलन का विरोध किया जाता। इस सभा के नेतत्व में आर्य्यों और आर्य्य समाजों ने इसका बल पूर्वक, सफलता पूर्ण विरोध किया और सभा की अन्तरंग सभा ने एक प्रस्ताव सं० ५ ता० ५ सितम्बर १९२७ ई० को निम्न आशय का पास किया:—

निश्चय हुआ कि निम्न लिखित प्रतिज्ञा पत्र पर आर्य्य नर-नारियों के हस्ताक्षर कराके सभा के कार्यालय में मंगाये जावें:—

"सत्यार्थप्रकाश को जब्ती कराने तथा आर्य पुरुषों के अन्य अधिकारों के छीनने का जो यत्न हो रहा है उसे दृष्टि में रखते हुये मैं अपने इस हार्दिक संकल्प की घोषणा करता हूँ कि मैं सदा सत्यार्थ प्रकाश को अपने पास रखूंगा और दूसरों में भी फैलाऊँगा और यदि कोई शक्ति मुझसे उसे या मेरे किसी धार्मिक अधिकार को छीनना चाहेगी, हर प्रकार के कष्ट सहन करके भी उनकी रक्षा करूँगा और जब रक्षा के कार्य के लिये मुझ तक सार्वदेशिक सभा का संदेश पहुँचेगा तब बिना विलम्ब के उपस्थित होजाऊँगा।"

इस प्रस्ताव के पास करने का फल यह हुआ कि आर्यों ने अपनी शक्ति भर सत्यार्थप्रकाश को खरीद करके कम दामों में बेचा मुफ्त बांटा और उसे घर घर में पहुँचा ने का सफल प्रयत्न किया। हज़ारों अपेक्षित प्रतिज्ञा पत्र सभा के कार्यालय में आगये। घटाकर अनुमान करने पर भी, बिना किसी संकोच के कहा जा सकता है कि

एक लाख से अधिक प्रतियां सत्यार्थप्रकाश की, केवल इस आन्दोलन से बिकीं और बटीं। आर्य्यों ने एक बार फिर इस मौके पर दिखला दिया कि आपत्ति आने पर वे कितनी वीरता से विपत्तियों का मुक़ाविला किया करते हैं।

(१७) आर्य्य रक्षा समिति

सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन देहली का प्रस्ताव संख्या १० इस प्रकार है :-

प्रस्ताव संख्या १०

वर्तमान सङ्कट और सामाजिक सेवाओं के महत्व को दृष्टि में रखता हुआ यह सम्मेलन आर्य जाति के धार्मिक तथा सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न लिखित सज्जनों की आर्य रक्षा समिति बनाता है, जो सार्वदेशिक सभा के आधीन होगी। यह समिति देश भर में भ्रमण करके निम्न लिखित कार्यों को सम्पादन करे :-

(१) दस हज़ार ऐसे स्वयं सेवकों की भरती करे जो धर्म रक्षा के लिए प्राण तक अर्पण करने के लिए सर्वदा उद्यत हों।

(२) रक्षा निधि के लिए ५० हज़ार रुपये एकत्र करें। इस निधि का धन सार्वदेशिक सभा के आधीन होगा।

(३) स्थान और अनुकूलता देखकर शीघ्र से शीघ्र उस स्थान की प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभा की सलाह और सार्वदेशिक सभा की अनुमति, से सब आवश्यक उपायों का जिस में सत्याग्रह भी शामिल है, अवलम्बन करे।

(४) यह समिति अपने कार्य के लिए नियम बनाए और सम्मेलन के समाप्त होते ही, उपर्युक्त कार्य आरम्भ करदे।

समिति के सदस्य

(१) श्री नारायण स्वामी जी, देहली (प्रधान)

(२) श्री भाई परमानन्द जी, लाहौर
(३) प्रो० रामदेव जी, गुरुकुल कांगड़ी
(४) स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी, लाहौर
(५) महाशय कृष्ण जी, लाहौर
(६) बाबू सीताराम जी वकील, खीरी लखीमपुर
(७) कुंवर चाँदकरण जी शारदा, अजमेर
(८) लाला राम प्रसाद जी, कोठी नं० ७, देहली
(९) श्री रामचन्द्र जी देहलवी
(१०) श्री आनन्द प्रिय जी, बड़ौदा
(११) श्री श्रीराम जी, गुरुकुल वृन्दावन
(१२) श्री स्वामी रामानन्द जी, देहली
(१३) श्री विजय शङ्कर जी, बम्बई
(१४) श्री देवेश्वर जी, रावल पिंडी
(१५) श्री लाला देशबन्धु जी, देहली
(१६) श्री पंडित इन्द्र जी, देहली (मन्त्री)

सम्मेलन के समाप्त होते ही, समिति के प्रधान ने समस्त आर्यों और आर्य समाजों के लिए आवश्यक सूचना देते हुये अपील की कि वे यथा सम्भव शीघ्र १० हज़ार स्वयं सेवक और ५० हज़ार रुपये एकत्र करें। उन्हें यह भी सूचना दी गई कि आर्य वीरों और वीराङ्गनाओं को जो प्रतिज्ञा करनी चाहिए और जिन नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए वे प्रतिज्ञा पत्र छपवा कर समाजों तथा अन्य कार्य कर्ताओं के पास भेज दिए गए हैं, और आग्रह किया गया कि यह कार्य दिसम्बर १९२७ के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिए--इस कार्य के होने पर समिति विचार कर सकेगी कि किस प्रकार वह अपना रक्षा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ करे।

इसी बीच में समिति के मन्त्री श्री पण्डित इन्द्र जी विद्यावाचस्पति को भारतीय दण्ड विधान की धारा १५३ अ० के अनुसार लम्बी कैद हो गई और इस प्रकार समिति को उनकी सेवाओं से बञ्चित होना पड़ा।

आर्य समाजों और कार्य कर्ताओं ने धन और जन के संग्रह करने में अच्छा उत्साह प्रदर्शित किया—

आर्य समाज बच्छोवाली लाहौर के अर्द्ध शताब्दि महोत्सव के सिलसिले में एक आर्य सम्मेलन श्री भाई परमानन्द जी के प्रधानत्व में हुआ। २००० स्वयं सेवक उसी सम्मेलन के अवसर पर भरती होगए कार्य का प्रारम्भ देहली नगर से हुआ था और देहली में जो स्थिर कार्य आर्य वीर दल के सम्बन्ध में हुआ वह प्रशंसनीय है। इस प्रकार थोड़ा बहुत कार्य प्रायः सभी जगह होता रहा परन्तु देहली आर्य सम्मेलन की तिथि से छः मास बीत जाने पर भी कुल ६००० के लगभग आर्य वीर भरती हुए। सन् १९२८ ई० में गुरुकुल कांगड़ी के एक आर्य सम्मेलन में, जिसके प्रधान श्री नारायण स्वामी जी थे, जब आर्य वीरों की १० हज़ार संख्या के न पूरा होने की चर्चा हुई तो सम्मेलन के प्रधान ने, जिस चाल से काम हो रहा था उस से असन्तुष्ट हो कर घोषणा की कि यदि तीन मास के भीतर (१५ जुलाई १९२८ ई० तक) यह १० हज़ार की संख्या पूरी नहीं हुई तो वे अपना सम्बन्ध हमेशा के लिए आर्य समाज से तोड़ लेंगे। इस घोषणा से उस समय समस्त नर नारियों में और उसके बाद समाचार पत्रों द्वारा इस समाचार के फैलते ही समस्त आर्य जगत् में तहलका सा मच गया और आर्य समाज का प्रत्येक शुभचिन्तक आर्य वीरों की भरती करने में जुट गया। आर्य संन्यासी महानुभावों ने इस मामले में अपूर्व उत्साह प्रकट किया और इन सबके सम्मिलित यत्न का फल यह हुआ कि जून १९२८ ई. के समाप्त होने से पहिले ही अर्थात् कुल तीन की जगह ढाई

मास ही में १० की जगह साढ़े ग्यारह हजार आर्य वीर भरती हो गए। धन कुल ३१ हजार जमा हो सका परन्तु स्वयं सेवकों की संख्या पूरी हो जाने पर ५० हजार धन एकत्र कर लेने पर आग्रह न करके काम का शुरू कर देना आवश्यक समझा। इस धन के पूरा न होने का कारण यह हुआ कि समस्त प्रान्तिक सभाओं ने, जो धन उनके जिम्मे लगाया गया था, उसकी पूर्ति नहीं की। नीचे एक चित्र दिया जाता है जिस से यह प्रकट होगा कि किस सभा को कितना देना चाहिए था और उसने कितना अदा किया:-

क्रम संख्या	प्रतिनिधि सभा का नाम नाम	कितना धन देना चाहिये था	कितना धन दिया
(१)	आर्य प्रतिनिधि सभा		
	,, संयुक्त प्रान्त व अवध	१००००)	११४६६=)।।।
(२)	,, पंजाब (गुरुकुल विभाग)	,,	६७५४≡)।।
(३)	,, ,, (कालिज)	५०००)	१००)
(४)	,, राजस्थान	५०००)	१६८५≡)
(५)	,, मध्यप्रदेश	२५००)	५८८।)
(६)	,, बिहार बङ्गाल	१००००)	२३८५)।।
(७)	,, बम्बई	१००००)	७२८)
(८)	,, सिन्ध	२५००)	५००)
(९)	,, ब्रह्मादि	२५००)	७१३।=)
(१०)	,, विविध	×	१०५।।।-)
	योग	५७५००)	२५०५६।।।-)
	आर्य सम्मेलन की स्वागतकारिणी से प्राप्त हुआ धन		६७०८।।≡)।।
	महा योग		३१७६५।।)।।

संयुक्त प्रान्त के सिवा अन्य सभी प्रान्तिक सभाओं ने अपने भाग का धन चुकाने में उत्साह प्रदर्शित नहीं किया।

आर्य रक्षा समिति तथा आर्य वीर दल के नियम

सम्मेलन की बनाई हुई समिति ने समिति का नाम आर्य रक्षा समिति और स्वयं सेवक दल का नाम आर्य वीर दल रक्खा और अपनी २६ जनवरी १९२९ ई० की बैठक में समिति और दल दोनों के नियम स्वीकार किये।

उत्सव और नगरकीर्तन समस्या

आर्य रक्षा समिति ने उत्सव और नगरकीर्तनों की उलझनों पर विचार किया और जहाँ जहाँ और जिस जिस प्रकार उनमें रुकावटें होती हैं उन सबके सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञातव्य बातों का संग्रह किया। सबसे पहले सम्मेलन को अपना ध्यान भरतपुर राज्य की ओर देना पड़ा।

आर्य कुमार सम्मेलन भरतपुर

आर्य कुमारों के सम्मेलन प्रति वर्ष किसी न किसी स्थान पर हुआ करते हैं। १९२७ ई० के दिसम्बर मास में यह सम्मेलन मुरादाबाद हुआ था और उसी सम्मेलन में यह निश्चय हो चुका था कि आगामी सम्मेलन १९२८ ई० दशहरे को छुट्टियों में भरतपुर किया जावे—

भरतपुर के आर्यकुमारों तथा आर्य पुरुषों ने सम्मेलन की तैयारी उत्साह पूर्वक आरम्भ करके हर वर्ष की भांति रियासत के अधिकारियों से चांदनी शामियाने आदि की सहायता मांगी। इधर रियासत के प्रबंध में कुछ परिवर्तन हो चुका था। भरतपुर नरेश महाराज किशनसिंह जी रियासत से बाहर चले गये थे और रियासत का सम्पूर्ण प्रबन्ध नये दीवान मि० मेकंज़ी के हाथ में था। स्वागतकारिणी सभा की प्रार्थना का दीवान की ओर से यह उत्तर दिया गया कि रियासत में दुर्भिक्ष है इस कारण दशहरे के अवसर पर सम्मेलन नहीं हो सकता। इसपर आर्य जगत् में खूब आन्दोलन हुआ। सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा तथा

आर्य रक्षा समिति का एक विशेष अधिवेशन इस मामले के विचारार्थ बुलाया गया कि यदि सम्मेलन की आज्ञा न दी गई, तो सत्याग्रह का मोर्चा भरतपुर में लगा दिया जायगा। आर्य समाचार पत्रों और आर्य समाजों ने भी उपर्युक्त निश्चय का समर्थन किया। इस पर रियासत के शासकों ने शीघ्र ही अपनी भूल को अनुभव किया और बड़े दिनों में सम्मेलन का अधिवेशन करने की अनुमति दे दी और बड़े दिनों में आर्यकुमार सभा का सम्मेलन भरतपुर में धूमधाम से हुआ।

आर्यसमाज मुरादाबाद का नगरकीर्तन

आर्यसमाज मुरादाबाद १८२६ ई० में और आर्यसमाज गंज मुरादाबाद सन् १६२६ ई० में स्थापित हुए थे। दोनों आर्यसमाज अपने अपने जन्म दिवस से अपने उत्सव करते चले जाते थे। उत्सव के साथ नगरकीर्तन भी, भजन, गान और बाजे के साथ निकला करते थे। किसी प्रकार की रुकावट उनके नगरकीर्तनों में नहीं हुई और न किसी की ओर से कभी किसी प्रकार की शिकायत हुई। ये नगरकीर्तन विना किसी प्रकार का लाइसेंस लेने के निकला करते थे ।

सन् १६२६ ई० में ज़िले के अधिकारियों ने, बिना किसी की शिकायत के, अपनी ओर से आग्रह किया कि ये नगरकीर्तन बिना लाइसेंस लिये नहीं निकलने चाहियें और जब लाइसेंस लेने के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया तो उस पर यह पाबन्दी लगा दी गई कि २०० से अधिक आदमी जलूस के साथ न हों, और ५ से अधिक गाड़ियां भजन मंडलियों की न हों। इसके बाद १६२७ ई०में पुलिस के सुपरिंटेंडेन्ट ने फिर अपनी ही ओर से यह बंदिश लगाई कि जलूस के साथ किसी प्रकार का बाजा न हो। इस नामाकूल हुक्म की पाबंदी करने से उचित रीति से, आर्यसमाजों ने इन्कार किया और विरोध के तौर पर अपने अपने नगरकीर्तन निकालने बंद कर दिये—

यहाँ एक बात लिख देना उचित है कि पुलिस को इस प्रकार से बाजा बन्द करने का कानूनन अधिकार नहीं है। मुरादाबाद ही के ज़िले के एक फैसले में इलाहबाद हाईकोर्ट ने २०-११-१९२८ ई० को ऐसा निश्चय किया है (फैसले के लिये देखो परिशिष्ट ७)—

१९-५-२९ ई० को आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रांत की अन्तरङ्ग सभा ने सत्याग्रह करने के लिये उपयुक्त स्थान मुरादाबाद ठहराया परन्तु निश्चय किया कि पहले उनके प्रधान प्रान्तिक गवर्नर से भेंट करके मामले के सुलझाने का यत्न करें। यदि न सुलझे तब सत्याग्रह किया जावे। मुरादाबाद के अधिकारियों ने नगर के सभी श्रेणी के निवासियों से बात-चीत की और अन्त में स्थानिक परिस्थितियों का विचार करते हुए सभी सम्प्रदाय के नगर निवासियों से मिलकर सभी सम्प्रदायों के जलूसों के लिये क़ायदे बना लिये। यह क़ायदे अन्त में दिये गये हैं (देखो परिशिष्ट ८)। इन क़ायदों में आर्यसमाज के नगरकीर्तनों से सम्बन्धित ये बातें हैं —

"नगर-कीर्तन"

(१) ईदों और मुहर्रम के जमाने में यह जलूस न निकाला जायगा।

(२) यह जलूस मसजिदों के सामने बिना ठहरे हुए गुजर जायगा।

(३) कम से कम एक मास पहले इस जलूस की इत्तिला पुलिस के सुपरिन्टेण्डेण्ट को दी जावेगी और जलूस की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले उसका प्रोग्राम जिलाधीश की सेवा में भेज दिया जावेगा।

आर्यसमाज मुरादाबाद का उत्सव सदैव दिवाली पर और आ० स० गंज का उत्सव रामनवमी के अवसर पर कुछ इधर उधर

हुआ करता है। इसीलिये मुरादाबाद के आर्यों ने पहली शर्त के मानने में कुछ आपत्ति नहीं की इन शर्तों के कारण लैसेन्स लेने की जरूरत नहीं रही। न जलूस पर किसी प्रकार के बाजा न बजाने आदि की पाबंदी रही, न रास्ते की कोई रुकावट रही। इस प्रकार से इस मामले का अन्त हो गया और सत्याग्रह करने की जरूरत बाकी नहीं रही।

आर्यवीर दल सेवा विभाग

सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन देहली के प्रस्ताव सं० १० में, जिसके द्वारा आर्यवीर दल का सङ्गठन हुआ था "सामाजिक सेवाओं के महत्व" की बात कही गई है। उसी को लक्ष्य में रखते हुए आर्य रक्षा समिति ने आवश्यक समझा कि उसके भी नियम बनाकर, प्रस्ताव के इस भाग को भी, कार्य में परिणत किया जावे। तदनुसार अनेक ऐसी संस्थाओं के नियमों की देखभाल करके, नियम बनाये गये और समिति की १५ दिसम्बर १९२९ की बैठक में स्वीकार किए गए। नियमों के कार्य में आने से मालूम हुआ कि उनमें कुछ त्रुटियां हैं, उनका सुधार होना चाहिए। तदनुसार समिति के सदस्यों से सम्मति लेने के बाद उनका संशोधन किया गया और आवश्यकतानुसार घटा बढ़ाकर उन्हें समिति की ८ दिसम्बर सन् १९३५ ई० की बैठक में स्वीकार किया गया और निश्चय हुआ कि १५ मार्च सन् १९३६ ई० से वे लागू किए जावें।

जेल मैनुअल में संशोधन का विषय

सन् १९३० ई० के नवम्बर मास में यह बात समिति के नोटिस में आई कि एटा जिले के जेल में एक साधु ने जिनका नाम शरणानन्द था इसलिए भूख हड़ताल कर रक्खी है कि उनसे उनके गेरुए वस्त्र जेल वालों ने उतरवा लिए थे। इस सूचना के मिलने पर संयुक्त प्रान्त की सरकार तथा वहां के जेलों के इन्सपेक्टर का ध्यान इस ओर इस समिति द्वारा, आकर्षित कराया गया कि साधु के कपड़े

उसे दिलवा दिए जावें । प्रसन्नता की बात है कि समिति के पत्र पर उचित विचार किया गया और साधु को उसके वस्त्र दिला दिए गए और मामला ख़त्म हो गया ।

जेलों में हवन की रोक टोक

देहली, फ़रूखाबाद और सहारनपुर आदि अनेक स्थानों से यह शिकायत आई कि आर्य कैदियों के लिये जेल में हवन करने के सुभीते नहीं पहुँचाये जाते इस लिये कैदियों को सत्याग्रह करना पड़ता है। कुछ के उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं:—

श्री मास्टर हरकेश जी

यह देहली षडयन्त्र केस के विचाराधीन कैदी थे। इन्हें देहली, जेल में रक्खा गया था। यहाँ अधिकारियों ने इन्हें हवन करने की आज्ञा नहीं दी। इन्होंने दीपावली २६-१०-३२ से भूख-हड़ताल करदी। समिति ने वायसराय और चीफ़ कमिश्नर देहली का ध्यान मास्टर हरकेश की भूख-हड़ताल की ओर दिलाते हुए और उनकी नाजुक हालत को सामने रखते हुए प्रार्थना की कि उन्हें हवन करने की आज्ञा दी जाय। आर्य्य समाजों और प्रतिनिधि सभाओं ने अधिकारियों के इस अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रस्ताव पास किये और वायसराय और चीफ़ कमिश्नर देहली के पास भेजे। आर्य्यसमाज के इस आन्दोलन से भी अधिकारी टस से मस न हुए और अन्त में सभा के मन्त्री की प्रेरणा पर मास्टर हरकेश जी ने भूख हड़ताल स्थगित करदी।

श्रीमती सावित्री देवी

श्रीमती सावित्री देवी को फ़र्रुख़ाबाद जेल में हवन करने की आज्ञा नहीं दी गई। श्री देवीजो ने विरोध स्वरूप भूख-हड़ताल शुरू की। २० अप्रैल से २६ अप्रैल १६३२ तक उनकी भूख-हड़ताल जारी रही। अत्यन्त कमजोर होने के कारण २७ ता० को जेल अधिकारियों ने

ज़बरन उन्हें दूध पिलाया और उसके बाद उन्हें हवन करने की इजाज़त दी गई।

श्रीमती चमेली देवी

श्रीमती चमेली देवी को सहारनपुर जेल में हवन करने की आज्ञा नहीं दी गई। १२-२-३३ से उन्होंने भूख-हड़ताल शुरू की। ज्यों ज्यों भूख-हड़ताल के दिनों की संख्या बढ़ती जाती थी त्यों त्यों आर्य जगत् में देवी जी के स्वास्थ्य की चिन्ता और क्षोभ बढ़ता जाता था।

आर्यजगत् ने प्रस्तावों द्वारा अपनी चिन्ता का प्रकाश किया, सरकार के इस धार्मिक हस्तक्षेप और दुराग्रह के विरुद्ध आवाज़ उठाई।

समिति की ओर से बार बार उच्चाधिकारियों को हस्तक्षेप करने और आज्ञा दिलाने की प्रेरणा की गई। आन्दोलन का प्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेन्ट पर कोई प्रभाव न पड़ता देखकर यू० पी कौन्सिल में प्रश्न किये गये और गवर्नमेंट पर दबाव डाला गया कि वह यथा सम्भव शीघ्र देवी को हवन की आज्ञा दें और उनके जीवन की रक्षा करें। होम मेम्बर की ओर से आश्वासन दिलाया गया कि देवी को हवन की आज्ञा दे दी जायगी। ५-४-३३ को अवधि से २॥, ३ मास पूर्व देवी को छोड़ दिया गया और उन्होंने हवन करके तब भोजन किया।

इस समिति के लिखने पर यद्यपि फ़र्रुख़ाबाद में हवन का प्रबन्ध कर दिया गया और सहारनपुर का मामला भी किसी प्रकार तय ही हो गया परन्तु अब जब कि जेल जाना फैशन में दाख़िल होगया है, और उस प्रकार लज्जा की बात नहीं रही जैसे कुछ दिन पहले समझी जाती थी तो यह आवश्यक होगया कि संयुक्त प्रान्त तथा भारतीय सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाया जावे कि वे भारतवर्ष के समस्त जेलों में, उपरोक्त प्रकार की सुविधा मिलने के लिये जेलों के नियम संग्रह (Manuals) को इस प्रकार संशोधन कर देवें जिससे

मुसलमान और सिक्ख कैदियों की तरह, हिन्दू और आर्य कैदियों के लिये भी उनके धार्मिक कृत्यों के करने में सुविधायें मिलती रहें जिससे बिना भूख हड़ताल करने आदि के, प्रत्येक हिन्दू और आर्य कैदी, अपने दैनिक धार्मिक कृत्यों को, बिना रोक टोक के करता रहे। तदनुसार दोनों जगह मेमोरियल भेजे जा चुके हैं परन्तु अभी तक ज्ञात नहीं हो सका कि उन पर क्या कार्य किया गया।

आक्षेपजनक पुस्तक

पं० अखिलानन्द जी अपनी मधुर भाषिता के लिये प्रसिद्ध हैं और एक से अधिक बार इसके उपलक्ष में उन्हें उपहार भी मिल चुका है। एक पुस्तक जिसका नाम 'देव सभा में वेदों की अपील तथा महर्षि संवाद' था ऋषि दयानन्द के विरुद्ध लिखी थी। पुस्तक अत्यन्त आक्षेप जनक थी। यह प्रसन्नता की बात है कि इस समिति के आवेदन पत्र (Memorial) भेजने पर उसे जब्त कर दिया गया—

(२) "एक ऐसी ही बदनाम किताब एफ़ के. दुर्रानी महाशय ने लिखी थी, जो अंगरेजी भाषा में थी और जिसका नाम Swami Dayanand—A critical Study of his life and Teachings था, और जो उसी प्रकार से आपत्ति जनक और आक्षेप योग्य थी, जैसी अखिलानन्द की उपर्युक्त पुस्तक। यह पंजाब में छपी थी इसलिये इसको जब्त करने के लिये पंजाब की सरकार का ध्यान दिलाया गया और पंजाब की गवर्नमेंन्ट ने उसका आपत्ति जनक होना स्वीकार भी करलिया परन्तु उसने केवल इतना किया कि उसकी विक्री को बन्द करा दिया। इस सम्बन्ध में पञ्जाब की सरकार ने एक विज्ञप्ति भी विक्री बन्द करा देने के सम्बन्ध में निकाल दी थी। पञ्जाब की सरकार यदि कोई अन्य धर्मावलम्बी मुसलमानों के विरुद्ध कुछ लिखता है उस पर, तत्काल नोटिस लेती है परन्तु जब

कोई मुसलमान आर्यसमाज या हिन्दुओं के विरुद्ध लिखता है तो उसके विरुद्ध अत्यन्त विवश होने पर, बड़ी सुस्ती के साथ, मरा हुआ कदम उठाती है। पंजाब सरकार की यह दुर्नीति और दूषित मनोवृत्ति, अत्यन्त आक्षेपनीय है।

(३) तीसरी पुस्तक "रंगीला ऋषि" नाम की, पंजाब के एक व्यक्ति माधवाचार्य्य ने लिखी थी, वह इतनी आपत्ति जनक थी कि उसे, इस समिति के लिखने पर, पंजाब सरकार जैसी इस अंश में अकर्मण्य सरकार भी तत्काल जब्त करने के लिये वाधित हुई—

बहादुरावाद की दुर्घटना

"आर्यसमाज बहादुरावाद सहारनपुर के जिले में है। २२ नबम्वर १९३० की घटना है कि कप्तान गफ़ के सामने उसके सिपाहियों ने आर्यसमाज मन्दिर में जाकर ओ३म् की पताका को उतार कर कुछ काग़ज़ जलाये और म० रामलाल उपमन्त्री आर्यसमाज को बुरी तरह से पीटा। इस दुर्घटना की सूचना समाचार पत्रों द्वारा पहुँचने पर देश और विदेश के सहस्रों आर्यसमाजों ने इस घटना के विरुद्ध, विरोध के तौर पर प्रस्ताव पास किये और उनकी लिपि कमांडरइनचीफ़, गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया और प्रेस में भेजीं। इस सभा के कार्यालय में भी एक हज़ार से अधिक प्रस्तावों की लिपि पहुंच गई। इस पर इस सभा के पत्र 'सार्वदेशिक' ने सरकार को निम्न शब्दों में चेतावनी दीः—

"यह सम्भव है कि गवर्नमेन्ट ने, वर्तमान राजनैतिक आंदोलन को दबाने के लिये, इतनी बलशाली पुलिस के होने पर भी, सेना विभाग के अफ़सरों को विस्तृत अधिकार दे रक्खे हों और इन्हीं अधिकारों के मद में उन्मत्त हो वे अपने बल का भी प्रयोग करते हों परन्तु यह समझना कठिन है कि वे अधिकार इतने विस्तृत हैं कि वे लोग

जो उत्पात चाहें कर सकें। अस्तु। इस फ़ौजी अफ़सर की अनुचित कार्यवाही हमें इस परिणाम पर पहुँचाती है कि बल का प्रयोग करते समय, मदान्ध अफ़सर अपने अधिकारों का नीच से नीच बुरे से बुरा उपयोग करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते। × × × आर्य पताका आर्यसमाज का गौरव चिन्ह है उसके अपमान को वे सहन नहीं करसकते। उपेक्षा की दृष्टि से भी नहीं देखसकते। हम गवर्नमेन्ट को यह बतलादेना चाहते हैं कि बहादुराबाद की घटना एक देशीय नहीं वरन सार्वदेशिक है। भारत ही के नहीं समूचे भूमन्डल के समस्त आर्यों के हृदयों में इस घटना से ठेस पहुँची है और इससे यदि परिस्थिति नाज़ुक भी हो जाय तो कुछ आश्चर्य नहीं। इसलिये गवर्नमेन्ट का कर्तव्य है कि वह इस दुर्घटना की गम्भीरता को समझे और बिना ढील किये मामले की पूरी तहक़ीक़ात कराये और अपराधी को दण्ड देने और ॐ की पताका पुनः आर्यसमाज मन्दिर बहादुराबाद पर लहराने दे। आर्यों को इसके बिना सन्तोष होना सम्भव नहीं।"

प्रेस में इतना आंदोलन होने पर असेम्बली के सदस्यों का भी इस ओर ध्यान गया और ५ फरवरी १९३१ ई० को श्रीयुत हरिराज स्वरूप M. L. A. मुज़फ्फरनगर ने इस दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रश्न किए जिनका आर्मी सेक्रेटरी ने उत्तर देते हुए कहा कि इस घटना के सम्बन्ध में आर्यसमाज ने जो इलजाम लगाए हैं वे सच्चे नहीं हैं न आर्य मन्दिर भ्रष्ट किया गया; न रिकार्ड जलाया गया और न ओ३म् का झण्डा ही फाड़ा गया। समिति के प्रधान श्री महात्मा नारायण स्वामी जी ने आर्मी सेक्रेटरी के इन उत्तरों का खन्डन करते हुए एक स्टेटमेंट अखबारों के लिए दिया जिसमें आर्यसमाज के द्वारा लगाए गए इलजामों का अपनी तहक़ीक़ात के आधार पर समर्थन करते हुए निष्पक्ष और खुली जांच का मुतालबा किया। इस स्टेटमेंट के आधार पर १३-३-३१ को फिर असेम्बली में प्रश्न किए गए और तब भी

गवर्नमेन्ट की ओर से मामले पर लीपा पोती करने की कोशिश की गई। निदान गवर्नमेन्टके इस निराशापूर्ण रुख़ को देख कर पं० रामलाल जी ने १२-३-३१ को ६०००) के हर्जाने का नोटिस दिया।

समझौता

इस नोटिस के पहुँचने पर सरकार की आंखें खुलीं और यू. पी. सरकार ने मामले को तय करने का निश्चय किया और संयुक्त प्रान्त की प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री राय बहादुर ठाकुर मशालसिंह जी से बातचीत की। इस पर ठा० मशालसिंह जी ने सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री महात्मा नारायण स्वामी जी को तार देकर नैनीताल बुलाया। ६ मई को श्री महात्मा जी नैनीताल गए।

यू. पी. सरकार को यह विश्वास हो गया था कि, जो अभियोग लगाए गए हैं, वे सत्य हैं। इसलिए उसने आर्य समाज से राज़ीनामे की शर्त मांगी। श्री ठा० मशालसिंह जी ने श्री महात्मा नारायण स्वामी के परामर्श से अपनी मांगे पेश करदीं और अनेक पत्र व्यवहार और मुलाक़ातों के बाद समझौते की सब शर्तें तय हो गईं। उन्हीं तय की हुई शर्तों के अनुसार समझौते को कार्य रूप में परिणत करने के लिए १४ अगस्त १६३१ ई० नियत की गई।

माफ़ी और मुआविज़ा

यू. पी. सरकार ने रायबहादुर ठा० मशालसिंह जी के द्वारा श्री महात्मा नारायण स्वामी जी, पंडित रासबिहारी तिवारी, राय साहब गंगाराम, पंडित रामलाल, तथा कर्नल ग्रेटन को १४-८-३१ को नैनीताल में आमन्त्रित किया और उन सब की मौजूदगी में, कैप्टेन गफ़ ने २२ नवम्बर सन् १६३० को बहादुराबाद आर्य समाज के प्रति किये हुए दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना की। माफ़ीनामा पर स्वयं कैप्टेन गफ़ ने हस्ताक्षर किए और निम्न शब्दों में पढ़ कर सुनाया:—

"२२ नवम्बर सन् १६३० को मैंने जो कुछ बहादुराबाद में किया था, उसके लिये मुझे खेद है और मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ।" कैप्टेन गफ़ ने २००) रुपये भी बतौर मुआवजे के पंडित रामलाल को दिये। उत्तर में पंडित रामलालने कहा "मैं क्षमा-प्रार्थना और २००) को जो बतौर मुआवजे के दिए हैं स्वीकार करता हूँ। अब मै आप को यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करूँगा।" इसके अनन्तर कर्नल ग्रेटन ने हिज़-ऐक्सीलैन्सी कमान्डर इन चीफ़ की ओर से उस उदारता के लिए कृतज्ञता प्रकट की, जिसका परिचय आर्यसमाज ने इस मामले के निपटाने और कैप्टन गफ़ की क्षमा-प्रार्थना स्वीकार करने में दिया है। कर्नल ग्रेटन और कैप्टन गफ़ ने उपस्थित सज्जनों से हाथ मिलाया और बहादुराबाद की घटना पर हार्दिक शोक प्रकाश करते हुए बिदा हो गए। इसके बाद चीफ़ सेक्रेटरी ने श्री महात्मा नारायण स्वामी जी को खद्दर का एक थैला भेंट किया। इस थैले में आर्य समाज बहादुराबाद के लिए शुद्ध खादी का "ओ३म्" का झण्डा था।

यह झण्डा एक विशेष उत्सव करके आर्य समाज बहादुराबाद के मन्दिर में सभा के प्रधान द्वारा ता १८-१०-३१ को लगा दिया गया। इस प्रकार आर्य समाज की पूर्ण विजय के साथ यह मामला समाप्त हुआ। मामले के समाप्त हो जाने पर इस सब कार्य के सम्बन्ध में एक स्टेटमेन्ट प्रेस को सभा की ओर से दिया गया यह अङ्कित किया जाता है।

पाठक गण अब आप आर्मी सेक्रेटरी ने जो उत्तर असेम्बली में दिये थे उन पर विचार करें और सोचें कि किस प्रकार के उत्तर भारतीय सरकार की ओर से उनका मन्त्री मण्डल दिया करता है:—

Statement

It will be recollected that the desecration of the Arya Samaj Temple at Bahadrabad, District Saharanpur, the burning of its records, the tearing into pieces of its sacred flag of "OM", and the brutal treatment meted out to its Assistant Secretary Pandit Ram Lal, by Gurkha under the command of Captain Gough, had excited considerable agitation resulting in the passing of resolutions of protest by the Arya Samajes all over India and abroad. Attention was also drawn to this affair by having a series of questions asked in the Legislative Assembly by Mr. Hari Raj Swarup, M. L. A., and in spite of Army Secretary's evasive and unsatisfactory answers, the matter was pursued by the International Aryan League.

The Government of the United Provinces with whom correspondence was going on at length found that there was substantial truth in the accusation made. Consequently, on the 14th. of August, 1931, the Chief Secretary to the Local Government invited through Rai Bahadur Thakur Mashal Singh, Shri Mahatma Narayan Swami, Pandit Rahas Bihari Tewari, Rai Sahib Ganga Ram and Pandit Ramlal and Colonel Greton to Naini Tal and in their presence, Captain Gough apologised for his misbehaviour towards the Arya Samaj Bahadrabad on the 22nd November, 1930. The apology addressed to Pandit Ramlal was signed and read out by Captain Gough in the

following words:—"I am very sorry for what I did at Bahadrabad on November 22, 1930 and I sincerely apologise for the same" He also made over to Pandit Ram Lal the sum of Rs. 200/- as compensation. Pandit Ram Lal in reply said, "The apology tendered and the compensation of Rs. 200/- paid by you have been accepted by me. I now assure you that I will not take any legal proceedings against you". Thereafter Colonel Greton on behalf of H. E. the Commander-in-Chief expressed gratitude for the generosity shown by the Arya Samaj in closing this matter by accept-ting the apology of Captain Gough. Shri Mahatma Narayan Swami then thanked them for bring ing about an amicable settlement. Both Colonel Greton and Captain Gough after shaking hands with all the persons present and expressing their personal regret for what had happened at Bahadra-bad, left the Chief Secretary's room. The Chief Scretary thereupon presented to Shri Mahatma Narayan Swami a **Khadi** bag, containing the sacred flag of "OM" made of pure khadi cloth for installation at the Arya Samaj temple at Bahadra-bad.

Rai Bahadur Thakur Mashal Singh then thanked the Chief Secretary nnd requested him to convery to H. E. the Governor of the United Provinces their appreciation of the manner in which he dealt with this affair, and took leave.

NARAYAN SWAMI

25-10-1931.

एक भ्रम का निवारण

आर्य रक्षा समिति का कार्य तत्परता के साथ होते हुये भी, किसी स्थान पर सत्याग्रह का मोर्चा न लगाने से कुछेक दूर के आर्यों और कुछ समाचार पत्रों को भी, भ्रम हो गया था कि रक्षा समिति ने देहली के सार्वदेशिक सम्मेलन के बाद कुछ कार्य नहीं किया। इस प्रकार के कुछेक पत्र कार्यालय में आये और कुछ लेख भी समाचार पत्रों में छपे थे। इस भ्रम के निवारणार्थ समिति के प्रधान ने एक वक्तव्य प्रेस को दिया जिससे वह भ्रम दूर हो गया। वक्तव्य से समिति की स्थिति पर अच्छी खासा प्रकाश पड़ता है, इसलिये वह यहां दिया जाता है:—

समिति के प्रधान का वक्तव्य

"आर्य रक्षा समिति और सत्याग्रह ।"

गत नवम्बर मास में देहली में हुये सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन ने आर्य सज्जनों के नगरकीर्तनों में उपस्थित होने वाले विघ्न और बाधाओं पर विचार करते हुये एक प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसके उपयोगी भाग की लिपि इस प्रकार है:—

"वर्तमान संकट और सामाजिक सेवाओं की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये यह सम्मेलन आर्य जाति के धार्मिक तथा सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिये × × × एक कमेटी बनाता है जो सार्वदेशिक सभा के आधीन होगी। यह कमेटी देश भर में भ्रमण करके निम्न लिखित कार्य का सम्पादन करे:—

(१) १० हजार ऐसे स्वयंसेवकों की भरती करे जो धर्म रक्षा के लिये प्राण तक अर्पण करने के लिये सर्वदा उद्यत हों।

(२) रक्षा निधि के लिये ५० हज़ार रुपया एकत्र करे।

× × × ×

(३) स्थान और समय की अनुकूलता देखकर शीघ्र से शीघ्र उस प्रान्तिक सभा की सलाह से और सार्वदेशिक सभा की अनुमति

से सब आवश्यक उपायों का जिसमें सत्याग्रह भी शामिल है, अवलम्बन करेगी।"

(१) प्रस्ताव के भाग १ के अनुसार १५ जौलाई १९२८ तक १० हज़ार स्वयं सेवक एकत्र हो गये।

(२) प्रस्ताव के भाग २ के अनुसार बहुत यत्न करने पर अभी तक केवल ३० हज़ार के लग भग धन एकत्र हो सका है। बाक़ी धन के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। समस्त आर्य समाजों और सम्पन्न आर्य पुरुषों को चाहिये कि वे शीघ्र से शीघ्र इस धन की पूर्ति करें।

(३) ५० हज़ार धन एकत्र न होने पर भी १० हज़ार स्वयं सेवकों के संग्रह कर लेने के बाद प्रस्ताव के खण्ड ३ के अनुसार रक्षा समिति के प्रधान ने २९ जौलाई १९२८ को आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब और संयुक्त प्रान्त को जहां नगर कीर्तनों के सम्बन्ध में अधिकतर रुकावटें हुआ करती हैं, इस आशय के पत्र भेजे कि "प्रस्ताव के खण्ड ३ को देख कर लिखें कि उनकी सम्मति में स्थान और समय को अनुकूलता को दृष्टि में रखने से कौनसा स्थान उपयोगी प्रतीत होता है और जिस स्थान को भी वे नामज़द करें तो यह भी लिखने की कृपा करें कि वहां किस प्रकार काम शुरू करना चाहिये।" जब १५ दिन तक किसी सभा ने कोई उत्तर नहीं दिया तो १७ अगस्त को रक्षा समिति के कार्यालय से उन्हें उत्तर भेजने के लिये याद दिलाई गई। इस पर अगस्त मासान्त में पञ्जाब की सभा का उत्तर यह आया कि "हमारी सम्मति में इस कार्य के लिये कोई अनुकूल स्थान नही है।" संयुक्त प्रान्त की सभा को फिर शीघ्र उत्तर देने के लिये ताकीद भेजी गई। इस तीसरे पत्र के बाद संयुक्त प्रान्त की सभा ने १० सितम्बर को यह उत्तर दिया कि "आपके पत्र पर विचार हो रहा है। संयुक्त प्रान्तीय गवर्नर से मिलने के पश्चात् उस का उत्तर आपकी सेवा में भेजा जावेगा।" इस उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(४) कुछेक आर्यपत्रों को उनके उतावले पन के लेखों को देख कर यह भ्रम हो गया प्रतीत होता है कि इस सत्याग्रह के सम्बन्ध में रक्षा समिति के अधिकारी अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे है। उनको इस विज्ञप्ति से प्रकट हो जावेगा कि समिति के अधिकारियों ने अब तक अपना कर्तव्य तत्परता के साथ पालन किया और आयन्दा भी वे ऐसा ही करने का दृढ़ निश्चय रखते है। यहां हम दुःख के साथ यह प्रकट करते है कि प्रोफेसर रामदेव जी ने अपनी अस्वस्थता के कारण मुख्यदलपति के पद से तार द्वारा त्याग पत्र भेजा है। आगामि रक्षा समिति के अधिवेशन में उस पर अवश्य विचार किया जावेगा।

(५) हम अन्त में यह प्रकट कर देना आवश्यक समझते हैं कि रक्षा समिति सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन के उर्पयुक्त प्रस्ताव के अनुसार बनाई गई है और उसी प्रस्ताव में अङ्कित शर्तों की पाबन्द है। यदि प्रान्तिक सभायें अपने अपने प्रान्त में कुछ नहीं करना चाहती हैं तो रक्षा समिति बन्धन में है कि उनकी सलाह के बिना कुछ न कर सके।

नारायण स्वामी

आर्यसमाज मन्दिर विन्डलगांव (गढ़वाल) की रक्षा

सन् १९३४ में ईसाइयों के बिन्दलगांव समाज मन्दिर पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने पर वहां के आर्यों ने उनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे का निर्णय होकर समाज मन्दिर आर्य समाज को वापस मिल गया। इस अभियोग में आर्यसमाज नजीबाबाद ने जो सहायता और सहयोग दिया था वह प्रशंसनीय है। समिति ने नैतिक सहायता के अतिरिक्त ५०) रुपये की आर्थिक सहायता भी दी थी।

मदरास का आर्य मुसलिम दंगा

गत सितम्बर १९३४ को मद्रास नगर में आर्यसमाज की एक सार्वजनिक सभा में मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ के जबरदस्ती घुस

आने और उपद्रव मचाने से दंगा हो गया था। जिसमें १५-२० के लगभग हिन्दू मुसलमान ज़ख्मी हो गये थे और एक मुसलमान मरा हुआ पाया गया था इस दंगे के सिलसिले में ८-१० आर्यसभासद् गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से एक को छोड़ कर बाकी सब प्रमाणाभाव के कारण छोड़ दिए गए थे। एक सदस्य पर ख़ून के अपराध में मुक़द्दमा चलाया गया था। आर्यसमाज मद्रास ने इस मुक़द्दमे की पूरी २ पैरवी की और अन्त में वह सदस्य भी निर्दोष प्रमाणित हो कर छूट गया। इस अभियोग में समिति ने आर्यसमाज मद्रास को हर प्रकार की सहायता जिसमें २५०) की आर्थिक सहायता भी सम्मिलित है, की।

पानीपत का संकीर्तन

यह संकीर्तन गत कई वर्षों से ऋषिबोधोत्सव पर्व्व के अवसर पर पानीपत में निकलता चला आ रहा था। सन् १६२६ ई० में पुलिस ने यह माँग पेश की कि संकीर्तन के लिये लाइसेन्स लिया जाय। कई दिनों की बात चीत के बाद निश्चय हुआ कि लाइसेन्स लिया तो जाय परन्तु इसमें कोई शर्त न लगाई जाय। इसके बाद लाइसेन्स लिया जाता रहा। सन् १६३० में ऋषिबोधोत्सव के अवसर पर नियमानुकूल लाइसेन्स के लिए प्रार्थना पत्र भेजा गया—मुसलमानों ने यह एतराज़ किया कि रमज़ान का महीना है। प्रातःकाल हमारी कुरान शरीफ़ का पाठ होता है इसमें हर्ज होगा—पुलिस ने जब यह एतराज़ समाज के सामने रक्खा तो उत्तर दिया गया कि गतवर्ष भी दयानन्द सप्ताह के अवसर पर रमजान का मास था हमें लाइसेन्स दिया गया और दयानन्द सप्ताह नियमानुसार मनाया गया और किसी प्रकार की कोई गड़ बड़ न हुई, इस वर्ष इस एतराज के क्या अर्थ हैं? इसके बाद मामला डिप्टी कमिश्नर करनाल तक पहुँचा। आर्यसमाज पानीपत को पत्र मिला जिसमें ऐसी शर्तें लगाई गई थीं जिन्हें आर्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता था। पत्र में अङ्कित था—"आपको

जलूस निकालने के समय से ४८ घण्टे पूर्व जलूस के रास्ते की बाबत सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को सूचना देनी होगी। आपका ध्यान लाइसेन्स में अङ्कित इस क्लाज़ की तरफ़ दिलाता हूँ जो मुसल्मान मुहल्लों में अबके जलूस ठहरने खारिज करती है। जलूस को बगैर किसी बाजे आदि के ऐसे भजन गाते हुए गुज़रने की आज्ञा होगी जो किसी सम्प्रदाय के लिए आक्षेप योग्य न हो। यदि जलूस का मार्ग सन्तोष-जनक न होगा तो तरमीम किया जायगा कि जलूस का समय नियत किया जाय। यदि आवश्यक्ता हो तो जुमेकी नमाज़ से पहले शुरू व समाप्त किया जाय। किसी दशा में जलूस किसी मस्जिद की तरफ से न गुज़रे।" ये शर्तें थीं जो डिप्टी-कमिश्नर ने लगाई और लिख दिखाया कि यदि स्वीकार न की जावें तो जलूस को इज़ाजत न दी जावे।

इस पर प्रधान आर्य समाज ने उत्तर दिया कि पानीपत में पग-पग पर मस्जिदें हैं। दयानन्द सप्ताह सदैव से मनाया जाता है—ईश्वर भक्ति के भजन गाये जाते हैं। इन शर्तों के साथ जलूस निकालना स्वीकार नहीं।

आर्यों में हलचल

पानीपत के स्थानीय अधिकारियों और डिप्टी कमिश्नर करनाल ने दयानन्द सप्ताह की कार्यवाही को बन्द करके आर्यों के धार्मिक अधिकारों में जो हस्तक्षेप किया उससे आर्य जगत में बड़ी हल चल पैदा हो गई। रक्षा समिति की सहायता मांगी गई। तदनुकूल श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी तथा श्री स्वामी रामानन्द जी प्रधान मन्त्री तथा श्रीयुत लाला देशबन्धुजी सभासद समिति पानीपत पहुँचे। स्थानीय समाज के अधिकारियों श्री लाला देशबन्धु जी तथा श्री प्रधान जी - तथा मन्त्री जी रक्षा समिति का एक डेपुटेशन डिप्टी कमिश्नर से मिला। डिप्टी कमिश्नर पानीपत में ही थे। डेपुटेशन ने समस्त स्थिति डिप्टी-कमिश्नर के समक्ष रखी और उनको बतलाया कि इस प्रकार की शर्तें

लगाने से देश में स्थिति भयंकर हो जावेगी। भविष्य में शहर में हिन्दुओं का कोई जलूस नहीं निकल सकेगा और यह नागरिकों के उचित अधिकारों पर हस्ताक्षेप होगा तथा मुसलमानों को प्रति दिन नई २ माँगे पेश करने का साहस होगा—जिन्हें गवर्नमेन्ट पूरा नहीं कर सकेगी। और इस प्रकार झगड़े की जड़ जम जायगी। गवर्नमेन्ट को हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये और जो लोग दंगे की धमकी दे रहे हैं. उनके प्रतिकूल कानूनी कार्यवाही होनी चाहिये। वर्तमान शर्तें पिछले रिवाजों और हमारे अधिकारों को मिटाती हैं। हम इन शर्तों को स्वीकार करने के लिये आर्यों को प्रेरित नहीं कर सकते। हमारी भविष्य कार्य प्रणाली आपके उत्तर और सरकार के फैसले पर होगी।

डिप्टी कमिश्नर ने उत्तर दिया कि शर्तें लगाने की आज्ञा स्थानीय अधिकारियों की नहीं थी किन्तु लोकल गवर्नमेन्ट की थी। कमिश्नर साहब ने यह कहा कि कदाचित मेरी सम्मति गवर्नमेन्ट के निर्णय के अनुकूल नहीं है। मैं गवर्नमेन्ट को तार द्वारा अपनी सम्मति से सूचित करूंगा आर्यों ने उत्तर दिया कि हमने दो दिन तक जलूस रोका। कल भी आपके उत्तर की प्रतीक्षा में रोकेंगे। इसके बाद क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते।

सायंकाल के समय डेपुटेशन को पुनः बुलाया गया और कहा गया कि नमाज़ के समय मस्जिद के सामने से न गुजरो बाकी कोई पाबन्दी नहीं। डेपुटेशन ने इसे भी स्वीकार न किया। इस पर कमिश्नर ने फिर गवर्नमेन्ट से पूछने का इरादा प्रकट किया

स्थानीय आर्यों तथा हिन्दू जनता ने प्रस्ताव पास करके सत्याग्रह करने का निश्चय किया क्योंकि श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी प्रधान आर्य सार्वदेशिक सभा ने भी अपनी यही सम्मति प्रकट की थी। आर्य रक्षा समिति का असाधारण अधिवेशन करने का

निश्चय किया गया। सहारनपुर, देहली, लाहौर आदि स्थानों के आर्य-वीर दलों को सत्याग्रह के लिए तैयार रहने और जत्थे भेजने के लिये सूचित किया गया। सहारनपुर आदि स्थानों से सूचना मिली कि वे लोग सत्याग्रह में आने के लिये उद्यत हैं। दो सज्जनों ने सत्याग्रह के व्यय के लिये धन देने का भी वायदा किया। आर्य समाज तथा हिन्दू जनता पूर्णरूपेण सत्याग्रह के लिये तैयार हो गई।

सरकार को झुकना पड़ा और उसे निश्चय हो गया कि सत्याग्रह अवश्य होगा अतएव उसने सब पाबन्दियां हटा दीं और संकीर्तन बड़े समारोह के साथ निकला। परन्तु अगले वर्ष फिर किसी अज्ञात कारण से जिले अधिकारियों ने इस संकीर्तन में कुछ प्रतिबन्ध लगाये जिस के कारण यह संकीर्तन प्रोटेस्ट के तौर पर बन्द है आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब समुचित प्रबन्ध करने की चिन्ता में है।

शहीद ला० बद्रीशाह का केस

ला० बद्रीशाह बहराइच ज़िले में आर्य समाज का बड़ी लगन से कार्य करने वाले प्रसिद्ध आर्य थे। चूंकि शुद्धि आदि आन्दोलनों में आप खूब भाग लेते थे, एक दिन सायंकाल को जंगल में जब यह अकेले इक्के में जा रहे थे मुसलमानों ने इन्हें मार डाला। समिति ने हर प्रकार की नैतिक सहायता देने के साथ साथ अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग चलाने के लिये ५००) की आर्थिक सहायता भी दी थी।

शहीद पं० नाथूराम

२० सितम्बर १६३४ को कराँची के जुडीशियल जज की कोर्ट में जजों की आँखों के सामने एक धर्मान्ध मुसलमान द्वारा कराची के प्रसिद्ध आर्य्य कार्यकर्त्ता पं० नाथूराम जी की मुस्लिम लेखकों के लेखों के आधार पर 'इस्लाम का इतिहास' नामक पुस्तक लिखने के कारण नृशंस हत्या हो जाने और आर्य जगत् में क्रोध, क्षोभ और दुःख की लहर

दौड़ जाने पर एक विशेष वक्तव्य द्वारा, प्रधान सभा ने आर्य्यों को इस दुर्घटना पर अविचलित रहने और विरोध सूचक सभायें करके उनमें अपने क्रोध का प्रकाश करने और इस प्रकार के अपराधों में भाग लेने वालों की खोज करके उन्हें समुचित दण्ड देने की सरकार से माँग करने का आदेश किया। फलतः अनेकों सभायें हुईं और दुःख का प्रकाश किया गया और माँग पेश की गई। घातक कोर्ट ही में पकड़ लिया गया था, नियम पूर्वक अभियोग चला देने के बाद उस हत्यारे को फांसी का दण्ड मिल गया।

हैदराबाद दक्षिण में आर्य समाज के प्रचार में रुकावटें

मई सन् १९३४ में बीदर की पुलिस ने श्री पं० रामचन्द्र जी देहलवी के विरुद्ध 'इस्लाम की तौहीन'के अपराध में अभियोग चलाया। पं० जी आर्य समाज के एक जिम्मेदार, सुलझे हुए और मधुरभाषी प्रचारक हैं। उनसे इस प्रकार के अपराध की आशा नहीं हो सकती थी। इस अभियोग के समाचार से आर्य जगत् में सनसनी फैल गई। आर्य समाज की ओर से निज़ाम सरकार के सामने दो मांगें पेश की गईं—या तो पं० जी पर से अभियोग बिना किसी शर्त के उठा लिया जाये या उसका निर्णय किसी निष्पक्ष ट्रिब्यूनल के सामने हो। आर्य जगत् ने इन माँगों का पूर्ण समर्थन किया। आर्य समाजों की ओर से अनेक पत्र तथा तार निज़ाम सरकार को भेजे गये। सभा के मन्त्री जी वास्तविक स्थिति की जांच करने के लिए जून मास में हैदराबाद गये और उन्होंने मुक़दमे के वास्तविक हालत की जांच पड़ताल की और साथ ही आर्यसमाज की स्थिति का भी अध्ययन किया। जांच से मालूम हुआ कि पं० जी पर जो अभियोग चलाया गया है वह मुस्लिम पुलिस कर्मचारियों की धर्मान्धता का परिणाम है। वहाँ की पुलिस आर्य समाज के कार्य पर अनुचित पाबन्दियाँ लगा कर हैदराबाद राज्य में उसे रोक देना चाहती है।

मन्त्री जी ने इन्हीं पाबन्दियों तथा श्री पं० जी के अभियोग के सम्बन्ध में २८ । ६ । ३४ को निज़ाम सरकार के पोलीटिकल मिनिस्टर तथा २६ । ६ । ३४ को पुलिस मिनिस्टर से भेंट की और उनके सम्मुख सब स्थिति रख कर न्याय की माँग की । पोलीटिकल मिनिस्टर ने पं० जी के अभियोग के निर्णय और आर्य समाज पर लगी हुई पाबन्दियों के उठाये जाने के सम्बन्ध में शीघ्र घोषणा करने का आश्वासन दिया।

निज़ाम की सरकार ने पं० रामचन्द्र जी पर से अभियोग तो उठा लिया परन्तु हैदराबाद राज्य में उनके प्रवेश को निषिद्ध ठहराया। इन सब बातों पर विचार करते हुए २७ । ७ । ३४ की बैठक में इस सभा की अन्तरङ्ग सभा ने निम्न निश्चय किया:—

(१) निज़ाम सरकार की सेवा में एक मेमोरियल भेजा जाये जिसमें वे सब शिकायतें विस्तार पूर्वक लिखी जावें जो आर्य समाज को निज़ाम सरकार से हैं और उसमें वैदिक धर्म प्रचार की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये मांग पेश की जावे । मैमोरियल के उत्तर की एक मास तक प्रतीक्षा की जावे ।

(२) हैदराबाद राज्य में आर्य समाज के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिये एक क्रिया समिति बनाई जावे ।

(३) इस समिति के व्यय के लिये १० हज़ार रुपये की अपील की जावे ।

तदनुसार सभा के प्रधान जी की ओर से आवेदन पत्र भेजा गया। इस आवेदन पत्र का भारतीय प्रेस ने मुक्तकण्ठ से समर्थन किया जिसके लिये यह सभा कृतज्ञता प्रकट करती है ।

इस बीच में २ सितम्बर १६३४ को समस्त आर्य समाजों में "हैदराबाद दिवस" मनाया गया जिसमें समाजों ने उपर्युक्त पाबन्दियों का घोर विरोध करते हुए आवेदन पत्र में की गई मांगों का समर्थन

किया और समाजों की ओर से उपर्युक्त आशय के बहु संख्या में तार तथा प्रस्ताव निज़ाम की सेवा में पहुंचे।

निज़ाम सरकार ने आवेदन-पत्र के उत्तर स्वरूप अपने १२ सितम्बर सन् १९३४ के पत्र में अपनी धार्मिक नीति का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया:—

निज़ाम की सरकार अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार में निष्पक्ष है और सदैव रही है चाहे वह प्रजा किसी भी धर्म या सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखती हो। आर्य समाजियों को किन्हीं खास पाबन्दियों के आधीन रखने का निज़ाम सरकार का कभी विचार नहीं रहा है"! ऐसी ही घोषणा उन्हों ने प्रेस द्वारा भी की।

निज़ाम सरकार की उर्पयुक्त घोषणा कहाँ तक कार्य में चरितार्थ हो रही है इस बात की जाँच के लिये क्रियासमिति की अनुमति से निम्न सज्जन हैदराबाद गये:—

(१) श्री महात्मा नारायण स्वामी जी
(२) श्री आचार्य रामदेव जी
(३) श्री स्वामी स्वतंत्रानन्द जी
(४) श्री म० शिवचन्द्र जी, सहायक मन्त्री, आर्य रक्षा समिति

और बिना किसी प्रकार की आज्ञा प्राप्त किये इन्हों ने वहां प्रचार किया परन्तु पुलिस ने कोई रुकावट नहीं डाली।

कई दिन बिना किसी रुकावट के प्रचार करने और अपनी आँखों से वहां की समस्त परिस्थिति देखने के बाद ये सज्जन हैदराबाद से लौट आये और कतिपय उपदेशकों को वहां छोड़ आये और उनको हिदायत कर आये कि वे समस्त समाजों में पुलिस से बिना किसी प्रकार की आज्ञा प्राप्त किए इसी प्रकार प्रचार करें जैसा उन्हों ने हैदराबाद में किया था। चिटगोपा और महाराजगंज केवल दो स्थानों

की पुलिस ने कुछ रुकावट डालनी चाही थी परन्तु प्रचारकों ने उसकी परवाह न करके प्रचार किया। और फिर पुलिस भी भविष्य के लिये सावधान हो गई और उन्हों ने आगे फिर कुछ नहीं किया। जिसके फलस्वरूप बिना किसी संकोच के यह कहा जा सकता है कि आर्य समाज मन्दिरों में जो प्रचार आदि की पाबन्दी पुलिस लगाया करती थी वह सब पाबन्दियां जाती रही परन्तु अभी पं० रामचन्द्र जी के हैदराबाद में प्रवेश में जो पाबन्दी निज़ाम राज्य ने लगाई हुई है उसका कुछ अन्तिम निबटारा नहीं हुआ और वह अभी तक विचाराधीन है परन्तु इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्य बराबर हो रहा है। यद्यपि राज्य की ओर से खुले तौर से आर्य समाज के प्रचार कार्य में कोई प्रतिबन्ध नहीं है परन्तु वहाँ की पुलिस अपने पुराने अभ्यास वश किसी न किसी प्रकार की बाधा प्रचार कार्य में डालती रहती है—मैं इस अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा निज़ाम राज्य के लग्न वाले पुरुषार्थी अधिकारियों की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि जो रुकावटों पर रुकावटें आने पर भी बड़े उत्साह और वीरता के साथ, विरोधों का परिहार करते हुये, कुछ न कुछ आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जो रुकावटें वहां आती रही हैं उन में से एक बड़ी घटना निलंगा की हैं जिसका यहां संक्षिप्त सा उल्लेख किया जाता है:—

निलंगा की घटना

जून १९३५ में निज़ाम राज्य के एक तालुक़ादार ने आर्य समाज निलंगा के किराये के मकान को गिरा दिया था, हवन कुण्ड नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और समाज के सामान को जब्त कर लिया था। सभा ने इस समस्या के सन्तोष जनक हल के लिये निज़ाम की सरकार को प्रेरणा की और इस प्रेरणा के फलस्वरूप आंशिक सन्तोषजनक हल प्राप्त किया। निज़ाम की सरकार ने अपने आदमियों से और अपने व्यय पर समाज के मकान के बनाने का हुक्म दिया, जब्त शुदा सामान लौटा

दिया तथा हवन कुण्ड के नष्ट भ्रष्ट करने के सम्बन्ध में प्रकट किया कि ऐसी घटना बिना इरादे से और अनजान में हुई है। इस सम्बन्ध में सभा ने निज़ाम सरकार को प्रेरणा की हुई है कि वह वास्तविक अपराधी का पता लगा कर उसे समुचित दण्ड देवे परन्तु इस विषय में राज्य ने चुप्पी साधी हुई है।

शाह गञ्ज की एक घटना

सन् १९३६ ई० में आ० स० शाहगंज के प्रधान स्वा० सर्वदानन्द ने शिकायत की कि उस जिले के कुछेक प्रभावशाली मुसलमानों ने दो हिन्दू कन्याओं को उनके घरों से भगा कर अपने घरों में रख छोड़ा था। इस पर आर्य्यसमाज बनारस, जौनपुर और शाहगंज के सदस्यों ने मिलकर कन्या को छुड़ाया और कथित अपराधियों पर अभियोग चलाया है और यह कि उन्हों ने २०००) से अधिक इस कार्य में खर्च किया है। उन्हें आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। पता चला कि अभियोग असाधारण है और कथित अपराधियों के दण्डित होने से हिन्दू अबलाओं की बहु संख्या में रक्षा हो जावेगी इसलिये आर्य रक्षा समिति ने इसे एक असाधारण विषय समझ कर ४०१) की सहायता दी।

आर्यरक्षा समिति का सेवा विभाग

यह ऊपर कहा जा चुका है कि समिति ने सेवा विभाग के नियम बना दिये हैं और यह कि उन नियमों के अनुसार, यह दल जगह जगह स्थानिक मेलों और उत्सवों के समय उनका प्रबन्ध करता है। महामारी आदि रोगों के प्रकोपित होने पर यथा संभव रोगियों की सहायता करता है। आर्य समाज के उत्सवों, बड़े बड़े महोत्सवों आदि के अवसरों पर इस दल की सेवायें, बड़ी मूल्यवान समझी जाया करती हैं। देहली का आर्यवीर दल तो दूर दूर, गढ़मुक्तेश्वर

आदि के मेलों पर भी जा कर, मेलों के संचालकों को उनके कार्यों में सहायता दिया करता है। अभी अनेक स्थानों पर इस दल की स्थापना नही हुई है। स्थानिक आर्य समाजों और आर्य कुमार सभाओं को इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।

आर्य दल का संगठन कार्य

आर्य रक्षा समिति ने श्रीयुत शिवचन्द्र जी को, सहायक मन्त्री के तौर पर स्थिर रीति से, इसी उद्देश्य से रक्खा हुआ है कि वे जहां जरूरत हो और वातावरण भी अनुकूल हों वहां जा कर आर्यवीर दल की स्थापना और संगठन करें। इस यत्न में अनेक स्थानों में सफलता हुई है जिस से आशा है कि शीघ्र ही आर्य जनता इस उपयोगी कार्य के महत्व को समझने और इस कार्य में समिति का हाथ बटाने लगेगी।

(१८) सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन की दूसरी बैठक बरेली में।

इस सभा ने सार्वदेशिकार्य महा सम्मेलन के द्वितोय अधिवेशन के बरेली में होने के लिये आर्यसमाज बरेली के निमन्त्रण को अपनी ता० ३१ जनवरी १६३१ की अन्तरंग में स्वीकार किया था। यह महा सम्मेलन ता० ७ फर्वरी से ६ फर्वरी १६३१ तक श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज के सभापतित्व में हुआ था। इस सम्मेलन के लिये जो स्वागत कारिणी सभा बनाई गई थी उस के सभापति बरेली के प्रसिद्ध कार्य कर्ता डाक्टर श्याम स्वरूप जी सत्यव्रत थे। पहला सम्मेलन जो देहली में हुआ था उसके लिये इस सभाने निश्चय कर दिया था कि उसका कोषाध्यक्ष इस सभा का कोषाध्यक्ष ही हो। इसलिये क्रियात्मक रूप में उसका हिसाब इस सभा के कार्यालय ही में रहा। परन्तु बरेली में जो सम्मेलन हुआ था उसके आय व्यय का उत्तरदायित्व

स्वयं आर्य्यसमाज बरेली और उसकी बनाई हुई स्वागत कारिणी सभा ने अपने ज़िम्मे रक्खा था।

प्रदर्शिनी

सम्मेलन के साथ बरेली में एक प्रदर्शिनी भी की गई थी। प्रदर्शिनी अच्छी खासी थी और बरेली जैसे स्थान में बाहर के दूकानदारों के लिये जितना आकर्षण हो सकता था उस पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि उससे कहीं अधिक संख्या में और दूर दूर से दूकानदार आये थे और देश में बनने वाली प्रायः सभी स्वदेशी वस्तुओं का उसमें प्रदर्शन हुआ था। बरेली की स्थानिक कारीगरी कुरसी मेज़ आदि लकड़ी के फरनीचर की स्वाभाविक रीति से अधिक दूकाने थीं। इन दूकानों में आर्य अनाथालय और सरस्वती विद्यालय बरेली के बनाये हुये छात्रों के फरनीचर की भी कई दूकाने थीं।

सम्मेलन की उपस्थिति

बाहर से आये आर्यसमाजों के प्रतिनिधियों की संख्या ३०० और दर्शकों की संख्या २००० बतलाई गई थी। सम्मेलन में अधिकतर आर्यसमाज के नेता उपस्थित थे।

सम्मेलन के स्वीकृत प्रस्ताव

सम्मेलन के ३ अधिवेशन हुये। पहले दिन स्वागत कारिणी सभा के प्रधान की वक्तृता के बाद, सम्मेलन के प्रधान श्री नारायण स्वामीजी ने अपना निबंध पढ़ा था। यह निबंध अन्त में दिया गया है (देखो परिशिष्ट) और दूसरे और तीसरे दिन प्रस्तावों पर बहस हुई और वे स्वीकार किये गये।

प्रस्ताव नियम पूर्वक विषय निर्धारिणी सभा से स्वीकृत हुये थे। स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण नीचे दिया गया है। प्रस्तावों के नीचे यह

भी दिखला दिया गया है कि सार्व देशिक सभा की अन्तरंग सभा ने उन पर क्या निश्चय किया:—

सार्वदेशिकार्य महासम्मेलन बरेली के प्रस्तावों पर इस सभा ने ता० २४ अप्रैल १६३२ की अन्तरंग सभा में जो निश्चय किये वह इस प्रकार है:—

आर्य महा सम्मेलन बरेली के प्रस्ताव पेश हुये। उनके सम्बन्ध में निम्न प्रकार कार्यवाही की जानी निश्चित हुई।

प्रस्ताव सं० १

यह सम्मेलन सार्वदेशिक सभा से अनुरोध करता है कि वह समस्त प्रान्तिक सभाओं के सहयोग से एक ऐसी समिति बनादें जो आर्य समाज की शिक्षाप्रणाली के आदर्शों का प्रचार करे, उसे सर्व प्रिय बनाए और देश के शिक्षणालयों में उसे प्रचारित करे।

आर्य समाज के विस्तृत और बहुविध शिक्षा सम्बन्धी कार्य को दृष्टि में रखते हुए यह सम्मेलन सार्वदेशिक सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि वह विद्यार्य सभा संगठित करने की योजना करे जो आर्य समाज के शिक्षा सम्बन्धी कार्य में यथा सम्भव पारस्परिक सहयोग समानता और आवश्यक सुधार लाने की चेष्टा करे और यत्न किया जाये कि यह विद्यार्य सभा भविष्य में अखिल भारतीय दयानन्द पीठ का रूप धारण कर सके।

निश्चय हुआ कि निम्न सज्जनों को लिखा जावे कि वे उक्त दोनों प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपनी अपनी स्कीम बना कर पेश करें:—

(१) श्री पं० गंगा प्रसाद जी (टिहरी)

(२) ,, ,, देव शर्मा जी (संयोजक)

(३) ,, ,, बा० मदनमोहनजी सेठ

प्रस्ताव सं० २

यह सम्मेलन सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि जेल के नियमों में इस प्रकार के आवश्यक परिवर्तन कर दिये जायें जिससे आर्य कैदियों को अपने धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान अर्थात् सन्ध्या, हवन, यज्ञोपवीत साधुओं के गेरुवे भेष धारण करने आदि में कोई कठिनता न हो।

विचार के बाद सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि यह सभा इस सम्बन्ध में कोई निश्चय कर चुकी है। यह प्रस्ताव इस निश्चय के साथ पेश किया जावे।

प्रस्ताव सं० ३

इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि वैदिक धर्म के अनुसार कोई अस्पृश्य नहीं है, यह सार्वदेशिक सम्मेलन राज्य शासन में कही जाने वाली अस्पृश्य दलित जातियों को हिन्दुओं से पृथक् प्रतिनिधित्व को विशेपतया दलितों और साधारणतया सारे हिन्दुओं के धार्मिक तथा सामाजिक संगठन व उत्थान के लिये अत्यन्त हानिकारक समझता है और प्रतिनिधित्व को स्वीकार न करने के विषय में श्री महात्मा गान्धी जी का समर्थन करता है और ऐसे सब लोगों के काम निन्दनीय समझता है जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिये दलित हिन्दुओं के पृथक प्रतिनिधित्व की स्थापना द्वारा हिन्दू जाति को खण्ड खण्ड करके निर्बल बनाने तथा अछूत कहलाने वाली हिन्दू श्रेणियों को सर्वदा अछूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

विचार के बाद सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

प्रस्ताव सं० ४

यह सम्मेलन सार्वदेशिक सभा से प्रार्थना करता है कि भारत वर्ष के विश्व विद्यालयों में भली भांति तैयार किये हुए लैक्चर देने के

अभिप्राय से "दयानन्द लैक्चर शिप" स्थापित की जावे जिससे भारत के नवयुवकों में वैदिक धर्म और आर्य समाज के सिद्धान्तों का प्रचार किया जा सके।

सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि यह सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है। श्री प्रो० रामदेव जी से ज्ञात हुआ कि आर्यप्रतिनिधि सभा पञ्जाब में इस कार्य के लिये कुछ धन जमा है। निश्चय हुआ कि पन्जाब की सभा से पूछा जावे कि जो धन इस कार्य के लिये उनके यहां जमा है क्या वे उस धन को इस काम में व्यय कर सकते हैं।

प्रस्ताव सं० ५

समाज सुधार आर्य समाज का एक विशेष कार्य सदा से रहा है परन्तु वर्तमान परिस्थिति में जब कि देश में एक नये युग का जन्म हो रहा है आर्य समाज के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि वह समाज सुधार के कार्य को अधिकतर लग्न और दृढ़ता के साथ करे इस दृष्टि से यह सम्मेलन आर्य समाज का ध्यान निम्नांकित कार्य क्षेत्रों की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता है।

(१) दलितोद्धार के विषय में आर्य समाजों प्रान्तीय सभाओं और सार्वदेशिक सभा को कुछ समय तक अपनी शक्ति इस प्रकार केन्द्रित करनी चाहिये कि जिससे इस महती समस्या का शीघ्र ही हल हो और हिन्दू समाज इस कलँक से मुक्त हो सके। इस कार्य के लिये प्रत्येक आर्य सभासद न केवल आर्थिक सहायता ही दे प्रत्युत यथा-शक्ति अपना समय और सेवा देकर इस विषय में सहयोग दें।

(२) प्रचलित जात पांत तोड़ने के पक्ष में सिद्धान्त रूप से आर्य समाज सदैव से घोषणा करता है परन्तु इस विषय में क्रियात्मक सफलता अपवाद रूप से थोड़ी सी हुई है साधारणतया अभी तक आर्य समाज के सदस्य वैवाहिक सम्बन्धों में जात पांत का अनुसरण करते रहे हैं अब समय आगया है कि आर्य समाज में जात पांत को सर्वथा

मिटा दियां जावे और इसके लिये सभायें क्रियात्मक प्रयत्न करें। वर्तमान जाति उप जाति सूचक शब्द प्रत्येक आर्य व्यक्ति (नर नारी) को अपने नाम के पीछे लगाना छोड़ देना चाहिये।

यह सम्मेलन सार्वदेशिक सभा से प्रार्थना करता है कि प्रस्ताव के उपर्युक्त दोनों भागों को कार्य में परिणत करने के लिये एक निश्चित स्कीम आर्य समाजों के लिए प्रस्तुत करे।

विचार के बाद निश्चय हुआ कि उक्त प्रस्ताव उचित कार्यवाही के लिये समस्त प्रान्तिक प्रतिनिधि सभाओं और आर्य समाजों में भेजा जावे।

प्रस्ताव सं० ६

इस सम्मेलन की सम्मति में कश्मीर और जम्बू स्टेट के विरुद्ध मुसलमानों के एक विशेष समुदाय द्वारा चलाया हुआ आन्दोलन जिसका उद्देश्य प्रजा के प्रारम्भिक राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति बतलाया जाता है वस्तुतः एक इस्लाम पोषक (Pan Islamism) आन्दोलन है और उत्तरी भारत के एक मुख्य राज्य के विनाश के लिये किया जा रहा है। और यह सम्मेलन लूट, ग्रामों को जलाना और हिन्दू मन्दिर तथा सिख गुरुद्वारों का विनाश तथा भ्रष्ट करना और बलपूर्वक हिन्दुओं और सिखों को मुसलमान बनाना आदि भयानक अत्याचारों को घृणा और क्रोध की दृष्टि से देखता है तथा कश्मीर महाराज से प्रार्थना करता है कि वे इस उपद्रव को जो ब्रिटिश भारत के मुसलमानों द्वारा खड़ा किया गया है दबाने के लिये और भी अधिक जबरदस्त और प्रभावशाली उपायों को, काम में लावें तथा साथ ही समझदार मुसलमानों से भी आशा रखता है कि वे इस आन्दोलन को रोकने की चेष्टा करें। इस सम्मेलन को इस बात पर किसी अंश तक सन्तोष है कि कश्मीर सरकार ने पीड़ितों की सहायता के लिये कार्यवाही आरम्भ करदी है। यह सम्मेलन महारानी कश्मीर की बड़ी प्रशंसा करता है।

यह सम्मेलन सार्वदेशिक सभा से प्रार्थना करता है कि वह इन पीड़ितों की सहायता के कार्य में जो महारानी काश्मीर की संरक्षता में प्रारम्भ हुआ है सहयोग देने की व्यवस्था करें।

विचार के बाद निश्चय हुआ कि उक्त प्रस्ताव की लिपि कश्मीर के प्राइम मिनिष्टर की सेवा में भेजी जावे और लिखा जावे कि यह सभा आवश्यकता होने पर यथेष्ट सहायता देने को तैयार है।

प्रस्ताव सं० ७

इस सम्मेलन को यह जान कर दुःख है कि हैदराबाद भूपाल भावलपुर और रामपुर की मुसलमानी रियासतों में रहने वाले आर्य समाजी आर्य साहित्य की ज़ब्ती-जलूसों की बन्दिश तथा धर्म-परिवर्तन सम्बन्धी अनेक धार्मिक बाधाओं से पीड़ित हो रहे हैं और राज्य कर्मचारियों द्वारा अपमानित होना पड़ता है। यह सम्मेलन सार्वदेशिक सभा से प्रार्थना करता है कि इन शिकायतों को दूर करने के लिये उचित कार्यवाही करें।

विचार के बाद सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि इस सम्बन्ध में सभा जो पहिले निश्चय कर चुकी है, उसके साथ पेश हो।

प्रस्ताव सं० ८

आर्य समाज के वर्तमान सङ्गठन में धन की अपेक्षा सदाचार पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है और परिणाम स्वरूप आए दिन अयोग्य और असदाचारी सदस्यों की वृद्धि होती जा रही है जिससे आर्य समाज अपने आदर्श से हटता जा रहा है यह सम्मेलन निश्चय करता है कि धन की अपेक्षा योग्यता और सदाचार को तरजीह दी जावे जिससे सदाचारी स्त्री पुरुष ही आर्य सभासद बन सकें।

विचार के बाद सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि उक्त प्रस्ताव प्रान्तिक प्रतिनिधि सभाओं तथा आर्य समाजों में तामील के लिये भेजा जावे।

प्रस्ताव सं० ६

यह सार्वदेशिक आर्य महा सम्मेलन आर्य जनता का ध्यान ग्राम सुधार की ओर आकर्षित करता है कि:—

"वैदिक धर्म का प्रचार शहरों की अपेक्षा ग्रामों (ग्रामीण जनता) में विशेष किया जावे अतः यह सम्मेलन सार्वदेशिक सभा आर्य प्रतिनिधि सभाओं तथा आर्य समाजों को प्रेरणा करता है कि वह इस तरफ विशेष ध्यान दें।

विचार के बाद सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि उक्त प्रस्ताव प्रान्तिक सभाओं तथा आर्य समाजों में उचित कार्यवाही के लिये भेजा जावे।

प्रस्ताव सं० १०

इस सम्मेलन को दुःख है कि आर्यों के पारस्परिक मनोमालिन्य तथा झगड़ों के कारण आर्य समाज के विशाल सङ्गठन में शिथिलता आती जा रही है और प्रचार कार्यों को क्षति पहुँच रही है। इन झगड़ों का कारण अधिकतया अधिकार लोलुपता के सिवाय जिसके सम्बन्ध में तजवीज़ हो चुकी है संस्थाओं की निरन्तर वृद्धि है। इस लिये यह सम्मेलन आर्य समाजों से प्रार्थना करता है कि भविष्य में कोई संस्था जिसके चलाने के पूरे साधन उनके अधिकारों में न हो तथा जब तक प्रान्तिक सभाओं की अनुमति न प्राप्त कर ली जावे न खोली जावे और निरीक्षण और परीक्षण के पश्चात् वर्तमान कालिक अनेक संस्थाओं को भी तोड़ देना आर्य समाज के लिये श्रेयस्कर है और वर्तमान संस्थाओं के प्रबन्ध का भार पृथक् पृथक् समिति बनाकर उनके आधीन कर दिया जावे आर्य समाजों की अन्तरङ्ग सभाएँ मुख्य रीति से वैदिक धर्म का प्रचार करें।

विचार के बाद निश्चय हुआ कि उक्त प्रस्ताव उचित कार्यवाही के लिये प्रान्तिक सभाओं तथा आर्य समाजों में भेजा जावे।

प्रस्ताव सं० ११

राजार्य्य सभा

आर्य संस्कृति की रक्षा और स्थिरता, आर्य समाजियों की आये दिन बढ़ती हुई राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अन्य सम्प्रदायों की राजनैतिक प्रगतियों पर दृष्टि रखने तथा आवश्यकता और औचित्य के अनुसार उन्हें सहयोग देने के, अभिप्राय से यह सम्मेलन निश्चय करता है कि एक 'राजार्य्य सभा' की स्थापना की जावे तथा सार्वदेशिक सभा से प्रार्थना की जावे कि वह इस सभा को सङ्गठित कर देवे।

विचार के बाद निश्चय हुआ कि निम्न सज्जनों की उपसमिति बनादी जावे कि वह अपनी स्कीम बनाकर पेश करें:—

(१) श्री महात्मा नारायण स्वामी जी
(२) ,, बा० पूर्ण चन्द जी
(३) ,, ,, श्याम सुन्दरलाल जी
(४) ,, म० कृष्ण जी
(५) ,, पं० देव शर्मा जी (संयोजक)
(६) ,, कुंवर चाँद करण जी शारदा
(७) ,, प्रो० ताराचन्द

प्रस्ताव सं० १२

यह सम्मेलन निश्चय करता है कि वैदिक धर्म की शिक्षाओं और उपदेशों के प्रति जनता का प्रेम आकर्षित करने तथा आर्य समाज में स्थिर साहित्य उत्पन्न करने के अभिप्राय से सार्वदेशिक सभा ५००) से १०००) तक के २ या तीन पुरस्कारों की आयोजना करे जो प्रति वर्ष उन विषयों पर उत्तमोत्तम पुस्तकें लिखने के उपलक्ष में दिये जाया करें जिनकी घोषणा सार्वदेशिक सभा ने पूर्व से कर दी हो।

विचार के बाद निश्चय हुआ कि यह सभा इस प्रस्ताव को काम में ला सकती है इस शर्त पर कि धन प्राप्त हो जावे और इस धन के लिये प्रान्तिक सभाओं और आर्य समाजों को लिखा जावे।

प्रस्ताव सं० १३

यह आर्य सम्मेलन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आर्य समाज का उद्देश्य संसार मात्र का उपकार करना और सार्वभौम वैदिक धर्म का सर्वत्र प्रचार करना है सारी आर्य जनता से अपील करता है कि वह भारत के अन्तर्गत उड़ीसा मदरास आदि प्रान्तों में जहाँ अभी आर्य समाज का कम प्रचार हुआ और विदेशों में वैदिक धर्म प्रचार कराने में सार्वदेशिक सभा को विशेष रूप से आर्थिक सहायता दें ताकि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में अधिक सफल हो सके।

विचार के बाद निश्चय हुआ कि प्रान्तिक सभाओं तथा आर्य समाजों को प्रेरणा की जावे कि वह धन की सहायता दें।

प्रस्ताव सं० १४

यह सम्मेलन समस्त आर्य समाजों को प्रेरणा करता है कि वे अपने अपने यहां आर्य वीर दलों की स्थापना कराने की ओर विशेष ध्यान देवें और आर्य वीरों के कार्यों में हर प्रकार उचित सहयोग सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने का यत्न करें। इन आर्य वीर दलों का मुख्य काम आर्य संस्कृति की रक्षा, पीड़ितों की सहायता तथा सेवा होगा।

विचार के बाद निश्चय हुआ कि उक्त प्रस्ताव उचित कार्यवाही के लिये प्रान्तिक सभाओं तथा आर्य समाजों में भेजा जावे,

प्रस्ताव सं० १५

प्रचार-प्रणाली

आर्य समाज की प्रचार प्रणाली अधिक प्रभाव शाली बनाने की दृष्टि से यह सम्मेलन निश्चय करता है कि भविष्य में केवल ऐसे

उपदेशक नियुक्त किये जांय जिनके उपदेश, व्याख्यान तथा व्यक्तिगत जीवन उच्च कोटि के हों और जो अपने उत्तरदायित्व को पूर्णतया समझते हों और साथ ही यह भी आवश्यक है कि अयोग्य तथा तुकवन्द भजनीकों को अनुचित प्रोत्साहन न दिया जावे।

विचार के बाद निश्चय हुआ कि उक्त प्रस्ताव उचित कार्यवाही के लिये प्रान्तिक सभाओं में भेजा जावे।

प्रस्ताव सं० १६

यह सम्मेलन आर्यों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करता है कि वे नैतिक कर्म्मों के साथ साथ शारीरिक व्यायाम और प्राणायाम का भी अभ्यास करें और प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं और संन्यासी मन्डल से प्रार्थना करता है कि ऐसे योग्य संन्यासियों और दूसरे महानुभावों को प्रेरणा करे जो समाजों में जा कर समय समय पर एतद्विषयक शिक्षा देते रहें।

विचार के बाद निश्चय हुआ कि उक्त प्रस्ताव उचित कार्यवाही के लिये प्रान्तिक सभाओं में भेजा जावे।

प्रस्ताव सं० १७ प्रस्ताव सं० १ के साथ सम्मिलित कर दिया गया।

प्रस्ताव सं० १८

क्योंकि वेदों के "अस्मभ्य सन्तु पृथिवी प्रसूतः या अकृन्तन्न बयनमा अतन्वत" इत्यादि मन्त्रों में स्वदेशी वस्त्रों के धारण और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का स्पष्ट आदेश है तथा ऋषि दयानन्द ने भी अपने ग्रन्थों में इस बात पर बल देते हुये स्वदेशी के क्रियात्मक प्रचार का यत्न किया था। अतः यह आर्य महा सम्मेलन समस्त आर्य देवियों और सज्जनों से अनुरोध करता है कि वे अपना धार्मिक कर्तव्य समझ कर सदा स्वदेशी वस्त्रों के धारण करने और यथा सम्भव स्वदेशी वस्तुओं के ही उपयोग का व्रत धारण करें।

विचार के बाद निश्चय हुआ कि उक्त प्रस्ताव उचित कार्यवाही के लिये प्रान्तिक सभाओं में भेजा जावे।

प्रस्ताव सं० १६

क्योंकि वर्ण व्यवस्था की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है और वर्तमान जात पात अवैदिक है। इसलिये यह सम्मेलन आर्य समाजियों से अनुरोध करता है कि वे ज़हां कहीं आवश्यकता हो अपने को तथा अस्पृश्य कहलाने वाले भाइयों को आर्य ही बतलायें और लिखायें जिससे कि अछूत कहे जाने वाले भाईयों से व्यवहारिक भेद भी सर्वथा मिट जावे।

विचार के बाद निश्चय हुआ कि उक्त प्रस्ताव उचित कार्यवाही के लिये प्रान्तिक सभाओं तथा आर्य समाजों में भेजा जावे।

प्रस्ताव सं० २०

क्योंकि आर्य समाज की वर्तमान उत्सव प्रणाली बहुव्यय साध्य और प्रचार की आवश्यकताओं को बहुत कम पूरा करने वाली है। इसलिये आवश्यक है कि इस प्रणालीमें परिवर्तन किया जाय। यह सम्मेलन प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभाओं को प्रेरणा करता है कि वह अपने यहां उत्सवों के संशोधनार्थ समितियां बनाएँ उनकी सम्मतियों पर विचार कर उत्सवों की कायप्रणाली को सुधारने का प्रयत्न करें।

विचार के बाद निश्चय हुआ कि उक्त प्रस्ताव प्रान्तिक सभाओं में सम्मति के लिये भेजा जावे।

(१६) श्री मद्दयानन्द निर्वाण अर्धशताब्दी अजमेर

दयानन्द निर्वाण अर्धशताब्दी क्यों मनाई गई

जैसा कि आप पूर्व पढ़ चुके हैं कि सन् १६२५ में ऋषि दयानन्द जन्म शताब्दी मथुरा में बड़े आनन्द और उत्साह के साथ मनाई गई

थी। वहां पहुँची हुई जनता ने उस उत्सव के वायु मण्डल को देख कर सत्युग और त्रेता काल का अनुभव किया था। कितने ही भद्र पुरुष उस उत्सव की कृतकार्यता से इतने प्रभावित हुए थे कि उनकी प्रबल इच्छा थी कि इस प्रकार के आर्य समाज के उत्सव समय समय पर हुआ करें। आर्य राज श्रीमान् सर नाहरसिंह जी शाहपुराधीश भी इसी प्रकार के इच्छुक सत्पुरुषों में से थे। आपने ऋषि दयानन्द जी महाराज से गुरु दीक्षा ली थी। उनके सत्संग से बहुत लाभ उठाया था, इसलिये आपकी गुरु भक्ति प्रेरणा कर रही थी कि ऐसा उत्सव एक बार राजपूताना की वीर भूमि मुख्यतः अजमेर में जहां पर ऋषि ने निर्वाण प्राप्त किया था मनाया जावे। आपने अपना यह सुन्दर विचार परोपकारिणी सभा के अन्य अधिकारी श्री राव साहब बाबू रामविलास जी शारदा तथा श्री दीवान बहादुर बाबू हरविलास जी शारदा इत्यादि के सम्मुख रखा। सब ने ही श्री राजाधिराज के प्रस्ताव को अत्यन्त प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। परोपकारिणी सभा ने भी इस उत्सव का मनाना स्वीकार किया। कुछ वर्षों के पश्चात् सर नाहरसिंह जी महाराज का स्वर्ग वास हो गया और उनकी अभिलाषा की पूर्ति उनके सुपुत्र श्री राजाधिराज उम्मेदसिंह जी शाहपुरा धीश को करनी पड़ी।

दयानन्द निर्वाण अर्द्धशताब्दी मनाने के लिये सार्वदेशिक सभा की स्वीकृतिः—

इस महोत्सव को सार्वदेशिकार्य महोत्सव बनाने के लिये इस सभा ने अपनी ता० २८ जनवरी १६३३ की अन्तरंग सभा में अर्द्ध-शताब्दी मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया तथा अपना पूरा सहयोग देना भी स्वीकार किया।

अर्द्धशताब्दी प्रबन्धक समितिः—

सार्वदेशिक सभा के तमाम सदस्य परोपकारिणी सभा के तमाम सदस्य तथा प्रादेशिक सभा के सात सदस्यों से मिलकर अर्द्ध शताब्दी की प्रबन्धक समिति बनाई गई। इस समिति के सभापति श्री राजाधिराज उम्मेदसिंह जी शाहपुरा धीश, कार्य कर्ता प्रधान श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज, मन्त्री दीवान बहादुर हरबिलास जी शारदा थे। //

अर्द्धशताब्द महोत्सव की तिथियाँ तथा स्थानः—

चूकि ऋषि दयानन्द जी महाराज का निर्वाण दिवाली के दिन अजमेर में हुआ था अतः यह महोत्सव अजमेर में दिवाली के अवसर पर ऋषि दयानन्द के निर्वाण पद प्राप्त करने के पूरे ५० वर्ष के बाद १४ अक्टूबर से २० अक्टूबर १६३३ तक मनाया गया था।

अर्द्धशताब्दी महोत्सव की मुख्य २ कायवाही

जन्म शताब्दी मथुरा की भांति इस अवसर पर भी भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त तथा उपनिवेशों से आकर आर्य जनता ने भाग लिया था। बड़े बड़े विद्वानों और संन्यासियों के व्याख्यान हुए। उल्लास से भरा हुआ बड़ा शानदार जलूस तमाम अजमेर के बाजारों में निकाला गया जो कि राजा भिनाय की कोठी पर, जहां पर ऋषि दयानन्द ने अपने नश्वर शरीर को त्यागा था, समाप्त हुआ। यहां पर श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने उस स्थान का महत्व बताते हुए वक्तृता दी थी। निम्न लिखित सम्मेलन हुए:—

(१) आर्य सम्मेलन, (२) आर्य महिला सम्मेलन, (३) शुद्धि सम्मेलन, (४) वर्णव्यवस्था सम्मेलन, (५) शिक्षा सम्मेलन, (६) आर्य सिद्धान्त रक्षा सम्मेलन, (७) आर्य कुमार सम्मेलन, (८) आर्य वीर दल सम्मेलन, (९) आर्य भाषा सम्मेलन, (१०) संस्कृत भाषा सम्मेलन, (११) कवि सम्मेलन, (१२) संन्यासी सम्मेलन, (१३) प्रवासी

सम्मेलन, (१४) अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन, (१५) मादक द्रव्य निषेधक सम्मेलन, (१६) विधवा विवाह सम्मेलन, (१७) विद्वत् सम्मेलन, (१८) अखिल भारत वर्षीय प्रदर्शनी।

आर्य महासम्मेलन अजमेर:—

इन तमाम सम्मेलनों में विशेष रूप से उल्लेखनीय आर्य महा-सम्मेलन था। आर्य समाज अधिक प्रगति शील हो और अपने पुरुषार्थ को कुछ विशेष कार्यों की पूर्ति के लिये केन्द्रित करे इसलिये श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने आर्य समाज के भावी कार्य क्रम की एक स्कीम तैयार की और उस पर तमाम प्रान्तीय सभाओं की सम्मतियां मगाईं। सबने उस स्कीम को पसन्द किया। अन्त में वह स्कीम श्री प्रो० रामदेव जी के प्रधानत्व में निम्न प्रस्तावों द्वारा आर्य महा सम्मेलन में स्वीकार की गई। आर्य समाज के भावी कार्य क्रम का आवश्यक निर्धारण करना, शताब्दी महोत्सव के प्रोग्राम का एक आवश्यक अङ्ग था। इसी कार्य के लिये इस आर्य महा सम्मेलन की विशेष रीति से आयोजना इस सभा की ओर से की गई थी। सम्मेलन के प्रधान ने अपनी एक उत्तम बक्तृता से सम्मेलन का आरम्भ करते हुये, आर्यों का ध्यान, विशेष रीति से इस ओर आकर्षित किया कि वे कुछेक काल के लिये अछूतोद्धार ओर अन्य कुछेक कार्यों में विशेष रीति से अपने पुरुषार्थ को केन्द्रित करें। (प्रधान की वक्तृता के लियें देखो परिशिष्ट ३२) प्रधान की बक्तृता के बाद विषय निर्धारिणी सभा के भेजे हुए प्रस्तावों पर सम्मेलन की दो बैठकों में विचार हुआ और विचार के बाद निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इस आर्य सम्मेलन तथा शताब्दी के आय-व्ययादि से इस सभा का कोई सम्बन्ध नहीं उसका समस्त उत्तरदायित्व वहां की स्वागतकारिणी और परोपकारिणी सभा ने अपने ज़िम्मे ले रक्खा था:—

आर्य्य महासम्मेलन अजमेर के प्रस्ताव

प्रस्ताव सं० १

आर्यसमाज को उन्नति के पथ पर लाने के लिये आवश्यक है कि निम्न उपाय काम में लाये जावें।

(क) संस्थाओं का प्रबन्ध, पृथक् ट्रस्ट अथवा उपसभा आदि बनाकर आर्यसमाज की अन्तरङ्ग सभा से पृथक् रखा जावे। अन्तरङ्ग विशेष रूप से प्रचार का कार्य किया करे।

(ख) आर्यों को आर्य सभासद, अन्तरङ्ग सदस्य, अधिकारी, प्रतिनिधि सदस्य तथा सार्वदेशिक सदस्य बनने के लिये सार्वदेशिक सभा द्वारा सदाचार की मर्यादा स्थिर करके उसको क्रमशः बढ़ाया जावे जिससे जितना अधिक उत्तरदायित्व बढ़े उतना ही उसकी पूर्त्ति के लिये अधिक सदाचारी सदस्य निर्वाचित किया जावे, तथापि यह सम्मेलन निश्चय करता है कि उक्त सदस्यों के लिये निरामिष भोजी, मादक द्रव्यों का असेवी, अव्यभिचारी होना तथा घूस और रिश्वत से पृथक् रहना आवश्यक है।

(ग) आर्य मन्दिरों को संस्थाओं से खाली करके उनमें संध्या, हवन और कथा आदि प्रणाली प्रचलित करके उन्हें वास्तविक मन्दिर बनाय जाय जिससे स्त्री-पुरुषों में धार्मिकता और भक्ति की मात्रा बढ़े तथा आर्य मन्दिरों में बरातें न ठहरने दी जायँ और न उनमें हास्य सम्मेलन तथा अन्य किसी प्रकार के अवैदिक कार्य करने दिये जावें।

(घ) आर्यों के लिये एक दूसरे के दुःख सुख में शरीक होना अनिवार्य ठहराया जाय जिससे पारस्परिक प्रेम और विश्वास बढ़े।

(च) आर्य प्रतिनिधि सभाओं को साधारण उपदेशक और प्रचारकों के अतिरिक्त ऐसे उपदेशक भी रखना चाहिएँ जो आर्यों को

प्राणायाम तथा योगाभ्यासादि की शिक्षा दे सकें और गुरुकुलों में भी ऐसी शिक्षा देने का अधिक और विशेष प्रबन्ध होना चाहिए।

प्रस्ताव सं० २

आर्य समाज की सामूहिक शक्ति वेगवती हो इसके लिये आवश्यक है कि उसकी विशेष अवधि के लिये विशेष कार्य-क्रम बनाया जावे। सम्प्रति उसे ५ वर्ष के लिये अन्य कार्यों को पूर्णतया जारी रखते हुए निम्न कार्यों पर विशेष ध्यान रखना चाहिएः—

(क) ग्रामों में वेद के स्वाध्याय और वेद के मन्त्रों के व्याख्यान।

(ख) दलितों में वैदिक धर्म-प्रचार और उनकी आर्थिक व सामाजिक अवस्था की उन्नति।

(ग) शुद्धि।

(घ) प्रचलित जात-पात पर ध्यान न देकर गुण कर्मानुसार विवाह करने का प्रचार तथा आर्यों को अपने विवाह स्वयं इसी प्रकार करना और अपनी सन्तानों को ऐसा ही करने की सलाह देना।

(च) मादक-द्रव्य निवारण (Temperence)।

(छ) अहिंसा-प्रचार।

प्रस्ताव सं० ३

आर्य समाज के प्रचार कार्य में संस्थाओं की वृद्धि बाधक न हो इसलिये आवश्यक है कि—

(क) कोई नवीन संस्था बिना प्रान्तिक प्रतिनिधि सभा की स्वीकारी प्राप्त किये न खोली जावे।

(ख) जो संस्थाएँ चलने के अयोग्य हैं और जिनके लिये धन प्राप्त करने की प्रत्येक समय चिन्ता रहती है ऐसी संस्थाएँ बन्द कर देनी चाहिएँ।

नोट—कौन संस्था चलने के अयोग्य है, इसका निर्णय प्रान्तिक सभाएँ करेंगी।

(ग) जो संस्थाएँ सफलता से चल रही हैं उनके प्रबन्धार्थ पृथक् रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना दिये जावें और उनमें आर्य समाज के अधिकार सुरक्षित रक्खे जावें।

(घ) स्थानिक संस्था को चलाने के लिये बाहर से धन संग्रह न किया जावे। यदि कोई विशेष आवश्यकता हो तो प्रान्तिक प्रतिनिधि सभा से आज्ञा प्राप्त करके धन संग्रह किया जाय।

प्रस्ताव सं० ४

(क) समय आ गया है कि आर्य समाजों, प्रतिनिधि सभाओं तथा सार्वदेशिक सभा में न्याय सभाएँ बनाई जावें और उसके नियम सार्वदेशिक सभा, प्रान्तिक सभाओं की सम्मति लेकर बना देवें।

(ख) सार्वदेशिक सभा, आर्य प्रतिनिधि सभाओं और आर्य समाजों का कोई पदाधिकारी एक पद पर निरन्तर ३ बर्ष से अधिक न रहेगा और ३ वर्ष तक एक पद पर रहने के बाद वह व्यक्ति कम से कम एक वर्ष तक अन्य किसी पद पर निर्वाचित न होगा।

प्रस्ताव सं० ५

नवयुवकों को आर्य समाज की ओर आकर्षित करने के लिये निम्न उपायों को काम में लाया जावे—

(क) भारतवर्षीय आर्य कुमार परिषद् के नियमों में उचित संशोधन करने के बाद, सार्वदेशिक सभा अपने में प्रविष्ट कर लेवे और उस पर अपने एक उपयोगी विभाग की तरह दृष्टि रक्खे जिससे प्रशंसित परिषद् आर्य कुमारों के आकर्षण का कारण बनी रहे।

(ख) शिक्षाकेन्द्रों में प्रतिनिधि सभा द्वारा और जहाँ प्रतिनिधि सभा नहीं है वहाँ सार्वदेशिक सभा द्वारा वैदिक सिद्धान्तों पर अच्छे अच्छे व्याख्यान दिलाने का प्रबन्ध किया जावे।

(ग) उपयोगी साहित्य मुफ्त या नाम-मात्र मूल्य लेकर नवयुवकों तक पहुँचाया जावे।

प्रस्ताव सं० ६

आर्य समाज को लोकप्रिय बनाने के लिये निम्न उपायों को काम में लाया जावे—

(क) विदेश-प्रचार, विशेषकर उपनिवेशों में प्रचार का काम चलाने के लिये सार्वदेशिक सभा से अनुरोध किया जावे और इस काम में सभा की धन-जन से सहायता की जावे।

(ख) सार्वदेशिक सभा के खोले हुए वेद के अन्वेषण विभाग को पुष्ट किया जावे जिससे अनेक उपयोगी और गवेषणा पूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये जा सकें।

प्रस्ताव सं० ७

इस सम्मेलन की यह दृढ़ सम्मति है कि सब गुरुकुलों को एक सूत्र में पिरोया जाय और यह सम्मेलन सार्वदेशिक सभा से प्रार्थना करता है कि उचित उपायों को काम में लाया जाय।

प्रस्ताव सं० ८

इस सम्मेलन की दृढ़ सम्मति है कि आर्यों के विवाहादि संस्कारों के अवसरों पर कम से कम व्यय होना चाहिये और कोई व्यर्थ का आडम्बर न होना चाहिए।

प्रस्ताव सं० ६

गो-रक्षा

यह सम्मेलन गो-रक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करता हुआ, हिन्दुओं और विशेषतः आर्यों से अनुरोध करता है कि वे गौओं की रक्षा और वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देते हुए उचित उपायों को काम में लायें और यथा सम्भव प्रत्येक आर्य परिवार में एक गौऊ होनी चाहिए और आर्य देवियों को गो-सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए।

बड़े २ नगरों में शुद्ध दुग्ध, घृत और मक्खन जनता को प्राप्त हो सके, ऐसी सुविधायें उपस्थित करनी चाहिएँ।

प्रायः ऐसे सम्मेलनों के प्रस्ताव पुकार की दृष्टि से सिफ़ारिशी हुआ करते हैं। इसलिये पुष्ट होने ही पर आर्यसमाजों के लिये पाबन्दी के योग्य हो सकते थे इसलिये सार्वदेशिक सभा की अन्तरङ्ग सभा ने अपनी गत २४ जनवरी ३४ की बैठक में इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव स्वीकार किये। स्वीकृत प्रस्ताव गश्ती चिट्ठी के द्वारा समस्त आर्यसमाजों और प्रान्तिक सभाओं में इस उद्देश्य से भेजे गये कि वे उनके अनुकूल कार्य कराने का यत्न करें। जो प्रस्ताव, स्वीकृत प्रस्तावों में से ऐसे थे जो स्वयं इस सभा के कार्य कर्ताओं को करने चाहिये थे, वे उन्हें दिये गये।

आर्यसमाजों ने, इन प्रस्तावों के अनुकूल कहीं कहीं कार्य शुरू किया और कहीं नहीं उसका मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि उन्हें प्रान्तिक सभाओं की ओर से, जैसा चाहिए था, वैसा प्रोत्साहन नहीं मिला। आशा है कि प्रान्तिक सभायें अब इस ओर विशेष ध्यान देंगी। जिससे आर्यसमाजों की प्रगति वेगवती हो और उनसे उपयोगी कार्य हो सकें:—

१—नोटिस का विषय सं० ७ आर्य महा सम्मेलन अजमेर के प्रस्ताव पेश हुए और विचार के बाद उनके सम्बन्ध में निम्न प्रकार निश्चय हुए:—

(१) प्रस्ताव सं० १, २, ३, ४ (क), ५ (ख) (ग), ६, ७, ८ तथा ६ इस सभा को स्वीकार हैं और उचित कार्यार्थ प्रान्तिक सभाओं तथा समाजों में गश्ती चिट्ठी के साथ भेजे जावें।

(२) प्रस्ताव सं० ४ (ख) तथा ५ (क) के सम्बन्ध में समस्त आर्य प्रतिनिधि सभाओं से सम्मति मांगी जावे, उनके उत्तरों के आने

पर आगामी अन्तरङ्ग सभा में पेश किए जावें । प्रस्ताव सं० ५ (क) के सम्बन्ध में भारतवर्षीय आर्य कुमार परिषद् से भी सम्मति मांगी जावे ।

(३) प्रस्ताव सं० २ के सम्बन्ध में प्रान्तिक सभाओं तथा आर्य समाजों को विशेष रीति से ध्यान दिलाया जावे कि वे इन्हें कार्य में परिणत करने का यत्न करें। प्रत्येक बड़ी समाज में (क), (ख), (ग) तथा (घ) के लिये यथा सम्भव पृथक् पृथक् उप सभाएँ बनाई जावें जो अपने कार्य की रिपोर्ट प्रति मास आर्यसमाज की अन्तरङ्ग सभा में पेश किया करें और वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ करे।

(४) सं० २ (क) के सम्बन्ध में यह सभा स्वयं अपना विभाग बनाए और कतिपय ग्रामों का एक समूह छांटकर वहाँ अपनी संरक्षकता में बराहेरास्त काम करके एक आदर्श की स्थापना करे जिससे उसका अनुकरण अन्य स्थानों पर किया जा सके । इस काम में श्री ला० देशबन्धु जी तथा डा० सुखदेव जी आदि सज्जनों से सहायता लेने का यत्न किया जावे ।

(५) यदि सम्भव हो तो इस सभा के अधिकारी तथा सदस्य समस्त देश में भ्रमण करके इस प्रस्ताव के (क), (ख), (ग), (घ), (च) और (छ) भागों को कार्य में परिणत करने के लिए आर्यसमाजों को उत्साहित करें।

२—नोटिस का विषय सं० २ आर्यकुमार महासभा बड़ौदा का इस सभा में दाख़िले का विषय पेश हुआ। कुमार सभा के मन्त्री का ११-६-३३ का पत्र पढ़ा गया। विचार के बाद निश्चय हुआ कि यह विषय भारतवर्षीय आर्यकुमार परिषद् के इस सभा में दाख़िले के विषय के साथ आगामी अन्तरङ्ग सभा में पेश हो।

(२०) धर्मार्य्य सभा

स्वर्गीय राय बहादुर ठाकुर दत्त जी धवन ने जब से, अपनी पुस्तक "वैदिक धर्म प्रचार" नामक लिख कर प्रकाशित की थी उसी समय से धर्मार्य्य सभा, राजार्य्य सभा और विद्यार्य्य सभा के नाम आर्य्यों के कानों में गूंजने लगे थे।

एक बार आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की स्थापना के प्रकरण में जब अमृतसर में एक सभा बुलाई गई थी तो उसने कुछ नियम बनाये थे। उन नियमों के अन्तर्गत नियम सं० १४ का खण्ड ३ इस प्रकार था, इस नियम में प्रस्तावित सभा के उद्देश्य वर्णित हुए थे:—

"किसी ऐसे विषय में जिसके लिये कोई आर्य समाज सम्मति मांगे, अपनी सम्मति प्रकट करना। परन्तु शर्त यह है कि प्रतिनिधि सभा की राय किसी धार्मिक सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्रामाणिक न होगी। ऐसे नियमों में वेद और सत् शास्त्र ही प्रमाण समझे जावेंगे"।

यहां भी छिपे शब्दों में धर्मार्य्य सभा की आवश्यक्ता समझी गई थी। इस प्रकार आर्य समाज के प्रारम्भ के दिनों ही से ऐसी सभा के बनाने का विचार आर्य्यों के मस्तिष्क में काम करता चला आ रहा था परन्तु यह सभा बनी कुछ काल के बाद। विचार में वह बराबर आती रहती थी।

श्री मद्दयानन्द जन्म शताब्दी (मथुरा) के महोत्सव के सुअवसर पर देश के विद्वानों ने मिल कर निश्चय किया था कि तीनों प्रकार की सभाओं (१) धर्मार्य सभा (२) विद्यार्य सभा (३) राजार्य सभा की योजना की जावे। तदनुकूल इस सभा की अन्तरंग सभा ने अपने प्रस्ताव सं० १० ता० २७ जनवरी १९२८ ई० के द्वारा निम्न निश्चय किया:—

अन्तरंग सभा का निश्चय

"धर्मार्य सभा के निर्माण का विषय प्रस्तुत हो कर निश्चय हुआ कि धर्मार्य सभा का निर्माण स्वीकार किया जावे। धर्मार्य सभा अपने कार्य संचालन के लिये स्वयं नियम बना लेवे परन्तु उनकी अन्तिम स्वीकृति अन्तरंग सभा से प्राप्त करे। उसका निर्माण इस प्रकार स्वीकृत हुआ।

(१) प्रत्येक प्रान्तिक सभा से प्रार्थना की जावे कि अपने २ प्रान्त से अपने २ प्रतिनिधि के तौर पर निम्न संख्या में विद्वानों को निर्वाचित करे।

(क) पंजाब		७
(ख) संयुक्त प्रान्त		७
(ग) राजस्थान बिहार बंगाल, बम्बई	५, ५,	१५
(घ) मध्य प्रदेश तथा सिन्ध	३, ३	६
(ङ) उन समाजों के प्रतिनिधि जहां प्रान्तिक सभायें नहीं हैं		३
(च) संन्यासी		५
(छ) सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधि		५
(ज) विदुषी स्त्रियां (सार्वदेशिक सभा द्वारा)		३
योग		५१

(२) यह सभा वर्ष में एक स्थान पर हुआ करेगी।

(३) कोरम १५ का होगा।

(४) आम तौर से सम्मति लेख बद्ध ही ली जाया करेगी। अधिक विचारणीय विषयों का निर्णय वार्षिक सम्मेलन में हुआ करेगा।

(५) अधिकारियों का निर्वाचन सभा स्वयं करेगी।

(६) प्रबन्ध से सम्बन्धित विषयों से इस सभा का कुछ सम्बन्ध न होगा।

(७) प्रतिनिधि ३ वर्ष के लिये चुने जाया करेंगे।

(८) प्रथम वार संयोजित करने के लिये श्री नारायण स्वामी जी से प्रार्थना की जावे।

इसके बाद इस सभा का प्रथम अधिवेशन २६-३-३० के लिये बलिदान भवन देहली में बुलाया गया था, परन्तु कोरम पर्याप्त न होने के कारण यह अधिवेशन न हो सका। गुरुकुल वृन्दावन की 'रजत-जयन्ती' के अवसर पर १६-४-१६३० के लिये पुनः यह अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में इस सभा ने अपने नियम बनाये। इस सभा की बाद की बैठकों में इन नियमों में कुछ संशोधन भी किया गया। जिस रूप में यह नियम अब प्रचलित हैं नीचे दिये जाते हैं:—

धर्मार्य सभा के नियम

१ नाम —

इस सभा का नाम धर्मार्य सभा होगा

२ उद्देश्य—

वैदिक सिद्धान्त अथवा किसी भी धर्म सम्बन्धी विषय पर मत भेद होने की दशा में उसका निर्णय करना और आर्य जगत् के लिये निर्णायक व्यवस्था देना।

(३) धर्म ग्रन्थों में प्रचलित पाठ भेदों के सम्बन्ध में उचित निर्णय करके शुद्ध पाठादि की व्यवस्था करना।

(४) ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थों का मूल लेख के अनुसार शुद्ध सम्पादन आदि करना।

(५) आर्य विद्वानों के लिखे हुए ग्रन्थों की देख भाल करके उनके शुद्ध और वेदानुकूल होने की व्यवस्था देना।

(६) वैदिक सिद्धान्तों की रक्षा के लिये अन्य उचित उपायों का अनुष्ठान करना।

निर्माणव्यवस्था

(७) प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभाओं तथा अन्य संस्थाओं के निम्न मर्य्यादानुकूल भेजे और स्वयं इस सभा के चुने हुए प्रतिष्ठित विद्वानों के द्वारा यह सभा बना करेगी।

(क)	संयुक्त प्रान्त और पंजाब की प्रान्तिक सभाएँ	७-७
(ख)	राजस्थान, विहार बंगाल, और मुम्बई	५-५
(ग)	मध्य प्रदेश, सिन्ध, ब्रह्मा, अफ्रीका आदि	३-३
(घ)	उन आर्य समाजों के प्रतिनिधि जहां आर्य प्रतिनिधि सभाएँ नहीं हैं।	५ तक
(च)	सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधि	५
(छ)	आर्य संन्यासी	५
(ज)	विदुषी स्त्रियां	३
(झ)	इस सभा द्वारा निर्वाचित प्रतिष्ठित विद्वान्	५

नोट नं० १—(घ) (छ) और (ज) में वर्णित सदस्यों का निर्वाचन सार्वदेशिक सभा किया करेगी।

नोट नं० २—कोई प्रान्तिक सभा या आर्य समाज [देखो (घ)] अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सकेंगे जब तक उनका सम्बन्ध सार्वदेशिक सभा से न हो।

नोट नं० ३—निर्वाचित विद्वानों एवं विदुषियों के लिये किसी प्रान्तिक सभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं परन्तु उन्हें किसी आर्य समाज का सभासद होना आवश्यक है। आर्य संन्यासी इस बन्धन से मुक्त होंगे।

अधिकार—

८—इस सभा के निम्न अधिकारी होंगे:—

(१) प्रधान १

(२) मन्त्री १ या एक से अधिक

९) इस सभा के सदस्यों, अधिकारियों तथा कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन प्रति तीसरे वर्ष हुआ करेगा।

(१०) अधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार किस प्रकार होंगे:—

प्रधान—

(१) समस्त बैठकों में सभापति का आसन ग्रहण करना।

(२) सभासदों की लेख बद्ध सम्मति मँगाकर बहु सम्मति के अनुकूल किसी विषय के निर्णय की घोषणा करना।

(३) सभा के समस्त कार्यों पर दृष्टि रखना कि सब कार्य नियमानुकूल होते हैं। यदि कोई कठिन कार्य हो तो उसका उसी समय प्रबन्ध करना और उसके बिगड़ने पर उत्तरदाता होना।

मन्त्री—

(१) सभा की बैठकों की कार्यवाही नियमपूर्वक लिखना।

(२) लेखबद्ध सम्मतियां और उनके अनुकूल प्रधान के निर्णयको भी कार्यवाही पुस्तक में अङ्कित करना।

(३) सभा तथा प्रधान की आज्ञानुकूल पत्र व्यवहार करना।

(४) सभा के समस्त कार्यों पर दृष्टि रखना।

११ अधिवेशन—

इस सभा का एक वार्षिक साधारण अधिवेशन हुआ करेगा जिसमें निम्न कार्य और होंगे नैमित्तिक अधिवेशन विशेष कार्य के लिये यथावश्यकता हो सकेंगे।

(१) वार्षिक कार्य विवरण सुनने के लिये।

(२) विवादास्पद विषयों के निर्णय करने के लिये।

अधिकारियों का निर्वाचन (यदि वाजिब हो करने के लिये)।

१२ विज्ञापन व कोरम—

अधिवेशन का नियम पूर्वक विज्ञापन समस्त विषयों को अङ्कित करके अधिवेशन की तिथि से एक मास पूर्व दिया जाया करेगा।

(१३) सात विद्वानों की उपस्थिति होने पर सभा का काम आरम्भ हुआ करेगा।

विविध—

(१४) यह सभा किसी विषय में व्यवस्था न दे सकेगी, जिसे सार्वदेशिक सभा ने प्रस्तुत न किया हो।

(१५) इस सभा की व्यवस्था भी सार्वदेशिक सभा द्वारा ही समस्त प्रान्तिक सभाओं और समाजों में जहां-जहां प्रशंसित सभा भेजना उचित समझे, भेजी जाया करेगी।

(१६) साधारण विषय विद्वानों की लेखबद्ध सम्मति द्वारा निर्णय किये जाया करेंगे। परन्तु आवश्यक विषय वार्षिक या विशेष अधिवेशन में पेश हो कर निर्णीत हुआ करेंगे।

नोट—धर्मार्य्य सभा की वही व्यवस्था समझी जावेगी जिसके लिये कम से कम दो तिहाई सभासदों ने अनुकूल सम्मति दी हो।

(१७) इस सभा के लिये जितने पुस्तकों की आवश्यकता होगी सार्वदेशिक सभा का कर्तव्य होगा कि उनको प्रस्तुत करे।

(१८) इन नियमों में संशोधन और परिवर्तन, यह सभा नियमानुकूल विज्ञापन दे कर १० विद्वानों की उपस्थिति में कर सकती है।

अन्तरंग सभा

(१९) इस सभा की एक अन्तरंग सभा होगी जिसके कर्तव्य इस प्रकार होंगे:—

(क) जो विषय सार्वदेशिक सभा की ओर से निर्णय के लिये धर्मार्य सभा में आवे उनके सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही करके उन्हें निर्णय के योग्य बना देना।

(ख) आर्य सामाजिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में लेखबद्ध आई हुई शंकाओं का समाधान तथा आक्षेपों का निराकरण करना तथा सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यत्न करना।

(ग) इस सभा में ११ तक सदस्य होंगे। इस सभा का कोरम ३ होगा।

धर्मार्य सभा का कार्य

संध्या के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि और पंचयज्ञ पद्धति में कुछ भेद थे। सबसे प्रथम यही विषय इस सभा के सम्मुख निर्णयार्थ आया था। इस सभा ने विद्वानों के परामर्श से सन्ध्या के मन्त्र, उनका क्रम निश्चय करके जो इस प्रकरण के अन्त में दिया गया है, साथ ही यह भी निश्चय कर दिया कि संध्या के सम्बन्ध में पंच महा यज्ञ पद्धति ही प्रामाणिक ग्रन्थ है, क्योंकि यह ग्रन्थ साक्षात् रीति से पंच यज्ञों ही के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द ने निर्माण किया था। अन्य ग्रन्थों में जहाँ सन्ध्या का जिक्र है वह सब असाक्षात रीति से किया गया है।

हवन यज्ञ पद्धति

हवन के सम्बन्ध में भी कतिपय संदिग्ध विषय थे कि दैनिक देव यज्ञ (हवन) में अग्न्याधानादि समस्त मन्त्रों का पाठ करना आवश्यक है या नहीं? और यह कि घृत की आहुतियों के बाद कहाँ से सामिग्री की आहुति देनी चाहिए इत्यादि। इस सम्बन्ध में भी इस सभा ने असंदिग्ध व्यवस्था दे दी कि जिससे भविष्य

में किसी प्रकार का संदेह हवन के सम्बन्ध में किसी को न रहे। यह व्यवस्था भी इस प्रकरण के अन्त में अङ्कित है।

आर्य समाज़ के नियम और मन्तव्य

आर्य समाज के सदस्यों के लिये केवल दस नियमों का मानना ही काफी है या अन्य किन्हीं सिद्धान्तों का भी, इस सम्बन्ध में अरसे से आर्य समाजों में वाद-विवाद हुआ करता था परन्तु निर्णय कुछ नहीं होने पाता था। यह विषय निणयाथ इस सभा के सम्मुख आया और सभा ने अपनी व्यवस्था देने से पहले यह आवश्यक समझा कि सभी प्रान्तों के विद्वानों और आर्य समाज के अग्रगण्य नेताओं की सम्मति से.जानकारी प्राप्त करके तब व्यवस्था देवें। तदनुसार सभी प्रान्तिक सभाओं को लिखा गया कि वे अपने अपने प्रतिनिधि भेजें। ये प्रतिनिधि गणं जिनमें प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि भी थे, देहली आये। पं० विश्वबन्धु जी शास्त्री आदि विद्वान् भी निमन्त्रित होकर आये थे, जिससे वे भी अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तावित परिषद् के सम्मुख रक्खें। प्रसन्नता की बात है कि ये सज्जन भी परिषद् में भाग लेने के लिये आये थे। १७ मार्च १९३४ ई० को नियत समय पर यह विशेष विद्वत्परिषद् देहली नगर में श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज के सभापतित्व में हुई। इस परिषद् के सामने निर्णयार्थ विषय यह था कि आर्य समाज में प्रविष्ट होने वा रहने के लिये केवल दस नियमों का मानना और उन पर आचरण करना ही काफ़ी है या अन्य किन्हीं सिद्धान्तों का मानना भी आवश्यक है। इस परिषद् ने काफ़ी विचार विनिमय के बाद जो निश्चय किया वह इस प्रकार है:—

"आर्य समाज में प्रविष्ट होने और रहने के लिए दस नियमों के साथ उन सिद्धान्तों का भी जो वेदों के आधार पर ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में लिखे हैं, मानना और उन पर आचरण करना आवश्यक है।"

धर्मार्य सभा ने अपनी २८ मार्च १९३४ ई० की बैठक में इस निश्चय पर विचार करके उसको पुष्ट किया और फिर उसे आर्यसमाज के नियमों में शामिल होने के लिये सार्वदेशिक सभा में भेज दिया जहाँ से वे आर्यसमाज के उपनियमों में शामिल हो गये। यह कार्य सभा का बड़ा महत्वपूर्ण हुआ जिससे आर्यसमाज की बुनियाद अच्छी तरह दृढ़ हो गई।

सदाचार की व्याख्या

एक और उपर्युक्त कोटि का नहीं परन्तु उसके बाद दूसरे दरजे का विवादास्पद विषय आयसमाज के जन्म काल ही से यह चला आता था कि आर्यसमाज के उपनियमों में प्रयुक्त सदाचार की परिभाषा क्या होनी चाहिए ? अर्थात् कम से कम वे क्या बातें होनी चाहिएँ जिन पर आचरण करने से कोई आर्य, नियत समय के बाद, आर्य सभासद् होकर आर्यसमाज के मामलात में सम्मति देने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। यह विषय सर्व साधारण से सम्बन्धित था इसलिये सार्वदेशिक सभा के कार्यालय से समस्त आर्य समाजों को इस विषय में अपनी अपनी सम्मति प्रकट करने का अवसर दिया गया। सम्मतियों के आने पर उन पर विचार करने के बाद प्रशंसित सभा ने उपर्युक्तसदाचार की व्याख्या इस प्रकार की:--

"सन्ध्या आदि नित्य कर्म, शुद्ध वृत्ति, वैदिक संस्कार पतिव्रत तथा पत्नी-व्रत आदि सदाचार हैं। व्यभिचार, मद्यादि मादक द्रव्यों और मांसादि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, जुआ, चोरी, छल-कपट, रिशवत आदि दुराचार हैं।"

यह व्याख्या इस सभा की बैठक में २८-३-१९३४ को पेश हुई और पर्याप्त विचार के बाद सर्व सम्मति से स्वीकृत हुई। स्वीकृति के बाद आर्य्य समाज के उप-नियमों में शामिल होने के लिये सार्वदेशिक सभा के कार्यालय में भेज दी गई।

सभा के अधिकारी और सदस्य तथा अन्तरंग सदस्य

अधिकारी

(१) प्रधान—श्री महात्मा नारायण स्वामी जी ।
(२) मंत्री—श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ।
(३) उपमन्त्री—श्री प्रो० सुधाकर जी एम०ए० ।

अन्तरंग सदस्य

(४) श्री स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ ।
(५) ,, आचार्य्य रामदेव जी ।
(६) ,, पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार ।
(७) ,, पं० राम दत्त जी एडवोकेट ।
(८) ,, पं० भद्रसैन जी ।
(९) ,, पं० देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री ।
(१०) ,, पं० चमूपति जी एम० ए० ।
(११) ,, स्वामी ब्रह्मानन्द जी ।

धर्मार्य्य सभा के सभासदों की सूचिः—

संयुक्त प्रान्त

(१) श्री पं० गंगा प्रसाद जी एम० ए० चीफ़ जज
(२) ,, ,, गंगा प्रसाद जी उपाध्याय एम० ए०
(३) ,, ,, धुरेन्द्र जी शास्त्री
(४) ,, ,, देवेन्द्र नाथ शास्त्री
(५) ,, ,, बृहस्पति जी शास्त्री
(६) ,, ,, रामदत्त जी एम० ए० एल एल० बी०
(७) ,, ,, महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री

पंजाब

(८) ,, ,, स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ
(९) ,, ,, आचार्य्य रामदेव जी
(१०) ,, पं० चमूपति जी एम० ए०
(११) ,, ,, बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार
(१२) ,, पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति
(१३) ,, ,, प्रियव्रत जी
(१४) ,, ,, देव शर्मा जी 'अभय'

राजस्थान

(१५) ,, प्रो० सुधाकर जी एम० ए०
(१६) ,, स्वा० केवलानन्द जी
(१७) ,, पं० जयदेव जी विद्यालङ्कार
(१८) ,, कु० जालिमसिंह जी कोठारी
(१९) ,, पं० भद्रसेन जी मुमुक्षु

बिहार

(२०) ,, ,, धुरेन्द्र जी शास्त्री
(२१) ,, ,, वेदव्रत जी वानप्रस्थ
(२२) ,, ,, रामप्रसाद जी विद्यालङ्कार
(२३) ,, रा० ब० ठा० व्रजनन्दनसिंह जी
(२४) ,, पं० रामावतार जी शर्मा राजा पट्टी (सारन)

बम्बई

(२५) ,, पं० मयाशंकर जी
(२६) ,, स्नातक सत्यव्रत जी
(२७) ,, ,, मणिराज जी
(२८) ,, ,, भानुदत्त जी
(२९) ,, पं० हरिशंकर जी C/o आ० प्र० सभा बम्बई

निज़ाम स्टेट

(३०) ,, ,, नरेन्द्र जी उपदेशक

(३१) ,, ,, बन्शीलाल जी वकील

(३२) ,, ,, रघोत्तम दास जी

नैटाल

(३३) ,, स्वा० भवानीदयाल जी

(३४) ,, आर० के० केप्टेन

(३५) ,, बी० ए० मेघराज जी

(३६) ;, सत्यदेव जी

सी० पी० सभा

(३७) ,, बा० घनश्यामसिंह जी दुर्ग

(३८) ,, पं० श्री धरजी शर्मा नरसिंहपुर

(३९) ,, ,, शिवदत्त जी ज्ञानी हरदा

अन्तरंग सभा

८—११—३६

नि० सं० ७

धर्मार्य्य सभा के लिये आगामी ३ वर्ष अर्थात् १९३६ से १९३९ तक के लिये नियम धारा ७ के अनुसार संन्यासियों, विदुषी देवियों, सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधियों तथा उन समाजों के प्रतिनिधियों के जहां प्रतिनिधि सभाएं नहीं हैं निर्वाचन का विषय पेश हुआ। श्री प्रधान जी की याददाश्त पेश होकर पढ़ी गई और निम्न प्रकार निर्वाचन स्वीकृत हुआ। यह भी निश्चय हुआ कि शेष स्थानों की पूर्ति उचित समय पर आवश्यकतानुसार की जाय।

संन्यासी

(१) श्री स्वामी सर्वदानन्द जी ।
(२) ,, ,, नारायणस्वामी जी ।
(३) ,, ,, स्वतन्त्रानन्द जी ।

विदुषी देवियां

(१) श्रीमती विद्यावती विशारदा ।
(२) ,, विद्यावती सेठ बी. ए. ।
(३) ,, लक्ष्मी देवी ।

सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधि

(१) श्री पं० मुक्तिराम जी उपाध्याय ।
(२) ,, पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ।
(३) ,, ला० ज्ञानचन्द जी ।
(४) ,, पं० रामचन्द्र जी देहलवी ।

समाजों के प्रतिनिधि

मद्रास

(१) श्री पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति ।
(२) ,, पं० केशवदेव जी ज्ञानी ।

दक्षिण अमेरिका

(३) श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी बी. ए. ।

सन्ध्या तथा हवन के सम्बन्ध में धर्मार्य सभा की आवश्यक घोषणायें

सन्ध्या

पंच महायज्ञ विधि (१) पंचमहायज्ञ विधि में जो पंच यज्ञ के सम्बन्ध में मुख्य पुस्तक है और एक मात्र इसी उद्देश्य से निर्मित हुआ है, सन्ध्या विधान इस प्रकार पाया जाता है:—

पहली विधि—तीन प्राणायाम।

दूसरी विधि—गायत्री मन्त्र पाठ करते शिखा का बांधना।

तीसरी विधि—शन्नोदेवी······मन्त्र पाठ करके तीन आचमन करना।

चौथी विधि—ओं वाक् वाक्···पाठ करते हुए इन्द्रिय स्पर्श।

पांचवीं विधि—ओं भू पुनातु शिरसि······पाठ करते हुए मार्जन करना।

छठी विधि—ओं भू···द्वारा तीन प्राणायाम।

सातवीं विधि—(१) ओं ऋतञ्च······(२) ओं समुद्रा दर्णवा दधि······(३) सूर्या चन्द्रमसौ धाता······इन तीनों मन्त्रों द्वारा अघमर्षण।

आठवीं विधि—(१) ओं प्राची दिगग्नि—(२) ओं दक्षिणा दिगिन्द्रो···(३) ओं प्रतीची दिग्वरुणो···(४) ओं उदीची दिक् सोमो (५) ध्रुवा दिग्विष्णु···(६) ओं उर्ध्वा दिग् वृहस्पति···इन छः मन्त्रों द्वारा मनसा परिक्रमा।

नवीं विधि—(१) ओं उद्वयं···(२) ओं उदुत्यं जात वेदसम्··· (३) ओं चित्रं देवानां···(४) ओं तच्चक्षुर्देवहितं···इन चार मन्त्रों द्वारा उपस्थान।

दसवीं विधि—गायत्री मन्त्र।

ग्यारहवीं विधि—नमः शम्भवायच···मन्त्र द्वारा समर्पण।

संस्कार विधि—संस्कार विधि के गृहस्थ प्रकरण में संध्या का उल्लेख होते हुए उपर्युक्त विधान से निम्न बातों का उल्लेख हुआ है:—

(१) सबसे प्रथम 'ओं अमृतोपस्तरणमसि' इत्यादि...अश्वलायन गृह्य सूत्र के ३ मन्त्रों द्वारा एक और आचमन करने का विधान है।

(२) उपस्थान के मन्त्रों में इस प्रकार का भेद है:—

(क) जात वेद से सुनवाम्···मन्त्र बढ़ा दिया गया है।

(ख) चित्रं देवानां···मन्त्र उपस्थान के मन्त्रों में तीसरा होने की जगह पहला कर दिया गया है।

सत्यार्थप्रकाश—सत्यार्थप्रकाश के तृतीय समुल्लास में हवन से पहले संध्या का विधान बतलाते हुए 'अघमर्षण' क्रिया को सबसे अन्त में करने का उल्लेख किया गया है।

इस सभा की सम्मति में सन्ध्या का मुख्य ग्रन्थ 'पञ्च महायज्ञ विधि' है। संस्कार विधि और सत्यार्थप्रकाश में संध्या का उल्लेख प्रासंगिक है। इसलिये यह सभा घोषणा करती है कि ब्रह्मयज्ञ (संध्या) उसी विधि उसी क्रम और उतने ही मन्त्रों से किया जाया करे जिनको 'पञ्चमहायज्ञ विधि' में लिखा गया है जैसा कि स्वयं ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के 'पञ्च महायज्ञ' विषय में लिखा है।

'सन्ध्योपासन विधिश्च पञ्च महायज्ञ विधाने यादृश उक्तस्तादृशः कर्त्तव्यः। तथाग्निहोत्र विधिश्च यादृशस्तत्रोक्तस्तादृश एव कर्त्तव्यः' (पृ० ५६७ दया० ग्रन्थमाला शताब्दी संस्करण।

इसी प्रकार ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के 'पञ्चमहायज्ञ' विषय भाषानुवाद में तथा संस्कार विधि के गृहस्थाश्रम प्रकरण के सन्ध्या विषय में भी 'पञ्चमहायज्ञ विधि' के अनुकूल ही सन्ध्यादि करने का आदेश किया है।

हवन

दैनिक कृत्यों के सम्बन्ध से ऋषि दयानन्द के लेखानुसार दैनिक हवन निम्न प्रकार होना चाहिए:—

(१) अग्न्याधान (बिना मन्त्र के)

(२) प्रातःकाल या सायंकाल के मन्त्र यदि दोनों समयों का एक ही समय करना हो तो दोनों समय के मन्त्र।

(३) ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इत्यादि ४ मन्त्र ।

(४) ओं आपो ज्योतिरसोऽमृतम् ।

(५) पूर्णाहुति ।

नोट—सं० (१) १६ की संख्या पूरी करने के लिये गायत्री मन्त्र के अन्त में स्वाहा शब्द जोड़ कर आहुति देनी चाहिये ।

नोट—सं० (२) चरु की आहुति घृत के साथ प्रारम्भ से ही देनी चाहिए ।

(२१) आर्य्य विद्वत् सम्मेलन

धर्मार्य सभा की देख-रेख में इस सम्मेलन का जन्म इस उद्देश्य से हुआ है कि जो सूक्ष्म और ऐसे विषय हैं जो विद्वानों के गहरे विचार किये बिना साफ नहीं हो सकते, उनपर विद्वानों को विचार करने का अवसर दिया जावे । एक विद्वान् तय्यारी करके किसी विषय पर कोई निबन्ध लिखे और अन्य उपस्थित विद्वान् उसकी आलोचना करें जिससे आलोचना और प्रत्यालोचना के बाद वह विषय स्पष्ट हो जावे। यह उद्देश्य उसी अवस्था में पूरा हो सकता था जब यह सम्मेलन आर्यसमाज के उत्सवों तथा अन्य सम्मेलनों की भीड़भाड़ से पृथक् हो । इसलिये ऐसा ही निश्चय भी कर लिया गया था कि यह सम्मेलन सब उत्सवादि से पृथक् किसो अवसर पर बुलाया जावे । तदनुसार इस आर्य विद्वत् सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन १६ से २२ अक्तूबर १६३२ तक, पटौदीहाउस देहली में हुआ । सम्मेलन के प्रधान श्री महात्मा नारायणस्वामी जी महाराज थे और स्वागताध्यक्ष श्री लाला ज्ञानचन्द जी थे । सम्मेलन का कार्य श्री महात्मा नारायणस्वामी जी तथा श्री लाला ज्ञानचन्द जी के प्रारम्भिक भाषणों के साथ प्रारम्भ हुआ । सम्मेलन में निम्न प्रकार से निबन्ध पढ़े गये:—

नाम लेखक	निबन्ध का विषय
(१) श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु	वेद और निरुक्त
(२) श्री स्वामी वेदानन्द जी	वेद के ऋषि
(३) श्री स्नातक ब्रह्मानन्द जी	वेद और पश्चिमी विज्ञान
(४) श्री पं० वृहस्पति जी	वेद के देवता
(५) श्री पं० धर्मदेव जी	'ऋषि दयानन्द की वेदभाष्यशैली'
(६) श्री पं० गोपालदत्त जी शास्त्री	'वेद में इतिहास नहीं है'
(७) श्री पं० ईश्वरचन्द्र जी	ब्राह्मणत्व जाति नहीं है।

आगामी सम्मेलन के सम्बन्ध में निम्न निश्चय हुए:—

(१) यह सम्मेलन बड़े दिन की छुट्टियों में हुआ करे।

(२) सम्मेलन के अन्त में एक दिन रक्खा जाय जिसमें अन्य धर्मावलम्बियों में से किसी को आर्यसमाज के मन्तव्यों में से एक विषय देकर उस पर उनके जितने आक्षेप हों लेखबद्ध मँगाये जावें। यदि नियत तिथि से ३ दिन पहले वे आक्षेप आ जावें तो नियत तिथि पर आक्षेपक को बुलाकर उसके सम्मुख सम्मेलन में उत्तर दिये जावें। उन उत्तरों के सम्बन्ध में आक्षेपक को यदि कुछ और कहना हो तो दो बार और उत्तर प्रत्युत्तर का अवसर दिया जावे। इस प्रकार तीसरी बार सम्मेलन की ओर से उत्तर दिये जाने पर वह विषय समाप्त समझा जावे।

सम्मेलन का आय-व्यय

आय

५६) टिकटों की बिक्री द्वारा

योग ५६)

व्यय	
१४०॥=)॥	भोजन व्यय
३०२–)	मार्ग व्यय
३६)	पिण्डाल व्यय
१२॥≡)	मज़दूरी आदि
४।–)	तार व्यय
८६॥)॥	छपाई
४॥≡)॥	तांगा ट्राम आदि का किराया
५३०≡)॥	योग

ये ५३०≡)॥ समस्त व्यय ला० ज्ञानचन्द जी ने अपनी ओर से दिया था जिसके लिये वे इस सम्मेलन के धन्यवाद के पात्र हैं।

आर्य विद्वत् सम्मेलन की दूसरी बैठक

श्री मद्दयानन्द निर्वाण अर्द्ध शताब्दी के अवसर पर, यद्यपि इस सम्मेलन की दूसरी बैठक करने की घोषणा की गई थी और बैठक हुई भी थी परन्तु उस भीड़-भाड़ में पीछे से न यह पता चला कि किस किस ने निबंध पढ़े थे और न यह कि वे निबंध क्या हुए। अस्तु हम इस दूसरी बैठक की गणना नहीं करते हैं। आगे अब कभी यह सम्मेलन होगा तो उसकी वह दूसरी बैठक हो समझी जावेगी।

सिद्धान्त विमर्ष

जो निबंध पहले सम्मेलन में पढ़े गये थे उनका संग्रह, सम्मेलन के प्रधान की एक विस्तृत भूमिका के साथ पुस्तक रूप में प्रकाशित हो गये हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पुस्तक का नाम आर्य सिद्धान्त विमर्ष है और उसका मूल्य १॥) है। इस ग्रन्थ से वैदिक साहित्य में एक अच्छे ग्रन्थ की वृद्धि हुई है।

(२२) आर्यसमाज के उपनियमों का संशोधन

संशोधन करने की आवश्यकता क्यों हुई ?

आर्यसमाज के उपनियमों के बने हुये ५० वर्ष से अधिक व्यतीत हो गये थे। यद्यपि उनमें एक उपनियम यह भी था कि वर्ष-वर्ष पीछे विज्ञापन देकर उन्हें संशोधित किया जा सकता है परन्तु उनके संशोधन की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

परन्तु अनुभव ने बतलाया कि उनमें अनेक संशोधनों का होना अनिवार्य सा हो गया है और उन संशोधनों के बिना आर्यसमाज और उसके संगठन की गौरव हानि हो रही है इसलिये इस सभा के प्रधान महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने इस सभा की तारीख २६ जनवरी १९२९ की अन्तरंग में अपनी निम्न याददाश्त पेश की:—

उपनियमों के सम्बन्ध में कार्यवाही

"आर्यसमाज की वर्तमान प्रगति को देखते हुए यह अब अनिवार्य सा हो गया है कि उपनियमों का इस प्रकार से संशोधन किया जावे कि जिससे अधिक से अधिक सदाचारी पुरुष ही आयसमाज के अगुवा और कायकर्ता बन सकें।"

उपरोक्त याददाश्त पेश होने पर इस सभा की अन्तरङ्ग सभा ने एक उपसभा उपनियमों में आवश्यक संशोधन का ड्राफ्ट बनाने के लिये बना दी। इसके बाद तमाम आर्य जनता, आर्यसमाजों तथा प्रान्तीय सभाओं से संशोधन मांगे गये। इन काफी संख्या में आये हुए संशोधनों पर उपरोक्त उपसभा में विचार हुआ। इस उपसभा ने आवश्यक संशोधन तथा परिवर्धन करके एक पाण्डु लिपि तैयार की। इस पाण्डु लिपि पर इस सभा की अन्तरङ्ग ने ता० २ तथा ३ मार्च १९३२ के अधिवेशनों में विचार किया और आवश्यक परिवर्तनों के बाद इस

पाण्डु लिपि को प्रकाशित कर आर्य जनता के लिये आर्य पत्रों में, आर्य समाजों तथा प्रान्तीय सभाओं को पुनः सम्मत्यर्थ भेजा गया। इन तमाम आई हुई सम्मतियों पर इस सभा की ता० ५ तथा ६ जनवरी १९३५ की अन्तरङ्ग सभा की बैठकों में विचार हुआ और उसके बाद इस सभा के ता० २५ जनवरी १९३५ के नैमित्तिक अधिवेशन में विचार हुआ और अन्तिम स्वीकृति के लिये मसविदा तैयार किया गया। अन्तिम स्वीकृति देने के लिये समस्त आर्यसमाजों के सदस्यों की, जिनमें आर्य भी शामिल थे, एक महीने से अधिक का नोटिस देकर, देहली में ता० २६ जनवरी १९३५ को एक विशेष कान्फ्रेंस श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज के सभापतित्व में की गई। जिनमें वर्तमान उपनियम कुछ संशोधनों के बाद स्वीकार किये गये। ये स्वीकृत उपनियम आर्य समाजों तथा प्रान्तिक सभाओं में भेजे गये कि इन पर अमल किया जावे—प्रसन्नता की बात है कि इनके अनुकूल कार्य होना शुरू किया गया और जहां नहीं हुआ वहां के आर्यसमाज उनके लागू करने का यत्न कर रहे हैं। ये उपनियम बहु संख्या में छपवाकर इस सभा के पुस्तकालय में रक्खे गये हैं। मूल्य इनका पूर्ववत् एक पैसा रक्खा गया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी संकोच के उन्हें क्रय कर सके। उपनियम प्रत्येक आर्य के पास रहने योग्य हैं जिससे वे समय समय पर देखकर उनके अनुकूल आचरण किया करें। संशोधित उपनियम अन्त में दिये गये हैं। (देखो परिशिष्ट १३)

(२३) आर्य विवाह बिल

आर्य विवाह बिल पेश कराने की आवश्यकता क्यों हुई ?

आर्यसमाज जन्म से नहीं अपितु गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था का पोषक है। उसके सदस्यों में से अनेक सदस्य इसी अपने स्वीकृत सिद्धान्तानुकूल अन्तर्जातीय विवाह भी करते रहे हैं। ऐसे विवाहों की

संख्या सहस्रों तक पहुँच चुकी है। आर्य समाजी कानून की दृष्टि में उसी धर्म शास्त्र से शासित होते हैं जिन्हें हिन्दू लॉ कहते हैं। इन के रू से आम तौर से अन्तर्जातीय विवाह से जो सन्तान पैदा होती है वह दाय भाग की अधिकारिणी नही होती है ये रुकावट आर्य समाजियों के रास्ते में भी आई—इसके लिये आवश्यक हुआ कि इस रुकावट को, एक कानून बनवाकर, दूर किया जावे।

इस कानून के बनने के लिये समय समय पर विचार होता रहा और सम्मेलनों में प्रस्ताव भी पास होते रहे।

आय विवाह बिल का विषय कब आरम्भ हुआ:—

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए ता० १७ फरवरी १६२५ को श्री मद्दयानन्द जन्म शताब्दी (मथुरा) के अवसर पर आर्य सम्मेलन की तीसरी बैठक में यह विषय श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महारज की ओर से पेश किया गया था और इसके सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया गया था:—

"यह आर्य सम्मेलन निश्चय करता है कि शीघ्र ही लेजिस्लेटिव असेम्बली में आर्य विवाह बिल को उपस्थित कराया जावे ताकि आर्य समाज के प्रचार में जो बाधाएँ उपस्थित हो रहीं हैं उनका निवारण हो सके और आर्य जनता में गुण कर्म और स्वभावानुसार विवाहादि संस्कारों का प्रचार हो सके।

अर्य विवाह बिल चौधरी मुख्तारसिंह जी के द्वारा असेम्बली में पेश:—

यह बिल आर्य सार्वदेशिक सभा को सुपुर्द किया जाये जो इसको बहुत जल्द असेम्बली में पेश कराने की कोशिश करे। असेम्बली का वायु मण्डल अच्छा देख कर १६३० में उसे पेश कराया गया श्री चौधरी मुख्तारसिंह जी असेम्बली के उस समय सदस्य थे, बिल

पेश करने के लिये उनके सुपुर्द किया गया। बिल के पेश होने से पूर्व सभा के आदेशानुसार बिल के पक्ष में आर्य जगत् तथा आर्यसमाचार पत्रों में आन्दोलन हुआ और बहुत से समाजों ने बिल का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास करके भारत सरकार के पास भेजे। इन प्रस्तावों में बिल को शीघ्र सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की भी प्रार्थना की गई थी। ता० २० जनवरी १६३० को श्री चौधरी मुख्तारसिंह जी ने इस बिल को पेश किया और सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किये जाने का भी प्रस्ताव रखा गया परन्तु सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द होने के पूर्व यह बिल जन-मत (Public Opinion) के लिये सरक्यूलेट कर दिया गया। सभा ने तथा इसके आदेशानुसार समस्त समाजों ने पुनः भारत सरकार को लिखा कि यह बिल इसी असेम्बली के जीवनकाल में कानून बना दिया जावे। परन्तु असहयोग आन्दोलन के पुनः जारी होनेपर कांग्रेस के टिकट पर जो असेम्बली में गये थे उन्हें कांग्रेस के आदेशानुसार असेम्बली छोड़ देनी पड़ी—इस प्रकार चौधरी मुख्तारसिंह के असेम्बली से पृथक् होने पर वह उनका पेश किया हुआ बिल भी लैप्स हो गया।

आर्य विवाह बिल श्री बा० घनश्यामसिंह जी गुप्त के द्वारा असेम्बली में पेशः—

सन् १६३५ में सौभाग्य से श्री बा० घनश्यामसिंह जी गुप्त जो आर्यप्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश के प्रधान हैं असेम्बली के सदस्य हो कर आ गये। सभा ने उनसे इस बिल को पेश करने की प्रार्थना की। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक हमारी सभा की प्रार्थना को स्वीकार किया और निम्न बिल असेम्बली में पेश कर दिया। पूर्ववत् पुनः इस बिल को सरकार से कानून बनवाने के लिये इस सभा के आदेशानुसार आर्यसमाचार पत्रों में आन्दोलन हुआ और हजारों समाजों ने प्रस्ताव पास करके भारत सरकार के पास भेजे:—

Arya Marriage Validation Bill

(Introduced in the Legislative Assembly)

A BILL TO

Recognise and remove doubts as to the validity of inter-marriages current among Arya Samajists.

Whereas it is expedient to recognise and place beyond doubt the validity of inter-marriages of Arya Samajists; It is hereby enacted as follows;—

Short Title and Extent

(1) This Act may be called the 'Arya Marriage Validation' Act, 1935.

(2) It shall apply to the whole of British India and shall apply to all cases that may come up for decision after the passing of this Act whether the marriage in question took place before or after the passing of this Act.

Definition.

2. For the purposs of this Act 'Arya Samajist' means a person who:—

(a) is a member of any Arya Samaj or

(b) within five years of the passing of this Act or within one year of his marriage (which-ever period expires last) executes a written document declaring himself to be, an Arya Samajist or in terms equivalent thereto;

(c) is a member of the family of, or a relative dependent on, or a person

under the guardianship of, any person mentioned in clause

(a) or, clause (b).

Explanation—Where a document mentioned in clause (b) of section 2 is registered under the Indian Registration Act 1908, it shall be conclusive evidence of the fact of his being an Arya Samajist and no evidence shall be admissible to prove the contrary.

3. No marriage between Arya Samajists shall be invalid or shall be deemed ever to have been invalid by reason of the parties having belonged to different castes or sub-castes of Hindus or to different religions, any law or usage or custom to the contrary notwithstanding.

4. For purposes of succession all inter-marriages referred to in section 3 of this Act shall be deemed to be marriages between persons of the same castes of (Dwijas) the twice born Hindus.

Statement of Objects and Reasons.

As the Arya Samajists who form quite an appreciable number of the Indian population conscientiously belive that present caste system is not in accordance with their scriptures, the Vedas and the sacred Shastras and as according to the law as administered at present marriages between parties belonging by birth to different castes or sub-castes are considered invalid and there is a fear of the issue of such marriages being declared illegitimate and as quite a large number of such

marriages have taken place and more would have taken place had there been no such obstacle, it is necessary to have a law which would give relief to the Arya Samajists. Hence the above law is proposed.

Ghanshiam Singh Gupta,
M. L. A.

बिल का हिन्दी अनुवाद जो लेजिस्लेटिव असेम्बली में पेश हुआ:—

आर्य समाजियों में प्रचलित अन्तर्जातीय विवाह के स्वीकार करने तथा उसकी औचित्य विषयक शंकाओं के निवारण के लिये विधान।

(१) यह सुविधा जनक प्रतीत होता है कि आर्य समाजियों के अन्तर्जातीय विवाह को स्वीकृत किया जाय तथा उसके औचित्य को असन्दिग्ध बनाया जाय। अतः नीचे लिखा विधान बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम एवं विस्तार

(१) इस विधान का नाम आर्य विवाह वैलीडेशन एक्ट १९३५ ई० में होगा।

(२) यह समस्त ब्रिटिश भारत में तथा उन सब विवाहों के लिये लागू होगा जो इस विधान को स्वीकार कर लेने के अनन्तर निर्णय के लिये आवें चाहे विवाह इस विधान की स्वीकारी के पीछे हुआ हो या पहले।

परिभाषा

इस विधान के अनुसार आर्य समाजी का अर्थ वह मनुष्य है जो:—

(अ) किसी भी आर्य समाज का सदस्य हो; या

(ब) इस विधान के स्वीकृत होने के पश्चात् ५ वर्ष के भीतर या अपने विवाह के एक वर्ष के भीतर (जो भी समय पीछे समाप्त हो) लिखित पत्र द्वारा अपने को इस प्रकार घोषित करदे कि वह आर्य-समाजी है अथवा उसके सदृश अन्य शब्दों में

(स) खण्ड (अ) या (ब) में वर्णित किसी व्यक्ति का कुटुम्बी हो, उस पर निर्भर—सम्बन्धी हो, या उसकी संरक्षिता में हो।

व्याख्या

जहां, धारा २ खण्ड (ब) में वर्णित लेख सन् १९०८ के भारतीय रजिस्ट्रेशन विधान के अनुसार रजिस्टर हो चुका है तो वहां इस विषय का निर्णायक प्रमाण होगा कि वह आर्य समाजी है। इसके विपरीत अन्य कोई भी प्रमाण माननीय न होगा।

(३) आर्य समाजियों में कोई विवाह, पक्षों के हिन्दुओं की भिन्न २ जातियों या उपजातियों या भिन्न २ धर्मों के होने के कारण अनुचित न होगा और न कभी अनुचित माना जायगा—इसके विरुद्ध किसी भी विधान व्यवहार या चलन के होते हुए भी।

(४) उत्तराधिकार के निमित्त इस विधान की धारा ३ में वर्णित सब अन्तर्जातीय विवाह द्विजों के सवर्ण विवाह ही समझे जायेंगे।

उद्देश्य और हेतु

चूंकि आर्य समाजी, जो भारत की जन-संख्या का एक उल्लेख-नीय भाग हैं निश्चय पूर्वक विश्वास करते हैं कि वर्तमान जात पात उनके धर्म ग्रन्थों—वेद और शास्त्रों, के अनुकूल नहीं है और चूंकि वर्तमान राज्य नियम के अनुसार भिन्न जातियों या उपजातियों में उत्पन्न पक्षों में होने वाले विवाह अवैध समझे जाते हैं और ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतानों के अनियमित घोषित किये जाने का भय है

और चूंकि ऐसे विवाह बड़ी संख्या में हो चुके हैं और यदि ऐसा प्रतिबन्ध न होता तो और भी अधिक होते, अतः ऐसे नियम की आवश्यकता है जो आर्य समाजियों का सहायक हो। इसलिये उपर्युक्त नियम प्रस्तुत किया गया है।

—घनश्यामसिंह गुप्त एम० एल० ए०

इसके बाद यत्न करने पर यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। सिलेक्ट कमेटी में इस बिल का निम्न रूप कर दिया गया जो कि आर्यसमाजियों की इच्छा के विरुद्ध था:—

(To be introduced in the Legislative Assembly.)

A BILL TO

Recognise and remove doubts as to the validity of inter-marriages current among Arya Samajists.

Whereas it is expedient to recognise and place beyond doubt the validity of inter-marriages of Arya-Samajists; It is hereby enacted as follows:—

Short Title and Extent.

1. (1) This Act may be called the Arya-Marriage Validation Act, 1935.

(2) It extends to the whole of British India including British Baluchistan and the Santhal Parganas, and applies also to all subjects of His Majesty within other parts of India, and to all Indian subjects of His Majesty without and beyond British India.

2. Notwithstanding any law, usage or custom to the contrary, no marriage between two persons being at the time of the marriage Arya Samajists

shall be invalid or shall be deemed ever to have been invalid by reason only of the fact that the parties at any time belonged to different castes or different sub-castes of Hindus or that either or both of the parties at any time belonged to a religion other than Hinduism.

3. Succession to the property of the parties and of the issue of the parties to a marriage which but for the provisions of Section 2 would have been invalid shall be regulated by the provisions of the Indian Succession Act, 1925.

असेम्बली में यत्न किया गया कि बिल जैसा कि पेश किया गया था उसी रूप में क़ानून का रूप ग्रहण करे। और इस यत्न में सहायता हो इस लिये सिलेक्ट कमेटी के निश्चय के विरुद्ध समस्त आर्य समाजों ने निम्न प्रस्ताव, पास करके गवर्नमेंट ऑव इण्डिया के पास भेजे जिससे सिलेक्ट कमेटी के किये परिवर्तन रद्द किये जावें और बिल असली रूप में पास हो सके:—

This meeting of Aryasamaj ········places on record its sense of deep gratitude for the support which the Government of India, their officials concerned and the Hon'ble Members of the Legislative Assembly have lent to the Arya Marriage Validation Bill in its initial stages, which has now emerged from the Select Committee and will come up before the Assembly in its Simla Session.

(b) This meeting feels satisfied to learn that Clause 3 in the Bill relating to "Marriage" has been accepted by the Select Committee in its Clause 2.

(c) This meeting wishes to recall to the Government and the Hon'ble Members of the Central Legislature that the different Clauses of Arya Marriage Validation Bill as drafted by ..r.Ghanshyam Singh Gupta, M.L.A. had the whole hearted and unanimous support of all Sections of Arya Samajists all over the country. The Government was duly intimated of this fact.

(d) This meeting disapproves of the proposed deletion of the definition of "Arya Samajist" from the Bill as recommended by the Select Committee.

(e) This meeting is strongly opposed to the recommendation made by the Select Committee (by majority) in respect of the Clause regarding Succession, as the same besides being open to serious objections on other grounds, seeks to deny to the Arya Samajists the Sacred Shastras in which they believe.

(f This meeting, therefore, urges upon the Hon'ble Members of the Central Legislature to pass the Arya Marriage Validation Bill as drafted by Mr. Ghanshyam Singh Gupta and earn the gratitude of the Arya Samajist world.

हिन्दी अनुवाद

अार्य्य समाज······की यह सभा गवर्नमेन्ट आॅव इण्डिया, उसके सम्बन्धित अधिकारियों एवं लेजिस्लेटिव असेम्बली के माननीय सदस्यों

को उस सहायता के लिये धन्यवाद देता है जो उन्होंने 'आर्य्य विवाह बिल' को उसके प्रारम्भिक स्टेजों में प्रदान की है और जो सिलेक्ट कमेटी से गुज़र चुका और असेम्बली के सामने उसके शिमला अधिवेशन में आने वाला है।

(ख) इस सभा को यह जानकर सन्तोष है कि 'बिल' की विवाह सम्बन्धी धारा सं० ३ सिलेक्ट कमेटी द्वारा स्वीकृत हो गई है।

(ग) यह सभा सरकार तथा सेन्ट्रल लैजिस्लेचर के माननीय सदस्यों को यह स्मरण करा देना चाहती है कि श्री बा० घनश्यामसिंह जी एम० एल० ए० के बनाये हुये 'आर्य मैरेज बिल' की विविध धाराएँ देश भर के आर्य समाजियों को पूर्णतया स्वीकृत थीं और सरकार को इस बात की सूचना भी दे दी गई थी।

(घ) सिलेक्ट कमेटी ने बिल में से 'आर्य समाजी' की परिभाषा के निकाल देने का जो प्रस्ताव किया है यह सभा उसको नापसंद करती है।

(च) दायाद सम्बन्धी धारा संख्या ४ के सम्बन्ध में सिलेक्ट कमेटी ने (बहुपक्ष से) जो सिफ़ारिश की है उसका यह सभा घोर विरोध करती है क्योंकि वह सिफ़ारिश और दूसरे आधारों पर आपत्तिजनक होने के अलावा आर्य्य समाजियों के लिये उन पवित्र शास्त्रों का निषेध करती है जिनमें वे विश्वास रखते हैं—

(छ) यह सभा, इसलिये सरकार और सेन्ट्रल लैजिस्लेचर के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करती है कि वे 'आर्य विवाह बिल' को उसी रूप में पास करें जिसमें श्री बा० घनश्याम

सिंह जी गुप्त द्वारा बनाया गया है और समस्त आर्य्य संसार को अनुगृहीत करें।

प्रसन्नता की बात है कि २० मार्च १६३७ ई० को असेम्बली की बैठक में 'आर्य्य विवाह बिल' आर्य्यों की इच्छानुसार पास हो गया। स्वीकृत बिल की लिपि आने दी गई है। अब यह बिल कौंसिल ऑव स्टेट में पेश होगा और वहां की स्वीकृति के बाद क़ानून का रूप ग्रहण कर लेगा। इस बिल के स्वीकार करने में बा० घनश्यामसिंह जी का परिश्रम सराहनीय है।

AN ACT TO

Recognise and remove doubts as to the validity of inter-marriages current among Arya Samajists.

Whereas it is expedient to recognise and place beyond doubt the validity of inter-marriages of a class of Hindus known as Arya Samajists; it is hereby enacted as follows:—

Short Title and Extent.

1. (1) This Act may be called the Arya Marriage Validation Act, 1937.

(2) It extends to the whole of British India including British Baluchistan and the Sonthal Parganas, and applies also to all subjects of His Majesty within other parts of India, and to all Indian subjects of His Majesty without and beyond British India.

Marriage between Arya Samajists not to be invalid.

2. *Notwithstanding any provision of Hindu law, usage or custom to the contrary* no maarriage *contracted whether before or after the commencement of this Act* between *two persons being at the time of the marriage* Arya Samajists shall be invalid by reason *only of the fact that the parties at any time belonged to different castes or different sub-castes of Hindus or that either or both of the parties at any time before the marriage belonged to a religion other than Hinduism.*

(२४) सार्वदेशिक मासिक पत्र

'सार्वदेशिक' क्यों और कब उदय हुआ ?

इस सभा को स्थापित हुए लगभग १६ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। मथुरा शताब्दी के बाद सभा के बढ़ते हुए कार्य सम्बन्धी सूचनायें आर्य जनता को सरक्यूलर आदि द्वारा दी जाती थी। सरक्यूलरों द्वारा काफ़ी व्यय करने पर भी अभिलाषित प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था। इस युग में आन्दोलन करने तथा जन-मत उत्पन्न करने के लिये समाचार-पत्र एक अत्यन्त आवश्यक साधन तथा शक्ति है, पत्र के अभाव में सभा की नीति का प्रचार करना कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव था। अतः इस सभा ने ता० ६ फर्वरी १९२७ की अन्तरङ्ग में निश्चय किया कि एक मासिक पत्रिका ४० पृष्ट की निकाली जावे जिसका मूल्य २) वार्षिक हो। पत्रिका का नाम "सार्वदेशिक" रक्खा जावे। उसी समय से यह पत्र सभा द्वारा प्रकाशित हो रहा है। यद्यपि पत्र के लिये पृथक् वैतनिक सम्पादक नहीं अवैतनिक सम्पादक के द्वारा ही उसका सम्पादन होता है परन्तु फिर भी ग्राहकों के कमी के कारण उसे घाटे ही में चलना पड़ता है। १९२७ ई० से उसके आय व्यय तथा घाटे का विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	ग्राहक संख्या	आय	व्यय	घाटा
१६२७-२८	४३६	१०६४≡)	२०६२॥–)॥।	६६८।=)॥।
१६२८-२६	३५५	७८२॥≡)	१७३५।)४½	६५२॥–)४½
१६२६-३०	३५१	७५५।=)	१६०८॥≡)५	८६३।–)५
१६३०-३१	२४३	४७१।।।)॥	६०१।।।≡)॥।	४३०≡)।
१६३१-३२	२५१	५१०॥)	१३७४–)॥	८६३॥–)॥
१६३२-३३	२१५	४८२।=)॥	१२७३।।।–)	७६१।=)॥
१६३३-३४	२६२	७६८॥≡)	१३५४।।।–)	५८६=)
१६३४-३५	४२५	१०७०≡)	१५५६॥≡)॥	४८६॥)॥
१६३५-३६	५२४	१२७६॥–)॥	१६७७–)॥।	४००॥)।
योग		७१८२।=)॥	१३५५५=)½	६३७२॥≡॥½

यद्यपि क्रमशः घाटा कम हो रहा है परन्तु फिर भी एक अच्छी खासी रक़म घाटे में देनी पड़ती है। ग्राहक संख्या के बढ़ जाने से जैसी कि आशा है, यह घाटा समाप्त हो सकता है ।

(२५) मनुष्य गणना

सन् १६३१ में समस्त भारतवर्ष में मनुष्य गणना होने वाली थी। इससे पूर्व मनुष्य गणना के फार्मों (Returns) में पौराणिक पद्धति के अनुसार प्रत्येक शिखा सूत्र धारी को "धर्म" तथा "जाति" आदि के खानों में उनके विविध सम्प्रदाय तथा जन्म परक जात पात लिखी जाती थी। परन्तु आर्य समाज अपने सिद्धान्तों के अनुसार पौराणिक जात पात में विश्वास नहीं करता, इसलिये यह आवश्यक था कि आर्यों को "धर्म के खाने में "वैदिक" तथा "जाति" के खाने में "आर्य" लिखा जावे। जिससे आर्यों की संख्या की ठीक गणना हो सके। तथा जिस बात में उनका विश्वास नहीं है वह उनके नाम के साथ न लिखी जावे—इसलिये यह विषय इस सभा की ता० २६

दिसम्बर १९२७ की अन्तरंग सभा में पेश हुआ कि किस प्रकार इस विषय के सम्बन्ध में कार्यवाही की जावे। इस सभा में निश्चय हुआ कि "समस्त प्रतिनिधि सभाओं से प्रार्थना की जावे कि वे सरक्यूलर द्वारा अपने आधीन समाजों को प्रेरणा करें कि आर्यमात्र को आगामी मनुष्य गणना के समय अपने आपको आर्य लिखना चाहिये और अपने आधीन उपदेशकों और कार्यकर्ताओं को भी प्रतिनिधि सभाएं प्रेरणा करें कि वे भी लोगों को ऐसा करने के लिये प्रेरित करते रहें। इस सभा से जब कोई सरक्यूलर निकले उसमें भी यह अङ्कित कर दिया जावे"।

उपरोक्त प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत करने के लिये इस सभा ने समस्त प्रान्तीय सभाओं को इसी कार्य से सम्बन्धित अपने कुछेक अन्य आदेश निर्देश सहित भेज दिया।

आर्य जनता में तो इस सम्बध में प्रत्येक प्रान्त में काफ़ी जागृति और आन्दोलन हो गया था परन्तु सरकार द्वारा इस विषय में अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। इसलिये सरकार के साथ इस विषय में क्या कार्यवाही की जावे यह विचार करने के लिये यह विषय ता० २३ नवम्बर १९३० की; इस सभा की अन्तरंग सभा में, पुनः पेश हुआ और प्रशंसित सभा ने निम्न निश्चय किया।

"निश्चय हुआ कि सार्वदेशिक सभा की ओर से सेन्सस-कमिश्नर तथा भारत सरकार को लिखा जाये कि वैदिक सिद्धान्तों के अनुसार जिनका प्रचार आर्य समाज करता है किसी आर्य की आर्य समाज में प्रवेश करने पर कोई जाति (Caste) नहीं रहती चाहे वह प्रचलित रीति के अनुसार हिन्दुओं की किसी जाति में पैदा हुआ हो। इसलिये उन लोगों की जो अपने को "आर्य" लिखाते हैं कोई जाति नहीं लिखी जा सकती। अतः इसके अनुसार ही सारे भारत वर्ष में

गणना-कर्मचारियों को सूचित किया जावे कि वे कार्य करें और किसी भी आर्य के जाति न बतलाने पर जाति के पूछने पर आग्रह न करें"।

इस प्रस्ताव को एक विशेष पत्र के साथ २०-१२-३० को सेसंज़ कमिश्नर तथा भारत सरकार के पास भेजा गया।

प्रसन्नता की बात है कि गवर्नमेन्ट ने सभा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इसके अनुकूल हिदायतें जारी कर दीं जो कि सेन्सस कमिश्नर के ता० २३ दिसम्बर १९३० के निम्न पत्र से विदित होगी:—

"With reference to the copy of Resolution No.9 of November 23rd forwarded to me with the letter No. 1862 dated the 20th December 1930, I have the honour to say that the Superintendents of Census Operations have been instructed that the Arya Samajists, who object to their caste being recorded, should not be pressed to return their caste."

इस अंग्रेजी पत्र का भाव यह है:—

ता० २३ नवम्बर १९३० के प्रस्ताव सं० ९ की लिपि, जो मेरे पास आपके २० दिसम्बर १९३० के पत्र सं० १८६२ के साथ भेजी गई है, के हवाले से निवेदन है कि मरदुमशुमारी के सुपरिन्टेन्डेन्टों को हिदायत कर दी गई है कि जो आर्य समाजी अपनी जाति न लिखाना चाहें उन्हें अपनी जाति लिखाने के लिये मजबूर न किया जाय"।

समस्त आर्यों की संख्या (प्रान्त बार) सेन्सस कमिश्नर के यहाँ से मंगाई गई। सरकारी मनुष्य-गणना के अङ्कों के रू से भिन्न भिन्न प्रान्तों तथा क्षेत्रों के आर्यों की कुल संख्या ९९०२३३ इस प्रकार है:—

प्रान्त	कुल सं०	पुरुष	स्त्रियां
(१) अजमेर मेरवाड़ा	२६०२	१३६१	१२११
(२) अंडमान नीकोबार	६०	४५	४५
(३) आसाम	१२	११	१
(४) बिलोचिस्तान	३६७८	२५८७	१३६१
(५) बङ्गाल	२०१	१५६	४५
(६) बिहार उड़ीसा	६७६३	३७६४	३०५६
(७) बम्बई	१५५५	६८८	५६७
(८) सिन्ध	१०३६६	५६६२	४७०४
(६) ब्रह्मा	२०४	११२	६२
(१०) मध्य प्रदेश	१२३६	७२२	५१४
(१३) बरार	६००	३२४	२७६
(१२) देहली	५००३०	२८६५५	२१०७५
(१३) मद्रास	१२२	६४	५८
(१४) पश्चिमोत्तर प्रदेश	७७७६	३८७७	३६०२
(१५) पञ्जाब	४२५६६७	२३७६६२	१८८३०५
(१६) संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध	३१६६७६	१७४०३०	१४२६४६
(१७) बिलोचिस्तान स्टेट	७८	५५	२३
(१८) बड़ोदा	२८०१	३५८६	१२१२
(१६) बम्बई की रियासतें	२१	११	१०
(२०) सेन्ट्रल इण्डिया	३०६७	१६२०	१४७७
(२१) मध्य प्रदेश की स्टेट्स	६	३	३
(२२) ग्वालियर	१३०८	६८८	६२०
(२३) हैदराबाद राज्य	३७००	१८६६	१८०४
(२४) जम्बू काश्मीर	६३६४४	५०३४६	४३५६८
(२५) मद्रास स्टेट	३२	१८	१४

(२६) मैसूर स्टेट	४५	३६	६
(२७) उत्तर पश्चिमोत्तर देश की स्टेट	१०	८	२
(२८) पञ्जाब के राज्य	४३८६७	२४२४७	१६६२०
(२६) राजपूताना एजन्सी	११४७१	६१६६	५२७५
(३०) संयुक्त प्रन्त के राज्य	१०५६	६२५	४३४
(३१) पश्चिमी भारतीय राज्य	५५०	२७६	२७४
	६६०२३३	५४७६६४	४४२२६६

परन्तु यह संख्या विश्वास करने योग्य नहीं है, आर्य्यों की वास्तविक संख्या इससे कहीं बहुत अधिक है। क्योंकि शुमार कुनन्दा लोग बड़ी कठिनता से किसी को आर्य लिखते थे जैसा कि इस सभा के प्रधान श्री नारायण स्वामी जी का अनुभव है कि गणना की रात वे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर थे तो रेल के एक कर्मचारी ने जो इसी काम के लिये नियुक्त था, एक घन्टा बाद विवाद करने के बाद तब उन्हें उसने आर्य लिखा था। आगामि मनुष्य गणना से पूर्व उसके अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहिये जिससे कर्मचारीगण इस प्रकार की गड़ बड़ भविष्य में न करें।

(२६) श्रीमद्दयानन्द मेडिकल मिशन

श्रीयुत कैप्टेन डाक्टर रामचद्र रिटायर्ड सिविलसर्जन ने सन् १६३५ में मसूरी में दयानन्द मेडिकल मिशन होस्पिटल की स्थापना की। १६ जून १६३५ को श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज द्वारा मसूरी में मिशन के हस्पताल का उद्घाटन हुआ। कैप्टेन रामचद्र जी ने यह इच्छा प्रकट की कि यह सभा इस मिशन की संरक्षता स्वीकार करे। तदनुसार सभा ने २४ मार्च १६३६ की अंतरंग के निश्चयानुसार इसका संरक्षण स्वीकार किया।

कैप्टेन रामचन्द्र जी की अध्यक्षता में मिशन ने मसूरी के अतिरिक्त गुरुकुल कांगड़ी तथा बिहार प्रान्तर्गत बिहार शरीफ़ नामक स्थान टिहरी 'गढ़वाल राज्य' और गुरुकुल वृन्दावन में कार्य किया जहां लगभग ६०० के अनेक रोगों के औपरेशन हुए और लगभग १६००० व्यक्तियों की साधारण चिकित्सा हुई। मिशन की उपयोगिता को बिहार सरकार के मिनिस्टर तथा टिहरी राज्य के महाराजा आदि अनेक प्रतिष्ठित पुरुषों ने स्वीकार किया और इसके काम की प्रशंसा की है। ६०० के लगभग जो औपरेशन हुए उनमें ६०० के लगभग औपरेशन मोतिया विन्द के थे। औपरेशन प्रायः गरीबों के हुए जो और किसी प्रकार से अपना औपरेशन नहीं करा सकते थे।

कैप्टेन रामचन्द्र जी, जिन्हों ने बहुत सा निज का धन भी खर्च करके मिशन को स्थापना की है और बिना किसी बदले के, औपरेशन और चिकित्सा करते हैं, सभी के धन्यवाद के पात्र हैं और यह मिशन सभी की सहायता का पात्र है।

(२७) आर्यसमाज का स्थापना दिवस

आर्यसमाज का स्थापना दिवस आर्यसमाज के स्वीकृत पर्वों में से एक पर्व है और यह पर्व प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला ५ को पड़ता है। इसी पुण्य तिथि को ऋषि दयानन्द ने बम्बई में १८७५ ई० में अपने हाथों से सबसे प्रथम आर्यसमाज की स्थापना की थी। इस स्थापना द्वारा आर्यों को संगठन और प्रजातन्त्र का क्रियात्मक पाठ पढ़ाया था। यह दिन आर्यसमाज के इतिहास में सर्व प्रथम स्थान और आर्यसमाज के लिये एक विशेष सन्देश रखता है क्योंकि वेद प्रचार की स्थिरता का कार्य यहां से आरम्भ होता है।

इस सभा ने समस्त प्रान्तिक सभाओं की सम्मति से ता० ११ अगस्त १६३५ की अन्तरंग सभा में निश्चय किया कि "यह पर्व समस्त

समाजों में बड़े समारोह के साथ मनाया जाया करे और उस दिन देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर प्रचारार्थ सार्वदेशिक सभा के लिये धन संग्रह किया जाया करे"।

इस पर्व से सम्बन्धित "पर्व पद्धति" में दिये गये कार्यों को लक्ष्य में रखते हुए इस सभा ने इस पर्व के मनाने का कार्य क्रम निम्न प्रकार बनाया हुआ है जिसके अनुसार गत वर्ष से यह दिवस समस्त आर्यसमाजों में मनाया जाने लगा है।

संकीर्तन

(१) प्रातःकाल सब आर्य नर नारी अपने २ ग्रामों वा नगरों में संकीर्तन और उसके बाद हवन करें।

सार्वजनिक सभा

(२) दोपहर वा सायंकाल को (स्वसुविधानुसार) आर्य मन्दिरों इत्यादि में सार्वजनिक सभाऐं की जावें और सभा में पर्व पद्धति के अनुसार प्रथम सरस्वती की स्तुति और महिमा के प्रदर्शक वेदमन्त्रों का पाठ, प्रवचन और व्याख्या हो। तत्पश्चात् आर्यसमाज स्थापना दिवस की स्मृति में आर्यसमाज की स्थापना के इतिहास तथा आर्यसमाज की उपयोगिता पर निबन्ध पाठ, भाषण इत्यादि किये जांए। इसी अवसर पर आर्यसमाज के सदस्यों में वृद्धि की जाय। इसी सभा में धनसंग्रह का कार्य भी किया जाय और मधुर गान, वाद्य और शान्ति पाठ के साथ सभा विसर्जित करदी जाय।

दीपमाला

इसी दिन रात्रि को आर्यसमाजों, आर्यसंस्थाओं और आर्यगृहों में रोशनी की जाय।

नोट—यह भी यत्न किया जाय कि इस दिन अधिक से अधिक संख्या में निकटवर्ती स्थानों में जहां आर्यसमाजें नहीं हैं आर्यसमाजें स्थापित की जावें।

जनता को कुछ पहले ही से इस पर्व को सफलतापूर्वक मनाने की व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिये और यत्न करना चाहिये कि कम से कम ।) प्रति व्यक्ति के हिसाब से इस दिन धन जमा हो और संगृहीत धन सार्वदेशिक सभा के कोष में अमेरिका आदि देशों में प्रचार कार्य की सहायतार्थ, जो इस सभा ने जारी कर रखा है, भेज देवें और सदैव भेज दिया करें।

विश्वास है कि जब यह पर्व्व समस्त समाजों में उत्साहपूर्वक मनाया जाने लगेगा तब इस पर्व की आय द्वीप द्वीपान्तर प्रचार का आंशिक व्यय पूरा करने के योग्य हो सकेगी।

(२८) श्री वत्स पांडया ट्रस्ट

श्रीयुत पं० श्रीवत्स पांडया बी० ए० रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार ग्राम मंडारा गुमसर ताल्लुका ज़िला गंजम (उड़ीसा) के निवासी हैं। उड़ीसा प्रान्त जहां पर अब तक आर्यसमाज का प्रचार बहुत कम हुआ है, वहां पर रहते हुए आप बहुत समय से ऋषि दयानन्द की शिक्षाओं तथा आर्यसमाज के सेवा कार्य से प्रभावित थे। आपको निश्चय था कि उनके पिछड़े हुए प्रान्त उड़ीसा का यदि सुधार हो सकता है तो केवल आर्य समाज ही के द्वारा। जब आपकी सरकारी नौकरी से पेन्शन हो गई तो उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये आपने १५०००) के मूल्य की अपनी एक जायदाद का सभा को ट्रस्टी मुकर्रर कर दिया और नियमानुकूल ता० २६ नवम्बर १६२८ को जायदाद की रजिस्ट्री सभा के नाम करदी। इस ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य हैं:—

(१) गौ रक्षा ।
(२) डेयरी फार्म चलाना।
(३) एक आर्य पाठशाला का यथासम्भव गुरुकुल लाइन पर चलाना।

(४) स्थानीय आर्यसमाज का संगठन करना।

(५) वैदिक धर्म के प्रचारार्थ उड़िया भाषा में एक पत्र का प्रकाशन करना।

श्रीवत्स पांडया जी ने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये गोशाला आर्य धर्मशाला तथा पाठशाला के भवन कुवां तथा बाग़ात आदि बनवा दिये थे। इस भूमि का क्षेत्रफल १० एकड़ है। साथ ही पहिले से स्थापित गोरक्षाश्रम के साथ इस ट्रस्ट में ३० एकड़ भूमि (Landed property) भी है जिसमें खेती होती हैं जिससे लगभग ६००) वार्षिक आय है। यह धन ट्रस्ट के कार्य संचालन में व्यय किया जाता है। सभा ने इस जायदाद का मैनेजर श्रीवत्स पांडया जी को ही नियुक्त किया हुआ है उन्हीं की देख-रेख में अभी ट्रस्ट का सारा कार्य होता है।

सभा ने एक वर्ष तक २५) मासिक के हिसाब से ३००) श्रीवत्स पांडया जी को उड़िया भाषा में निकलने वाले "आर्य्य" पत्र की सहायतार्थ दिये थे। इसके अतिरिक्त १५०=) ट्रस्ट की सभा के नाम रजिस्ट्री कराने में व्यय हुए थे। समय समय पर सभा अब भी इस ट्रस्ट की मद में व्यय करती रहती है।

इस ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा इस प्रकार है:—

आय व्यय सूचक चित्र श्रीवत्स पांडया ट्रस्ट बरहामपुर (उड़ीसा)

सन्	आय	व्यय
१९३१-३२	२४८॥)।	५७५॥)।
१९३२-३३	३९१।=)	४९५।=)
१९३३-३४	२७८)	३००)
१९३४-३५	२७०)	२९५)
१९३५-३६	२९६॥।)	३८०)
१९३६-३७	२२४॥।≡)	३४४॥।≡)॥।
	१७०९॥-)।	२३९०॥।=)

सार्वदेशिक सभा द्वारा ट्रस्ट को जो आर्थिक सहायता दी गई उसका विवरण इस प्रकार है:—

३००)	१६२८-१६२६	२५) मासिक १ साल पर्यन्त
६०)	१६३५-१६३६	
५०।)	१६३६-१६३७	
४४०।)		

(२६) वैदिकाश्रम ऋषिकेश

सन् १६३५ में श्री स्वामी शुक्लानन्द जी विरक्ताश्रम ज्वालापुर के लेखानुसार वैदिकाश्रम के निर्माणार्थ १००० मुरब्बा गज भूमि के दान को इस सभा ने स्वीकार किया था। इस भूमि की सभा के नाम रजिस्ट्री हो गई है। भूमि पर कुछ कुटियां भी बन गई हैं। ११-८-३५ की अन्तरङ्ग सभा के निश्चयानुसार इस आश्रम का प्रबन्ध विरक्ताश्रम ज्वालापुर की प्रबन्ध कर्तृ सभा के आधीन किया हुआ है।

(३०) श्रीमद्दयानन्द सेवा संघ

इस सभा की अन्तरंग सभा ने अपने प्रस्ताव सं० ६ ता० १४ मार्च १६३० के द्वारा श्रीमद्दयानन्द सेवा संघ की स्थापना की थी। संघ के नियम भी बनाये थे जो अन्तरंग सभा के प्रस्ताव सं० ६ ता० २८ अप्रैल १६३२ ई० द्वारा संशोधित हुये थे। संशोधित नियम इस शीर्षक के अन्त में दिये गये हैं। पं० केशवदत्त ज्ञानी विद्यालङ्कार इस संघ के पहले सदस्य हैं जो ३१ अगस्त १६३० ई० को इस संघ में प्रविष्ट हुये थे। उसके बाद पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति ५ जनवरी १६३५ को शरीक हुये। पं० धर्मदेव जी उसके पहले से इस सभा के उपदेशक थे। पं० जी ने चाहा कि उनके आजीवन सदस्य होने की तिथि ५-१-३५ नहीं बल्कि वह समझी जावे जब से वे इस सभा के उपदेशक पद प्रति-

युक्त हुये थे—अन्तरंग सभा ने अपने प्रस्ताव सं० ५ ता० ८-११-३६ के द्वारा उनकी यह प्रार्थना अस्वीकार की।

संघ के नियम इस प्रकार हैं:—

२८-४-३५ की अन्तरंग सभा द्वारा संशोधित नियम

१ **नाम**—इस संस्था का नाम "श्रीमद्दयानन्द" सेवा संघ होगा।

२ **उद्देश्य**—इसका उद्देश्य वैदिक धर्म के योग्य सेवकों को निश्चिन्त हो कर सेवा कार्य करने का अवसर देना है।

३ **शासन**—यह संघ सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के आधीन होगा।

४ **सभासद्**—इस संघ के सभासद या सहायक सभासद् वे नर नारी हो सकेंगे जिन्हों ने प्राचीन या अर्वाचीन शिक्षा, धर्म, विज्ञान, दर्शन आदि या किसी कला में विशेष योग्यता प्राप्त की हो और जिनकी असाधारण लग्न समाज सेवा में हो। यह आवश्यक है कि संघ के प्रत्येक सभासद् और सहायक का विश्वास ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों पर हो और वह किसी आर्य समाज का सभासद हो।

५ **नियुक्ति**—प्रत्येक सभासद् और सहायक उस विधि के अनुसार जिसका विधान इन नियमों के अन्त में किया गया है संघ में प्रविष्ट हो कर अवस्थानुसार दो वर्ष तक शिक्षा पाकर स्थिर हो सकेगा परन्तु निर्वाहार्थ धन प्रवेश समय ही से मिलेगा।

६ **कार्य**—सब सभासद् और सहायक वैदिक धर्म के उपदेशक होंगे। सभा के आदेशानुसार वे प्रचारक, उपाध्याय, अध्यापक, वैद्य, सम्पादक, और अन्य उपयोगी कार्यों पर नियत किये जा सकेंगे।

७ **प्रबन्ध**—(क) इस संघ के प्रबन्ध के लिये अन्तरङ्ग सभा प्रति वर्ष वर्षारम्भ ही में एक उपसभा नियत किया करेगी।

(ख) सभासद् और सहायक को नियुक्त करना तथा पृथक् करने की सिफ़ारिश करने और दण्ड देने का अधिकार दयानन्द सेवा संघ,

को होगा। संघ को यह भी अधिकार होगा कि रहन-सहन आचार व्यवहार इत्यादि के नियम बना सके परन्तु इसका प्रत्याख्यान प्रधान कर सकेगा।

(ग) इस सभा के प्रधान अपने पद के लिहाज से 'दयानन्द सेवा संघ' तथा वर्षारम्भ में नियत होने वाली उपसभा के प्रधान हुआ करेंगे बाकी अधिकारी संघ और उपसभा स्वयं चुना करेगी।

८ निर्वाहार्थ सहायता—सभासद् और सहायकों को निम्न प्रकार से सहायता मिला करेगी।

सभासद्—(क) अविवाहित सभासदों को ४०) मासिक
(ख) विवाहित ,, ७५) ,,
(ग) अविवाहित सहायकों को ३०) ,,
(घ) विवाहित सहायकों को ५०) ,,
(च) देवियों को सभासद होने की दशा में ४०) मासिक
(छ) देवियों को सहायक ,, ,, ३०) ,,

९ विशेष सहायता—सभासद् और सहायकों के प्रत्येक लड़की और लड़के की शिक्षा के लिये निम्न प्रकार विशेष सहायता मिलती रहा करेगी:—

कन्या—७ वर्ष की आयु से लेकर जब तक ब्रह्मचर्य्य पूर्वक शिक्षा ग्रहण करती रहे १०) मासिक।

लड़का—७ वर्ष की आयु से लेकर २४ वर्ष पर्यन्त जब तक ब्रह्मचर्य्य पूर्वक शिक्षा ग्रहण करता रहे—१२) मासिक परन्तु एक समय में किसी सदस्य के ५ तक लड़के लड़कियों को सहायता दी जावेगी।

१० पारिवारिक सहायता—प्रत्येक सभासद् के जीवन काल का बीमा ३०००) और सहायक का २०००) का बीमा सार्वदेशिकार्य सभा

के मन्त्री के नाम कराया जावेगा, मृत्यु होने पर यदि अनिश्चित परिवार छोड़ जावेगा, तो सभा यह धन उस परिवार की सहायता में लगा देगी। अन्यथा यह धन सभा के कोष के उस निधि में चला जायगा जिससे बीमे का धन व्यय होता रहता है।

११ सेवा काल—प्रत्येक सभासद और सहायक के स्थिर होने की तिथि से न्यून से न्यून १८ वर्ष निरन्तर संघ की सेवा करनी होगी। प्रवेश के समय न्यून से न्यून २५ वर्ष और अधिक से अधिक ४० वर्ष की आयु होनी चाहिये।

१२ अवकाश—साधिकार, आकस्मिक तथा रुग्णावकाश सार्वदेशिक सभा के साधारण नियमानुसार मिलेंगे किन्तु रुग्णावकाश में वेतन पूरा मिलेगा।

१३ दीर्घावकाश—१० वर्ष सेवा के बाद सभासद् और सहायकों को एक वर्ष और १८ वर्ष सेवा के बाद एक और वर्ष इस प्रकार १८ वर्ष की सेवा पूरी करने पर कुल दो वर्ष का दीर्घावकाश अर्द्ध वेतन पर मिल सकेगा परन्तु यह दीर्घावकाश का समय नियमित सेवा काल (१८ वर्ष) में न गिना जायगा।

१४—संख्या १३ में वर्णित दीर्घावकाश प्राप्त सभासद् और सहायक विशेष सहायता पूरी पाते रहेंगे।

१५ परवृति—सेवा के अवसान होने पर सभासद् और सहायक को आजीवन अर्द्ध निर्वाहार्थ सहायता मासिक मिलती रहेगी। विशेष सहायता बन्द हो जावेगी परन्तु बीमे का चन्दा सभा नियम पूर्वक देती रहेगी।

६ प्रतिज्ञा—प्रत्येक सभासद् और सहायक को संघ में प्रवेश करते समय अग्निकुण्ड के समीप निम्न प्रतिज्ञायें करनी होंगी:—

(१) मन, वाणी और कर्म से सदैव धर्म और वैदिक संस्कृति के प्रचार में यत्न करता रहूँगा।

(२) मैं सदैव यत्न करूँगा कि पवित्रता का जीवन व्यतीत करूँ।

(३) मैं सेवा काल में अन्य किसी प्रकार से अपनी आय की वृद्धि का यत्न न करूँगा।

(४) मैं सार्वदेशिक सभा के उद्देश्यों की पूर्ति करने और सभा को लोकप्रिय बनाने में भी भरसक प्रयत्न करूँगा।

(३१) प्रोवीडेन्ट फंड

इस सभा की अन्तरङ्ग सभा ने अपने प्रस्ताव सं० ६ ता० ३१ अगस्त १६३० ई० के द्वारा सभा के कर्मचारियों का प्रोवीडेन्ट फंड जारी किया था। प्रसन्नता की बात है कि आशानुसार सभा के कर्मचारियों ने इससे लाभ उठाया और निम्न कर्मचारी इसमें शरीक हुए हैं:—

(१) बाबू शिवचन्द्र सहायक मंत्री आर्य रक्षा समिति।

(२) पं० रघुनाथ प्रसाद पाठक हेड क्लर्क कार्यालय सार्वदेशिक सभा।

(३) बाबू प्रेमचन्द सेकिंड क्लर्क कार्यालय सार्वदेशिक सभा, प्रोवीडेन्ट फंड के स्वीकृत नियम इस प्रकार हैं:—

१. (अ) वेतन से अभिप्राय मासिक तनख्वाह से होगा। भत्ता या मकान का किराया या सवारी का खर्च वेतन न समझा जायगा।

(ब) कर्मचारी से अभिप्राय उन कार्यकर्त्ताओं से होगा जो सार्वदेशिक सभा से स्थिर रीति से वेतन पाने वाले कार्यकर्त्ता हों। अस्थिर और अल्पकालीन कर्मचारी इस में सम्मिलित न समझे जावेंगे।

(स) ब्याज से अभिप्राय उस ब्याज से होगा जो पोस्ट आफ़िस सेविङ्ग बैंक से मिलता है।

२. सभा का प्रत्येक वैतनिक कर्मचारी प्रोवीडेन्ट फन्ड का सदस्य बन सकता है।

३. प्रावीडेन्ट फ़न्ड के प्रत्येक सदस्य के वेतन से –) फ़ी रुपया मासिक काटकर उसके कटे धन का आधा सभा की ओर से मिला कर उसके प्रोवीडेन्ट फ़न्ड में जमा किया जायगा परन्तु १०) से कम की रक़म पर प्रोवीडेन्ट फ़न्ड नहीं काटा जायगा।

४. प्रोवीडेन्ट फ़न्ड का धन पृथक् होने के समय पर प्रत्येक कर्मचारी को निम्न नियमानुसार वापिस कर दिया जायगा। मृत्यु होने की अवस्था में उसके नामनी अथवा नामनी के अभाव में उसके उचित उत्तराधिकारी को दिया जायगा।

५. प्रोवीडेन्ट फ़न्ड की हर एक रक़म पर सेविङ्ग बैङ्क के नियम और शरह से सूद लगाया जायगा।

६. मृत्यु होने के अलावा किसी अवस्था में भी ५ वर्ष से न्यून सर्विस का कोई कर्मचारी सभा प्रदत्त धन तथा उसके ब्याज के पाने का अधिकारी न होगा।

७. किसी कर्मचारी के पृथक् किये जाने की दशा में सभा को पूर्ण अधिकार होगा कि वह अपने प्रदत्त धन और ब्याज को ऐसे कर्मचारी को न दे।

८. कर्मचारी के वेतन से काटे हुए धन को सिवा उस दशा के कि सभा को उससे कुछ लेना या पाना हो, सभा किसी दशा में रख न सकेगी।

(३२) भारती मातृ मन्दिर

इस मन्दिर की स्थापना ग़रीब स्त्रियों का प्रसव तथा चिकित्सा मुफ्त करने के उद्देश्य से की गई थी।

इस सभा की अन्तरङ्ग सभा ने ता० १० मई १९३० के निश्चय सं० ७ के अनुसार इस मन्दिर की संरक्षता स्वीकार की थी।

इस मन्दिर काप्रबन्ध निम्न सज्जनों की एक प्रबन्धकर्तृ सभा के आधीन किया गया:—

(१) श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज
(२) ,, मती डा० कुन्तलकुमारी जी
(३) ,, डा० के. पी. ब्रह्मचारी जी
(४) ,, ,, तुलसीराम जी
(५) ,, ,, आई. एस. एम. बी.
(६) ,, स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी
(७) ,, ला० ज्ञानचन्द जी
(८) ,, ,, नारायणदत्त जी

मन्दिर के निम्न अधिकारी रहे:—

(१) श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज (प्रधान)
(२) ,, मती डा० कुन्तलकुमारी जी (सुपरिन्टेन्डेन्ट)
(३) ,, डा० के. पी. ब्रह्मचारी जी (मन्त्री व कोषाध्यक्ष)

फर्वरी १६३४ तक १६३६६ रोगियों की चिकित्सा हुई जिनमें से ५०० रोगियों को प्रसव तथा औपरेशन के लिये प्रविष्ट किया गया। १५०० बच्चे तथा १६० स्त्रियों की मुफ्त चिकित्सा की गई। परन्तु बाद को इस मन्दिर का कार्य सन्तोषजनक न रहा और इस कारण सभा को इससे सम्बन्ध विच्छेद कर लेना पड़ा।

(३३) श्री गंगाप्रसाद ट्रस्ट

श्री पं. गंगाप्रसाद जी चीफ़जज टेहरी (गढ़वाल) ने एक ट्रस्ट सभा के आधीन २०००) का, इस उद्देश्य से, करने की इच्छा प्रकट की कि सभा उसके ब्याज को गढ़वाल प्रान्त में, स्वीकृत नियमानुसार व्यय किया करे। इस सभा की अन्तरङ्ग सभा ने, अपने प्रस्ताव

सं० ४ ता० ८ नवम्बर १६३६ ई० के द्वारा उसे स्वीकार करके निम्न नियमों की स्वीकृति दी जिसके अनुसार ट्रस्ट का कार्य चलेगा:—

नियम

(१) श्री पं. गंगा प्रसाद जी ने २०००) श्री मती सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को नीचे लिखी शर्तों पर देना स्वीकार किया है।

(२) सभा इस रुपये को किसी अच्छे बैंक में व अन्य स्थान में जमा करेगी जिससे रुपया सुरक्षित रहे और यथा सम्भव अच्छा ब्याज मिल सके।

(३) पूर्वोक्त धन से जो ब्याज प्राप्त हो उसमें से आधा रुपया तक आवश्यकतानुसार आर्य समाज टिहरी को आर्य मन्दिर की वार्षिक मरम्मत के लिये दिया जाये।

(४) शेष रुपया आर्य समाज टिहरी को इस अभिप्राय से दिया जाये कि उससे १) २) ३) तक की मासिक छात्रवृतियां प्रताप हाईस्कूल, हिवेट पाठशाला वा कन्या पाठशाला टिहरी के छात्र और छात्राओं को दी जायें। दलित जाति के छात्र और छात्राओं का अधिकार इन छात्रवृतियों के लिये अन्य छात्र वा छात्राओं से अधिक होगा।

(५) ब्याज का रुपया डा० बेलीराम M. B. B. S. प्रधान आर्य समाज टिहरी के पास अथवा जो प्रधान हों उनके पास प्रतिवर्ष सभा ऊपर लिखे कार्यों के लिये भेजा करेगी।

(६) यदि आर्य समाज टिहरी टूट जाये तो सभा को अधिकार होगा कि इस धन के ब्याज को टिहरी गढ़वाल राज्य के भीतर अथवा ब्रिटिश गढ़वाल में वैदिक धर्म के प्रचार में जिस प्रकार उचित समझें लगावें।

इस ट्रस्ट का धन इस सभा के कोष में जमा हो गया है और नियम पूर्वक, वर्ष समाप्त होने पर, ट्रस्ट की शर्तों के अनुकूल, व्याज यथा स्थान भेजा जायेगा और भविष्य में यही कार्य प्रणाली जारी रहेगी।

(३४) अनुसन्धान विभाग

इस सभा की अन्तरङ्ग सभा ने, अनुसन्धान विभाग की आवश्यकता को अनुभव करते हुए एक प्रस्ताव पर विचार किया और अंत में उसे इस रूप में स्वीकार किया:—

प्रस्ताव सं० ७ ता० १५-१२-१६२६ ई०

"यह विषय पेश हुआ कि सार्वदेशिक सभा आर्यसमाज के विरुद्ध लिखी हुई पुस्तकों के उत्तर देने तथा वैदिक सिद्धान्तों पर अच्छे अच्छे ग्रन्थ लिखवाने तथा अन्य अन्वेषण करने से सम्बन्धित एक विभाग खोले।

विचार के बाद उपर्युक्त विभाग का खोलना निश्चित हुआ और यह निश्चय हुआ कि श्री स्वामी वेदानन्द जी से प्रार्थना की जाये कि वे अपना हैड क्वार्टर देहली बनावें और इस विभाग को अपने चार्ज में रक्खें।"

स्वामी वेदानन्द जी के देहली न आने से इस प्रस्ताव पर अमल कुछ नहीं हुआ इसलिए इस सम्बन्ध में, आवश्यकता को अनुभव करते हुए निम्न प्रस्ताव उसने स्वीकार किये:—

अन्तरङ्ग सभा ता० २३ नवम्बर १६३० ई०

श्री बा० श्यामसुन्दर लाल जी का ता० १२-११-३० का पत्र पढ़ा गया।

सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि वैदिक सिद्धांतों के विषय में समय समय पर जो सन्देह उठते रहते हैं उन पर पूर्णतया विचार और

अनुसन्धान करने के लिये यह आवश्यक है कि सार्वदेशिक सभा के अन्तर्गत ऐसी संस्था (Academy) कायम की जावे जो सिद्धान्तों पर विचार करे और उसके सामने आर्य समाज के सारे विद्वानों को यह अवसर मिले कि वे अपनी अपनी शङ्काएँ और विचार उपस्थित कर सकें। इस संस्था को कायम करने की विस्तृत स्कीम श्री पं. धर्म्मेन्द्रनाथ जी आगामी अन्तरङ्ग सभा में प्रस्तुत करें।

अन्तरङ्ग सभा ता० ३ मार्च सन् १६३१ का निश्चय सं० ४

नोटिस का विषय सं० २ श्री प्रो० धर्मेन्द्रनाथ जी द्वारा प्रस्तावित "अनुसन्धान समिति" की स्कीम अन्तरङ्ग सदस्यों की आई हुई सम्मतियों के सहित पेश हुई। विचार के बाद निश्चय हुआ कि एक उपसभा निम्न महाशयों की बनाई जावे कि वह अनुसन्धान समिति तदर्थ आई हुई स्कीमों पर विचार करके एक ऐसी स्कीम बना कर सभा के सम्मुख पेश करे जिसका कार्य ५०००) एकत्रित होने पर प्रारम्भ किया जा सके। यह भी निश्चय हुआ कि इस कार्य के लिये श्री प्रधान सभा ५०००) एकत्रित करने का उद्योग करें।

(१) श्री बा० श्यामसुन्दरलाल जी (संयोजक)

(२) ,, स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी

(३) ,, पं० घासीराम जी

इस प्रस्ताव को क्रियात्मक रूप मिला और वह रूप यह था कि इस कार्य के लिये कुछ धन एकत्र हुआ और एक विद्वान् श्री पं० प्रियरत्नजी आर्ष नियत किये गये और उनको यह काम सौंपा गया कि चारों वेदों में से ऐसे मन्त्र संग्रह करके, जिनमें यम और पितर अथवा इसी भाव के द्योतक अन्य शब्द आये हों उनके अर्थ ऋषि दयानन्द की शैली से करें। प्रसन्नता की बात है कि काफ़ी

परिश्रम करने से यह पुस्तक तैयार हो गई और विद्वानों की सम्मति लेकर वह पुस्तक छप गई। पुस्तक का नाम यमपितृ परिचय है। जो विद्वान् वेदों में मृतक पित्रों के श्राद्ध का विधान बतलाया करते हैं वे एक भी मन्त्र वेद में से ऐसा नहीं निकाल सकते जो इस पुस्तक में न हो और जिसके शुद्ध अर्थ निरुक्त की शैली से किये हुए इस पुस्तक में न मिल सकें।

अनुसन्धान का यह कार्य जारी रहता परन्तु इसी बीच में अजमेर में हुई ऋषि दयानन्द की निर्वाण अर्ध शताब्दी के अवसर पर लग भग २०० से अधिक विद्वानों ने एक प्रार्थना पत्र इस सभा को दिया और उसके द्वारा प्रार्थना की कि यह सभा चारों वेदों का सरलानुवाद हिन्दी भाषा में करा के प्रकाशित करे।

इस सभा ने भी आवश्यक समझा कि अनुसन्धान विभाग के द्वारा, पहले यही कार्य कराया जावे। इस सरल अनुवाद के सम्बन्ध में इस सभा की अन्तरङ्ग सभा के किये हुए तीन निश्चयों को देखना चाहिये जो आगे लिखे जाते हैं:—

अन्तरङ्ग सभा ता० १० दिसम्बर सन् १९३३ का निश्चय सं० ४

वेद के प्रमाणिक अनुवाद का विषय पेश हुआ। आर्य विद्वानों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र पढ़ा गया। विचार के बाद निश्चय हुआ कि यह सभा इस आवश्यकता को स्वीकार करती है कि वेद का सरल भाषानुवाद होना चाहिए और यह भी कि यह सभा श्री प्रधान जी से प्रार्थना करती है कि वे श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी से परामर्श करके किसी विद्वान् को नियत कर देवे जो इस सम्बन्ध में अपनी विस्तृत स्कीम बना कर इस सभा में भेज दें।

अन्तरङ्ग सभा ता० ८ दिसम्बर सन् १९३५ का निश्चय सं० ५

वेदों के सरल अनुवाद का विषय पेश हुआ। विचार के बाद निश्चय हुआ कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त को लिखा जाय कि दयानन्द निर्वाण अर्द्ध शताब्दी (अजमेर) के अवसर पर आर्य विद्वानों ने एक सम्मिलित प्रार्थना पत्र इस सभा को दिया था जिस में प्रार्थना की थी कि यह सभा चारों वेदों का शीघ्र से शीघ्र एक सरल अनुवाद करा के प्रकाशित करे। इस सभा ने इसलिए इस काम को अपने हाथ में लेकर विद्वानों से सम्मति मांगी थी। इस बीच में इस काम को उक्त दोनों सभाओं ने भी करने की घोषणा की। तीन जगह इस काम का होना सर्वथा अनुचित तथा धन और शक्ति का दुरुपयोग होगा इसलिए दोनों सभाओं से पूछा जाए कि भविष्य में उन की सम्मति में किस प्रकार यह कार्य किया जाना चाहिए ?

अन्तरङ्ग सभा ता० २६ जनवरी सन् १९३६ का निश्चय सं० २

वेदों के सरल अनुवाद का विषय पेश हुआ। आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब तथा संयुक्त प्रान्त के पत्र पढ़े गए। विचार के बाद सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने के लिए निम्न सज्जनों की एक उपसमिति बनाई जाये :—

(१) श्री महात्मा नारायण स्वामी जी

(२) ,, आचार्य रामदेव जी

(३) ,, स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी

इस उपसभा ने कोई कार्य इसलिए नहीं किया या नहीं कर सकी कि पञ्जाब तथा संयुक्त प्रान्त की सभाओं ने वेद के भाष्य कराने के काम को रोका नहीं अपितु जारी रक्खा। जिन दो वेदों का अनुवाद

उपर्युक्त दोनों सभा करा रही हैं उनके कुछ भाष्य होजाने पर यह सभा देखेगी कि उनसे सरलानुवाद का मुतालवा पूरा होता है तब तो वे ही सरलानुवाद समझ लिए जावेंगे अन्यथा यह सभा फिर दूसरे प्रकार का कोई विचार करने के लिए बाधित होगी।

(३५) कन्या गुरुकुल

सन् १९१८ ई० में कन्या गुरुकुल के संचालकों ने, जो इस समय देहरादून में है और उस समय देहली में था, इस सभा से प्रार्थना की कि वह उसे अपने अधिकार में लेकर चलावे। इस पर अन्तरङ्ग सभा में विचार हुआ। कतिपय सदस्यों की उस समय सम्मति थी कि इस सभा को उसे नहीं लेना चाहिये परन्तु अन्तरङ्ग सभा ने बहुपक्ष से उसका लेना निश्चय किया (देखो प्रस्ताव सं० ६, ता० २० सितम्बर १९१८ ई०) और एक उपसभा गुरुकुल प्रवन्धकर्तृ सभा के संगठन आदि के लिये बनादी गई जिसके संयोजक स्वर्गीय पं० घासीराम जी एम० ए० थे। प्रबन्धकर्तृ सभा के बनाने में एक रुकावट थी और वह यह कि इस सभा के नियमानुकूल इस सभा के सदस्यों ही की उपसभा बन सकती थी इसलिये इस सभा के असाधारण (नैमित्तिक) अधिवेशन ने, जो २७ दिसम्बर १९१८ ई० को संगठित हुआ था, अपने प्रस्ताव सं० २ द्वारा, निम्न संशोधन स्वीकार किया:—

नियम सं० ३० संशोधित होकर इस प्रकार कर दिया जावे:—

"अन्तरङ्ग सभा को अधिकार होगा कि किसी विशेष कार्यार्थ सार्वदेशिक सभा के सभासदों, संयोजित प्रान्तिक सभा के सभासदों तथा उनसे सम्बन्धित आर्य समाजों के आर्य सभासदों में से उपसभा बनावें।"

नोट—सभासदों शब्द में स्त्री पुरुष दोनों समझे जावेंगे। अन्तरङ्ग सभा ने अपने प्रस्ताव संख्या २ ता० २६ जनवरी १९१९ के द्वारा पाठ-

विधि भी कन्या गुरुकुल की बना दी और उसके लिये भूमिक्रय करने पर भी विचार किया गया। २० अप्रैल १९१९ ई० की अन्तरङ्ग सभा ने कुंवर हुक्मसिंह जी से, जो उस समय इस सभा के प्रधान थे प्रार्थना की कि वे अपना कुल समय इस संस्था के लिये धन संग्रहार्थ देवें।

इसके बाद २९ फरवरी सन् १९२० ई० की अन्तरङ्ग सभा ने अपने प्रस्ताव सं० २ द्वारा निश्चय किया कि सेठ रघूमल जी यह चाहते हैं कि कन्या गुरुकुल का काम एक ट्रस्ट के आधीन कर दिया जावे, इसलिये यह सभा जनरल सभा से सिफारिश करती है कि जब सेठ जी कोई ट्रस्ट बना देवें तो जो धन कन्या गुरुकुल के लिये आया हो, कागजात सहित उस ट्रस्ट के हवाले कर दिया जावे। जनरल सभा ने अपने प्रस्ताव सं० ७ ता० २४ सितम्बर सन् १९२१ ई० के द्वारा अन्तरङ्ग सभा की सिफ़ारिश स्वीकार करली और प्रस्ताव सं० ८ के द्वारा निश्चय किया कि जो भूमि गुरुकुलार्थ सेठ रघूमल के धन से क्रय की गई है वह तथा बाकी धन भी लौटा दिया जावे।

अन्त में ट्रस्ट बनाने की जगह निश्चय यह हुआ कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब यह गुरुकुल खोले और इसलिये अन्तरङ्ग सभा के प्रस्ताव सं० ४ ता० २ मई १९२६ ई० के द्वारा जो धन इस निधि का इस सभा के कोष में था, पंजाब की सभा में भेज दिया गया और यह प्रकरण इस प्रकार समाप्त हो गया।

(३६) क्या कोई आर्यसमाज का सदस्य रहते हुए थियो सोफ़ीकल सुसाइटी का सदस्य हो सकता है ?

१९२८ ई० में कुछेक कारणों से यह प्रश्न उठा कि क्या कोई व्यक्ति, आर्य समाज का सदस्य रहते हुए, थियो सोफ़ीकल सुसाइटी

का भी मेम्बर हो सकता है। इस विषय पर अच्छा खासा वादविवाद, उस समय आर्य समाजों में हुआ। उस विवाद को समाप्त करने के लिये, इस सभा के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी व्यवस्था दे वे। इस के लिये सभा ने यह आवश्यक समझा कि प्रान्तिक सभाओं की सम्मति प्राप्त करके उन के देखने के बाद ही अपनी सम्मति बनावे। तदनुसार उनकी सम्मतियां आईं और सभा ने उन पर आवश्यक विचार करने के बाद, अपनी व्यवस्था निषेध परक दी। सभा का स्वीकृत प्रस्ताव इस प्रकार है:--

अन्तरङ्ग सभा का प्रस्ताव सं० ३ ता० २१-६-१६२८ ई०

नोटिस का विषय सं० २ प्रविष्ट हो कर यह विषय उपस्थित किया गया कि थियो सोफ़ीकल सोसाइटी का सभासद् रहते हुए कोई पुरुष आर्य समाज का सभासद् भी रह सकता है या नहीं? इस पर विचार किया गया और संयुक्त प्रान्तीय आर्यप्रतिनिधि सभा की भेजी हुई पं. गंगाप्रसाद एम. ए. तथा बाबू पूर्णचन्द्र बी. ए. की सम्मति पढ़ी गई। पं. घासीराम जी एम. ए. ने प्रस्ताव किया कि यद्यपि थियो सोफ़ीकल सोसाइटी के प्रकाशित तीन उद्देश्य आर्य समाज की शिक्षा के विरुद्ध नही हैं प्रत्युत उसके अन्तर्गत हैं परन्तु जो शिक्षा उक्त सोसाइटी देती है और उसकी पुस्तकों में उपलब्ध होती है वह अनेक अँशों में आर्य सिद्धान्तों के विरुद्ध और भ्रान्त विश्वासों की प्रसारक है। इस पर और आर्य समाज और उक्त सोसाइटी के संबन्ध के पूर्व इतिहास पर दृष्टि डालते हुए इस सभा की सम्मति में किसी आर्य समाज के सभासद् का उक्त सोसाइटी का सभासद् होना अनुचित है और आर्य समाज के लिये हानिकारक है। बाबू मदन मोहन सेठ एम. ए. ने पुष्टि की। सर्व्व सम्मति से स्वीकार हुआ।

इस प्रकार इस सभा के उपर्युक्त व्यवस्था देने से यह विवाद समाप्त हो गया।

(३७) महात्मा गान्धी और आर्यसमाज

महात्मा गान्धी ने २८ मई १९२४ ई० के, अपने अंग्रेजी अखबार यंग इण्डिया में एक लेख "हिन्दू मुसलिम वैमनस्य, उसका कारण और इलाज" शीर्षक से लिखा था। लेख में आर्यसमाज और उस के संस्थापक ऋषि दयानन्द के सम्बन्ध में कुछ भ्रम पूर्ण बातें लिखी गई थीं। लेख का उपयोगी भाग इस प्रकार है:—

स्वामी श्रद्धानन्द

"स्वामी श्रद्धानन्द जी पर भी अविश्वास किया जाता है। मैं जानता हूँ कि उन की वक्तृतायें, बहुधा असन्तोष पैदा करने वाली होती हैं। परन्तु वे भी हिन्दू मुसलिम मेल के इच्छुक हैं। दुर्भाग्य से उन्हें, इस बात की सम्भावना पर विश्वास है कि वे प्रत्येक मुसलमान को आर्य बना सकेंगे। ठीक उसी तरह जैसा बहुधा मुसलमान समझते हैं कि एक दिन समस्त मुसलिमेतर, मुसलमान हो जावेंगे।

श्रद्धानन्द जी निडर और बहादुर हैं। उन्होंने अकेले ही, पवित्र गंगा तट पर, एक शानदार रहाइशी कालिज (गुरुकुल कांगड़ी) बना दिया था। उन्हें अपने आप पर और अपने मिशन पर विश्वास है। परन्तु वे उतावले हैं और अपने इसी उतावले पन से शीघ्र नाराज़ हो जाते हैं। उन्होंने आर्य समाज की रवायात, (रंग ढंग) विरासत में प्राप्त की है।"

स्वामी दयानन्द सरस्वती

मेरे हृदय में, स्वामी दयानन्द सरस्वती के लिये, बड़ा मान है। मैं समझता हूँ कि उन्हों ने हिन्दू धर्म की भारी सेवा की है। उनकी वीरता में सन्देह करने की गुंजाइश नहीं है। परन्तु उन्हों ने अपने धर्म को संकुचित बनादिया है। मैंने आर्य समाजियों की वाइबिल "सत्यार्थ प्रकाश" को पढ़ा है। जब मैं यरबदा जेल में आराम कर

रहा था तो कुछेक मित्रों ने, उसकी तीन कापियाँ मेरे पास भेजी थीं। मैंने इतने बड़े सुधारक के रचे ऐसे निराशा जनक किसी ग्रन्थ को नहीं पढ़ा। स्वामी दयानन्द ने सत्य और केवल सत्य पर खड़े होने का दावा किया है। परन्तु उन्हों ने अनजान से, जैन धर्म, इसलाम, ईसाइयत और स्वयं हिन्दू धर्म को, अशुद्ध रूप में. प्रकट किया है। जिन व्यक्तियों को इन मतों का सरसरी ज्ञान भी है, वे सुगमता से इन अशुद्धियों को, मालूम कर सकते हैं। जिन में, इस महान सुधारक को, डाला गया है। उन्होंने पृथ्वी तल पर, अत्यन्त सहिष्णु और स्वतन्त्र सम्प्रदायों में से, एक (हिंदू सम्प्रदाय) को, संकुचित बनाने का प्रयत्न किया है। यद्यपि वे मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे परन्तु एक अत्यन्त सूक्ष्म रूप में मूर्तिपूजा का बोलबाला करने में, सफ़ल हुए हैं। उन्होंने वेदों के शब्दों की, मूर्ति बना दी है और वेदों में, विज्ञान प्रतिपादित प्रत्येक विद्या के होने के प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। मेरी सम्मति में, आर्य समाज, सत्यार्थप्रकाश की शिक्षाओं की उत्तमताओं से, उन्नत नहीं हो रहा है अपितु उसकी उन्नति का कारण, उसके संस्थापक का विशुद्ध चरित्र है। आप जहां कहीं भी आर्यसमाजियों को पावेंगे वहां जीवन और जागृति मिलेगी। परन्तु संकुचित विचार और लड़ाई झगड़े की आदत से अन्य सम्प्रदाय वालों से लड़ते रहते हैं और जहां ऐसा नहीं वहां स्वयं आपस में लड़ते हैं। स्वामी श्रद्धानन्द जी को भी, इस अभ्यास का अधिकांश मिला हुआ है, परन्तु इन सब त्रुटियों के होते हुए भी, मैं उन्हें (स्वामी श्रद्धानन्द को) ऐसा नहीं समझता जिसके लिये (सुधार की) प्रार्थना न की जा सके। सम्भव है कि आर्य समाज और स्वामी (श्रद्धानन्द) जी इस लेख से अप्रसन्न हों परन्तु यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरा उद्देश्य किसी को अप्रसन्न करना नहीं। मैं आर्य समाजियों के साथ प्रेम रखता हूँ क्योंकि उन में से कई मेरे सहकारी हैं। और मैंने स्वामी (श्रद्धानन्द)

जी से उस समय प्रेम करना सीखा था, जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था। यद्यपि अब मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ तो भी उनसे कम प्रेम नहीं करता हूँ। यह मेरा प्रेम ही है जिससे ये बातें मैंने कही हैं।

सार्वदेशिक सभा की ओर से प्रतिवाद

सार्वदेशिक सभा की अन्तरङ्ग सभा का, एक विशेष अधिवेशन, १७ जून १९२४ ई० को मन्सूरी में, उपर्युक्त लेख पर विचार करने के लिये बुलाया गया। इस अधिवेशन में लेख पर भली भांति विचार करने के बाद निश्चय हुआ कि इस सभा की ओर से प्रतिवाद समाचार पत्रों में छपवाया जावें।

तदनुसार प्रतिवाद तैयार किया गया और प्रोफ़ेसर रामदेव जी ने, सभा की आज्ञानुसार वह प्रतिवाद तैयार किया। गांधी जी का लेख उनके अंग्रेजी अखबार में छपा था इसलिये प्रतिवाद भी अंग्रेजी में तैयार किया गया और देश के बहुधा अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू आदि भाषाओं के समाचार पत्रों में छपवाया गया।

यहां वह प्रतिवाद पहले अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है उसके बाद उसका अनुवाद दिया जायगाः—

Mr. Gandhi and the Aryasamaj

Sarvdeshik Sabha's Manifesto

Mussoori, June 18, 1924.

The Sarvadeshik Sabha, (All India Aryan League) in its emergent meeting held on the 17th at Musoorie and attended by prominent Aryasamajists and leaders carefully considered the attacks made by Mahatma Gandhi on the Arya Samaj and after a prolonged discussion unanimouly adopted the following manifesto :—

The Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha has read with pain and surprise the absolutely irrelevent and uncalled for remarks of Mahatma Gandhi about the Arya Samaj in the Statement on Hindu-Muslim tension published in **Young ndia** for May 29. 1924. The Aryasamajists along with other *communities* in India regard Mahatmaji as the most revered political leader in the country, commanding the respect and reverance of all sections of the population. It is, therefore, most distasteful for the Sabha to have to protest against a new item in his destructive programme. Mahatmaji has delivered an attack upon the religion of the Aryasamaj in a document which is purely political. The Sabha ventures to submit that such attacks upon religion in political documents constitute a novel procedure for a political leader of all *communities* to adopt and a dangerous precedent which if followed will set the whole country ablaze and divide into hostile camps, warring against one another. Mahatmaji's remarks have instead of easing the situation introduced fresh complications.

Apart from the merits of the unfortunate controversy needlessly started by Mahatmaji it must be acknowleged by all fair-minded people that the Aryasamajist political workers may very well find their loyalty to their chief in constant danger unless the demolition of certain principles of their religion and the discrediting of their religious propaganda ceases to be an item in his political programme. Be it noted that Mahatmaji

has unequivocally declared that the offending remarks have been deliberately made because they were strictly relevant to the situation in the country. In other words Hindu-Muslim unity is impossible so long as the Arya Samaj believes the letter of the Veda to be eternal and does not repudiate the teachings of the *Satyarth Prakash.* As regards the merits of the metaphysical and religious issues raised, the Sabha is at a loss to think what to say. The Mahatma has delivered *ipse dixits* in a dogmatic tone and has not sought to substantiate his statement. Under the circumstances all that the Sabha can do is to reiterate that belief in the eternity of the Vedas did not emanate from Rishi Dayanand. It has been the reasoned belief of all the *upanishadkaras*, the authors of the six systems of Indian philosophy and of all the medieval Acharyas like the great *Shankara*, the profound Ramanuja and the versatile Madhava. Mahatma Gandhi's statement that this doctrine was derived by Rishi Dayanand's brain only shows that he has not even a superficial acquaintance either with the essentials and fundamentals of Aryan (Hindu) philosphy or with the history thereof. Mahatma Gandhi is wrong in the view that definiteness makes for narrowness and vagueness and indefiniteness constitute liberalism. He seems to think that because popular Hinduism before Dayananad had no distinctive feature and every man, no matter what the form of his belief or unbelief was, could be called Hindu, Hinduism was then liberal. The Sabha

venture to say that it was *non-descript* and therefore *non est* for all practical purposes.

Again proselytisation has always been an essential part of the Vedic Dharma. The Purans and Indian history testify to the fact that on various occasions tens of thousands of non-Hindus were taken into the Vedic fold. The Vedic religion is essentially and fundamentally a cosmopolitan, universal and missionary religion. The Aryasamaj as a body has never countenanced the objectionable methods of proselytisation which Mahatma Gandhi regards characteristically christian and whenever and wherever individual Aryasamajist and Arya Samaj'as have adopted them to any extent they have departed from the spirit of the teachings of their illustrious Acharya Dayananda, the apotheosis of truth, purity, and probity, The last four chapters of *Satyarth Prakash* were written to advance the cause of truth and the Rishi's sole object in writing them was love for the people of all creeds and his desire that they should renounce error and learn to make universal Dharma their guiding principle in life. Leading exponents of the religions criticised by the great sage have driven by the spirit of the times to re-state and re-interpret doctrines which appeared inconsistent with universal Dharma. It is hardly fair to conclude that the Rishi's criticism was not valid at the time it was made. The Rishis' great Hindu, Muslim and Christian contemporaries knew full well and acknowldged the great Rishis'

heart was full of love for his kind, ray for all sentient creatures and harboured no ill-will against any of his Father's children. He was one of the most liberal religious reformers of all time.

The Sabha regrets that Mahatma Gandhi should have given currency to the defamatory, malicious and absolutely unfounded statement that the Aryasmajists abduct women for purposes of conversions. A responsible leader like Mahatma Gandhi ought to have known better than to have published the allegation without proper enquiry. This method of inviting repudiation is certainly open to objection and is calculated to create unreasonable prejudice. The Sabha desires to place on record that the following remarks of Mahatma Gandhi about Rishi Dayanand have justly caused widespread resentment: 'has claimed to stand for truth and nothing less but he has unconsciously misrepresented Jainism, Islam, Christianity and Hinduism itself. On having even a cursory acquaintance with these faiths could easily discover the error into which the great reformer was betrayed," They are highly derogatory to the Rishi and are an unwarranted reflection upon the greatest Vedic scholar of his age, whose deep erudition, profound learning, extensive study, keen analytical powers and massive and gigantic intellect are beyond question,. The Sabha expects that Arya Samajists will, while emphatically protesting against Mahatmaji's irrelevant and unjustified attacks upon their religion, never fail to speak

and write of him with the respect due to a personality so great and a character so lofty.

Narayan Swami
President.

महात्मा गांधी और आर्य समाज

सार्वदेशिक सभा का ऐलान

ता० १८ जून १६२४

सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा ने महात्मा गांधी जी के उन नितान्त अप्रासंगिक और अवांछनीय वचनों को जो उन्होंने हिन्दू मुस्लिम तनाव से सम्बन्धित विज्ञप्ति द्वारा ता० २६ मई १६२४ के "यंग इण्डिया" में प्रकाशित किये हैं, अत्यन्त दुःख और आश्चर्य के साथ पढ़ा है। आर्यसमाजी भारत वर्ष के अन्य समुदायों के साथ साथ महात्मा गांधी को, देश का सब से माननीय राजनैतिक नेता समझता है। अतः आर्यसमाज के लिये यह बहुत ही अप्रिय है कि वह उनके विनाशात्मक प्रोग्राम में एक नई बात के विरुद्ध आवाज़ उठाये। महात्मा जी ने उस लेख में, जो निरा राजनैतिक है, आर्यसमाज के धर्म पर आघात किया है। सभा यह कहने का साहस करती है कि राजनैतिक लेखों द्वारा धर्मों पर, इस प्रकार का आघात, एक राजनैतिक नेता के लिये धारणकरने का, एक अनोखा ढंग और भयानक उदाहरण है, जिसके ऊपर यदि अमल किया गया तो वह समस्त देश को उत्तेजित कर देगा और उसे विरोधी दलों में विभाजित कर एक दूसरे को लड़ा देगा। महात्मा जी के इन वचनों ने परिस्थिति को सुधारने की बजाय नई उलझनों का समावेश कर दिया है।

इस अभागे विचार के प्रभावों को छोड़ कर, जिसे महात्मा जी ने सर्वथा अनुचित रूप से आरम्भ किया है, तमाम समझदार लोग अवश्य स्वीकार करेंगे कि आर्यसमाजी राजनैतिक कार्यकर्ता अपने

नायक के प्रति निश्चल भक्ति को, उस समय तक निरन्तर खतरे में पायेंगे, जब तक कि उनके (महात्मा जी के) राजनैतिक प्रोग्राम में से आर्यसमाजियों के कुछेक धार्मिक सिद्धान्तों का विरोध और उनके धार्मिक आन्दोलन को बदनाम करना बंद न हो जावेगा। यह बात नोट कर लेनी चाहिये कि महात्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने आर्यसमाजियों के हृदय को चोट पहुँचाने वाले वाक्यों का जान बूझ कर प्रयोग किया है क्योंकि उनकी सम्मति में वे देश की परिस्थिति से सम्बन्धित हैं। दूसरे शब्दों में (महात्मा जी के लिये) हिन्दू मुस्लिम एकता, उस समय तक असम्भव है, जब तक कि आर्यसमाज वेदों के शब्दों के अनादित्व में विश्वास रखता है और सत्यार्थप्रकाश की शिक्षाओं को मानता है। आध्यात्मविद्या से सम्बंधित जिन धार्मिक प्रश्नों को महात्माजी ने उठाया है, उन्हें, उन्होंने प्रमाणों से पुष्ट किये बिना ही रूढ़िवाद के ढंग से बयान किया है। ऐसी दशा में सभा यही कर सकती है कि वह इस बात को दोहराये कि वेदों के अनादित्व के विश्वास का जन्म ऋषि दयानन्द से नहीं हुआ। यह युक्तियुक्त विश्वास तो समस्त उपनिषद्कारों, समस्त दर्शनों के रचयिताओं और शंकर, रामानुज, माधव तमाम मध्यकालीन आचार्यों का रहा है (कि वेद अनादि हैं)। महात्मा गांधी का बयान कि यह (वेद के अनादित्व का) सिद्धान्त ऋषि दयानन्द के मस्तिष्क की उपज है, इस बात को साफ़ तौर से प्रकट करता है कि वे न तो हिन्दुओं के धार्मिक ग्रन्थों का ज्ञान रखते हैं और न उनके इतिहास की जानकारी रखते हैं। महात्मा गांधी का यह विचार भी ग़लत है कि सिद्धान्तों में दृढ़ होना किसी सम्प्रदाय को संकुचित बनाता है और सिद्धान्तों में अस्थिर और अनिश्चित होना उदार बनाता है। महात्मा गांधी कदाचित् ऐसा समझते हैं कि हिन्दुओं के परिमित सिद्धान्त न होते और जिसका जी चाहे उसे मान कर हिन्दू कहलाने से वह हिन्दू मत की उदारता का

रूप था। इस पर इस सभा का कहना यह है कि परिमित न होने से हिन्दू सम्प्रदाय के सिद्धान्त क्या है किसी पर प्रकट नहीं किया जा सकता था और इसलिये क्रियात्मक रूप देने के लिये वह (हिन्दू सम्प्रदाय) सर्वथा अयोग्य था।

शुद्धि करना वैदिक धर्म का सदैव से एक आवश्यक अंग रहा है। पुराण और भारतीय इतिहास इस बात का समर्थन करते हैं कि बहुत से अवसरों पर लाखों ग़ैर हिन्दू वैदिकधर्म में सम्मिलित कर लिये गये। वैदिक धर्म अवश्य ही मौलिक रूप से एक समय विश्वभर का मिश्नरी धर्म था आर्यसमाज ने अनुचित ढंग से शुद्धि का कभी समर्थन नहीं किया। शुद्धि के जिस ढंग को महात्मा गांधी ईसाइयों की नक़ल समझते हैं असल में वह वैसा नहीं है। जब कभी और जहाँ कहीं शुद्धि की गई सभ्यता और पवित्रता के साथ की है। यदि कहीं किसी ने इसके विरुद्ध अमल किया है तो उसने अपने को उत्कृष्ट आचार्य दयानन्द की शिक्षाओं से पतित किया है। सत्यार्थप्रकाश के अन्तिम चार सम्मुल्लास सत्य के पक्ष को आगे बढ़ाने के लिये ही लिखे गये थे और ऋषि का मुख्य उद्देश्य उनके लिखने से तमाम मतमतान्तरों के मनुष्यों के लिये प्रेम प्रकट करना ही था। उनकी यह इच्छा थी कि वे लोग असत्य को त्याग कर सार्वभौमिक धर्म को अपने जीवन में अपना पथप्रदर्शक बनावें क्योंकि इन मतमतान्तरों के अनेक सिद्धान्त सार्वभौमिक धर्म के नियमों के विरुद्ध थे। इससे यह परिणाम निकालना ठीक नहीं कि ऋषि दयानन्द ने जो आलोचना की वह अनुचित और समयानुकूल नहीं थी। ऋषि के महान व्यक्तित्व के लिये उस समय के हिन्दू मुसलमान और ईसाई सभी पुरुष इस बात को भली प्रकार जानते थे और स्वीकार करते थे कि महर्षि का हृदय केवल अपने जैसे विचार वालों के ही लिये प्रेम से परिपूर्ण नहीं था अपितु उनका प्रेम प्राणिमात्र के लिये था और उनके हृदय में

परमात्मा की सन्तान में से किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं था। ऋषि संसार के सबसे महान उदार धार्मिक सुधारकों में से एक थे। सभा को इस बात पर अत्यन्त खेद है कि महात्मा गांधी ने अपमान-सूचक, द्वेषपूर्ण और अपने सर्वथा मिथ्या बयान द्वारा यह फैलाया है कि आर्यसमाजी धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से स्त्रियों को भगाते हैं। महात्मा जी जैसे जिम्मेवार नेता को बिना तहकीक़ात किये इस प्रकार का झूठा बयान प्रकाशित कर देने से पूर्व यह सब कुछ अच्छी तरह से जान लेना चाहिये था कि इसमें कहां तक सत्यता है।

यह सभा इस बात को रिकार्ड पर रखना चाहती है कि महात्मा गांधी के ऋषि दयानन्द के सम्बन्ध में निम्न वाक्यों ने बड़ा रोष फैला दिया है—"ऋषि दयानन्द का दावा था कि वह सच्चाई के लिये खड़े हुये हैं परन्तु उन्होंने अनजान से जैन, इस्लाम, ईसाईयत और हिन्दुत्व को ग़लत तरीके से पेश किया है। इन मतों से एक सरसरी जानकारी प्राप्त करने के बाद यह त्रुटि आसानी से मालूम हो सकती थी जिसमें इतना बड़ा सुधारक धोखे से पड़ गया।" यह शब्द ऋषि के मान को घटाने के उद्देश्य से लिखे गये हैं और अपने समय के सबसे बड़े वैदिक विद्वान् पर, जिनका गहरा पाण्डित्य, अगाध विद्या, विशाल स्वाध्याय, तेज़ विश्लेषण शक्ति, अतुल बुद्धि पर सन्देह नहीं हो सकता, यह अनुचित आक्षेप है।

यह सभा आर्यसमाजियों से यह आशा रखती है कि जिस समय वे महात्मा गांधी के उनके धर्म पर किये गये अप्रासंगिक और अनुचित प्रहारों का विरोध करें उनके व्यक्तित्व का जिस आदर का वह पात्र है ध्यान में रक्खें।"

प्रसन्नता है कि इस सभा की इस घोषणा को देश के प्रायः सभी अख़बारों ने, अपने अपने कालमों में छापा और अपनी सम्मति प्रकट की कि गांधी जी का यह विवादास्पद लेख अवांछनीय था और

इस प्रकरण में इसका उल्लेख सर्वथा अनुचित था और उन्होंने हृदय खोलकर आर्यसमाज की ओर सहानुभूति का हाथ बढ़ाया। आर्यसमाजों, प्रसिद्ध आर्य पुरुषों और देश के अन्य नेताओं ने भी, इस लेख के विरुद्ध आवाज़ उठाई और गांधी जी के पास प्रस्तावों और पत्रों के ढेर पहुँच गये।

गांधी जी ने क्यों यह लेख लिखा इसका कारण बुरी मनोवृत्ति प्रतीत होती है जिससे प्रेरित होकर कांग्रेस के प्रायः अधिकांश नेता, कांग्रेस में शरीक करने के लिये मुसलमानों को उचित अनुचित सभी तरह से प्रसन्न करने का यत्न किया करते रहते हैं। जिस समय यह लेख लिखा गया उस समय कतिपय मौलाना नित्यप्रति गांधी जी के साथ रहते और उनकी नाक का बाल बने हुये थे, उनका प्रभाव भी सम्भव है लेख का कारण हो। गांधी जी के लेखों में से कुछेक उद्धरण नीचे दिये जाते हैं जिनसे यह प्रकट होगा कि गांधी जी को मुसलमानों को ख़ुश करने की कितनी चिन्ता थी:—

(१) "मैं मुसलमानों के निमित्त अत्यन्त कष्ट सहने के लिये जो तय्यार होगया था, उसका प्रयोजन स्वराज्य तो था ही और यह तो मामूली बात थी परन्तु इससे गाय की रक्षा करना भी इष्ट था।"

(नवजीवन २६-१-१६२५)

(२) "इसलिये मैं आज मुसलमानों का साथ दे रहा हूँ कि उन्हें दुःख न पहुँचे। उनकी खुशामद करता हूँ और यह इस लिये कि उनका धर्मभाव (ईमान) जागृत हो।" (नवजीवन २६-१-२५)

(३) जब पश्चिम अन्धकार और अप्रसिद्धि के गर्त में पड़ा था, पूर्वी क्षितिज पर एक तारा चमका और समस्त संसार को उसने प्रकाश और सुख पहुँचाया। इसलाम कोई झूठा मज़हब नहीं है अगर हिन्दू इसे सच्चे दिल से सन्तोष के साथ पढ़ें तो वे इसका उतना ही मान करेंगे जितना कि मैं करता हूँ। (यंग इण्डिया २६-५-१६२४)

नोट—इस पर जब मुसलमानों ने कहा कि वे गांधी जी) मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, तो गांधी जी ने इसका निम्न उत्तर दिया:—

"मुझे तो इसलाम में गुण दिखलाई दिये इसलिये मैंने कहा कि वह झूठा धर्म नहीं है। यह कहने की ज़रूरत इसलिये हुई कि इसलाम पर आक्रमण होते हैं और मुसलमान भाईयोंसे मैं मैत्री रखना चाहता हूँ। इसलिये मैंने उनके धर्म का बचाव किया। सबको अपना धर्म औरों से श्रेष्ठ मालूम होता है। इसी न्याय के अनुसार हिन्दू धर्म मुझे झूठा नहीं मालूम होता वरन सबसे श्रेष्ठ ही मालूम होता है।

(नवजीवन ८-६-१६२४)

(४) लखनऊ के मौलाना अब्दुलवारी ने एक जगह लिखा कि "हम शुद्धि के आन्दोलन को कुचलने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करेंगे और इसको हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं × × × मैं स्पष्ट निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक विपक्षी तथा शत्रु से यहां तक कि अंगरेजों से भी सन्धि हो सकती है; परन्तु इसलाम के छोड़ने वालों से नहीं हो सकती"। (मुसलमानों के नाम खुली चिट्ठी पृष्ठ ४८) स्वामी श्रद्धानन्द ने, बम्बई के अपने एक भाषण में जब इसका जिक्र किया तो उसके उत्तर में, मौलाना अब्दुलवारी ने स्वीकार किया कि "सांप और बिच्छुओं से हमारी सन्धि हो सकती है परन्तु इसलाम छोड़ने वालों और छुड़ाने वालों (हिन्दुओं से) सन्धि नहीं हो सकती"।

(उपर्युक्त पत्र प्र० ११)

इसकी ओर जब गांधी जी का ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने यंग इण्डिया की २६-५-१६२४ ई० वाली प्रसिद्ध घोषणा में लिखा कि:—

"मौलाना अब्दुलवारी साहिब को, मेरे सामने, एक मज़हवी दीवाने के रूप में, रक्खा गया है और हिन्दुओं का, सबसे बड़ा शत्रु, बताया गया है। आपके कई लेख भी मेरी दृष्टि के सामने हैं, परन्तु मैं उनका अभिप्राय समझने में अशक्य हूँ। मैंने उनके सम्बन्ध में मौलाना

से आग्रह भी नहीं किया क्योंकि मैं उन्हें ईश्वर का निरपराध बालक समझता हूँ।"

इनके सिवा और अधिक उद्धरण देने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से, असल विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

महात्मा गांधी ने. सत्यार्थ प्रकाश के आलोचनात्मक अन्तिम ४ समुल्लासों को निराशाजनक और अशुद्धरूपात्मक होने की घोषणा अपने २६ मई १६२४ वाले लेख में की है। वे एक जगह लिखते हैं:—

"परन्तु गाली कहते किसे हैं? गाली का अर्थ है अनुचित प्रयोग, दुरुपयोग। अतएव यदि हम चोरको चोर और दुष्ट को दुष्ट कहें तो यह गाली नहीं है। कोढ़ी को कोढ़ी कहनेसे वह बुरा नहीं मानता। हाँ यह अवश्य है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग उसी नीयत से होना चाहिए और प्रयोग करने वाले को उसे प्रमाणित करने के लिये, तैयार रहना चाहिये। जब किसी व्यक्ति को इसलिये धिक्कारा जाता है कि वह अपने पूरे स्वभाव को छोड़ दे या श्रोता उसका संग त्याग दे तो ऐसी भर्त्सना सर्वथा उचित है × × × यही क्यों? उन पापाचार्यों के जो नाम चुने गये हैं, वे भी, उनके गुणों के सूचक हैं। ईसामसीह उन लोगों पर दैवीकोप का प्रहार करने से नहीं हिचके, जिनको वे दुष्टों, धूर्तों और मुरदारों की सन्तान कहते थे। बुद्ध ने उन लोगों को नहीं छोड़ा, जो धर्म के नाम पर, निरपराध बकरों का बलिदान करते थे। और न कुरान और न जिन्दावस्था ही, ऐसे प्रयोग से बचे हैं। हां, उन सब ऋषियों और पैग़म्बरों की कोई बदनीयती, उनके प्रयोग करने में, नहीं थी। उन्हें तो, जो लोग जैसे थे, और जो वस्तु जैसी थी, वैसा ही उनका वर्णन करना था। (यंग इण्डिया, हिन्दी भाग तीसरा पृष्ठ ३३२)।

नोट—महात्मा गांधी सब को यह रिआयत देना चाहते हैं परन्तु ऋषि दयानन्द को नहीं, यही बात विचारणीय है।

गांधी जी की सेवा में डेपुटेशन

उपर्युक्त लेख में, लिखा है कि इन कठोर शब्दों के प्रयोग कर्ता को, उनके प्रमाणित करने के लिये, तैयार रहना चाहिये। इसी उद्देश्य से कि महात्मा गांधी प्रगट करें कि कौनसी बात, ऋषि दयानन्दने, जैन, मुसलमान आदि के लिये, सत्यार्थ प्रकाश में अशुद्ध लिखी है। आर्यों का एक डेपुटेशन देहली में, उन से मिला। डेपुटेशन में निम्न सज्जन थे:—

(१) श्री पं. आर्यमुनि जी महामहोपाध्याय आर्योपदेशक
(२) " " रामचन्द्र जी देहलवी आर्योपदेशक
(३) " " इन्द्र जी विद्यावाचस्पति
(४) " ला० ज्ञानचन्द जी ठेकेदार

इनके सिवा और भी कई सज्जन थे।

जो बात चीत डेपुटेशन और म० गांधी जी से हुई वह निम्न प्रकार है:—

पं० रामचन्द्र—कृपया बतलावें कि ऋषि दयानन्द ने जैनादिमतों के साथ, कहां अर्थ का अनर्थ किया है ?

इस पर गांधी जी ने सत्यार्थ प्रकाश मांगा, वह उन्हें दे दिया गया बहुत देर तक पन्ने उलटने के बाद गांधी जी ने कहा:—

गांधी जी—स्वामी जी ने तुलसीकृत रामायण के पढ़ने का भी निषेध किया है।

इन्द्र जी—महाराज यहां तो यह प्रकरण है कि कौन कौन सी पुस्तकें विद्यार्थियों की पढ़ाई में रक्खी जावें और कौन सी नहीं। तुलसीकृत रामायण में बहुत सी असत्य बातें भी मिली हैं। इसलिये श्री स्वामी जी ने बच्चों की पाठ विधि में, उसको नहीं रक्खा क्योंकि बालक, सच झूठ में भेद नहीं कर

सकते । समझदार पुरुषों के लिये, स्वामी जी ने, इस ग्रन्थ के पढ़ने का कहीं निषेध नहीं किया है।

नोट—यह उत्तर पाकर गांधी जी चुप हो गये।

गांधी जी—स्वामी जी ने, विस्मिल्लाः का अर्थ जो यह किया है "आरम्भ साथ नाम अल्लाह के" यह बिलकुल शब्दार्थ है।

रामचन्द्र जी—बिस्मिल्लाः का जो अर्थ स्वामी जी ने किया है वह बिलकुल ठीक है और कुरान के बड़े बड़े मुसलमान अनुवादकों ने भी यही अर्थ किया है।

गांधी जी—मुसलमान, इसका यह अर्थ नहीं करते हैं।

रामचन्द्र जी—यदि अब कुछ मुसलमान इस का भावार्थ कुछ और लेते हैं तो वह केवल, श्री स्वामी जी और आर्य समाजियों के आक्षेप से बचने के लिये फिर भी, स्वामी जी का किया अर्थ न अशुद्ध है और न आक्षेप व्यर्थ। अर्थ अशुद्ध इसलिये नहीं कि अरबी के व्याकरण से, इसका यह अर्थ बिलकुल ठीक है और अब भी अधिकांश मुसलमान ऐसा ही अर्थ करते हैं और अपने पुस्तकों के आरम्भ में, विस्मिल्लाः ही लिखते हैं।

यदि मनुष्य भी अपने पुस्तकों के आरम्भ में बिस्मिल्लाः ही लिखें और खुदा भी अपने पुस्तक को, इसी वाक्य से, आरम्भ करे तो मनुष्य कृत और ईश्वर कृत पुस्तकों की पहचान कैसे हो सकेगी। (इसका उत्तर महात्मा गांधी कुछ नहीं दे सके)।

इसके बाद देर तक सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ उलटने पलटने के बाद म० गांधी और कोई बात नहीं बतला सके और कहने लगे कि फिर जब दिल्ली आवेंगे तब बतलायेंगे। इस पर पं० रामचन्द्र जी ने कहा कि यदि आज्ञा हो तो मैं आपके साथ अहमदाबाद चलूं, वहीं पर आप मुझे दिखला देना परन्तु इस को गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया और उस के बाद कोई प्रमाण अपने आक्षेप की पुष्टि में, गांधी जी ने आज तक नहीं दिया।

(३८) श्री स्वामी सत्यानन्द और राम नाम की दीक्षा

१९३० ई० में आर्यसमाज अमृतसर के पुरोहित पं० मदनमोहन शर्मा ने पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु की पुष्टि से, शिकायत की कि स्वामी सत्यानन्द जी स्त्री पुरुषों को राम नाम की दीक्षा देते हैं और उसकी पुष्टि के लिये उन्होंने एक पुस्तक भक्ति प्रकाश के नाम से रचा है और प्रकट किया है कि उनका यह कृत्य अवैदिक है और बन्द होना चाहिये। यह विषय इस सभा की अन्तरङ्ग सभा में पेश हुआ और सभा ने अपने प्रस्ताव संख्या ७ ता० ३१ अगस्त १९३० के द्वारा, प्रधान जी को आज्ञा दी कि वे भक्ति प्रकाश नामक ग्रन्थ को मंगा कर देखें और उसके सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश करें। इसके लिये पुस्तक की आवश्यकता थी उसके लिये लिखा गया। इस पर श्री स्वामी सत्यानन्द जी ने ग्रन्थ की दो कापी स्वयं देहली आकर सभा प्रधान को दीं। प्रधान जी ने ग्रन्थ को आद्योपान्त देखा और अपना एक नोट २६-१-३१ का लिखा हुआ अन्तरङ्ग सभा में पेश किया। प्रधान जी ने अपने नोट की एक लिपि अन्तरङ्ग सभा में पेश करने से पहले, श्री स्वामी सत्यानन्द जी की सेवा में भेज दी कि यदि वे कुछ इस नोट में अङ्कित बातों के लिये लिखना चाहें तो लिख कर भेज देवें जिससे उनका उत्तर भी नोट के साथ अन्तरङ्ग सभा में पेश हो जावे। स्वामी जी ने अपना उत्तर ता० ३० जनवरी १९३१ का लिखा हुआ भेज दिया। प्रधान जी का वह नोट तथा स्वामी जी का उसका उत्तर यहाँ दिये जाते हैं।

श्री प्रधान जी का ता० २६-१-३१ का नोट

अन्तरङ्ग सभा के प्रस्ताव सं० ७ ता० ३१-८-३० के निश्चयानुसार स्वामी सत्यानन्द जी को "भक्ति-प्रकाश" नामक पुस्तक भेजने को लिखा गया था। स्वामी जी ने दो जिल्दें स्वयं देहली आकर

गत् दिसम्बर मास में मुझे दीं । पुस्तक को आद्योपान्त ध्यान पूर्वक पढ़ने से जो बात सबसे पहले प्रकट हुई वह यह थी कि स्वामीसत्यानन्द जी राम नाम की जो दीक्षा पुरुष स्त्रियों को दिया करते हैं उसी कृत्य की पुष्टि के लिये और उन विचारों को दृढ़ और स्थायी बनाने के लिये यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक दो भागों में विभक्त है:—

(१) पहिले भाग में पद्य के नाम से कुछ लिखा गया है । (२) दूसरा भाग गद्य है, जिनमें कहानियां अंकित हैं । समस्त पुस्तक में आर्यसमाज के दृष्टिकोण से जो बातें आपत्तिजनक हैं, उनका विवरण इस प्रकार है:—

१—आत्म-सत्ता

(१) आर्यसमाज आत्मा को परिच्छिन्न और परमात्मा को विभु मानता है परन्तु "भक्ति-प्रकाश" में उसे अच्छिन्न* (विभु) कहा गया है:—

सत्ता तेरी अच्छिन्न है, देश काल के बीच ।
तू तो ऊँच स्वरूप है, बना भूल से नीच ॥ (पृष्ठ ८४)

(२) आर्यसमाज आत्मा को स्वभाव से न तो मुक्त मानता है न बद्ध, वह अपने कर्म से मुक्त होता है और अपने कर्म से ही बद्ध । सुख (आनन्द) स्वरूप केवल परमात्मा है । परन्तु भक्ति-प्रकाश में नवीन वेदान्तियों के ब्रह्म के सदृश उसे (जीव को) सुख-स्वरूप मान कर भ्रम और भूल से बद्ध हुआ बतलाया है:—

मकड़ी जैसे जाल रच, फँसे उसी में आ ।
ऐसे तू है फँस रहा, प्रभू का भाव फैला ॥

---

* एक दूसरी जगह "गीता-सार" के शीर्षक से गीता का सार वर्णन करते हुए जीव को परिच्छिन्न कहा है (है परिच्छिन्न वस्तु वह देही जीव पहचान) देखो पृष्ठ १०८ परन्तु यह गीता की बात है । स्वामी सत्यानन्द ने अपनी ओर से उसे अच्छिन्न ही कहा है ।

अपने आप से आप ही, तू ने रच लिया पाप।
सत्ता अपनी समझले, हो जा तू निष्पाप ॥
सत्य स्वरूप है आत्मा, चेतन स्वयं प्रकाश।
सुख से सत्ता है भरी, करदे अविद्या नाश ॥ (पृष्ठ ८४)

२—कर्म

(३) आर्यसमाज जीव को कर्म करने में स्वतन्त्र और फल भोगने में परतन्त्र मानता है परन्तु भक्ति-प्रकाश में जीव जो कुछ करता धरता है वह सब ईश्वर की प्रेरणा से किया और धरा मानता है।

(१) कर्म उसी के प्रेरणा, फल उसी की दैन।
श्रद्धा प्रेम विश्वास भी, है उसी की सैन ॥ (पृष्ठ ६७)

(२) विवश कर्म करे सब कोई, करना क्रिया नियति है सोई।
(पृष्ठ १११)

(३) क्योंकि होता वही है जो भगवान् का भाना है।
सब ही निश्चित है जो उसने जाना है ॥ (पृष्ठ २८८)

(४) मैं न होता तो नारायण कोई और विधि मिला देता।
वह चाहे जिसे निमित्त बनाये। होता वही है जो नारायण
ने जाना है, शेष सारा बहाना है ॥ (पृष्ठ २८६)

(५) जो हरि लिखा लिलाइ में, सो ही पूरा हो।
रत्ती घटे न तिल बढ़े, होनी होवे सो ॥ (पृष्ठ ३०४)

३—सूक्ष्म शरीर

(४) आर्यसमाज सूक्ष्म शरीर को शक्ति रूप में, निम्न शक्तियों का समुदाय, स्थूल शरीर के भीतर आत्मा के साथ रहने वाला मानता है:—

५ प्राण + ५ ज्ञानेन्द्रिय शक्ति + शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध + मन + बुद्धि = १७

परन्तु भक्तिप्रकाश में उसे स्थूल शरीर के चारों ओर रहने वाला खोल रूप में माना है:—

"ऊँचे आत्मा जो होते हैं उनका सूक्ष्म शरीर दो तीन हाथ तक देह के चारों ओर विस्तृत हुआ करता है × × × इसमें नारायणी-लीलायें देखा करता है"। पृष्ठ २७६

४—मुक्ति के साधन

आर्य समाज मल विक्षेपादि बन्ध के हेतुओं के दूर करने का साधन "ईश्वरोपासना अर्थात योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि" को मानता है (सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ ७६२ शताब्दी संस्करण) परन्तु भक्तिप्रकाश में, इन सब को अनावश्यक और एक मात्र साधन रामनाम का जपना बतलाया है:—

(१) मल विक्षेप आवरण सब, नामनाद देधो। पृ० १५०

(२) तर्क वितर्क न करना। नाम जपो। सेवा करो। योगाभ्यास का आडम्बर न रचना। पृ० ३००

(३) "इस जप के बिना तो ध्यान धारणा की चक्की में पिस पिस कर और पच पच कर मरना है। पृ० ३१५

(४) इनके बिना तो सारा योग निरा रोग है। जप, पाठ, और भजन भगवान के समीप ले जाने वाले उत्तम साधन हैं, मुक्ति मन्दिर के सोपान हैं। पृ० ३१६

५—यज्ञ

आर्य समाज अग्निहोत्र को देवयज्ञ कह कर, उसका विधान करता है परन्तु भक्तिप्रकाश में यज्ञ के शीर्षक में यज्ञ केवल भोजन कराने को कहा है:—

(क) "यज्ञ यही था कि मुनियोंको निमन्त्रित करके उनका अन्नादि से पूजन किया जाये। उस महायज्ञ में एक सहस्र के लग भग

साधु, सन्त, भक्त, भजनीक तथा योगीजन पधारें" । पृ० ३५१

(ख) "वह यज्ञ गोवर्द्धन पर्वत पर किया गया, बड़े उत्तमोत्तम स्वादुतम भोज्य पदार्थ बनाये गये । उन्होंने कोई २०० मनुष्यों को माल पूए और मोहन भोगादि पदार्थ खिलाये । पृ० ३५१, ३५२

(ग) यह तो यज्ञ जगन्नाथ का पूजन है । जगन्नाथ के भात में भेद नहीं माना जाता ।" पृ० ३६५

नोट—जगन्नाथ से तात्पर्य परमात्मा का नहीं किन्तु उड़ीसा वाले जगन्नाथ से है क्योंकि उसके भात की बात भी साथ ही लगी हुई है ।

(घ) प्रत्येक पूर्णमाशी (पाक्षिक यज्ञ = दर्श + पोर्णिमा) का यज्ञ— "वह यज्ञ यह था कि चावल की डेगें पकाई जातीं और घी शक्कर डाल कर लोगों को खिलाया जाता ।" पृ० ३६५

६—गुरुडम

आधुनिक आचार्यों में ऋषि दयानन्द पहिले आचार्य थे जिन्होंने तै०उप० की इस शिक्षा को (यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि) कि गुरु में यदि कोई निकम्मी बातें हैं तो उनका अनुकरण न करके केवल अच्छी बातें ही माननी और करनी चाहिये परन्तु भक्तिप्रकाश में निन्दित गुरुडम की प्रथा का कि जो कुछ गुरु कहे उसे आंख बन्द करके मान लेना चाहिये, प्रारम्भ से लेकर अन्त तक, समर्थन किया गया है और यही शिष्य का कर्तव्य ठहराया गया है:—

(१) गुरु का बड़प्पन

गुरुमुख से जब ही मिले शब्द नाम अनमोल ।
समाधि में मनवृत्ति मिल हो जाते उपडोल ॥
आशीरबाद गुरु का बड़ा रखता है प्रभाव ।
शिष्य के मन को समाधि दे करता विमल स्वभाव ॥ पृ० ६.

संशय भ्रम को त्याग कर, करे कहे गुरु जो।
बांह पकड़ी जब गुरु ने फिर नहीं आवे काल ॥ पृ० ७.
भीतरी मार्ग तब मिले, सत गुरु पकड़े बांह । पृ० ८६.
सद्‌गुरु से ले दीक्षा नाम नारायण एक ॥ पृ० ६७.
मात पिता से गुरु बड़ा जो बताये राम । पृ० ८८.

(२) गुरु की बात बिना शंका के मानले

कहना मान तुरन्त ही, विनयवान विनीत ।
शंका न करे कथन में, श्रद्धा धार सुप्रीत ॥ पृ० १३२.

(३) गुरु को तन मन धन सर्वस्व दान देवे

जो देवे हरिनाम को, सो दाता जग जान ।
तन मन उसे समरपिये, करिये सर्वस्व दान ॥ पृ० १३२.

(४) गुरु संसार से तारता है

नौका दे हरिनाम की, शब्द का चप्पू चला ।
संसार से गुरु है तारता आप बना मल्लाह ॥ पृ० १३२.

(५) गुरु नाम का प्रेमी होना चाहिए

तन मन की राह तब मिटे, जब पावे शिष्य आप ।
नाम के प्रेमी गुरु का, भाग्य से मधुर मिलाप ॥ पृ० १३३.

(६) सेवक का कर्तव्य

सेवक सच्चा समझिये, भेद न प्रभु का दे ।
निन्दा करे न भूल कर नाम कभी न ले ॥
मर जाये माने नहीं, प्रभु का करना घात ।
अपने प्रभु की गुप्ततम, कभी कहे न बात ॥
राम के सेवक वे कहे, रहें सदा निष्काम ।
सन्तजनों की जूतियां बने, देकर स्वचाम ॥

(७) गुरु के संकल्प से समाधि

ऋषि के संकल्प से लगी समाधि ।
मिटी अशान्ति आधि व्याधि ॥ पृ०१५३.

(८) दीक्षा

नाम की दीक्षा दीजिये जो है सार का सार। पृ० १५५.

(९) सस्ती मुक्ति

(१) सो तू सावित्री सिमरन और गुरु कृपा से मुक्त हो गया। पृ० २७८.

(२) प्रेम के प्रवाह में गोते लगाते ही मोक्ष मिल जाती है। पृ० ४४०.

(१०) गुरु के मेल मात्र से सिद्धि और समाधि

यदि गुरु मिला तो आसन आप ही आप सिद्ध हो जाता है। पृ० ४१९.

एक ठाकुर मुनि के पास बैठने मात्र से तुर्य्यावस्था में पहुँच गया। पृ० ४७०

उसके सत्संग मात्र से वृत्ति स्थिर हो जायेगी। पृ० ४७२.

(११) अन्ध विश्वास

(क) गुरु जो कहे उस पर अधिकारी तन्मय होकर कटिबद्ध हो जाये। (पृ० ४१२)

(ख) कभी कभी मुझे (गुरु को) भी स्मरण कर लिया करो। (पृ० ४१८)

(ग) उसे (गुरु को) पार पहुँचाने वाला जाने। (पृ० ४२३)

(घ) गुरुजनों के आशीर्वाद से आत्मा जागृत हो जाया करती है। (पृ० ४३२)

(च) गुरु ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। (पृ० ४३७)

(छ) गुरु अपने आशीर्वाद से सुरति शब्द का मेल करा देगा। (पृ० ४७२)

(ज) गुरु के रचे पदों की महिमा

उसके बनाये पदों के पाठ से सुरत्ति लग जायगी। (पृ० ४७२)

(झ) ध्यान का साधन "एकता × × प्रवीण गुरु का मिलाप है। जिस जन को गुरु मिल जाय उसका बेड़ा पार हो जाता है। (पृ० ४७२)

(त) जितनी प्रबल गुरु प्रीति होगी उतनी ही शीघ्र सफलता उपलब्ध होगी।" (पृ० ४७३)

(थ) सातवां उपाय गुरु कृपा है। (पृ० ४७४)

(द) गुरु सेवा में, गुरु आज्ञा-पालन में रात-विरात, धूप-छाया, सुख-दुःख, मानापमान तथा भूख-प्यास कुछ न जान। (पृ० ४७५)

पौराणिकता की ओर झुकाव

मूर्ति-पूजा

आरती करते राम की, राम राम जयकार। (पृ० ४८)
मन्दिर श्री जगदीश के गूँजते प्रातःकाल ॥
जय जय आरति नाद से शङ्ख घण्ट घड़ियाल ॥ पृ० ४८)

मूर्खता की प्रशंसा

लीला राम की जानिये, जो जन हुए गंवार।
अवतार आचार्य मानता आज उन्हें संसार ॥ (पृ० ६१)
अनपढ़ों के धर्म में, मौलिक दीखे सार।
सम्प्रदाय और पन्थ के थोथे ग्रन्थ असार ॥ पृ० ६१)
गुरु जगत् के हो गये, अपढ़ पोथी पाठ।
उनकी शिक्षा का शुभ, है निराला ठाठ ॥ (पृ० ६१)

पढ़ने की निन्दा

पढ़ पढ़ पण्डित पोथियाँ, हुए पागल उन्मत्त।
मृग तृष्णा में भटकते, नहीं पावें शुभ सत्य ॥ (पृ० ६२)

किसी की पोल न खोलना

खोल पोल न अन्य की, अपनी कमाई तोल। (पृ० ७०)

"प्रेम-पन्थ" की रचना

भक्ति तेरा धर्म है, कर्मयोग है काम।
पन्थ तो तेरा प्रेम है, है भरोसा नाम ॥ (पृ० ८०)

कर्म की निन्दा

मन में नाम मनोहर, खिचे नाम की रेख।
कर्म गति वहाँ क्या करे, उसमें मीन वा मेख॥ (पृ० ८१)

प्रेम पन्थियों का नाम = नारायण

नारायण के जो जन, नारायण वे जान। (पृ० १४१)
ऐसे भाग्य भण्डार का, है नारायण नाम॥ (पृ० १५०)
सूर्या श्री नारायणी, भगवद् भक्ति लीन॥ (पृ० १६३)
उस (ग्राम) में नारायण लोग बसते थे। (पृ० २८१)

सूर्य की मूर्ति

अचानक उसके सम्मुख सूर्य का मण्डल आगया।
उस × × में उसने एक तेजोमयी मूर्ति अवलोकन की (पृ० २७७)

छूने से रोग का अच्छा हो जाना

उनमें एक ऐसा ब्राह्मण था जिसके हाथ में ऐसी शक्ति थी कि यदि रोगी को छुये तो वह अच्छा हो जावे।

(एक अंगरेज़ के पेट का दर्द छूने से जाता रहा)। पृ० २८५

सांप के काटने से जप द्वारा बच जाना

प्रति दिन यह नाग मुझे आकर डस जाता है × × × जब मैं मुरली में नाम आलापता हूँ तो सारा विष दूर हो जाता है। पृ० ३०१

भजन सुनने से पाप छूट जाना

संन्यासी ने कहा × × × तू संसार से पार हो गया, तेरे पाप ताप हरि प्रेम के प्रताप से भस्म हो गये। पृ० ३२०

आग बुझाने से जीवन मुक्ति

महात्मा ने कहा भक्त तू अब जीवन मुक्त हो गया है। तू ने तन तक अर्पण करके जन सेवा की है। पृ० ३२५

चूहे मारना यज्ञ है

एक करोड़ चूहे मारना उत्तम यज्ञ है । पृ० ३३८

रास लीला की पुष्टि

रास से बन्धु भावना बढ़ती है । पृ० ३६०

सस्ती मुक्ति

प्रभु प्रेमियों को प्रेम के प्रवाह में गोते लगाते ही मोक्ष मिल जाता है ।

हरि गीत के सुरों पर सवार हो कर भक्त जन सारे स्वर्गों से ऊपर जा बिराजते हैं । पृ० ४४०

मुनि का चिलम पीना

एक मुनि ने आकर कहा, बाबा ! मुझे आग देना मैं चिलम पीना चाहता हूँ । पृ० ४८०

शाक्त मत का समर्थन

शक्ति धर्म में ईश्वर को मां मान कर लोग अपराध न करते थे । वह शक्ति धर्म ही भक्ति धर्म था । पृ० ४६५

राम नाम का जाप

सारी पुस्तक में शुरू से अन्त तक राम नाम के जाप की महिमा वर्णन की गई है । पुस्तक के अन्त में यद्यपि एक जगह कहा गया है कि राम से अभिप्राय परमात्मा का है (देखो पृ० ४६७) परन्तु समस्त पुस्तक में परमात्मा वाचक राम और दशरथ के पुत्र राम का वर्णन इतना रिला मिला है कि साधारण पुरुष पुस्तक से परमात्मा वाचक राम को कम समझा जावेगा परन्तु अधिकतर वह दशरथ पुत्र राम के नाम ही का जाप विधान समझेगा । भक्तिप्रकाश में दशरथ के पुत्र राम के नाम के जप की कुछ महिमा वर्णन की गई है, इसके कुछ उदाहरण दिये जाते हैं:—

(१) राखिय धैर्य राम ज्यों राखी ।
जगन्मात सीता की साखी ॥ धर्म के लक्षण पृ० १००

राम लखन हैं जान कर, चरण वन्दन कर भाव ।
कहा दया की देव जी, पकड़ राम के पांव ॥
सुमिरन कर भगवान को, दिलका दुखड़ा रो । अहिल्या पृ. १६६

श्री राम प्रताप से नाम हरि का धाम ।
पाया पत्नि पती ने पावन पद अभिराम ॥ अहिल्या १७०

(२) निषाद

राम रङ्ग में था रँगा, रमा राम के नाम ।
मोहन राम के मुख वचन, सुन मनमाना राम ॥ निषाद १८७

(३) शबरी

राम पूज शवरी सुख माना, बिदा किये गुण खान निधाना ।
शवरी १८६

(४) शरभङ्ग

कहां प्रभो यह आश थी आयगा गुणवान ।
राम लोक अभिराम जब तब होगा निर्वाण ॥ पृ० १६०

(५) हनुमान

रामभक्त अनन्य था सेवा धर्म निधान ।
राम से मिल माला जपी ले नारायण नाम ॥ पृ० १६६

(६) विभीषण

भक्त विभीषण भावयुत हुआ भावनावान ।
भव भय भ्रम भारी हरे पूज राम गुणवान ॥ पृ० २०१
स्वर्ग सो धन आत्माराजा, बजा राम का घटमें बाजा । पृ० २०२

(७) रामनवमी

रामनवमी का उत्सव मनाना । पृ० ३१३

(८) राम का दुबारा जन्म

मेरे मुँह से आप ही आप यह ध्वनि निकली कि मेरे सम एक बार फिर जन्म ले । पृ० ३७०

(६) रामायण पाठ

रामायण के पाठ ने, राम के अनुराग ने और राम नाम के प्रताप ने उनको वीतराग बना रक्खा था । पृ० ४६४

स्पष्ट है कि इन सब स्थानों में जिस राम की महिमा वर्णन की गई, वह दशरथ का पुत्र राम है न कि परमात्मा ! अनेक स्थानों पर पुस्तक में कपिल, नारद, मदालसा, मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य, जनक आदि के लिये केवल कपोल कल्पना से राम नाम के जपने का उल्लेख किया गया है । यह पुस्तक के रचियता का साहस मात्र है । नवीन खोजों से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि राम की पूजा इस देश में सन् २०० B.C. तक जारी नहीं थी, न कहीं राम शब्द ईश्वरार्थ में प्रयुक्त होता था । अवश्य ३०० B.C. में कृष्ण की पूजा प्रचलित हो चुकी थी । कृष्ण की पूजा प्रचलित होने के कुछ काल के बाद राम की पूजा इस देश में फैली । फिर याज्ञवल्क्य और जनक आदि के लिये कहना कि वे राम नाम जपते थे क्लिष्ट कल्पना मात्र है । अस्तु पुस्तक को चाहे आर्यसमाज के सिद्धान्तों की दृष्टि से देखें या मनुष्य समाज की भलाई के लिहाज़ से बिचारें, दोनों दृष्टियों से पुस्तक अग्राह्य है और तिरस्कृत होने के योग्य है । इसके द्वारा वल्लभकुल और राधास्वामी आदि सम्प्रदायों के सदृश एक नया पन्थ गुरुडम विशिष्ट चलाने का यत्न किया गया है जिसमें न तो बुद्धि का दख़ल होगा न विद्या की गुँजाइश ।

२६-१-१६३१ —नारायण स्वामी

श्री स्वामी सत्यानन्द जी का ता ३०-१-३१ का उत्तर

श्रीयुत स्वामी जी महाराज नमस्ते !

आपका पत्र ता० २७-१-३१ का भक्तिप्रकाश पर लिखे नोट सहित प्राप्त हुआ । तदर्थ धन्यवाद ।

निवेदन है कि आपने जो भक्तिप्रकाश के उद्धरण दिये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं निम्न लिखित निश्चय आपकी सेवा में उपस्थित करता हूँ:—

१. मैं जीवात्मा को विभु नहीं मानता हूँ। ८४ के पृष्ठ का अछिन्न शब्द अखण्ड अर्थ का बोधक है। उपास्य उपासक भाव में जीव को विभु मानना असंगत है। बन्ध मोक्षादि अनेक स्थलों में जीवात्मा को बद्ध, जन्मान्तर में जाने वाला कहा गया है। पृष्ठ ४३४ पंक्ति २७ में नाना आत्माऐं लिखे हैं। विभुवाद में नानात्व नहीं है।

२. पृष्ठ ६७ में "कर्म उसी की प्रेरणा फल उसी की देन" इन वाक्यों से परमेश्वर प्रेरक है, शुभ का सहायक है, यह ही भाव है। आत्मा अपनी स्वतन्त्रता से क्रिया करता है यह पृष्ठ ३७६ कथा ५ में स्पष्टतया वर्णित है। बन्ध मोक्ष के प्रकरण में भी यह ही लिखा गया है।

३. ऊँची आत्माऐं, जो योगी व जीवन मुक्त होते हैं उनका सूक्ष्म व तेजस शरीर देहसे बाहर भी विस्तृत हुआ करता है, इसका यह भाव नहीं है देह के भीतर नहीं होता। देह में तो होता ही है परन्तु उसका विकास देह से बाहर भी हो जाता है।

४. साधनों में ७४ पृ० में प्राणायाम ८६ पृष्ठ में यम नियम आदि साधन लिखे हैं। १५० पृ० के पद में "मल विक्षेप आवरण सब नाम नाददेधो" इसका यह भाव नहीं है कि अन्य साधन हेय हैं। ३१५ के वाक्य का यह ही तात्पर्य है कि ईश्वर प्रणिधान के बिना अन्य हठ के साधन व्यर्थ हैं।

५. यज्ञ के प्रकरण में अतिथि यज्ञों का और सह भोजों का संकेत है। बलिवैश्वदेव के अनन्तर जो भोजन खाया जाय वह यज्ञशेष है। इसी का संकेत ३४८ पृष्ठ की १ कथा में है। ३५१ पृष्ठ में "यज्ञ यही था" का तात्पर्य यह है कि वहां उस समय यही यज्ञ था।

वह अतिथि यज्ञ का ही निमन्त्रण था। इस से अग्निहोत्र रूप देव यज्ञ का निषेध सर्वथा नहीं है। "यह तो यज्ञ जगन्नाथ का पूजन है। जगन्नाथ के भात में भेद नहीं माना जाता"। इस पंक्ति में जगन्नाथ भगवान को ही कहा है। पुरी के जगन्नाथ का भाव निकालना सर्वथा विपरीत है।

६. गुरु बड़प्पन के सम्बन्ध में जो उद्धरण आपने दिये है वे आंशिक हैं, मैं पथप्रदर्शक को, नेतृत्व देने वाले को और विधि सिखाने वाले को उक्त नाम का अधिकारी मानता हूँ। २२ पृष्ठ पर उसके ये गुण लिखे हैं:—

गुरु तो ऐसा चाहिये स्वार्थ से हो पार,
परमार्थ में रत रहे परहित पर उपकार।

फिर ७८ पृ० में लिखा है:—

ज्ञान ध्यान में जो रमा पूरा योगी जो,
जप सुमिरन से सिद्ध हो गुरु मानिये सो।

गुरुवाद का खण्डन भी भक्तिप्रकाश में विद्यमान है—२३ पृ० में लिखा है:—

लोभी दम्भी गुरु बहु मठ धारी झूठ जान,
गद्दी के रद्दी सभी उन में सार न मान।

पृ० ७८ में—

अन्य लोग बटमार हैं, आडम्बर अभिमान,
दम्भ दिखाने से भरे कपट छलों की खान॥
जाईये न जन ऐसे में रखिये धर्म की लाज,
झूठे गुरु के साथ से बिगड़े सारे काज॥

सेवक का समुच्चय से वर्णन है। उससे शिष्य भाव निकालना अति कल्पना है। लोक में, जाति धर्म तथा देश के सेवक कैसे होने चाहिये, यह ही भाव पदों का समझना उचित है।

७. लीला के प्रकरण में जो कुछ हो रहा है उसका चित्रण है। पौराणिक भाव की कल्पना करना असंगत है।

८. गंवारपन की प्रशंसा और पढ़ने की निन्दा पृ० ६१ और ६२ में नहीं है किन्तु वहां क्रमोन्नति के खण्डन में यह पद आये हैं। ६० और ६१ पृ० के पद पूर्वा पर मिला कर पढ़े जायँ तो यह बात स्पष्टतया ज्ञात हो जाती है कि आपके दिये पद क्रमोन्नतिवाद के खण्डन में हैं।

९. किसी की पोल न खोलने के पद में अपने कार्यों पर दृष्टि-पात करने का संकेत है।

१०. पृ० ८० पर प्रेम पन्थ की रचना का भाव नहीं किन्तु इस पद में भगवत प्रेम की प्रशंसा है। भक्तिधर्म और भगवान् के भरोसे महत्व वर्णित है।

११. कर्म योग का भक्तिप्रकाश में पर्याप्त वर्णन है। वर्णों के कर्मों का भी वर्णन है इस कारण "मन के नाम मनोहर, खिचे नाम की रेख, कर्म गति वहां क्या करे उसमें मीन ना मेख"। इस पद से कर्म निन्दा समझना कठिन कल्पना है। कर्म गति का अर्थ कर्म फल भोग ही है। कर्म फल भोग भक्त को चलायमान नही कर सकता यह ही पद का भाव है।

१२. मैं कोई प्रेम पन्थ नहीं मानता और न ही किसी जन को नारायण नाम से पुकारता हूँ। नारायण ईश्वर का नाम है। जो नारायण को माने वे ही नारायण जन हैं। भगवान के भक्तों को नारायण भी कहा है।

१३. सूर्य मण्डल का सम्मुख आना आध्यात्मिक बात है। उसी सारी कथा में स्वात्म प्रत्यक्ष का वर्णन है। इससे भिन्न मूर्ति कुछ भी नहीं है।

१४. वर्तमान काल में ऐसे अनेक मनुष्य जो "हिपनाटिज्म"

आदि से चिकित्सा करते हैं, वह छूना और हाथ फेरना ही होता है।

१५. वर्तमान शक्ति धर्म में मेरा विश्वास लेशमात्र भी नहीं है। कथा में यह ही दर्शाया है कि भक्ति धर्म ही शक्ति धर्म था।

१६. भक्ति प्रकाश में निराकारादि विशेषणों से भगवान् की स्तुति की गई है। स्थान में परमेश्वर को निराकार, निरंजन, सर्वत्र विद्यमान बताया है। इस कारण नाम की समता से, मेरे लिखे वाक्यों से, दशरथ पुत्रकी भ्रान्ति का होना कदापि सम्भव नहीं है। मैं परमेश्वर को अजन्मा, अन्तर्यामी और निराकारादि विशेषण विशिष्ट मानता हूँ। ऐसे ही परमेश्वर का गायन, भक्ति प्रकाश में, राम नाम से किया गया है। दशरथ के पुत्र श्री रामचन्द्र जी का जप, आराधन और गायन मेरी धारणा के विरुद्ध है, मेरे निश्चय के प्रतिकूल है और नही मेरेलेख से प्रकट होता है।

मैं पन्थ और सम्प्रदाय के चलाने के सर्वथा विरुद्ध हूँ। मैं जीवात्मा को परमात्मा से भिन्न मानता हूँ। जीव को कर्मों से बद्ध मानता हूँ और साधनों द्वारा और अज्ञान नाश से मुक्ति मानता हूँ। मेरा भाव वेदान्तियों की भांति सर्वथा नहीं है। अविद्या, माया, अज्ञान आदि शब्दों के प्रयोग से नवीन वेदान्त की मेरे लेख में कल्पना करना सर्वथा असंगत है।

आपका शुभ चिन्तक,
सत्यानन्द

प्रधान जी के नोट के साथ, स्वामी जी का यह उत्तर अन्तरङ्ग सभा में पेश हुआ और अन्तरङ्ग सभा ने उस पर निम्नाकित प्रस्ताव पास किया:—

अन्तरङ्ग सभा ता० ३१ जनवरी १९३१ का
प्रस्ताव सं० १०

नोटिस का विषय सं० १० श्री स्वामी सत्यानन्द जी के रामनाम

की दीक्षा देने और उनकी पुस्तक "भक्ति प्रकाश" का विषय पेश हुआ और निम्न कागजात पढ़े गये:—

(१) श्री म० मदनमोहन शर्म्मा पुरोहित आर्यसमाज अमृतसर का पत्र, (२) ३१-८-३० की अन्तरङ्ग का निश्चय सं० ७, (३) भक्ति प्रकाश के सम्बन्ध में श्री प्रधान जी का २६-१-३१ का नोट, (४) श्री स्वामी सत्यानन्द जी का ३०-१-३१ का उत्तर। २ घण्टे तक विचार होने के बाद निश्चय हुआ कि इस सभा की सम्मति में श्री स्वामी सत्यानन्द जी का उत्तर श्री महात्मा नारायण स्वामी जी के नोट में लिखी हुई बातों का उत्तर नहीं। इस सम्बन्ध में अन्तिम कार्य्यवाहि करने से पूर्व यह सभा उचित समझती है कि निम्नलिखित सज्जनों की एक उपसमिति बना दी जावे जो श्री स्वामी सत्यानन्द जी से मिलकर यह दरयाफ्त करे कि वह वैदिकधर्म को वैसा ही मानते हैं जैसा कि ऋषि दयानन्द ने प्रतिपादित किया है या उससे भिन्न। यदि पहिली अवस्था है तो वह उस भ्रम को दूर करने के लिये उद्यत हैं जो उनके ग्रन्थ "भक्ति प्रकाश" के अध्ययन से सर्व साधारण के हृदय में उत्पन्न हो सकता है।

उपसभा के सदस्य

(१) श्री महात्मा नारायण स्वामी जी
(२) ,, स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी
(३) ,, प्रो० रामदेव जी
(४) ,, पं० घासीराम जी
(५) ,, ,, धर्म्मेन्द्रनाथ जी

और यह भी निश्चय हुआ कि उपर्युक्त समिति श्री स्वामी सत्यानन्द जी से बातचीत करके इस सभा को परामर्श दे कि इस विषय में क्या और किस प्रकार की कार्य्यवाही करनी उचित है।

उपर्युक्त स्वीकृत प्रस्ताव के अनुकूल उपसमिति ने अपना कार्य्य करके अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जो इस प्रकार है:—

उपसमिति की रिपोर्ट

श्री स्वामी सत्यानन्द जी से उपसमिति के सदस्य मिले। उस समय स्वामी सत्यानन्द जी से प्रार्थना की गई कि आप आर्यसमाजियों को राम नाम की दीक्षा न दें। स्वामी जी ने कहा मैं इस पर विचार करूँगा, परन्तु उसके पश्चात् जो स्वामी जी का पत्र आया है उससे प्रतीत होता है कि वह ओ३म् की अपेक्षा राम नाम की दीक्षा ही उत्तम समझते हैं।

पुस्तक के सम्बन्ध में स्वामी जी से प्रार्थना की गई कि पुस्तक में सिद्धान्त विरुद्ध स्थल हैं। स्वामी जी ने कहा कि कहीं कहीं झलक है, भविष्य में ध्यान रक्खा जायेगा। ऐसा ही स्वामी जी ने पत्र में लिखा है। परन्तु उपसमिति की सम्मति में पुस्तक की प्रवृत्ति वैदिक की अपेक्षा अवैदिक अधिक है।

उपरिलिखित बातों को ध्यान में रख कर उपसमिति सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को सम्मति देती है कि प्रशंसित सभा यह घोषणा करदे कि भक्ति प्रकाश का जब तक संशोधित संस्करण न निकले तब तक यह पुस्तक अवैदिक और अग्रहणीय समझी जावे और कोई आर्य सज्जन श्री स्वामी जी से राम नाम की अवैदिक दीक्षा न ले।

सभा सर्व आर्य प्रतिनिधि सभाओं को विज्ञप्ति द्वारा आदेश दे कि वह इस घोषणा को प्रत्येक आर्यसमाज में पहुँचा दे और उपदेशकों द्वारा अपने प्रान्त की आर्यजनता में फैला दें।

नारायण स्वामी
रामदेव
स्वतन्त्रानन्द

अन्तरङ्ग सभा ता० २६ अप्रैल सन् १६३१ का
प्रस्ताव सं० (४)

नोटिस का विषय सं० २—श्री स्वामी सत्यानन्द जी के सम्बन्ध में उप समिति की रिपोर्ट पेश हुई और तत्सम्बन्धी स्वामी जी के १४ व २४ अप्रैल के पत्र पढ़े गये। उन पर विचार करने के पश्चात् सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि श्री सत्यानन्द जी की सेवा में उप समिति की रिपोर्ट जहाँ तक उसका सम्बन्ध घटनाओं से है भेज कर, प्रार्थना की जावे कि उनको इस सम्बन्ध में जो कुछ वक्तव्य हो, स्पष्ट लिखने की कृपा करें जिससे यह विषय यथा सम्भव शीघ्र निर्णीत हो सके।

अन्तरङ्ग सभा ता० ७ जून सन् १६३१ का
प्रस्ताव सं० (७)

नोटिस का विषय सं० २ श्री स्वामी सत्यानन्द जी का विषय पेश हुआ। श्री प्रधान सभा और श्री स्वामी सत्यानन्द जी के दरम्यान जो पत्र-व्यवहार हुआ था, सुना गया। श्री स्वामी सत्यानन्द जी से मौखिक वार्तालाप करके रिपोर्ट करने के लिये जो उपसमिति बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट पढ़ी गई तत्सम्बन्धी शेष बातें जो सभा मन्त्री ने बतलाई वह भी सुनी गई। विचार के बाद श्री प्रो० रामदेव जी ने निम्न प्रस्ताव पेश किया।

"यद्यपि श्री स्वामी सत्यानन्द जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे पूर्ववत् आर्यसमाजी हैं और उनका वैदिक धर्म पर दृढ़ विश्वास है तथापि सभा यह आघोषित करने पर विवश है कि श्री स्वामी सत्य.नन्द जी कृत ग्रन्थ "भक्तिप्रकाश" की प्रव्रति अवैदिक है और उसमें अनेक स्थल ऐसे हैं जिनसे भ्रम होता है और उनकी राम नाम की दीक्षापद्धति अवैदिक है।

सभा यह इच्छा प्रकट करती है और आशा रखती है कि श्री स्वामी सत्यानन्द जी "भक्तिप्रकाश" के भ्रमयुक्त स्थलों का संशोधन और राम नाम की दीक्षा का त्याग करके उस असन्तोष को दूर कर देंगे, जो उनके सम्बन्ध में आर्य जनता में फैल रहा है।

प्रस्ताव का श्री लाला ज्ञानचन्द जी ने अनुमोदन किया।

सम्मति लेने पर श्री पं० ठाकुरदत्तजी और प्रो० ताराचन्द जी को छोड़ कर, प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

स्वामी सत्यानन्द जी का ता० ४-१२-३१ का पत्र

सेवा में श्री नारायण स्वामी जी,

प्रधान, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

श्री स्वामी जी महाराज नमस्ते।

निवेदन है कि आपका २४-११-३१ का पत्र प्रस्ताव सहित प्राप्त हुआ। प्रस्ताव में आपने मुझसे दो बातें पूँछी हैं। एक तो पुस्तक के संशोधन के सम्बन्ध में है और दूसरी राम नाम की दीक्षा के संबन्ध में।

पुस्तक के संशोधन के विषय में निवेदन है कि मैंने आपको २४-४-३१ के पत्र में लिखा था कि मैंने आपकी उपसमिति के सम्मुख यह निवेदन स्वयं किया था कि मैं ईश्वर को निराकार, निरंजन, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान, भगवान, सच्चिदानन्दस्वरूप, अजर, अमर, अविनाशी मानता हूँ। इस कारण यदि हनुमान विभीषणादि की कथाओं में आपको श्री रामचन्द्र महाराज के नाम में, मेरे कीर्तित ईश्वर के राम नाम में श्री रामचन्द्र जी के कीर्तन का भ्रम होता है तो मैं आगामी संस्करण में उन कथाओं में स्पष्ट कर दूंगा जिससे राम नाम के कीर्तन में श्री रामचन्द्र जी महाराज का होना न प्रतीत हो। मैंने यह भी कहा था कि मैं यह नहीं चाहता मेरे लेखों में ईश्वर के स्वरूप में भ्रमोत्पादक वाक्य रहें।

दूसरी बात जो मैंने निवेदन की थी वह गुरु महिमा के सम्बन्ध में थी। मैंने कहा था कि समर्पण आदि के जो पद हैं वे दूसरे संस्करण में बदल दिये जावेंगे।

आपने एक बात कही थी कि ग्रन्थ का झुकाव प्रारब्धवाद या अकर्मण्य वाद की ओर है। इसमें निवेदन है कि बारबार विचार करने पर भी मुझे भक्तिप्रकाश में अकर्मण्यवाद नहीं दिखाई दिया। भक्ति भाव की गाथा में ईश्वर की सत्ता को, आदि "ईशण" को कई स्थलों में दर्शाया है। मुझे वह क्रिया शीलता का बाधक प्रतीत नहीं होता। यदि कोई ऐसा भाव जान पड़ा तो उसके संशोधन में मुझे कुछ भी संकोच नहीं होगा।

अब निवेदन यह है कि ऊपर कहे तीन संशोधन मैंने स्वीकृत किये थे, वे भक्ति प्रकाश के दूसरे संस्करण में संशोधित कर दिये जायेंगे।

उपसमिति में श्री आचार्य रामदेव जी ने जो कहा था कि ओंकार में श्रद्धा रखने वाले आर्य समाजियों को ओंकार नाम से दीक्षा दिया करो। वही आपकी दूसरी बात है जो आपने मुझसे फिर पूंछी है। इसके सम्बन्ध में वही अपना निवेदन मैं दोहराता हूँ जो २४-४-३१ के पत्र में मैंने आपकी सेवा में किया था। "दीक्षा के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह एक प्रकार का ध्यान है। इसमें अपने आपका मैं संकेतमात्र भी नहीं करता। उसमें केवल ऊपरवर्णित ईश्वर स्वरूप की स्वीकृति आवश्यक होती हैं। मैं दीक्षा के लिये प्रायः प्रेरणा नहीं करता हूँ। जिज्ञासु के आग्रह पर उसे ध्यान में बैठाता हूँ। जिज्ञासु के अत्याग्रह करने पर भी, जिस ईश्वर नाम से उसे लाभ हो, उस नाम से उसे ध्यान न कराना मुझे ईश्वर प्रीति के विपरीत प्रतीत होता है। अब फिर आपकी सेवा में नम्र निवेदन है कि यह मेरा सुनिश्चित निश्चय है कि ध्यान के लिये, यदि कोई जिज्ञासु आग्रह करे तो उसे.

उस नाम में मैं ध्यान न कराऊँ जिस नाम में ध्यान करने से, उसे मुझसे लाभ न हो सकता हो, यह धार्मिक भावना और भक्तिभाव के विपरीत है।

मैं ईश्वर का अवतार नहीं मानता। भगवान का पद मनुष्य के लिये कल्पना करना मुझे स्वप्न में भी नहीं सूझता। मैं कट्टरद्वैतवादी हूँ। मेरी श्रद्धा वेद में अगाध है। वेद और ईश्वर में मुझे अपार भक्ति है। ऐसी अवस्था में एक नाम मात्र के विचार से मुझे दीक्षा त्याग के लिये प्रेरित करना मेरी समझ में नहीं आता।

कृपा करके जब भी आप अपना निश्चय प्रकाशित करें तो उसके साथ ही मेरा यह पत्र और २४-४-३१ का पत्र प्रकाशित कर दीजियेगा।

आपका शुभचिन्तक, सत्यानन्द

अन्तरङ्ग सभा ता० ३० जनवरी १६३२ का
प्रस्ताव सं० (६)

नोटिस का विषय सं० ११—श्री स्वामी सत्यानन्द जी का विषय पेश हुआ। श्री स्वामी सत्यानन्द जी का ४-१२-३१ का पत्र तथा पंजाब की सभा की अन्तरङ्ग सभा २५-६-८८ का प्रस्ताव सं० २ पढ़े गये। विचार के बाद निश्चय हुआ कि धर्मार्य सभा के सदस्यों में से एक उपसमिति तुरन्त नियत करदें जो कि भक्तिप्रकाश में उचित संशोधनों का ब्यौरा बना कर धर्मार्य सभा की जो बैठक २१-३-३२ को होने वाली है उसमें पेश करदें और धर्मार्य सभा की रिपोर्ट आने पर इस विषय का अन्तिम निर्णय किया जावे।

धर्मार्य सभा ता० २२ अक्टूबर १६३२ का
प्रस्ताव सं० (६)

नोटिस का विषय सं० २ श्री स्वामी सत्यानन्द जी की पुस्तक

"भक्तिप्रकाश" के संशोधन का जो सार्वदेशिक सभा की अन्तरङ्ग तिथि ३०-१-३२ के प्रस्ताव सं० ६ से आया था पेश हुआ। इस सम्बन्ध में उपसभा की रिपोर्ट तथा अन्य काग़ज़ात पढ़े गये। श्री पं० बुद्धदेव जी ने निम्न प्रस्ताव पेश किया:—

जो सूचि भक्तिप्रकाश के संशोधनों की सार्वदेशिक सभा ने मांगी है वह बना कर भेजी जाये और इस सूचि के बनवाने का काम अंतरङ्ग-सभा के आधीन किया जाय और इस सूचि के भेजने के साथ सार्व-देशिक सभा से निम्न प्रार्थना की जाये:—

(१) इस सभा की सम्मति में भक्तिप्रकाश के संशोधन का यह प्रकार उत्तम होगा कि कुछ सज्जनों की उपसमिति श्री स्वामी सत्यानन्द जी से मिल कर पुस्तक का संशोधन करा देवें।

(२) जब तक पुस्तक का संशोधन न हो जाये उस समय तक श्री स्वामी सत्यानन्द जी से प्रार्थना की जावे कि वे "भक्ति प्रकाश" पुस्तक का वितरण बन्द रक्खें।

श्री पं० लोकनाथ जी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

श्री पं० चमूपति जी ने इसमें यह संशोधन उपस्थित किया, कि संशोधन की सूचि तैयार होकर अन्तरंग की जगह इसी सभा में आवे।

श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने संशोधन का अनुमोदन किया।

सम्मति लेने से बहुपक्ष से संशोधन अस्वीकृत और मूल प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अन्तरंग सभा धर्म्मार्य्य सभा ता० २४ अक्टूबर १९३२ का प्रस्ताव सं० (१)

धर्म्मार्य्य सभा का प्रस्ताव सं० २ तिथि २२-१०-३२ पेश किया गया और निश्चय हुआ कि श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार,

को "भक्ति प्रकाश" के संशोधनीय स्थलों की सूचि बनाने का कार्य सौंपा जाय और उनसे प्रार्थना की जाये कि वे सूचि बनाकर शीघ्र से शीघ्र (अर्थात् १ मास के भीतर) सभा में भेज दें।

सभा की अन्तरंग सभा ता० २८ जनवरी सन् १९३३ का प्रस्ताव सं० (३)

नोटिस का विषय सं० २ श्री स्वामी सत्यानन्द जी के सम्बन्ध में पेश होकर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तरंग सभा तिथि २४-६-८८ का प्रस्ताव सं० २ पढ़ा गया। विचार के बाद निश्चय हुआ कि :—

(१) यह सभा इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से अपना मत अपने निश्चय सं० ७ तिथि ७-६-३१ के द्वारा प्रकट कर चुकी है।

(२) उक्त निश्चय को कार्य रूप में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जावे इस विषय पर सार्वदेशिक सभा कोई निश्चय नहीं कर सकी थी कि उससे पहिले संयुक्तप्रान्त आदि कतिपय आर्य प्रतिनिधि सभाओं ने अपने-अपने प्रान्त के लिये इस सम्बन्ध में स्वयं निश्चय कर दिये कि क्या कार्यवाही की जावे। ऐसी अवस्था में इस सभा की सम्मति में यह उचित प्रतीत होता है कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब भी स्वयं अपने प्रान्त के लिये उचित निश्चय करदे।

(३) धर्म्मार्य्य सभा की आज्ञा पर श्री पं० बुद्धदेव जी ने जो सूचि "भक्तिप्रकाश" के संशोधन की बनाई है, वह आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को भेजी जाय।

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की सेवा में उपर्युक्त प्रस्ताव भेजा गया और उसने इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सं० ४ तिथि २६-६-६१ को स्वीकार किया उसके साथ यह विषय समाप्त हो जाता है। वह प्रस्ताव आगे दिया जाता है :—

आर्य्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तरंग सभा का स्वीकृत प्रस्ताव सं० ४ तिथि २६-६-६१ इस प्रकार है :—

प्रस्ताव

श्री स्वामी सत्यानन्दजी महाराज का निम्न लिखित पत्र ति० ३०-६-३४ का पढ़ा गया। निश्चय हुआ कि सभा को यह जान कर खेद हुआ कि श्री स्वामीजी ने आर्य्यसमाज के कार्य क्षेत्र से विश्राम लेने का निश्चय किया है। सभा की सम्मति में आर्य्य समाज उनकी अमूल्य सेवा से वञ्चित होना सहन नहीं कर सकता, किन्तु यतः श्री स्वामीजी ने विचार पूर्वक ऐसा करना उचित समझा है अतः उनकी आज्ञा को शिरोधार्य्य मानते हुए इस पत्र को अँकित करती है और उस भाव और औदार्य की प्रशंसा करती है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने यह पत्र लिखा है तथा पंजाब की आर्य्य समाजों की ओर से उस उपदेश रूपी कृपा के लिये जो ३५ वर्षों से वे आर्य्यसमाज पर कर रहे हैं उनकी सेवा में श्रद्धाञ्जलि भेंट करती है और आशा करती है कि पूर्व-वत् आर्यसमाज पर कृपा-दृष्टि बनाये रखेंगे।

पत्र की प्रति

डलहौजी
३०-६-३४

सेवा में,

महाशय कृष्ण जी, मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब।

श्रीयुत मान्यवर महाशय जी नमस्ते!

निवेदन है कि मैं लगभग ३५ वर्षों से पंजाब में, आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब के साथ सम्बन्धित आर्य्य समाजों में आर्य समाज का काम कर रहा हूँ। मेरे प्रचार से भी अनेक आर्य्य समाजों की स्थापना हुई, आर्य्य समाज के सभासद् भी बहुत जन बनते रहे। मैं यदि कहूँ

कि पंजाब में आर्य्य समाज की वृद्धि और उस के प्रभाव के बढ़ाने में मेरी भी तुच्छ सेवा सम्मिलित है तो आप की जानी हुई बात को ही स्मरण कराना है। मैं प्रायः लगातार काम करता रहा हूँ। व्याख्यानों और कथाओं के अतिरिक्त, मेरा काम लोगों को मिल-जुल कर समझाना भी रहा है। आर्य्य समाजों के झगड़े, निपटाना, आर्य्य-समाजियों में मेल-मिलाप बढ़ाना और कलह के भावों को शान्त कराना, ऐसे कामों पर मैं विशेष ध्यान देता रहा हूँ। आर्य्य समाज के कार्य्य में मुझ को इतनी अधिक प्रीति रही है कि हृदय में रुचि और भावना उत्तेजित होते हुए भी मैंने अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में कभी भाग नहीं लिया। मैंने इतने वर्षों में अपने सारे सामर्थ्य से केवल आर्य्य-समाज को ही अपना कार्य्य-क्षेत्र बनाए रक्खा।

मैं अपने कार्य्य-काल में आर्य्य समता, शान्ति, मेल-मिलाप और संघशक्ति बढ़ाने का ही यत्न करता रहा हूँ। आर्य्य समाजों के आन्तरिक झगड़ों में मैंने कभी भी भाग नहीं लिया। परन्तु अब कुछ एक सज्जन मेरी उपासना की बात को आगे रख कर मेरा विरोध करते रहते हैं। सार्वदेशिक सभा की नियत की गई उपसमिति से सन १६३१ की ४ मार्च को देहली में जब वार्त्तालाप करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो उस समय मैंने "भक्तिप्रकाश" में तीन संशोधन करने स्वीकार कर लिए थे। एक तो श्रीरामचन्द्र जी के संकेत का भ्रम होता है उसका मैं संशोधन कर दूँगा। दूसरे गुरु महिमा में लिखे समर्पण आदि शब्दों को मैं बदल दूँगा। तीसरे अकर्मण्यवाद का यदि कोई भाव है तो वह भी सुधार दिया जायगा। इन तीनों सुधारों से उस उपसमिति के सदस्य सन्तुष्ट हो गये थे। एक बात श्रीरामदेव जी ने कही थी कि आप आर्यसमाजियों को रामनाम से उपासना न बतायें। यही एक बात उस समय रह गई थी। इस विषय में मैंने २१ अप्रैल १६३१ को श्री नारायणस्वामी जी प्रधान उपसमिति की सेवा में लिखा था कि मैं

ईश्वर एक, निराकार, निरञ्जन, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान्, भगवान सच्चिदानन्द स्वरूप, अजर, अमर, अविनाशी" मानता हूँ। 'उपासना में बैठने वाले के लिए ईश्वर के इस स्वरूप की स्वीकृति आवश्यक होती है। मैं दीक्षा के लिए प्रायः प्रेरणा नहीं करता हूँ। जिज्ञासु के आग्रह पर उसे ध्यान में बैठाता हूँ। जिज्ञासु के अत्याग्रह करने पर भी, जिस ईश्वर के नाम से उसको मुझसे लाभ हो, उस नाम में उसे ध्यान न कराना मुझे ईश्वर प्रीति के विपरीत प्रतीत होता है'। इसी अन्तिम बात पर कुछेक महानुभाव विरोध कर रहे हैं। इस कारण, मैं नहीं चाहता कि इस नाममात्र के भेद को आगे रख कर लोग आर्यसमाज की समता को भङ्ग करें, उसमें कलह तथा अशान्ति बढ़े और आर्यसमाज के गौरव की हँसाई हो। मैं यह भी पसन्द नहीं करता कि कुछ एक सभ्य मेरा संकेत करके अपनी दलबन्दी करने के लिए लोगोंमें गम्भीरता के भाव को घटाते जायें। इस कार्य को,मैं अपने लिए धर्म के विरुद्ध समझता हूँ कि एक दल बना कर मैं आर्यसमाज में काम करूं। आज तक मैंने एक भी आर्यसमाजी सज्जन को अपना पक्ष पोषण करने के लिए प्रेरणा नहीं की। मैं जानता हूँ कि दलबन्दियां बनाना कोई कठिन काम नहीं है परन्तु धर्म में कलह की कल्पना करना भी मैं सर्वथा अनुचित समझता हूँ। इसी कारण मैंने अपने सम्बन्ध की कलह में कुछ भी भाग नहीं लिया। जब भी मुझे पता लगा कि अमुक सज्जन मेरे हित में कुछ लिखना अथवा बोलना चाहता है तभी तुरन्त उसको रोकने का मैंने पूरा प्रयत्न किया है। तात्पर्य यह है कि मेरी हार्दिक यह कामना है कि मैं आर्यसमाज में किसी प्रकार भी कलह का कारण न बनूं और इसकी समता, शान्ति तथा गम्भीरता युक्त उन्नति को देख कर प्रसन्न होता रहूँ।

मेरे विश्वास और निश्चय ऐसे पक्के हैं जैसे किसी भी आर्य सज्जन के हैं, मैं वेद और ईश्वर में पूरी प्रीति रखता हूं, परन्तु आर्य-

समाज के कार्य को करने की लगन और सामर्थ्य होते हुए भी, आर्य-समाजों में काम करने का जो मेरा कार्य-क्रम होता था उसको अब मैं भंग करता हूँ; मैं आर्यसमाज के कार्य-क्षेत्र से अब विश्राम लेता हूँ, यह इसलिए कि कम से कम मेरे कारण इसमें भीतरी कलह की कोई भी कला तो न चमकने पाए।

पञ्जाब की महात्मा पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के सद्भाव को और इससे सम्बन्धित आर्यों के प्रेम सद्व्यवहार को विस्मरण कदापि किया नहीं जा सकता। मुझ में जब तक सामर्थ्य है, आर्य सज्जन जो भी सेवा मुझ से लेना चाहेंगे वह मैं करने से कदापि इनकार नहीं करूंगा। भगवान् मुझे वैदिक भावों के प्रचार में सदा उत्साहित रखें।

मेरा यह पत्र कम से कम प्रतिनिधि सभा की अन्तरङ्ग सभा में तो कृपया अवश्य सुना दें।

आपका—

धर्म्म-बन्धु

सत्यानन्द

परिशिष्ट (१)

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के नियम

नाम

१. समस्त भूगोल की सम्पूर्ण आर्य प्रतिनिधि सभाओं, आर्य समाजों और आर्यों की ओर से एक प्रतिनिधि सभा नियत होगी जिस का नाम सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा होगा।

उद्देश्य

२. इस सभा के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे।

प्रथम—वैदिक धर्म के योग्य, उपदेशक बनाने के लिये एक महाविद्यालय स्थापन करना।

द्वितीय—आर्यावर्त्त तथा अन्य देश-देशान्तरों में आवश्यकतानुसार वैदिक धर्म के प्रचार का प्रबन्ध करना।

तृतीय—प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभाओं के पुरुषार्थ को संयुक्त करना तथा उन के पारस्परिक विवादों और उन के विरुद्ध पुनर्निवेदनों (अपीलों) का अन्तिम निर्धारण करना।

चतुर्थ—ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थों की वास्तविक लिपि के अनुसार उनकी यथातथ्य रक्षा करना और इस बात पर दृष्टि रखना कि उन में कोई भाग प्रक्षिप्त तो प्रवेश नहीं किया गया।

पञ्चम—धर्म सम्बन्धी पुस्तकों का एक बृहत्पुस्तकालय सर्व साधारण के लाभार्थ स्थापना करना।

षष्टम—वैदिक धर्म की उन्नति तथा वृद्धि और रक्षा के उपायों को प्रयोग में लाना।

निर्माणव्यवस्था

३. निम्नस्थ प्रकार के सभासदों द्वारा यह सभा निर्मित होगी—

(क) प्रतिनिधि सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा,

(ख) आर्य समाजों के ,, ,, ,,

(ग) दानी महोदयों द्वारा।

(घ) प्रतिष्ठित सभासदों द्वारा।

४. प्रत्येक प्रतिनिधि सभा को अधिकार होगा कि अपने प्रतिनिधियों में से ५ प्रति शतक प्रतिनिधियों को सार्वदेशिक सभा में भेजे, परन्तु उनकी संख्या ७ से अधिक और २ से न्यून न होगी।

५. (क) जिन आर्य समाजों के १०० या अधिक सभासद् हों अथवा जिन आर्यसमाजों के समुदायों के २५० या अधिक सभासद् हों।

(ख) जो अपने चन्दे का दशमांश सार्वदेशिक सभा को प्रतिवर्ष भेजें।

(ग) और जिन का सम्बन्ध किसी ऐसी प्रतिनिधि सभा से हो, जो सार्वदेशिक सभा से सम्बन्धित हो।

(घ) और जो समाज या समाजों का समुदाय ३ वर्षों से स्थापित हो ऐसे आर्य समाजों और आर्य समाजों के समुदायों को प्रति १०० या प्रति २५० तक २ प्रतिनिधि सार्वदेशिक सभा में भेजने का अधिकार होगा परन्तु ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या प्रति समाज या प्रति समुदाय ३ से अधिक न हो सकेगी।

नोट—१–आर्य समाज के समुदायों को सार्वदेशिक सभा निर्धारित करेगी।

२–उपरोक्त नियम उन आर्य समाजों पर चालू न होगा जो प्रतिनिधियों के शासन क्षेत्र से बाहर हों।

३–विवाद उपस्थित होने पर प्रतिनिधि सभाओं के शासन क्षेत्र का निर्णय सार्वदेशिक सभा किया करेगी।

४–विशेष दशाओं में नियम ५ (ग) शिथिल किया जा सकता है ।

५–इस धारा में प्रयुक्त सभासद शब्द से अभिप्राय आर्य सभासद समझा जावेगा ।

६. (क) जो महाशय एक साथ ५००) दान देवें और जो किसी आर्य समाज के सभासद् हों जिस का सम्बन्ध सार्वदेशिक सभा अथवा सार्वदेशिक सभा से संयोजित किसी प्रान्तिक सभा से हो या अन्य कोई आर्य पुरुष ५०००) देवें तो, वे जीवन पर्यन्त सार्वदेशिक सभा के सभासद माने जावेंगे ।

(ख) १००) देने वाले १० आर्य सभासद् अपने में से एक प्रतिनिधि चुनकर सार्वदेशिक सभा में भेज सकेंगे, इनका निर्वाचन प्रति तीसरे वर्ष हुआ करेगा ।

७. प्रतिष्ठित सभासद् विशेष योग्यताओं के कारण इस सभा के साधारण अधिवेशन में बहुपक्षानुसार स्वीकृत होंगे । परन्तु वे पुरुष ही प्रतिष्ठित सभासद् हो सकेंगे जो आर्य समाज के सिद्धान्तों को पूर्णतया मानते हों । उनकी संख्या अन्य प्रकार के सभासदों के अष्टमांश से अधिक न होगी ।

८. निम्न लिखित कारणों से सभा में सभासदों के पदरिक्त समझे जावेंगे ।

(क) मृत्यु होने पर ।

(ख) विक्षिप्त दशा में ।

(ग) पदपरित्याग करने पर ।

(घ) ऐसे अपराध करना जो इस सभा की सम्मति में उस सभासद् को अयोग्य सिद्ध करें तथा इस सभा के नियमों का उल्लंघन करें ।

(ङ) निर्वाचक प्रान्तिक सभा या आर्य समाज वा समाज समुदाय प्रतिनिधि निर्वाचित न करे वा पृथक कर दे ।

(६) इस सभा के सभासदों का निर्वाचन प्रति तीसरे वर्ष हुआ

चित्र सं० २ – अन्तरंग सभासद्

संख्या	वर्ष	अन्तरंग सदस्यगण १	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	पदाधिकारियों का योग	कुल अन्तरंग सदस्यों की संख्या
१७	१९२५-२६	श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी	पं० विशम्भर नाथ जी	म० कृष्ण	ला० गंगा राम जी	पं० गंगा प्रसाद जी एम० ए०	पं० जानकी प्रसाद जी	बा० मदन मोहन जी सेठ	पं० घासीराम जी	बा० गुलराज गोपाल जी	डा० कल्याणदास जी						५	१०
१८	१९२६-२७	श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी	म० कृष्ण जी	पं० विशम्भर नाथ जी	ला० गंगा राम जी	डा० श्यामस्वरूप जी	पं० घासीराम जी	पं० कृपाशंकर जी झजेला	पं० शंकरनाथ जी								७	१५
१९	१९२७-२८	म० कृष्ण जी	ला० गंगा राम जी	ला० ठाकुरदास जी	प्रो० धर्मेन्द्रनाथ जी	पं० शंकर नाथ जी	प्रो० सुधाकर जी	स्वामी रामानन्द जी	डा० श्यामस्वरूप जी								७	१५
२०	१९२८-२९	म० कृष्ण जी	ला० गंगा राम जी	ला० ठाकुरदास जी	प्रो० धर्मेन्द्रनाथ जी	पं० शंकरनाथ जी	कुं० चांदकरण जी शारदा	स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी									८	१५
२१	१९२९-३०	म० कृष्ण जी	प्रो० धर्मेन्द्रनाथ जी	ला० गंगा राम जी	बा० गजाधरप्रसाद जी	स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी	प्रो० तारा चंद गाजरा	प्रो० इन्द्र जी	बा० ज्वालाप्रसाद जी								७	१५
२२	१९३०-३१	म० विजयशंकर जी	बा० देवधारीसिंह जी	कुं० चान्दकरण जी शारदा	बा० घनश्याम सिंह जी गुप्त	प्रो० तारा चन्द गाजरा	प्रो० धर्मेन्द्रनाथ जी	बा० ज्वाला प्रसाद जी	बा० श्याम सुंदर लाल जी	पं० घासीराम जी	स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी	म० कृष्ण जी	ला० देशबन्धु जी गुप्त	ला० गंगा राम जी	पं० ठाकुरदत्त जी		७	२१
२३	१९३१-३२	प्रो० तारा चन्द गाजरा	बा० शंकरबक्ष प्रसाद जी	बा० ब्रह्मदत्त जी भार्गव	बा० घनश्याम सिंह जी गुप्त	पं० विजयशंकर जी	स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी	पं० घासीराम जी	म० कृष्ण जी	पं० विशम्भर नाथ जी	पं० ठाकुरदत्त जी अमृतधारा	प्रो० धर्मेन्द्रनाथ जी	बा० श्यामसुंदर लाल जी	बा० ज्वालाप्रसाद जी	स्वामी रामानन्द जी		७	२१
२४	१९३२-३३	कुं० चांदकरण जी शारदा	बा० घनश्याम सिंह जी गुप्त	प्रो० तारा चन्द जी गाजरा	पं० विजय शंकर जी	म० शंकरबक्ष प्रसाद सिंह जी	ला० कृष्ण लाल जी पोद्दार	प्रो० धर्मेन्द्रनाथ जी	स्वामी रामानन्द जी	स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी	पं० घासीराम जी	ला० गंगराम जी	म० कृष्ण जी	पं० ठाकुरदत्त जी	पं० गंगाप्रसाद जी एम० ए०	पं० ज्वाला प्रसाद जी	६	२१
२५	१९३३-३४	कुं० चांदकरण जी शारदा	प्रो० ईश्वरी प्रसाद जी	पं० लोकनाथ जी	डा० कल्याणदास जी	पं० सत्यव्रत जी	स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी	पं० घासीराम जी	बा० पूर्ण चंद जी	बा० श्री राम जी	प्रो० धर्मेन्द्रनाथ जी	पं० चन्द्रशेखर जी बाजपेयी	म० कृष्ण जी	पं० भीम सैन जी	पं० विशम्भरनाथ जी	पं० धुरेन्द्र जी शास्त्री	६	२१
२६	१९३४-३५	कुं० चांदकरण जी शारदा	बा० ईश्वरी प्रसाद जी	पं० लोकनाथ जी	ठा० ब्रजनन्दन सिंह जी	डा० कल्याणदास जी	बा० पूर्ण चंद जी	पं० घासीराम जी	स्वामी स्वतन्त्रानंद जी	पं० धुरेन्द्र जी	बा० श्रीराम जी	प्रो० धर्मेन्द्रनाथ जी	पं० भीमसेन जी	म० कृष्ण जी	पं० चमूपति जी	पं० ठाकुरदत्त जी	६	२१
२७	१९३५-३६	कुं० चांदकरण जी शारदा	बा० ईश्वरी प्रसाद जी	पं० केवलपति जी	बा० हरगोविन्द धर्म जी	बा० पूर्ण चन्द जी	स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी	बा० ज्योतिस्वरूप जी	स्वा० ब्रह्मानंद जी	बा० श्रीराम जी	पं० चन्द्रशेखर जी बाजपेयी	पं० धुरेन्द्र जी शास्त्री	म० कृष्ण जी	पं० चमूपति जी	पं० भीम सैन जी	ला० देशबन्धु जी	६	२१
२८	१९३६-३७	प्रो० सुधाकर जी	पं० वेदव्रत जी	म० नगीनदास जी	बा० पूर्ण चंद जी	बा० ज्योतिस्वरूप जी	डा० श्याम स्वरूप जी	पं० चमूपति जी	म० कृष्ण जी	पं० ईन्द्र जी	प्रो० रामदेव जी	प्रो० महेन्द्र प्रताप जी	बा० पीतमलाल जी	बा० श्रीराम जी	पं० ज्ञानचंद जी		७	२१

करेगा परन्तु तीन वर्ष के भीतर नियम सं० ७ के अनुसार पदरिक्त होने पर उसकी पूर्ति प्रान्तिक सभा, आर्य समाज, समाजों का समुदाय और दानी समुदायों से कराई जायेगी।

१०. प्रत्येक प्रान्तिक सभा या आर्य समाज वा समाजों का समुदाय जो इस सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार चाहते हों अपने प्रधान व मन्त्री के हस्ताक्षर युक्त निम्न लेखानुसार निवेदन पत्र इस सभा में अपनी सभा वा समाज वा समाज समुदाय के प्रविष्ट करने के निमित्त गत वर्ष की रिपोर्ट सहित अपने साधारण अधिवेशन द्वारा निश्चित इस सभा के मन्त्री के पास भेजें और इस निवेदन पर अन्तरङ्ग सभा में विचार होगा जिस को इसके स्वीकार करने न करने का अधिकार होगा। परन्तु प्रथम ही आर्य प्रतिनिधि सभा १ पन्जाब, २ संयुक्त प्रान्त, ३ राजस्थान, ४ बङ्गाल बिहार, ५ मध्यप्रदेश व विदर्भ और मुम्बई, सार्वदेशिक सभा में सम्मिलित समझी जावें।

नोट—:प्रतिनिधियों की आयु २५ वर्ष से न्यून न होगी।

फार्म निवेदन पत्र

श्रीमान् मन्त्री जी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा।

नमस्ते।

निवेदन है कि श्रीमती आ० प्र० सभा या आर्य समाज वा समाज समुदाय.........ने अपने साधारण अधिवेशन ता० का निश्चय सं० के द्वारा निश्चय किया है (जिसकी लिपि इस के साथ संयोजित है) कि इस सभा आर्य समाज वा समुदाय को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में प्रवेश करा कर प्रतिनिधि भेजने के अधिकार प्राप्ति के अर्थ निवेदन पत्र भेजा जावे और यह भी निश्चय हुआ है कि यह सभा, आर्य समाज वा समाज समुदाय सदैव श्रीमती सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के निश्चय, निर्धारण और आज्ञाओं

का प्रतिपालन करता रहेगा और इस सभा को आर्यसमाज वा वर्त्तमान अवस्था के परिज्ञानार्थ निम्न लेखानुसार विवरण है।

वर्त्तमान दशा

नाम प्रान्तिक सभा या आर्यसमाज वा समाज समुदाय	संख्या समाजों की जो प्रान्तिक-सभा, या आर्यसमाज वा समाज समुदाय में सम्मिलित हैं	प्रान्तिक सभा, वा आर्यसमाज या समाज समुदाय के सभासदों की संख्या	उपदेशकों की संख्या	आर्थिक दशा	परिमाण पञ्चमांश वा दशमांश	अन्य व्यवस्था
१	२	३	४	५	६	७

ह०............ ह०............

प्रधान मन्त्री

ता०............ ता०............

अधिकारी

११. इस सभा के निम्नलिखित अधिकारी होंगे।

(१) प्रधान (२) एक वा अधिक उपप्रधान (३) मन्त्री (४) उपमन्त्री (५) कोषाध्यक्ष (६) पुस्तकाध्यक्ष।

१२. अधिकारियों का निर्वाचन प्रति वर्ष सभा के वार्षिक साधारण अधिवेशन में हुआ करेगा। *

१३. प्रधान सभा के कर्त्तव्याधिकार निम्न लेखानुसार होंगे।

[१] इस सभा के समस्त अधिवेशनों में सभापति का कार्य करना।

[२] सदैव सभा के समस्त कार्यों के उचित प्रबन्ध करने और सभा की उन्नति व रक्षा में प्रत्येक समय प्रवृत्त रहना।

[३] सभा के प्रत्येक कार्य का निरीक्षण करना।

[४] प्रत्येक कार्य को नियमानुकूल चलाना व चलवाना यदि कोई कठिन कार्य हो तो उसी समय प्रबन्ध करना उसके बिगड़ने का उत्तर दाता होना।

[५] समस्त अधिकारी तथा सभासदों के सभा सम्बन्धी कार्यों की ओर ध्यान देना कि वे उचित रीति पर किये जाते हैं या नहीं।

१४. उपप्रधान का कर्तव्याधिकार यह होगा कि प्रधान की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधि तथा उपस्थिति में सहायक का कार्य करे।

१५. मन्त्री के कर्त्तव्याधिकार निम्न लेखानुसार होंगे।

[१] सभा की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।

---

* परन्तु यदि उपमन्त्री वैतनिक हों तो उनके निर्वाचन की आवश्यकता न होगी किन्तु अन्तरङ्ग सभा उनको नियत करेगी और ऐसी दशा में वह इस सभा के सभासद् न समझे जायँगे।

[२] सभा सम्बन्धी समस्त पत्रादि को सम्भाल कर रखना ।

[३] सभा के सम्पूर्ण अधिवेशनों का वृत्तान्त प्रस्ताव विवरण पुस्तक (Proceeding book) में लिखना और उसको मुद्रित कराकर प्रान्तिक सभाओं, अधिकारियों और अन्तरङ्ग सभा के सभासदों के समीप भेजना ।

[४] वार्षिक कार्य विवरण (रिपोर्ट) तैयार करके अन्तरङ्ग सभा में प्रविष्ट करना ।

[५] प्रत्येक कार्य पर विशेष ध्यान रखना तथा सभा द्वारा निश्चित प्रस्ताव और आज्ञाओं का पालन करना और कराना ।

[६] आय की वृद्धि करने का विशेष उद्योग करना ।

[७] प्रत्येक अधिवेशन का प्रबन्ध करना व कराना और नियत समय से पूर्व उक्त सभा में उपस्थित होना ।

[८] प्रत्येक हिसाब के पत्रों की जांच करना और सभा से स्वीकृत कराना ।

[९] सभा के कर्मचारियों के कार्य को निरीक्षण करना ।

[१०] इस विषय की ओर ध्यान रखना कि प्रत्येक प्रविष्ट प्रान्तिक सभा ने अपना प्रतिनिधि और पञ्चमांश भेजा है वा नहीं ।

[११] प्रत्येक संयोजित सभा से वार्षिक लेखा और कार्य विवरण मांगना ।

[१२] सभा के नियमोपनियमों के प्रति पालन की ओर ध्यान रखना ।

१६. उपमन्त्री के कर्त्तव्याधिकार यह होंगे कि वह मन्त्री को उस के कार्य में पूर्ण रीति से सहायता दे और उसकी अनुपस्थिति में उसका स्थानापन्न हो ।

१७. कोषाध्यक्ष के कर्त्तव्याधिकार निम्नस्थ प्रकार होंगे।

[१] सभा के समस्त आय को लेना और रसीद देना और धन को सुरक्षित रखना।

[२] किसी को सभा के स्वीकृत अनुमानिक लेखे के विरुद्ध धन न देना।

[३] बिना प्रधान व मन्त्री के हस्ताक्षर युक्त चिक वा आज्ञा के किसी को रुपया न देना।

[४] समस्त आय, व्यय का हिसाब रखना और जांच, पड़ताल और निरीक्षण के निमित्त सभापति, मन्त्री, आडीटर के सन्मुख मासिक वा जब वे चाहें उपस्थित करना।

१८. पुस्तकाध्यक्ष का कर्तव्याधिकार केवल यह ही है कि सम्पूर्ण पुस्तकों को सम्भाल रखना तथा पुस्तकालय सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन करना।

१९. गणक का कर्त्तव्य सभा के सम्पूर्ण हिसाब की पूर्ण रीति से जांच पड़ताल करना और उसकी रिपोर्ट देना।

२०. प्रत्येक प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभा अपने गत वर्ष की उस आय का पञ्चमांश जो वह अपने नियमों के अनुसार आर्य-समाजों से वार्षिक ले चुकी है सार्वदेशिक सभा के कोष में उसके प्रत्येक धन सम्बन्धी वर्ष के आरम्भ में भेज देवे परन्तु उसका परिमाण १००) सौ रुपये वार्षिक से किसी दशा में न्यून न होगा।

२१. प्रत्येक प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभा जो अपनी आय का पञ्चमांश नियम सं० २० के अनुसार देने में नियत तिथि से चार मास पर्यन्त भी दोषी रहे और तदुपरान्त मन्त्री सभा के विज्ञापन आने के दो मास पर्यन्त भी न दे सकने का तुष्टिदायक

हेतु न प्रकट करे तो वह सार्वदेशिक सभा में संयोजित न रहेगी।

२२. सभा के कार्यालय का मुख्यस्थान एक नियत स्थान पर होगा और सभा के अधिवेशन मुख्यस्थान पर होंगे परन्तु अन्तरङ्ग सभा किन्हीं विशेष हेतुओं से अन्य स्थान पर भी अधिवेशन कर सकती है।

२३. सार्वदेशिक सभा के अधिवेशन दो प्रकार के होंगे साधारण और नैमित्तिक।

२४. सभा का साधारण अधिवेशन वर्षमें एक बार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हुआ करेगा:—

१. सभा के अधिकारियों तथा अन्तरङ्ग सभा के सभासदों का निर्वाचन करने के लिये।

२. सभा का वार्षिक बृतान्त (रिपोर्ट) सुनने के लिये।

३. आगामी वर्ष के वार्षिक आय व्यय का अनुमानिक लेखा (बजट) स्वीकार करने के लिये।

४. प्रविष्ट वा सम्मिलित प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभाओं के निर्णय (फैसले) का पुनर्निवेदन (अपील) सुनने के लिये।

५. आर्य प्रतिनिधि सभाओं के पारस्परिक विवादों का अन्तिम निर्धारण करने के लिये।

६. पूर्व से विज्ञिप्त विषयों पर संवाद करने और निर्णय करने के लिये जिनको सभा के उद्देश्यों की पूर्ति निमित्त अन्तरङ्ग सभा आवश्यक समझती हो।

नोट—सभा के नियमों का संशोधन और ऐसे विषयों के अतिरिक्त जिनको अन्तरङ्ग सभा नैमित्तिक अधिवेशनों के विचार के योग्य समझे सम्पूर्ण कार्यवाही साधारण अधिवेशन में हुआ करेगी।

२५. जिन कार्यों का निर्धारित होना इतना आवश्यक हो कि साधारण

सभा के अधिवेशन समय तक अनिश्चित रखने में हानि प्रतीत हो और अन्तरङ्ग सभा स्वयं उनका निर्धारण न कर सकती हो तो अन्तरङ्ग सभा की आज्ञानुसार उक्त विषयों के निर्धारणार्थ नैमित्तिक अधिवेशन हो सकता है।

२६. सम्पूर्ण साधारण अधिवेशनों में कार्यवाही तब ही आरम्भ होगी जब कि तृतीयांश सभासद् उपस्थित हों परन्तु तृतीयांश की सभासद् संख्या १५ से अधिक हो तो १५ ही सभासदों की उपस्थिति निर्दिष्ट संख्या (कोरम) मानी जावेगी।

२७. निर्दिष्ट संख्या (कोरम) नैमित्तिक अधिवेशनों में सभासदों की वास्तविक संख्या का अर्द्धांश होगा परन्तु जो अर्ध संख्या २० से अधिक हो तो निर्दिष्ट संख्या (कोरम) २० ही होगी।

२८. सम्पूर्ण विषय अधिवेशन में उपस्थित सभासदों के बहु पक्षानुसार निश्चित होंगे और जिस अवस्था में दोनों ओर की सम्मति बराबर हो प्रधान की सम्मति द्विगुण होगी।

२९. सब प्रकार के विचार जो पत्र द्वारा प्राप्त होंगे वह सम्मतियों में गणनीय न समझे जावेंगे, केवल विचार ही समझे जायेंगे।

अन्तरङ्ग सभा

३०. सभा के समस्त प्रबन्ध और कार्य निर्वाह के लिये एक अन्तरङ्ग सभा, सभा के वार्षिक साधारण अधिवेशन में निर्वाचित हुआ करेगी, जिसके सभासदों की संख्या २१ होगी परन्तु अधिकारी भी इसी में गिने जायेंगे।

३१. सार्वदेशिक सभा के अधिकारी अपने पदाधिकार के कारण अन्तरङ्ग सभा के भी अधिकारी होंगे।

३२. अन्तरङ्ग सभा को अधिकार होगा कि किसी विशेष कार्यार्थ अपने सभासदों वा सार्वदेशिक सभा के अन्य सभासदों वा संयोजित प्रान्तिक सभा के सभासदों में से उपसभा बनावे।

३३. अन्तरङ्ग सभा अपने कार्य निर्वाहार्थ स्वयं नियम बनावेगी परन्तु सभा को अधिकार होगा कि उनका संशोधन, परिवर्तन वा न्यूनाधिक्य करे।

मिश्रित नियम

३४. इन नियमों में शब्द "आर्यसमाज" और "आर्य-सभासद्" का वही अर्थ समझा जावेगा जो कि आर्यसमाज के उपनियमों में वर्णित है।

३५. इन नियमों में शब्द "प्रान्तिक सभा" से अभिप्राय उन्हीं सभाओं से है जो प्रत्येक प्रान्त में आर्यसमाज के नियमोपनियम द्वारा बने हुए आर्यसमाजों की ओर से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनी हुई आर्य प्रतिनिधि सभायें हैं।

३६. इन नियमों में शब्द "इस सभा" "सभा" और "सार्वदेशिक सभा" से अभिप्राय श्रीमती सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से होगा।

३७. सभा का द्रव्य सम्बन्धी प्रबन्ध अन्तरङ्ग सभा के अधिकार में सभा के साधारण प्रबन्ध और आज्ञा के आधीन रहेगा।

३८. सभा किसी दशा में ऋण नहीं लेगी।

३९. यदि किसी कारणवश सभा और अन्तरङ्ग के अधिकारियों और सभासदों का निर्वाचन इनके समय व्यतीत होने पर न हो सके तो वर्तमान सभासद् और अधिकारी ही नये निर्वाचन पर्यन्त कार्य करते रहेंगे परन्तु यह बात एक वर्ष से अधिक समय तक अनुबन्ध न रहेगी।

४०. सभा का धन सम्बन्धी वर्ष प्रथम बैशाख से आरम्भ होगा।

४१. सभा को इन नियमों के संशोधन, परिवर्तन अथवा न्यूनाधिक करने का अधिकार रहेगा परन्तु यह अधिकार उस नैमित्तिक अधिवेशन में उपयोग में लाया जावेगा जिसमें न्यून से न्यून

दो तिहाई प्रतिनिधि सभासद् सम्मिलित हों और १ मास पूर्व से प्रस्तावित संशोधनों सहित विज्ञापन भेजा गया हो।

परिशिष्ट (२)

The Office of The Registrar of oint Stock Companies, Delhi Province.

I hereby certify that pursuant to the provisions of Act XXI of 1860, the Memorandum of Association of the Aryavartiya Sarvdeshik Pratinidhi Sabha with Copy of Rules and letter dated 10th July 1914 have this day been filed and registered, and that the said society has been duly registered as a society under Act XXI of 13 0.

Given under my hand and seal this 25th day of August 1914.

Fee. Rs. 50/-

Certified to be a True Copy

(Sd.)...................... (Sd.) V. Connolley.
15/11/26 Supdt. Registrar, Joint Stock
Regd. Joint Stock Coys Office. Companies, Delhi.

परिशिष्ट (३)

उपनियम

प्रारम्भ

(१) श्रीमती आर्य्यावर्तीय सार्वदेशिक सभा की नियमावली की धारा ३३ में वर्णित है कि "अन्तरङ्ग सभा अपने कार्य निर्वाहार्थ स्वयं नियम बनावेगी" तदनुसार ये नियम बनाये जाते हैं।

(२) इन नियमों का नाम "सार्वदेशिक सभा के उपनियम" होगा।

(३) ये नियम निम्नाङ्कित भागों में विभक्त होंगे:—

पहला भाग – अन्तरङ्ग सभा के नियम

दूसरा " —कार्य्यालय के नियम

तीसरा " —हिसाब किताब रखने के नियम

चौथा " —पुस्तकालय के नियम

पांचवां " —देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में प्रचार के नियम

छटा " —विविध

पहला भाग—

अन्तरङ्ग सभा के नियम

(४) अन्तरङ्ग सभा के कार्य निर्वाहार्थ जो नियम काम में लाये जावेंगे उनका विवरण इस प्रकार है।

अधिवेशनों का समय, स्थान और विज्ञापन

(५) साधारण अधिवेशन हर तीसरे महीने हुआ करेंगे। तारीख़ मन्त्री, प्रधान की अनुमति से नियत करेगा। परन्तु वर्ष का पहिला अधिवेशन सभा के वार्षिक साधारण अधिवेशन के साथ आवश्यक कार्य विभाग के लिये हुआ करेगा।

(६) नैमित्तिक अधिवेशन निम्न दशाओं में होंगे:—

(क) जब यह सभा अपने किसी साधारण अधिवेशन में ऐसा निश्चय करे।

(ख) जब अन्तरङ्ग सभा के पांच सभासद् लेखबद्ध प्रस्ताव करें।

(ग) जब प्रधान जरूरी समझे।

(७) साधारणतया समस्त अधिवेशनों का स्थान सभा के कार्यालय का मुख्य स्थान हुआ करेगा परन्तु विशेष दशाओं में किसी अन्य स्थान पर भी कोई अधिवेशन हो सकता है।

(८) अधिवेशनों के लिये जो विज्ञापन जारी किये जायेंगे उन के नियम इस प्रकार होंगे:—

(क) प्रत्येक साधारण अधिवेशन की नियत तिथि से १५ दिन पूर्व एक विज्ञापन, जिसपर मन्त्री या उसकी अनुपस्थिति में उपमन्त्री या किसी अन्य अधिकारी के जिसको अन्तरङ्ग सभा या विशेष दशा में प्रधान ने यह अधिकार दिया हो हस्ताक्षर होंगे, अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक अन्तरङ्ग सभासद् की सेवा में भेजा जाया करेगा। परन्तु नैमित्तिक अधिवेशनों के लिये साधारणतया सात दिन पूर्व विज्ञापन का जारी करना काफ़ी होगा। विशेष दशाओं में जब प्रधान चाहे तो ५ दिन पूर्व विज्ञापन दे कर या २ दिन पूर्व तार द्वारा अन्तरङ्ग सभासदों को बुला कर नैमित्तिक अधिवेशन संगठित कर सकता है। पांच दिन का विज्ञापन भी दूरस्थ सभासदों को तार द्वारा ही भेजा जावेगा।

(ख) अन्तरङ्ग सभा के विज्ञापनों में निर्णीतव्य विषयों का विवरण अधिवेशन का स्थान, तिथि और समय लिखा जाया करेगा।

नोट—१ अन्तरङ्ग सभा के उस साधारण अधिवेशन के लिये जो केवल कार्य विभाग के लिये सभा के वार्षिक साधारण अधिवेशन के साथ हुआ करेगा विज्ञापन देने का नियम शिथिल रहेगा।

नोट—२ तार द्वारा जो अधिवेशन बुलाया जायगा उसमें निर्णीतव्य विषयों का लिखना आवश्यक न समझा जायगा।

कोरम

(९) अन्तरङ्ग सभा के सभी प्रकार के अधिवेशनों के लिये ५ सभासदों का उपस्थित होना आवश्यक है परन्तु कोरम न होने से यदि कोई

अधिवेशन न हो सके तो उसी अधिवेशन के विज्ञापन के अनुसार जो दूसरा अधिवेशन बुलाया जायगा उसमें ५ सभासदों की उपस्थिति का नियम शिथिल रहेगा।

कार्यक्रम

(१०) प्रत्येक अधिवेशन में कोई आर्यसमाज के सभासद् या सहायक प्रधान की आज्ञा प्राप्त करके दर्शक के तौर पर सम्मिलित हो सकते हैं।

(११) किसी अधिवेशन में किसी सभासद् के स्थान में दूसरा मनुष्य उसका स्थानापन्न होकर सम्मिलित नहीं हो सकेगा और अनुपस्थित सभासद् की लेख द्वारा प्राप्त हुई सम्मति की गणना न की जावेगी किन्तु वह पढ़कर सुना दी जा सकेगी।

(१२) प्रत्येक सभासद् को अधिकार होगा कि किसी ऐसे विषय की ओर जो अधिवेशन के प्रबन्ध से सम्बन्ध रखता है सभापति का ध्यान आकर्षित करे। परन्तु ऐसे विषय में सभापति के निश्चय पर कोई वाद न किया जावेगा सिवाय उस दशा के कि जब सभापति उसके लिये उपस्थित सभासदों की सम्मति पूछना उचित समझे।

(१३) अधिवेशन में वही प्रस्ताव प्रविष्ट किया जावेगा जो विज्ञापन में अङ्कित हो गया हो और लेखबद्ध सभा के कार्यालय में उपस्थित हो। विशेष दशाओं में उपस्थित सभासदों की सर्व सम्मति होने पर कोई आवश्यक नया विषय भी उपस्थित हो सकेगा परन्तु प्रधान किसी अत्यन्त आवश्यक विषय को बिना विज्ञापन में अङ्कित हुए भी पेश कर सकता है।

(१४) प्रस्तावक को अधिकार होगा कि अपने प्रस्ताव की आवश्यकता प्रकट करता हुआ प्रस्ताव को प्रस्तुत करे।

(१५) प्रत्येक अननुमोदित प्रस्ताव खारिज कर दिया जावेगा और वह

प्रस्ताव भी खारिज समझा जावेगा जिसे प्रस्तावक की अनुपस्थिति में कोई अन्य सभासद् पेश करना न चाहे ।

(१६) किसी प्रस्ताव को निवेदन करने अथवा उस पर वाद करने के समय प्रत्येक सभासद् को उचित होगा कि अपनी जगह पर से भाषण करे और सभापति को सम्बोधन करे ।

(१७) प्रस्तावक के अतिरिक्त किसी को अधिकार न होगा कि बिना सभापति की आज्ञा के किसी प्रस्ताव वा संशोधन (तर्मीम) के विषय में पुनः भाषण करे ।

(१८) वे सब प्रश्न जो एक सभासद् दूसरे सभासद् से प्रस्तुत कार्य के विषय में करना चाहें सभापति के द्वारा पूछे जाया करेंगे ।

(१९) मन्त्री प्रत्येक विषय को अन्तरङ्ग सभा में विचारार्थ तत्सम्बन्धी पत्रों और सूचनाओं से संकलित (मुकम्मिल) करके पेश किया करेगा ।

(२०) प्रत्येक साधारण अधिवेशन का कार्यक्रम इस प्रकार होगा:—

(क गताधिवेशन की कार्यवाही का पढ़ा जाना और सम्पुष्ट होना ।

ख) गत त्रैमासिक आय-व्यय का लेखा स्वीकारार्थ प्रविष्ट करना ।

(ग) परोपकारिणी सभा तथा प्रान्तिक प्रतिनिधि सभाओं व अन्य समाजों तथा प्रतिष्ठित सभ्यों के प्रवेशन योग्य प्रेषित पत्रादि पढ़कर सुनाये जाया करेंगे ।

( ) अधिष्ठाताओं, उपसभाओं और अन्तरङ्ग सभासदों की रिपोर्ट का प्रविष्ट होना उचित व्यवस्थार्थ ।

(च) जिन विषयों की सूचना अधिवेशन के विज्ञापन में दी गई हो उनका नियम सं० १३ के अनुसार प्रविष्ट होना ।

(२१) सम्मति वाक्य द्वारा ली जाया करेगी और उनका फल प्रधान

प्रकट करेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही की पुस्तक में लिखा जायगा।

(२२) सम्पूर्ण विषय अधिकांश सम्मति से निश्चय होंगे परन्तु समान सम्मति होने पर प्रधान को एक और सम्मति देने का अधिकार होगा।

अन्तरङ्ग सभासदों के कर्त्तव्य और अधिकार

(२३) अन्तरङ्ग सभा के सभासदों के निम्न लेखानुसार कर्त्तव्य और अधिकार होंगे—

(१) कुल हिसाब किताब की जांच करना।

(२) सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये धन एकत्र करने का उद्योग करना, कराना।

(३) सभा के कार्यालय का निरीक्षण करना तथा माल असबाब देखना।

(४) वैदिक धर्म के प्रचार का ठीक २ सभा की आज्ञानुसार यत्न करना।

(५) उपदेशकों से काम कराना और उसपर दृष्टि रखना।

मिश्रित

(२४) अन्तरङ्ग सभा के प्रथमाधिवेशन में जो प्रति वर्ष श्रीमती सभा के वार्षिकाधिवेशन के पश्चात् हुआ करेगा सभा जिस प्रकार उचित समझेगी अपने सभासदों को उनके कर्त्तव्य व अधिकार सम्बन्धी कार्यों को बांटा करेगी परन्तु सभा को अधिकार है कि वर्ष के भीतर काम पुनः न्यूनाधिक वा परिवर्तन करे। इस अधिवेशन में केवल इतना ही कार्य हुआ करेगा।

(२५) प्रत्येक सभासद् का सभा की आज्ञाओं का मानना और पालन करना परम कर्त्तव्य होगा।

(२६) किसी अधिवेशन में सभापति या उपसभापति उपस्थित न हो तो उपस्थित सभासदों को अधिकार होगा कि वे अपने में से किसी को सभापति उस सभा का सामयिक चुन लेवें।

(२७) प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाही लिखी जायगी और एक पुस्तक में जो इसी निमित्त बनाई जावेगी शुद्ध और स्पष्ट रीति से लिखी जावेगी और उसपर सभापति के हस्ताक्षर होंगे।

(२८) अन्तरङ्ग सभा में केवल वही विषय विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा जिसकी प्रधान ने पूर्व से लेखबद्ध आज्ञा दे दी हो परन्तु जिस विषय के लिये पांच आर्य सभासद् जिनका सम्बन्ध किसी प्रविष्ट आर्यसमाज या प्रतिनिधि से हो अथवा ५ सार्वदेशिक सभासद् लेख द्वारा प्रस्ताव करें वह भी अवश्य प्रविष्ट किया जावेगा परन्तु उसकी सूचना प्रस्ताव आते ही प्रधान को दे दी जाया करेगी।

(२६) अन्तरङ्ग सभा के केवल वही निश्चय छपाये जावेंगे जिनके लिये अन्तरङ्ग सभा ने ऐसा करने के लिये आज्ञा दी हो अथवा जिन को प्रधान व मन्त्री सभा की भलाई के लिये छपाना आवश्यक समझें।

(३०) अन्तरङ्ग सभा का कोई निश्चय रद्द न किया जा सकेगा जब तक उसका पूर्व से नियमानुसार विज्ञापन न दिया गया हो।

(३१) उन अधिकारों के अतिरिक्त जिनको कि नियमों में प्रकट रीति से वर्णन कर दिया है शेष प्रत्येक कार्य सभा स्वतः किया करेगी।

कार्यालय के नियम

(३२) कार्यालय में समस्त रजिस्टर और फ़ाइल इस प्रकार रक्खे जावेंगे।

(क) रजिस्टरों का विवरण इस प्रकार है:—

(१) सभा के साधारण अधिवेशनों और अन्तरङ्ग सभा की कार्यवाही का रजिस्टर।

(२) उपरोक्त की एक रफ़ कापी जिसमें तत्काल अधिवेशनों के समय अधिवेशनों में हुए निश्चय लिखे जाया करेंगे और इन्हीं की शुद्ध लिपि रजिस्टर नं० १ में अङ्कित हुआ करेगी।

(३) सभा की समस्त जायदाद और वस्तुओं का रजिस्टर।

(४) चिट्ठियों की रवानगी का रजिस्टर डाक व्यय विवरण सहित।

(५) फ़ाइलों का रजिस्टर जिसमें समस्त फ़ाइल विभाग वार अङ्कित हुआ करेंगे।

(६) कर्मचारियों का रजिस्टर।

(७) समस्त रजिस्टरों का एक रजिस्टर।

(३३) फ़ाइलों की ठीक तरतीब रखने के उद्देश्य से फ़ाइल विभागों में विभक्त होंगे।

(क) एक से पांच विभाग तक सभा के प्रथम से पंचम उद्देश्य के सम्बन्ध में रक्खे जावेंगे।

(१) उपदेशक महाविद्यालय से सम्बन्धित।

(२) देश देशान्तरों में प्रचार से सम्बन्धित।

(३) प्रतिनिधि सभाओं के निश्चयों की अपीलादि।

(४) ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थों की रक्षा से सम्बन्धित।

(५) पुस्तकालय से सम्बन्धित।

छठा विभाग—हिसाब किताब से सम्बन्धित रहेगा।

सातवां विभाग—शुद्धि और दलितोद्धार से सम्बन्धित रहेगा।

आठवां विभाग—विविध।

(क) प्रत्येक चिट्ठी जो सभा के कार्यालय में आवेगी उसका

पृथक् फ़ाइल बनाया जावेगा या यदि वह प्रचलित फ़ाइलों से सम्बन्धित हो तो उसमें शामिल करदी जावेगी ।

(ख) जो फ़ाइल विषय के समाप्त होने से समाप्त हो जावेंगे वे प्रचलित फ़ाइलों से पृथक् विभाग वार रक्खे जाया करेंगे ।

(३४) समाप्त फ़ाइल और रजिस्टरों में कौन २ कितनी २ अवधि तक रक्खे जावेंगे इसके पृथक् उपनियम अन्तरङ्ग सभा बनावेगी ।

कर्मचारियों की नियुक्त और छुट्टी के नियम

(३५) सभा के उपदेशक आदि प्रधान की सिफ़ारिश से अन्तरङ्ग सभा द्वारा नियत या पृथक् किये जाया करेंगे परन्तु कार्यालय के लेखक आदि को प्रत्येक विभाग के अधिकारी प्रधान की स्वीकारी से नियत कर लिया करेंगे ।

(३६) कार्यालय के उच्चकर्मचारी १ वर्ष काम कर लेने पर एक मास सवेतन छुट्टी पाने का अधिकार प्राप्त कर लिया करेंगे उन्हें १० दिन की अकस्मात छुट्टी भी आवश्यकतानुसार मिल सकेगी ।

कार्यालय में छुट्टी

(३७) साधारण रीति से सप्ताह में १ दिन के लिये कार्यालय बन्द रहा करेगा इस साप्ताहिक छुट्टी के सिवा विशेष २ त्योहारों के अवसरों पर कब २ कार्यालय बन्द रहना चाहिये इसका निर्णय मन्त्री, कोषाध्यक्ष और पुस्तकाध्यक्ष परस्पर सलाह करके करेंगे और एक सूची ऐसी विशेष छुट्टियों की बना देगें उसी के अनुसार कार्यालय बन्द रहा करेगा इन छुट्टियों के नियत करते समय यह पूर्ण ध्यान रक्खा जायगा कि काम में हर्ज न हो और डाक के रिसीव करने का आवश्यक प्रबन्ध बना रहे ।

हिसाब किताब ठीक रखने के नियम

आय

(३८) सम्पूर्ण रुपया जो कि श्रीमती सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा

को किसी से वा किसो के द्वारा प्राप्त हो उसकी सभा के कोषाध्यक्ष को नमूना सं० १ में रसीद देना उचित है।

(३९) सम्पूर्ण रुपया जो कोई महाशय और किसी काम के लिये श्रीमती सार्वदेशिक सभा को देवें वह सभा के कोषाध्यक्ष के पास आना चाहिये।

(४०) जो रुपया किसी अन्य अधिकारी के पास कहीं से और किसी फ़एड के लिये प्राप्त हो उस अधिकारी के द्वारा अनावश्यक देरी के बिना कोषाध्यक्ष के पास भेजा जावेगा और कोषाध्यक्ष रुपया लेकर उसको रसीद रुपया भेजने वाले के पास सीधे भेज देवेंगे।

(४१) कोषाध्यक्ष सम्पूर्ण आय एक पुस्तक में जो कि कैशबुक के नाम से नामांकित होगी मितिवार लिखेगा। (देखो नमूना सं० २)

(४२) सभा का रुपया २००) रुपये तक कोषाध्यक्ष तथा सौ सौ रुपये तक मन्त्री और पुस्तकाध्यक्ष के पास रहेगा और इससे अधिक धन सभा की अन्तरंग सभा के परामर्शानुसार जो समय प्रति समय कोषाध्यक्ष प्राप्त करेगा किसी या किन्हीं बैंकों में रक्खा जायगा।

(४३) बैंकों में जो धन रक्खा जायगा वह सभा के नाम से जमा होगा और मन्त्री व प्रधान के हस्ताक्षरों से बरामद किया जा सकेगा परन्तु जो धन चलते खाते में किसी बैंक में रक्खा जायगा वह केवल कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षरों से निकाला जा सकेगा।

व्यय

(४४) सम्पूर्ण व्यय जो कोष से होगा वह चिक के द्वारा नमूना सं० २ अनुसार होगा।

(४५) चिक लिखे जाने से पूर्व एक बिल नमूना सं० ४, ५ में जैसी

अवस्था हो बनाया जायगा और प्रधान अथवा उनकी अविद्यमानता में उपप्रधान स्वीकार करेगा।

(४६) विविध व्यय बिल जो नमूना सं० ६ में तैयार होगा उसके साथ सम्पूर्ण तार आदि की रसीदें सम्मिलित रहेंगी।

(४७ मन्त्री, चिक पाने वाले को रसीद लेकर चिक देगा पाने वाला उसी चिक के द्वारा धन कोष से प्राप्त करेगा।

(४८) कोषाध्यक्ष चिक पाने पर रुपया पाने वाले को रसीद लेकर देगा और व्यय को कैशबुक पर (नमूना सं० २) में लिख लेवेगा।

(४६) उपरोक्त रजिस्टर के अतिरिक्त कोषाध्यक्ष एक रजिस्टर रोकड़ बही के नाम से रक्खेगा। (नमूना सं० ७)

(५०) मन्त्री सभा को उचित होगा कि एक रजिस्टर वासिल बाक़ी नमूना सं० ८ के अनुसार तैयार रक्खे जिसमें समस्त प्राप्तव्य धन मासिक वा वार्षिक प्राप्तव्य चन्दे आदि लिखेगा और उन्हें लगातार वसूल करने का प्रयत्न करता रहेगा।

आडिट

(५१) उचित होगा कि श्रीमती सार्वदेशिक सभा का हिसाब मासिक आडिट किया जावे।

(५२) प्रत्येक मास की ४ ता० को कोषाध्यक्ष उससे पहले मास का हिसाब तैयार करके आडीटर को जांच करने की सूचना दिया करेगा और आडीटर का औचित्य होगा कि हिसाब की जांच रसीद, चैकबुक, बिलों और वासिल बाकी रजिस्टर आदि से किया करे।

(५३) आडीटर को यह भी देखना होगा कि तार आदि के वौचर बिलों के साथ नत्थो है और किराया रेल ठीक २ है और सम्पूर्ण रसीदों पर जो २०) से अधिक की हैं स्टाम्प –) का लगा है।

(५४) व्यय की निस्बत यह खयाल रखना भी आडीटर का औचित्य होगा कि बजटकी प्रत्येक मद की स्वीकारी से अधिक व्यय न हो।

(५५) मन्त्री प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में एक सूची सभा के भृत्यों और पूर्व बजट स्वीकार हुए की आडीटर के पास भेज दिया करेगा और आगामी को जो कुछ न्यूनाधिक हो उसकी सूचना आडीटर को देता रहेगा और उसके प्रतिकूल आडीटर कोई चिक पास न करेगा।

(५६) उपरोक्त जांच की ग़रज़ के लिये एक रजिस्टर नमूना सं० ६ बनाया जायगा और प्रत्येक मास का व्यय उस रजिस्टर में लिख दिया जाया करेगा। यह रजिस्टर मन्त्री के कार्यालय में तैयार रक्खा जायगा और हिसाब के साथ इसे भी आडीटर को दिखलाया जाया करेगा।

(५७) आडीटर अपनी जांच की रिपोर्ट प्रधान सभा के पास १५ ता० तक भेजेगा और प्रधान का औचित्य होगा कि जो अशुद्धि आडीटर की जांच से निकली हो शीघ्र उसके सुधार का प्रयत्न करे।

(५८) प्रधान का यह भी औचित्य होगा कि आडीटर की रिपोर्ट से अपनी कैफियत सहित अन्तरङ्ग सभा को सूचित किया करे।

(५९) कोई ख़र्चा उस समय तक स्वीकार न समझा जावेगा जब तक कि आडीटर की जांच के बाद अन्तरङ्ग सभा स्वीकार न कर लेवे।

पुस्तकालय के नियम

(६०) पुस्तकाध्यक्ष पुस्तकालय के समस्त स्थायी पुस्तकोंको एक रजिस्टर (नमूना सं० १०) में दर्ज करेगा और समय,२ पर जो नये पुस्तक क्रय किये जावें या अन्य प्रकार से प्राप्त हों उन्हें बढ़ाता रहेगा।

(६१) पुस्तकालय के पुस्तक रसीद लेकर अधिकारी स्त्री पुरुषों को नियत समय के लिये दिये जाया करेंगे और अवधि समाप्त होने पर लौटा लिये जाया करेंगे।

(६२) अस्थायी विक्री के पुस्तक एक रजिस्टर नमूना सं० ११ में दर्ज हुआ करेंगे और उनके वी० पी० भेजे जाने आदि का विवरण रजिस्टर नमूना सं० १२ में अङ्कित हुआ करेगा।

(६३) सभा की ओर से किस प्रकार पुस्तक तैयार कराये और छपवा कर प्रकाशित कराये जायें सभा इसके उपनियम पृथक् बनावेगी।

(६४) इन नियमों में अन्तरङ्ग सभा १ मास का नोटिस देकर अपने ऐसे अधिवेशन में जिसमें दो तिहाई अन्तरङ्ग सभासद् उपस्थित हों आवश्यक फेर फार कर सकती हैं।

नमूना सं० १ रसीद-बुक (दो पर्तकी)

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली

सं०——— ता०——— १६ ई०

श्रीयुत——— स्थान———से

———रुपया———आने———पाई मद्धे धन्यवाद पूर्वक प्राप्त हुए।

रु० ▭▭

ह० कोषाध्यक्ष

(यहीं नमूना दूसरे पर्तपर होगा)

नमूना सं० २ कैश-बुक

श्रीमती आर्य्यावर्त्तीय सार्वदेशिक सभा, देहली

(आय) तारीख़ व सन्———रसीद सं०———रुपये भेजने वाले का नाम व पता———तादाद———किस निमित्त।

(व्यय) तारीख़ व सन्———चिक सं०———किसको दिया———किस काम के लिये———तादाद।

नोट—प्रतिदिन के आयव्यय को लिखने से पहिले पिछली बाक़ी लिखी जायगी और प्रतिदिन के आय व्यय के योग की विधि (मीज़ान मुस्तैफ़ी) मिलाकर शेष (बक़ाया) निकाली जाया करेगी।

नमूना सं० ३ चिक-बुक

श्रीमती आर्य्यावर्त्तीय सार्वदेशिक सभा, देहली

चेक संख्या——— ता०——— १६ ई०

श्री कोषाध्यक्ष जी ! कृपया

———रुपये———आने———पाई श्री———को

मद्धे———दे दीजिये।

ह०———

मन्त्री

(यहीं नमूना दूसरे पर्तपर होगा)

नमूना सं० ४ वेतन बिल

श्रीमती आर्य्यावर्त्तीय सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

लेखा (बिल) वेतन विभाग———————— मास ———————— सं० १६

बजट..........
व्यय..........
शेष..........

संख्या	नाम कर्मचारी	पद	मासिक वेतन	वैतनिक दिवस			वेतन	कमी		प्राप्तव्य वेतन	व्यवस्था
				उपस्थिति	सवेतन छुट्टी	योग		विवरण	परिणाम		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	६
	योग										

स्थान———————— तिथि

ह० ————————
लेखक विभाग

इस लेखे (बिल) में उपस्थित पंजिका के अनुसार सब कोष्टक भरे गये हैं जो कुछ लिखा है सब सत्य है।
तिथि ————————
ह० ————————
अधिकारी विभाग

यह बिल ———————— के लिये स्वीकार है।
तिथि ————————
ह० ————————
प्रधान सभा

नमूना सं ५ मार्ग व्यय बिल

श्रीमती आर्य्यावर्तीय सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा ।

लेखा (बिल) मार्गव्यय ——— नाम यात्री ——— मास ——— सं० १६ वजट........
व्यय........
नाम विभाग——— शेष........

			अन्य सवारी द्वारा			रेल द्वारा				अन्य व्यय			
तारीख	कहां से	कहां तक	नाम सवारी	मील	किराया	नाम दर्जा	तादाद टिकट	किराया	कुली	विवरण	व्यय	दैनिक योग	यात्रा का कारण तथा अन्य व्यवस्था
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
		योग											शब्दों में........

सभा के लाभार्थ यह यात्रा की गई और इस यात्रा में जो वास्तविक व्यय हुआ है वही लिखा गया है

ह० ——— ह० ———
यात्री अधिकारी विभाग
तिथि ——— तिथि ———

यह बिल ——— के लिये स्वीकार है ।
तिथि ——— ह० ———
प्रधान सभा

नमूना सं० ६ विविध व्यय

स्वीकृत बजट..................
इस बिल सहित इस वर्ष का व्यय...
शेष..........................

बिल बिविध व्यय श्रीमती आर्य्यावर्त्तीय सार्वदेशिक सभा।

कार्य्यालय.............मास..................सन् १६ ई०

बौचर	मद जिसमें खर्च पड़ेगा / किस निमित्त व्यय हुआ	परिमाण रु०	आ०	पा०	विशेष
	असबाब				
	पुस्तकें				
	तार				
	डाक व्यय				
	फ़ीस मनीआर्डर				
	स्टेशनरी (काग़ज़ कलम आदि)				
	छपाई				
	जिल्द बंधाई				
	डोरी				
	तेल				
	लैम्प				
	मज़दूरी				
	रसीदी टिकट				
	किराया इक्का				
	भाड़ा रेल				
	किराया मकान				
	मिश्रित विवरण सहित				
	योग				

स्थान   तारीख..................१६ ई०

............लेखक

मैं प्रमाणित करता हूँ कि जो धन इस बिल में लिखा है वास्तव में व्यय हुआ है और सभा के लाभार्थ इसका व्यय होना आवश्यक था। सब तार की रसीदें और वे रसीदें जो १) से अधिक की हैं इस बिल के साथ नत्थी हैं, अन्य रसीदें मैंने फाड़ डालीं।

तारीख...........१६ ई०   ....अधिकारी

यह बिल..........के लिये स्वीकार किया जाता है।

तारीख..............१६ ई० ....प्रधान सभा

नमूना सं० ७ रोकड़ बही

श्रीमती आर्य्यावर्त्तीय सार्वदेशिक सभा

तारीख———बाक़ी कैशबुक के अनुसार आय का योग———
योग व्यय कैशबुक के अनुसार——शेष——शेष का विवरण प्रधान, मन्त्री और पुस्तकाध्यक्ष आदि के पास जितना धन हो उसका लेख——— योग ———शेष रोकड़ जो कोषाध्यक्ष के पास है।

नमूना सं० ८ वासिल बाक़ी का रजिस्टर

श्रीमती आर्य्यावर्त्तीय सार्वदेशिक सभा, देहली

सं०	तिथि	दानकी प्रतिज्ञा करनेवाले का नाम और पूरा पता डाकखानेके नामादिसहित	प्रतिज्ञापित धन का परिमाण	प्राप्त				योग	शेष
				रसीद सं०	धन	रसीद सं०	धन		

नमूना सं० ९ बजट तथा व्यय विवरण का रजिस्टर

श्रीमती आर्य्यावर्त्तीय सार्वदेशिक सभा

स्वीकारी बजट	मुख्य कार्यालय सभा	ज्योति पाठशाला	मद्रास प्रचार	पुस्तकालय	इत्यादि २
व्यय मास....					
शेष....					

नमूना सं० १० पुस्तकालय के स्थायी पुस्तकों का रजिस्टर

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

सं०	तिथि	नाम पुस्तक	लेखक	पुस्तक भाषा	विषय	दशा	मूल्य	विशेष

नमूना सं० ११ पुस्तकालय के अस्थायी पुस्तकों का रजिस्टर

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली

नाम पुस्तक————————मूल्य————

तिथि	सं० पुस्तक	जमा कीं	निकालीं	शेष	विवरण निकाली हुई पुस्तकों का		बिक्री
					भेंट या समालोचनार्थ	परिवर्तन	

नमूना सं० १२ वी० पी० का रजिस्टर

सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा, देहली

तिथि	ग्राहक सं०	ग्राहक का नाम व पता	पुस्तक विवरण	मूल्य	कमीशन	प्राप्तव्य				नं० रसीद डाकखाना	तिथि प्राप्ति की	विशेष
						शेष	पोस्टेज	पैकिंग	योग			

परिशिष्ट सं० ५

THIS INDENTURE made this seventeenth day of May 1933 between the BOARD OF TRUSTEES of the Raghumull Charity Trust having their Office at 116/1/1 Harrison Road in the town of Calcutta hereinafter referred to as the Transferrers (which term shall include the Turstees for the time being of the said Trust and their successors and assigns) of the ONE part and SARBADESIK ARYA PRATINIDHI SABHA a registered body having its Head Office at the premises intended to be hereby conveyed on Burn Bastion Road in the town of Delhi hereinafter referred to as the Transferees of the other part WHEREAS Raghumull Khandelwal died on the 15th September 1926 after having made and published his last will and testament bearing date the 4th day of September 1926 probate whereof was granted by the Calcutta High Court on 10th January 1927 and WHEREAS the said Raghumul Khandelwal by his said will created a charity trust (now known as the Raghumul Charity Trust). Whereof he appointed a Board of Trustees consisting of Mr. Ghanshyamdas Birla, Mr. (Now Sir) Chhajuram Chowdhury, Mr. Guruprotap Poddar, Mr. Debi Prasad Khaitan and Lala Dinanath as the Trustees for charitable purposes as in the said will mentioned and bequeathed house or houses at Delhi of the value of Rs. 50,000/- amongst other properties to the said Trustees and WHEREAS the Executors under the said will and testament have pursuant

to and as a part of the said legacy made over to the transferrers as the said Trustees the house and premises hereinafter described situate at Burn Bastion Road in Delhi and a portion of which house is called Balidan Bhawan and WHEREAS the said Transferees approached the Transferrers to transfer the said house and allow them to own and otherwise to use, occupy and manage the same and WHEREAS the revered Swami Sradhanand became a martyr in a room situated on the first floor of the said house and the Transferrers desire that the said room should be treated and maintained as a memorial for the said Swami Sradhanand and WHEREAS the—Transferees have made over to and placed at the disposal of the Transferrers a sum of Rs. 15,000/- for the benefit of the said Raghumull Charity Trust as a consideration for the said transfer and WHEREAS by the said will and testament it was inter alia provided that the said Trustees would have full power to deal with or dispose of the properties and to spend the income thereof or the corpus in such manner as they think fit and that the said—Trustees would act by majority and would have power to delegate their powers by written Power of Attorney and WHEREAS the Transferrers at their meeting held on the 21st November 1931 unanimously resolved to effect the transfer as is by these presents purported to be done NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that the Transferrers by virtue of the power vested in them and in consideration of

the premises hereby grant transfer and assure to and unto the Transferees all that the house and premises decribed in the Schedule hereunder written with the land attached thereto together with all benefits, easements, advantages, appurtenances and other right, liberties, privileges, and advantages attached thereto and all right, title and interest of the Trustees to the said premises and also all papers, writings, title deeds which exclusively relate to the said house and premises and which are in the possession of the Trustees TO HAVE AND TO HOLD the same and that free from all encumbrances that may have been created by the Trustees.

IN WITNESS WHEREOF the Transferrers have hereunto set and subscribed their hands and seals the day month and year first above written.

SIGNED SEALED AND DELIVERED
at Calcutta..
In the presence of

SCHEDULE

All that the two-stories brick-built building with the land appertaining thereto containing 2 shops below and two main rooms, courtyard, verandah etc. being Plot No. 1900 situate at Burn Bastion Road in the town of Delhi, Registration and Sub-Registration Office Delhi butted and bounded in the manner following that is to say. On the North by the house of Lala Hakimrai. On the wast by Burn Bastion Road on the South by

the house of Gordhandass Sheonarain and on the EAST by a lane called Pato-ali or howsoever otherwise the same is butted bounded called known or described.

परिशिष्ट सं० ५

स्टाम्प १०)

सरटीफिकेट नीलाम जायदाद गैर मंकूला महकूम अरदर २१ कायदा ६४ मजमूआ जाबता दीवानी सं० १६०८ मसल नं १३।२७ १२ मुकदमा नं० ७ सं० १६३१ नीलाम अराजी पड़ाव फौजी घोकना परगना लूनी तहसील गाजियाबाद

इस तहरीर से यह तसदीक की जाती है कि ऑल इण्डिया आरयन लीग (All India Aryan League) बतारीख २४ माह फरवरी सन् १६३१ बज़रये नीलाम आम के मुशत्री हक़यत १३ बीघे १८ बिसवे अराजी पड़ाव फौजी घोकना अज खाता खेवट १३ तेदादी ७२ बीघे १२ बिसवे १४ वाक़ै मौजा घोकना परगना लूनी बिलएवज़ मुबलिग़ १०००) रु० करार दी गई और यह नीलाम जरया चढ़ी साहिब कमिश्नर बहादुर किसमत मेरठ नं० ४०७५ बतारीख १७ अप्रैल सन् १६३१ मंजूर हुआ है

आज बतारीख १४ नवम्बर सन् १६३१ को मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से हवाला किया गया

तारीख वाक़ई गुजरने दरख्वास्त सरटिफिकट की १६-५-१६३१

तारीख वाक़ई अताय सरटिफिकट की १८-११-१६३१

बकलम मुंशीलाल नायब रजिस्टरार कानूगो

मोहर महकमा रजिस्टरी

दस्तख़त अँग्रेजी

परिशिष्ट सं० ६

In the High Court of Judicature at Allahabad Criminal Side Revisional jurisdiction Dated Allahabad th 20th November 1928.

Present:—The Hon'ble B. J. Dalal.......Judge Crl. Reference No 581 of 1928.

Order on reference submitted by the Sessions Judge of Morodabad as per his letter No. 647/VIII dated 18th July 1928 in re.

Shankar Singh and others ....Applicants.

Versus

King Emperor.......................Opposite Party.

Order

Reference should be made to my order dated 15th October last. At that time I was impressed by the point made by the District Magistrate that the notifications of 1872 and 1877 were not rescinded by the Municipal Board of Moradabad which cancelled all its bye-laws relating to religious processions in 1927. The Superintendent of Police of Moradabad issued an order under S. 30 of Act No. V of 1861 during the Holi of this year on the 3rd of March 1928 that no crowd attended by music shall pass within the inhabited parts of the city. There is a finding of fact that the large number of applicants whose case is before me in revision did pass through a locality in the Moradabad city known as Kathgar during the Holi in a procession accompanied with music. The appli-

cants have been convicted and fined under S. 188 of the Indian Penal Code for disobeying an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order. The lawful authority of the Superintendent of Police in Moradabad to issue the notification of the 3rd March 1928 is impugned here. There are two questions for decision: (1) whether the officer was so empowered under 5. 30 of the Police Act and whether the officer was so empowered by a notification of Government dated 18th May 1877. The District Magistrate was of opinion that prohibition of music was covered by the authority given to the District Superintendent of Police under S 30 of the Police Act to regulate the extent to which music may be used in the streets on the occasion of festivals and ceremonies. I do not agree with the District Magistrate that a prohibition of every kind of music would be covered by the word "regulate". A power to regulate is given as regards some matter which is in existence, and it would be misnomer to direct regulation of a thing that does not exist. Regulation of traffic, for instance, assumes the existence of traffic. That would not empower the police to confine every citizen to his house and prohibit all traffic. Under S. 31 of the Police Act, the police are empowered to keep order on public roads and the public streets, thoroughfares, *ghats* and landing places and at all other places of public resort. In Benares in pursuance of this authority an order was issued that a certain class of people, the *Jatrawalas*, that is, people who take charge of pilgrims to the

sacred city, were prohibited from visiting a railway station. In that case a learned Judge of this Court held that it was not competent to the Superintendent of Police to issue a general order forbidding persons of a certain class to frequent certain specified places on the strength of his authority to keep order in a public place The reasoning was the same as here (Emperor Versus Krishna Lal ... XXXIX All., 131.) The keeping of order did not imply the confining of people to their own houses so that no need may arise for the keeping of order.

I have studied the notifications. As already observed, the District Magistrate was of opinion that a notification of 27th May 1927 (U. P. Gazette of 4th June 1927, Part III, page 202) did not cancel the Government Notification of 1877. The Government Notification merely sanctioned rules framed by the Municipality, and the Municipality was entitled to cancel those rules with the sanction of the Local Government. The power of sanction has been delegated by the Local Government to the Commissioner, and the Municipal rules of 1877 were duly cancelled with the necessary sanction on 27th May 1927. There is no Government Notification independently of the Municipal rules. The District Magistrate refers to a Government order accompanying the notification of 27th November 1872. That Government order gave expression merely to a pious hope that such an arrangement would be perpetually main-

tained by the Municipalty. The Municipality, however, chose to do away with the arrangement, and the authority which issued the Government order sanctioned the cancellation of the arrangement. There is, therefore, no power left with the Superintendent of Police of Moradabad to deal with music in streets during festival and ceremonies independently of the authority given to him under S. 30 (iv) of the Police Act.

I accept the reference of the learned Sessions Judge, set aside the conviction and sentence, and order the fine, if any, recovered, to be refunded.

High Court at Allahabad.
True Copy,
Sd/-A. De Souza, 11/2/29
Assistant Registrar.

परिशिष्ट सं० ७

कवायद

(जिसके मातहत शहर मुरादाबाद में मज़हबी जलूसों का इन्तज़ाम किया जायेगा)

आम

(१) जलूसों के साथ हमराहियान और तमाशाइयों का इन्तज़ाम जलूस का अफसर इन्चार्ज करेगा जो शहर की तंग सड़कों और कूचों का ख़ास तौर पर लिहाज़ करेगा ।

(२) जलूसों के मौजूदा रास्ते बदस्तूर क़ायम रहेंगे ।

नगरकीर्तन

(३) ईद और मुहर्रम के ज़माने में यह जलूस न निकाला जायेगा ।

(४) यह जलूस मसजिदों के सामने बग़ैर ठहरे हुए गुज़र जावेगा ।

(५) कम से कम एक मास पहिले इस जलूस की इत्तिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को दी जावेगी और लाज़िम होगा कि तारीख जलूस से कम से कम एक सप्ताह पहिले उसका प्रोग्राम मजिस्ट्रेट ज़िला की ख़िदमत में भेजा जावे ।

मुहर्रम

(६) मुहर्रम के जलूस मन्दिरों के सामने बग़ैर ठहरे हुए गुज़र जायेंगे ।

होली

(७) ग़ैर हिन्दू पर रंग या कोई दूसरी काबिले ऐतराज़ चीज़ न फैंकी जायेगी ।

(८) चौपाई और इस किस्म का कोई जलूस किसी मसजिद के सामने न ठहरेगा, बल्कि बग़ैर रुके गुज़र जायेगा ।

(९) जब कभी होली या मुहर्रम या ईद के त्यौहार एक ही ज़माने में होंगे तो मजिस्ट्रेट जिला औक़ात और रास्तों के मुतल्लिक़ ख़ास इन्तज़ामात करेंगे ताकि दोनों क़ौमें अपना अपना त्यौहार मना सकें ।

रथ जल यात्रा (जैनियों का)

(१०) ये जलूस मन्दिरों के सामने बग़ैर ठहरे गुज़र जायेंगे ।

दीगर मज़हबी जलूस

(११) हिन्दुओं का कोई जलूस मसजिद के सामने न ठहरेगा, न मुसलमानों का कोई जलूस मन्दिरों के सामने ठहरेगा बल्कि दोनों मन्दिर और मसजिद के सामने बग़ैर ठहरे गुज़र जायेंगे ।

रथ जल यात्रा (जैनियों का)

(१०) ये जलूस मन्दिरों के सामने बग़ैर ठहरे गुज़र जायेंगे।

दीगर मज़हबी जलूस

(११) हिन्दुओं का कोई जलूस मसजिद के सामने न ठहरेगा, न मुसलमानों का कोई जलूस मन्दिरों के सामने ठहरेगा बल्कि दोनों मन्दिर और मसजिद के सामने बग़ैर ठहरे गुज़र जायेंगे।

सार्वदेशिक सभा की उत्तमोत्तम पुस्तकें

(१) दयानन्द ग्रन्थमाला २॥)
(२) संस्कृत सत्यार्थ प्रकाश ।)
(३) प्राणायाम विधि)॥
(४) वैदिक सिद्धान्त अजिल्द ।॥)
सजिल्द १)
(५) विदेशों में आर्य्य समाज ।=)
(६) यमपितृ परिचय १)
(७) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर १।)
(८) आर्य्य सिद्धान्त विमर्श १॥)
(९) भजन भास्कर ॥)
(१०) वेद में असित शब्द -)
(११) वैदिक सूर्य्य विज्ञान =)
(१२) विरजानन्द विजय =)
(१३) हिन्दू मुस्लिम इत्तिहाद =)
(१४) Agnihotra Well Bound २॥)
(१५) Cruicifixion by an eye witness ।-)
(१६) Truth and Vedas ।=)
(१७) Truth bed rocks of Aryan Culture ॥)
(१८) Vedic Teachings १)
(१९) Voice of Arya Varta =)
(२०) Daily Prayer of an Arya ≡)
(२१) Commentary on Ishopanishat ।)
(२२) इज़हारे हक़ीक़त (उर्दू में) ॥=)
(२३) सत्य निर्णय (हिन्दी में) १)
(२४) धर्म और उसकी आवश्यकता ।-)
(२५) आर्य्य पर्व्व पद्धति ॥=)
(२६) कथा माला ।=)
(२७) आर्य्य जीवन और गृहस्थ धर्म ।=)
(२८) आर्य्यवर्त्त की वाणी =)
(२९) कर्त्तव्य दर्पण =)॥
(३०) समस्त आर्य्य समाजों की सूची ॥)

स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य

श्री महात्मा नारायणस्वामी जी कृत कतिपय ग्रन्थ

(१) मृत्यु और परलोक

शरीर, अन्तःकरण तथा जीव का स्वरूप और भेद, जीव और सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति मुक्ति और स्वर्ग, नर्क इत्यादि लोकों का स्वरूप, मुक्ति के साधन आदि आदि विषयों पर अद्भुत पुस्तक । मूल्य ।-)

(२) योग रहस्य

इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को उद्घाटित करते हुए उन विधियों को बतलाया गया है जिससे कोई जिसे रुचि हो—योग के अ... सकता है । मूल्य ।-)

(३) विद्यार्थी जीवन ...

विद्यार्थियों के लि... सच्चा पथ प्रदर्शक... पहलू पर ... उपदेश ।

(४) ...

..., =), ।)

...द में) १।=)

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली का

कार्य-विस्तार

दक्षिण तथा हैद्राबाद राज्य में कार्य

हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के पश्चात सभा ने हैदराबाद राज्य में रचनात्मक कार्यक्रम का ३ वर्ष का कार्यक्रम बनाया था। उस कार्यक्रम में निम्न बातें सम्मिलित थीः—

१. हैदराबाद में जो आर्य सत्याग्रही वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनका किसी उपयुक्त स्थान पर और किसी न किसी रूप में आर्यसमाजों में अच्छा स्मारक बनाया जाय। धर्मवीरों के परिवारों की यथावश्यकता धन की सहायता की जावे।

२. हैदरावाद शहर में एक हाई स्कूल खोला जाये और यथा सम्भव अन्य स्थानों पर भी छोटे बड़े स्कूलों की स्थापना की जाये।

३. हैदराबाद राज्य के अन्तर्गत ग्रामों और नगरों में वैदिक धर्म प्रचार को तेज़ी से बढ़ाये जाने के उपाय किये जायें।

४. हैदराबाद राज्य में ग्रामों के विशेष केन्द्रों में सभा की ओर से ५००) तथा कस्बों में १०००) की लागत के आर्य समाज मन्दिर बनाये जायें और किराये के मकानों में समाज मन्दिरों के अस्थायित्व को दूर करके उन्हें स्थायित्व प्रदान किया जाये।

५. सभा के प्रकाशन विभाग को सुदृढ़ और उन्नत किया जाये।

६. इस कार्यक्रम की संख्या ३ को सफल बनाने के लिये सारे दक्षिण भारत में प्रचार की विस्तृत योजना तैयार करके उसे कार्य में परिणत किया जाये।

(१)

(क) हैदराबाद के धर्मयुद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए धर्म-वीरों के परिवारों को इस समय ६३) मासिक की सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद सरकार ने जिन आर्य भाइयों को बिना मुकदमा चलाये वन्दीगृह में डाला हुआ है उनके परिवारों को भी २५) मासिक सहायता दी जा रही है। इस समय तक ३५००) रुपया इस कार्य में व्यय हो चुका है।

(ख) वीरगति को प्राप्त हुए इन हुतात्माओं के स्मारक में पीतल की पट्टिकायें समाज मन्दिरों तथा संस्थाओं में रखवाये जाने की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था के अनुसार अब तक ५० समाजों में ये पट्टिकायें रखी गई है। एक पट्टिका का मूल्य २४) है। जो समाजें पीतल की पट्टिका का व्यय भार वहन करने में असमर्थ हैं उन्होंने अपने यहाँ हुतात्माओं के छपे हुए कलेण्डर रखकर अथवा समाज मन्दिरों में उपयुक्त स्थान पर चूने व सीमेंट से हुतात्माओं के नाम खुदवाकर उनकी स्मृति को स्थिर किया है परन्तु अधिकांश समाजों की प्रवृत्ति पीतल की पट्टिकायें ही रखने की है।

(ग) हुतात्माओं की स्मृति में सभा की ओर से 'बलिदान' नामक पुस्तक प्रकाशित की जा चुकी है जिसमें औपन्यासिक रूप

में सरस भाषा में १३ बलिदानों की विशद गाथायें अंकित हैं। शेष बलिदानों की गाथायें भी शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करने का सभा का विचार रहा है परन्तु कई अनिवार्य्य कारणों से अभी तक यह विचार मूर्त रूप धारण नहीं कर सका है। ज्यों ही सभा उनके प्रकाशन की अवस्था में हुई त्यों ही वे प्रकाशित करदी जायेंगी।

(घ) हुतात्माओं के स्थायी केन्द्रीय स्मारक बनाये जाने के सम्बन्ध में सर्व सम्मत मत न बनने से सभा इस कार्य को सम्पादित नहीं कर सकी है। एक विचार यह था कि शोलापुर की ऐतिहासिक आर्य कान्फ्रेंस तथा हुतात्माओं की स्मृति में शोलापुर में आर्यसमाज मन्दिर के रूप में यह स्मारक बनाया जाये। सभा इसी विचार को क्रियान्वित किये जाने के प्रयत्न में है। शोलापुर में १–२ मकान देखे भी जा चुके हैं परन्तु उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण अभी तक यह कार्य नहीं हो सका है। इस कार्य के लिये आगामी वर्ष के बजट में १५ हजार रुपये का व्यय रखा गया है।

(२)

(क) हैदराबाद नगर में 'केशव आर्य हाई स्कूल' की स्थापना करके कार्यक्रम के दूसरे भाग की पूर्ति की गई है। इस समय यह स्कूल मिडिल तक है और शीघ्र ही हाई स्कूल बनेगा। इस समय स्कूल में २६३ विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। छोटी क्लासों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी और मिडिल क्लासों में शिक्षा का

माध्यम अंग्रेजी है। स्कूलीय तथा धार्मिक शिक्षा की दृष्टि से स्कूल को आदर्श संस्था बना कर प्रचार का सुदृढ़ केन्द्र बनाये जाने का यत्न हो रहा है। सभा ने इस स्कूल की सहायतार्थ २५ हजार रुपया दिया है तथा हैडमास्टर को १२५ रुपया मासिक दक्षिणा भी देती रही है। स्कूल की नई इमारत बन रही है और बहुत शीघ्र स्कूल अपनी इस इमारत में चला जायेगा।

हैदराबाद के कलम परगने में लड़के लड़कियों और वयस्कों की ४० पाठशालाएँ चलती रही हैं।

इसके अतिरिक्त वरंगल जिले में हिन्दी प्रचार के लिये एक हिन्दी पाठशाला सभा के व्यय पर चल रही है।

(३)

हैदराबाद राज्य के लिये ट्रेन्ड उपदेशकों की प्राप्ति के लिये शोलापुर उपदेशक विद्यालय में ट्रेन्ड करके २५ उपदेशक कार्य पर लगाये गये थे। इन सब के भोजन तथा पढ़ाई आदि का व्यय सभा ने स्वयं उठाया था। इस कार्य पर सभा का ६२६४-२-३ व्यय हुआ था। हैदराबाद राज्य में ३२ राज्य के और ४ उत्तर भारत के उपदेशक प्रचार करते रहे हैं।

मद्रास प्रान्त में कई वर्ष पूर्व से सभा की ओर से प्रचार कार्य होता रहा था। हैदराबाद राज्य के आसपास प्रचार को विस्तृत किये जाने के महत्व को दृष्टि में रखकर सभा के लिये यह प्रचार कार्य विस्तृत करना आवश्यक हो गया था। अतः सभा ने ७ उपदेशक मद्रास प्रान्त में बढ़ाये थे और ये प्रायः सब

उपदेशक तामिल, तिलगु, कनडी, मलयालम और मराठी आदि लोक भाषाओं में प्रचार करते हैं और आवश्यकतानुसार अंग्रेजी संस्कृत आदि में भी प्रचार कार्य करते हैं। २ उपदेशक महाराष्ट्र प्रान्त में रखे थे। ये सब उपदेशक अभी तक प्रचार कार्य कर रहे हैं। इस कुल प्रचार पर सभा का ८२४५९-५-८ व्यय हुआ है जो सत्याग्रह के बचे हुए धन से तथा श्री बिड़ला जी की सहायता से किया गया है। इस प्रचार के फल स्वरूप हैदराबाद राज्य में ६९ तथा दक्षिण भारत में २० नई समाजें स्थापित हो गई हैं।

मद्रास प्रान्त में आर्य प्रतिनिधि सभा का भी पुनर्निर्माण हो गया है जिसमें १३ निम्न समाजें प्रविष्ट हो गई हैं:—

१. आर्यसमाज कुच्चीट्ठी, २. आर्यसमाज टेनाली, ३. आर्य-समाज पाया पारु।

४. आर्यसमाज गुडप्पा, ५. आर्यसमाज मुंडेपाली, ६. आर्य समाज भीम वरम।

७. आर्यसमाज प्रसंगुला पाडु आंध्र प्रान्त में।

८. आर्यसमाज मंगलौर तथा कार्कल दक्षिण कनारा में।

१०. श्री रामपुरम बंगलौर मैसूर राज्य में।

११. कनानौर तथा कोट्टायम मालाबार में।

१३. आर्यसमाज मद्रास सेन्ट्रल।

(४)

हैदराबाद राज्य में मन्दिरों के निर्माण के लिए सभा ने

हैदराबाद मन्दिर निर्माण फण्ड के नाम से एक निधि खोली थी। इस निधि में १०६८६ रुपए नकद प्राप्त हुए हैं। इस निधि के लिए २०५१४ रु० वायदों का अभी शेष है। इनमें से ६५०० रु० समाज मन्दिरों के निर्माण में व्यय हो चुके हैं। भूमि की प्राप्ति नकशों की स्वीकृति और निर्माण की सुव्यवस्था के कारण ही यह कार्य अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है। राज्य की ओर से नकशों की स्वीकृति में आवश्यकता से अधिक विलम्ब हो जाता है। इस कार्य में हैदराबाद के आर्यसमाजों को सहायता करने का उत्तर भारत के समाजों में अधिक प्रेम और उत्साह देख पड़ता है। सभा इस भाव का आदर करती हुई उससे पूरा २ लाभ उठाने के यत्न में हैं। जिन व्यक्तियों और समाजों ने इस शुभ कार्य के लिये धन के वायदे किये हुये हैं, उन्हें शीघ्र धन भेज देना चाहिए। यह सभा प्रत्येक प्रकार से पूर्ण सन्तोष कर लेने पर ही यह सहायता भेजती है।

(५)

साहित्य द्वारा प्रचार की ओर सभा का विशेष ध्यान रहा है। हैदराबाद राज्य और दक्षिण भारत के प्रचार में सभा ने इस कार्य को विशेषरूप से बढ़ाने का यत्न किया है। अंग्रेजी, टामिल, तिलगू, मलयालम और कनारी में लगभग ६० ट्रैक्ट और पुस्तकें लगभग १ लाख की संख्या में लिखाये तथा सभा के व्यय पर प्रकाशित कराये गये हैं। इस कार्य पर सभा का ४५०० रुपया व्यय हुआ है। तामील में २४ ट्रैक्ट ४६००० की संख्या में

मलयालम में १६ ट्रैक्ट २०,००० की संख्या में तिलगु भाषा में १६ ट्रैक्ट लगभग २७,००० संख्या में छपा कर वितरण किये गये हैं।

सभा के इस समस्त कार्य को हैदराबाद राज्य तथा दक्षिण भारत में इच्छित सफलता मिली है यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। हैदराबाद राज्य की ओर से प्रचार तथा समाज की अन्य प्रगतियों में जो छोटी मोटी बाधायें उपस्थित होती हैं वे पारस्परिक विचार और पत्र व्यवहार से सहज ही दूर हो जाती हैं। हमें आशा है प्रचार की यह गति उत्तरोत्तर बढ़ती तथा दृढ़ होती जायेगी।

इस प्रचार कार्य में श्रीयुत दानवीर सेठ जुगल किशोर जी बिड़ला ने इस समय तक २०००० रु० की सहायता प्रदान कर अपने धर्म प्रेम का सुन्दर परिचय दिया है।

सभा के अन्यान्य कार्य

जनगणना

गत जनगणना में आर्य जगत के मार्ग प्रदर्शन के कार्य तथा बाधाओं के निराकरण के कार्य को सभा ने बड़े पैमाने पर और सुव्यवस्थित रूप में हाथ में लिया था और सभा के प्रयत्नों और समूचे आर्य जगत के हार्दिक सहयोग और कर्तव्य पालन के फल स्वरूप यह कार्य अत्यन्त सन्तोष जनक रीति से सम्पन्न भी हुआ था। इस बार भारत सरकार ने गत जनगणनाओं की नाईं आर्यों इत्यादि की संख्याएँ पृथक परिगणित नहीं कराई है वरन् अपने व्यय पर जो संख्या प्राप्त करना चाहे उनके लिए संख्याओं

के दिये जाने की व्यवस्था करदी गई थी। अतः आर्यों की संख्या पृथक अंकित नहीं हुई। अवश्य अपने व्यय पर जहां के अंक प्राप्त हो सकते थे उनके प्राप्त करने का यत्न किया गया है और इस समय तक प्राप्त अंकों की तालिका १९३१ की जनगणना के अंकों के साथ नीचे दी जाती है:—

नाम स्थान	सन् १९३१ में कुल संख्या	सन् १९४२ में कुल संख्या
मध्य प्रदेश	१८३७	३१६८०
ग्वालियर	११०८	३६३४
बंगाल	२०१	६८०३०
मैसूर	४५	४२७
सी० आई०	३०९७	३९०४

मोटा अन्दाजा है कि १९४१ की जनगणना में आर्यों की संख्या ४० लाख के लगभग होगी।

हैद्राबाद राज्य में आर्यों की जन गणना के अंकित होने में राज्य कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की हुई अनेक विघ्न वाधाओं के होते हुए भी हज़ारों की संख्या में लोगों ने अपने को आर्य लिखाया है विस्तृत रिपोर्ट हैद्राराद आर्य प्रति सभा की ओर से शीघ्र प्रकाशित होगी जिससे आर्यों की ठीक २ संख्या ज्ञात होगी।

प्रचार विस्तार

सभा की प्रचार विस्तार की योजना के अनुसार कुमायूँ, छोटा नागपुर, सेंट्रल इण्डिया, मध्य प्रदेश, आसाम और उड़ीसा में प्रचार कार्य हो रहा है। इन क्षेत्रों में जनता घोर अविद्या अन्धकार में विलीन होने के कारण सहज ही विधर्मियों का शिकार बन जाती हैं। अतः वहाँ विधर्मियों ने सुदृढ अड्डे बनाये हुए हैं। स्कूलों हस्पतालों इत्यादि के जाल फैलाये हुए हैं

और आये दिन बड़ी संख्या में कृष्ण और राम के नाम लेवा मुसलमानों और ईसाइयों की गोद में जा रहे हैं।

सभा के लिये यह स्थिति असह्य थी अतः अपनी स्थिर आय के न होते हुए भी सभा ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया।

कुमायूँ

इस प्रान्त में सभा के ६ प्रच,रक काम कर रहे हैं। चार उपदेशक और भेजे जाने वाले हैं। गत वर्ष गढवाल की डोला पालकी की समस्या का हल किया गया था, प्रसन्नता है उसके फलस्वरूप इस वर्ष २३ बारातें शान्ति पूर्वक निकल गई हैं। हमें आशा है यह समस्या शीघ्र ही भूतकाल की वस्तु बन जायगी।

छोटा नागपुर

संथाल, मुण्डा, आदि-'आदि वासियों' में सभा की ओर से ४ प्रचारक कार्य कर रहे हैं और उनकी मुख्य प्रगति शुद्धि कार्य है। इस समय तक हजारों की संख्या में ये लोग ईसाई बन चुके हैं। इस इलाके को ईसाई मिशनरी अपनी खेती समझते हैं अतः यहां का प्रचार बहुत व्यय तथा कष्ट साध्य हैं। सभा की इच्छा है वहां शीघ्र से शीघ्र अपनी २-४ शिक्षा तथा रक्षा संस्थाएँ खुल जावें, देखें यह इच्छा कब पूर्ण होती हैं।

सेन्ट्रल इण्डिया तथा मध्यप्रदेश

यहाँ भी मुख्यतया भीलों और गोडों को विधर्मी लोगों से बचाने की परम आवश्यकता है। इस क्षेत्र में सभा के दो प्रचारक कार्य कर रहे हैं। यदि कोई शिक्षित अनुभवी और त्यागी भाई इन क्षेत्रों में प्रचार के लिए अपना जीवन दान दे दें

तो क्या ही अच्छा हो। इन क्षेत्रों में औषधालय इत्यादि की कई योजनाएँ सभा के आधीन हैं जिनके लिए हजारों रुपये दरकार हैं।

उड़ीसा

यहां प्रचार कार्य का श्री गणेश हो चुका है। मौखिक प्रचार के साथ उड़िया भाषा में साहित्य तैयार किये जाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि बिना उड़िया साहित्य के प्रचार की सफलता में विलम्ब होने की आशङ्का है। सत्यार्थप्रकाश उड़िया भाषा में छप चुका है। संस्कार विधि का अनुवाद हो गया है। इसके अतिरिक्त कई छोटे छोटे ट्रैक्ट अनुदित हो रहे हैं। इस समय उडीसा प्रांत के रहने वाले एक संन्यासी वहाँ प्रचार कर रहे हैं। इस वर्ष एक प्रचारक और भेजा जायगा।

आसाम, बङ्गाल तथा नेपाल

आसाम में भी कार्य पुनः आरम्भ किया गया है। सभा का यत्न है कि इस प्रान्त में भी लोक भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य तैयार कराया जाय।

नेपाल

इस प्रांत में प्रचार की कई कठिनाइयाँ हैं परन्तु नेपाल में वैदिक धर्म का प्रचार कार्य सभा की दृष्टि में है।

इस कुल प्रचार का आगामी वर्ष का बजट ४००० रु० का रखा गया है।

केन्द्रीय आर्य धर्म रक्षा समिति

संयुक्त प्रान्त के पश्चिमी जिलों में आर्य धर्म की अवहेलना करके चोटी तथा जनेऊ आदि वैदिक चिन्हों का परित्याग कराने का दुर्भाग्य पूर्ण आंदोलन गत वर्ष प्रगट रूप में जनता के सामने आया था। सभा के लिए यह स्थिति सह्य नहीं हो सकती थी। इस आन्दोलन के निराकरणार्थ यत्न किया जा रहा है। इस समय वहाँ ६ प्रचारक काम कर रहे हैं और उन्हें अपने काम में पर्याप्त सफलता मिल रही है। आगामी वर्ष के लिये इस कार्य का ४१७५ रु० का बजट बनाया गया है।

सार्वदेशिक आर्य पुस्तकालय

देहली में आर्यसाहित्य के सर्वाङ्ग पूर्ण पुस्तकालय के अभाव की पूर्ति तथा देहली में बैठकर अनुसंधान करने वालों को पूरी पूरी सामग्री उपलब्ध हो सके और बाहर कहीं न जाना पड़े इस विचार से सभा ने उपर्युक्त पुस्तकालय को बनाना प्रारम्भ कर दिया है। इस सम्बन्ध में सभा ने समाजों के नाम एक विशेष सरक्यूलर निकाल कर अपनी आवश्यकतायें बतलाई हैं। इस समय तक इसमें विविध विषयों की लगभग ४०० पुस्तकें एकत्र हो गई हैं। सभा इस कार्य को शीघ्र से शीघ्र सम्पन्न कर देना चाहती है।

न्याय सभायें

आर्य समाज तथा आर्य पुरुषों के आन्तरिक झगड़ों के निपटारे के लिये आर्य समाज के प्रबन्ध विभाग से बिल्कुल पृथक सार्वदेशिक प्रान्तीय और स्थानीय न्याय सभाओं का योजना की जा रही है। पंजाब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माननीय श्री सर जयलाल जी ने यह विधान तैयार कर दिया है। प्रान्तीय सभाओं की सम्मतियां प्राप्त की गई हैं। १-२ प्रान्तीय सभाओं

की सम्मति प्राप्त होनी शेष है।

उपसंहार

हैदराबाद और दक्षिण भारत में प्रचार कार्य सत्याग्रह के बचे हुये प्रान्तीय सभाओं तथा आर्य समाजों इत्यादि से प्राप्त हुये तथा श्री बिडला जी की सहायता के धन से किया गया है। अब इस निधि में लगभग १२०००) रु० जमा हैं और लगभग १६०००) रु० प्रान्तीय सभाओं से प्राप्तव्य है। अतः आगामी वर्ष के लिये हैदराबाद और दक्षिण प्रचार के लिये ३१०००) के व्यय का बजट बनाया गया है। अगले वर्ष सभा और उसके द्वारा आर्य जगत के सामने यह प्रश्न उपस्थित होगा कि दक्षिण भारत के बढ़े हुए प्रचारकार्य के लिये क्या व्यवस्था की जाये।

सभा के गढ़वाल आसाम इत्यादि के प्रचार विस्तार तथा अन्यान्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिये स्थिर आय का साधन नहीं है। उधर आर्य धर्म और संस्कृति की रक्षा तथा आर्य एवं हिन्दू जगत के मार्ग प्रदर्शन की उत्तरदायिता दिनों दिन बढ़ती जात है। अतः प्रत्येक आर्य समाज तथा आर्य इस विवरण को पढ़कर गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार करें और अपने कर्त्तव्य का पालन करें।

सुधाकर एम. ए.
मन्त्री
६-३-१६४२

स्वतन्त्रानन्द
कार्यकर्ता प्रधान

चन्द्र प्रिण्टिङ्ग प्रेस, नया बाज़ार, देहली।